

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र

सोमवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019

तारांकित प्रश्नोत्तर

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में संचालित क्रेशर प्लांट

1. (*क्र. 1045) **श्रीमती छन्नी चंदू साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कितने क्रेशर प्लांट संचालित हैं एवं इसे चलाने हेतु अनुमति कब-कब दी गई ? क्या इसको चलाने हेतु पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गई ? यदि हां, तो कब-कब ली गई एवं नहीं तो क्यों ? (ख) उक्त क्रेशर प्लांट की जमीन स्वयं की है या इसे लीज में लिया गया है ? एवं समयावधि क्या है ? कृपया प्लांटवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा अंतर्गत 02 क्रेशर प्लांट संचालित है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) उक्त क्रेशर प्लांट की भूमि का प्रकार एवं लीज की समयावधि की प्लांटवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के क्रमशः कॉलम '5' एवं '6' पर दर्शित है.

कांकेर जिले में संचालित लौह अयस्क की खदानें

2. (*क्र. 505) **श्री शिशुपाल सोरी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले में किन-किन स्थानों पर लौह अयस्क की खदान कब से संचालित हैं ? क्या संबंधित खदानों की स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण विभाग एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त है ? जनवरी, 2015 से अब तक किन-किन लौह अयस्क खदान के संचालन के दौरान नियम विरुद्ध लौह उत्खनन तथा पर्यावरण, भूमि एवं जल प्रदूषण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार जिले में संचालित उक्त लौह अयस्क खदानों का शासन के साथ कितनी अवधि के लिये अनुबंध किया गया है ? तथा कितनी मात्रा में लौह अयस्क का दोहन किया गया है तथा जिले को कितने राजस्व राशि प्राप्त हुई वर्षवार खदानवार विवरण प्रदान करेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत वर्तमान में खनिज लौह अयस्क की 05 खदानें संचालित हैं. जी हां. जनवरी, 2015 से अब तक उक्त लौह अयस्क खदानों के विरुद्ध शिकायतें एवं उन पर कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र (अ) पर दर्शित है. (ख) जानकारी प्रपत्र (ब) पद दर्शित है.

नाम प्रकरणों की पी.आई.एल. में शासन द्वारा वकीलों की नियुक्ति

3. (*क्र. 552) **डॉ. रमन सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च न्यायालय में दायर नान प्रकरण की पी.आई.एल. में शासन द्वारा किन-किन निजी वकीलों को नियुक्त किया गया है ? (ख) क्या इस हेतु शासन द्वारा शासकीय विमान का उपयोग किया गया ? (ग) यदि हां, तो उक्त पर कितना व्यय आया ? (घ) उनके द्वारा कब-कब किस दिनांक को न्यायालय में जिरह की गई ? (ङ) इस हेतु उनको दी गई या दी जाने वाले फीस तथा फीस के साथ उनके एवं कार्यालय में सहयोगियों के वकील के आने जाने के साथ-साथ कान्फ्रेंसिंग के लिये किया गया भुगतान की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) उच्च न्यायालय में दायर नान प्रकरण की पी.आई.एल. में शासन द्वारा निम्नलिखित निजी वकीलों को नियुक्त किया गया है :-

1. श्री हरीश एल. साल्वे, नई दिल्ली
2. श्री रविन्द्र श्रीवास्तव, नई दिल्ली

3. श्री अपूर्व कुरूप, नई दिल्ली
4. श्री दयन कृष्णन, नई दिल्ली
5. श्री पी. चिदम्बरम, नई दिल्ली

(ख) जी हां, शासन द्वारा श्री पी. चिदम्बरम, वरिष्ठ अधिवक्ता के लिये शासकीय विमान का उपयोग किया गया. (ग) उक्त पर राशि रुपये 5,10,000/- व्यय हुआ. (घ) श्री हरीश एल. साल्वे, श्री रविन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री अपूर्व कुरूप द्वारा दिनांक 08-09-2015, 31-08-2016, 21-09-2016, 02-11-2016, 02-05-2017 को एवं श्री दयन कृष्णन द्वारा दिनांक 26-02-2019, 12-03-2019, 14-03-2019 एवं 18-07-2019 को तथा श्री पी. चिदम्बरम द्वारा दिनांक 14-03-2019 एवं 18-07-2019 को न्यायालय में जिरह किया गया. (ङ) इस हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश एल. साल्वे, श्री रविन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री अपूर्व कुरूप को फीस, कान्फ्रेंसिंग एवं अन्य व्यय हेतु राशि रुपये 18,57,876/- रुपये एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयन कृष्णन को अपिरियेंस, सेटलिंग/स्टेटस रिपोर्ट/रिप्लाइ एवं कान्फ्रेंस हेतु कुल रुपये 81 लाख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. चिदम्बरम को सुनवाई एवं कान्फ्रेंस हेतु राशि रुपये 60,03,776/- का भुगतान किया गया है.

छुईखदान बुनकर सोसायटी को स्वीकृत शासकीय अनुदान

4. (*क्र. 968) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छुईखदान बुनकर सहकारी समिति को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 1 नवम्बर, तक किन-किन मदों में राज्य हाथकरघा बोर्ड एवं अन्य शासकीय योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता एवं अनुदान स्वीकृत किया गया ? कृपया मदवार जानकारी दें ? (ख) छुईखदान बुनकर सोसायटी को ग्राम उद्योग द्वारा कुल कितनी राशि शासकीय विभागों में वस्त्र प्रदाय करने के ऑर्डर दिए हैं ? कुल राशि बताएँ ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) छुईखदान बुनकर सहकारी समिति को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 01 नवम्बर 2019 तक छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ एवं अन्य शासकीय योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता एवं अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है. (ख) छुईखदान बुनकर सहकारी समिति को शासकीय विभागों में लगने वाले वस्त्र प्रदाय करने के आर्डर नहीं दिए गये हैं. छुईखदान समिति को हाथकरघा संघ द्वारा वस्त्र उत्पादन हेतु धागा प्रदाय के विरुद्ध किए गये उत्पादन तथा उक्त समिति से क्रय किये गये वस्त्रों की जानकारी निम्नानुसार है :-

- (1) छुईखदान बुनकर सहकारी समिति को वर्ष 2018-19 में संघ द्वारा पी.सी.धागा 79215.00 कि.ग्रा. एवं कॉटन धागा 8721.340 कि.ग्रा. कुल धागा 87936.340 कि.ग्रा. राशि 213.46 लाख रुपये एवं वर्ष 2019-20 में 01.04.2019 से 01 नवम्बर 2019 तक पी.सी. धागा 4080.00 कि.ग्रा. एवं कॉटन धागा 4540.00 कुल धागा 8620.00 कि.ग्रा. राशि 20.18 लाख रुपये का धागा उत्पादन हेतु प्रदाय किया गया है.
- (2) संघ द्वारा धागा प्रदाय के विरुद्ध वर्ष 2018-19 में उक्त समिति से राशि 135.52 लाख रुपये एवं वर्ष 2019-20 में 01 अप्रैल से 01 नवम्बर 2019 तक 70.74 लाख कुल राशि 206.26 लाख रुपये का शासकीय विभागों में लगने वाले वस्त्रों का उत्पादन कर जमा किया गया है.
- (3) छुईखदान बुनकर सहकारी समिति से वर्ष 2018-19 में उनके स्वयं के धागे से उत्पादित वस्त्र टावेल, गमछा, पिलोकव्हर, नेपकीन, कॉटन साड़ी 1739 नग एवं शर्टिंग 1610.00 मीटर, कुल राशि 5.42 लाख रुपये का क्रय किया गया है. तथा वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.04.2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चादर, पिलोकव्हर, गमछा, दरी 394 नग एवं शर्टिंग 1020.15 मीटर, राशि 3.78 लाख रुपये का वस्त्र क्रय किया गया है.
- (4) छुईखदान बुनकर सहकारी समिति को वर्ष 2018-19 में बुनाई पारिश्रमिक राशि 47.00 लाख रुपये एवं समिति का सेवा प्रभार राशि 11.48 लाख रुपये कुल भुगतान राशि 58.48 लाख रुपये तथा वर्ष 2019-20 में 01 अप्रैल 2019 से 01.11.2019 तक बुनाई पारिश्रमिक राशि 32.42 लाख रुपये एवं समिति का सेवा प्रभार राशि 7.83 लाख रुपये कुल भुगतान राशि 40.25 लाख रुपये का किया गया है.

रायगढ़ जिले के अंतर्गत संचालित रेत की खदानें

5. (*क्र. 986) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के किन-किन विकासखण्डों के अंतर्गत कितने-कितने रकबे में रेत की खदानें संचालित हैं ? (ख) वर्णित रेत खदानों में से किस-किस रेत खदानों से वाहनों रेत भराई का कार्य मजदूरों से या मशीनों से रेत भराई संचालित करने की अनुमति किस-किस नियमों एवं शर्तों के तहत दी गई है ?

(ग) रायगढ़ जिले के अंतर्गत वाहनों में रेत भराई का कार्य मशीनों से किये जाने की कितनी शिकायतें वर्ष 2019 में अक्टूबर, 2019 तक प्राप्त हुईं एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिले में 01 रेत खदान सारंगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम जसरा, रकबा 2.333 हेक्टेयर में संचालित है. (ख) उत्तर-(क) में वर्णित रेत खदान में रेत भराई का कार्य मजदूरों से कराने हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति में उल्लेखित शर्तों के तहत दिया गया है. मशीनों से रेत भराई करने हेतु अनुमति नहीं दिया गया है. (ग) प्रश्नांश में उल्लिखित अवधि में रेत भराई का कार्य मशीनों से किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

जिला कोरबा में छिन्दई नाला आधारित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति

6. (*क्र. 1053) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में छिन्दई नाला आधारित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना कब कितनी राशि की किस मद से स्वीकृत की गयी ? (ख) क्या उपरोक्त स्वीकृत राशि से कार्य किया गया ? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतायें एवं उक्त राशि का व्यय किस कार्य में किया गया ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) जिला कोरबा में छिन्दई नाला आधारित ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना दिनांक 14.02.2008 को रु. 1088.50 लाख की "मांग संख्या 20 एवं 41 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 0701/702-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 11070-जल पूर्ति एवं जल निकास (6813) जल गुणवत्ता समस्या निवारण #-27 लघु निर्माण कार्य 004 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी निर्माण कार्य # 99 प्रवर्तित योजनाएं" मद में स्वीकृत की गई थी. (ख) उपरोक्त स्वीकृत राशि से योजना का कार्य नहीं किया गया. स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने के कारण. उक्त राशि का उपयोग/व्यय जल गुणवत्ता के अंतर्गत वॉटर सेम्पल कलेक्शन, लौह निवारण सयंत्र स्थापना, फोर्स लिफ्ट पंप स्थापना, रिपेयरिंग आफ ओल्ड टाप हेड, पेडेस्टल, हैण्डल, वाटर चेम्बर, हैण्डपंप प्लेटफार्म रिपेयरिंग, राईजर पाईप कटिंग/श्रेडिंग, हैण्डपंप असेम्बली स्थापना, हैण्डपंप स्पेयर पार्ट्स-चैन, कपलर, लोवर वाल्व असेम्बली, वाटर चेम्बर, बेयरिंग, हैण्डपंप असेम्बली क्रय, टी एण्ड पी क्रय, सबमर्सिबल पंप क्रय, सर्विस वायर क्रय, यू.पी.व्ही.सी. पाईप क्रय, पाईप लाईन लिकेज रिपेयरिंग, सी.आई.स्तूस वाल्व रिपेयरिंग, सर्वे, टोपोग्राफिकल मेप, विभिन्न ग्रामों के कम्प्यूटर एडेड डिजाईन, नलकूपों का यील्ड टेस्ट, उच्च जलागार की सफाई, सबमर्सिबल पंप रिपेयरिंग, हैण्डपंप रिपेयरिंग, वाहन किराया, डीजल क्रय, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर कार्य, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, स्टेशनरी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर्मचारियों का प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों में किया गया है.

जिला कोण्डगांव में खनिज संस्थान न्यास निधि से दूध पाउडर क्रय की स्वीकृति

7. (*क्र. 582) **श्री मोहन मरकाम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोण्डगांव जिले में वर्ष 2019-20 के लिए खनिज संस्थान न्यास निधि से मध्याह्न भोजन संस्थाओं में दूध पाउडर प्रदाय हेतु कार्य स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में किस माध्यम से दूध पाउडर का क्रय किया गया ? (ख) क्या उक्त कार्य के लिए भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया ? यदि हां, तो निविदा कब प्रकाशित की गई तथा निविदा किन-किन फर्म/संस्था द्वारा कितना दर प्रस्तुत किया गया ? (ग) कितने दर पर, कितनी मात्रा में किस फर्म/संस्था के द्वारा दूध पाउडर प्रदाय किया गया ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. 7450 किलोग्राम दूध पाउडर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर से क्रय किया गया है. (ख) जी हां. जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर को दूध पावडर प्रदाय हेतु आदेश किया गया है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर द्वारा 350 रुपये प्रति किलोग्राम (संकुल स्तर तक पहुंचाकर) की दर पर कुल 7,450 किलोग्राम दूध पाउडर प्रदाय किया गया है.

नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति

8. (*क्र. 1032) **श्री धरमलाल कौशिक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा को कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई ? (ख) क्या फरवरी, 2019 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पश्चात् संबंधित प्लांट को निर्धारित स्थल से अलग स्थान पर बनाने व अन्य अनियमितताओं के संबंध में ग्राम पंचायत, मूलमुला, परसदा व अर्जुनी के सरपंचों व अन्य ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण या (SEAC) द्वारा प्रश्नांश "ख" हेतु कोई जांच कमेटी बनाई गई ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य थे व समिति द्वारा क्या अनियमितता पाई गई एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या प्रश्नांश "क" अनुसार प्लांट को संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो किन नियमों के अधीन की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12.02.2019 को कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट क्षमता-20 मेगावाट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है. (ख) जी हां. पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पश्चात् संबंधित पावर प्लांट को निर्धारित स्थल से अलग स्थान पर बनाने व अन्य अनियमितताओं के संबंध में ग्राम पंचायत, मुलमुला, परसदा व अर्जुनी के सरपंचों व अन्य ग्रामीणों से राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को शिकायत प्राप्त हुई थी. प्राप्त शिकायत पर स्थल निरीक्षण कर जांच की गई. (ग) जी हां. प्राप्त शिकायत की जांच हेतु राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया. उपसमिति में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के सदस्य श्री अरविंद कुमार गौरहा, डॉ. एम. डब्ल्यू. वाई खान तथा डॉ. मोहन लाल अग्रवाल शामिल थे. उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि पावर प्लांट को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित स्थल तथा नवीन स्थल सीमेंट प्लांट परिसर के भीतर स्थित है. इसके पूर्व में राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय एक अन्य उपसमिति जिसमें श्री अरविंद कुमार गौरहा तथा डॉ. मोहन लाल अग्रवाल शामिल थे, उनके द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण में यह पाया गया था कि निर्धारित स्थल (दक्षिण-पूर्व) के उपर से हाई टेंसन लाईन होने के कारण दक्षिण दिशा में 180 मीटर की दूरी में नवीन स्थल का चयन किया गया है. नवीन स्थल पर सफाई तथा कुछ फाउंडेशन कार्य किया जाना पाया गया. निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा पावर प्लांट को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित स्थल तथा निर्माण प्रारंभ स्थल सीमेंट प्लांट परिसर के भीतर स्थित होने तथा उपरोक्त स्थल विस्थापन सूक्ष्म होने के कारण किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना नहीं होने के दृष्टिगत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन की अनुशंसा की गई. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नवीन स्थल पर बिना स्थापना सम्मति के निर्माण कार्य किये जाने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत उद्योग के विरुद्ध माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, पामगढ़ के माननीय न्यायालय में परिवाद दिनांक 26.07.2019 को दायर किया गया. (घ) जी हां. मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा को दिनांक 08.11.2019 को विस्थापन सूक्ष्म होने के कारण किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना नहीं होने तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के सर्कुलर दिनांक 22.01.2010 के दृष्टिगत पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है.

सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा प्रदूषण की प्राप्त शिकायतें

9. (*क्र. 250) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के धरसीवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायपुर जिले के धरसीवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. (ख) उक्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

प्लास्टिक निर्माण/पालिथिन उपयोग का प्रतिबंध

10. (*क्र. 626) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि शासन द्वारा अमानक प्लास्टिक निर्माण/पालिथिन उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है ? यदि हां, तो कब से ? (ख) क्या यह भी सही है, कि प्लास्टिक निर्माण/पालिथिन उपयोग पर प्रतिबंध के बाद, प्लास्टिक/पालिथिन निर्माण करने वाले उद्योगों का लायसेंस नवीनीकरण किया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी नहीं. राज्य शासन द्वारा सभी प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण/उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. अपितु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.12.2014 के माध्यम से प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण/उपयोग पर दिनांक 01.01.2015 से प्रतिबंध लगाया गया था. तत्पश्चात् उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए नवीन अधिसूचना दिनांक 27.09.2017 के माध्यम से प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पी.व्ही.सी. एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पी.व्ही.सी. के बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खान पान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) के विनिर्माण एवं उपयोग पर अधिसूचना जारी दिनांक से रोक लगाई गई है. (ख) जी नहीं. उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत पूर्व में जारी किये गये सम्मति का नवीनीकरण नहीं किया गया.

बिलासपुर संभाग में किसानों द्वारा व्यवसायिक बैंकों से लिया गया कृषि ऋण

11. (*क्र. 824) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग में 01 नवम्बर, 2018 की स्थिति में कितने किसानों में व्यवसायिक बैंक व बैंकों से कृषि ऋण लिया था ? जिलेवार एवं बैंकवार जानकारी दें ? (ख) 01 जनवरी, 2019 से 01 नवम्बर, 2019 के मध्य प्रश्नांश (क) अनुसार कितने किसानों का कितना ऋण माफ किया गया है व कितना ऋण माफ किया जाना शेष है ? जिलेवार एवं बैंकवार जानकारी दे दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बैंकों से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर संभाग में 01 नवम्बर, 2018 की स्थिति में कुल 3,52,316 किसानों ने ऋण लिया था. जिलेवार एवं बैंकवार जानकारी प्रपत्र (अ) एवं प्रपत्र (ब) पर † संलग्न है. (ख) बैंकों से प्राप्त जानकारी अनुसार अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत 3,52,443 किसानों का रुपये 158123.61 लाख का ऋण माफ किया गया है तथा रुपये 17874 लाख का भुगतान किया जाना शेष. जिलेवार एवं बैंकवार जानकारी प्रपत्र (स) एवं प्रपत्र (द) पर † संलग्न है.

बेमेतरा विकासखण्ड में बाक्सार्ट का अवैध भण्डारण/क्रशिंग/परिवहन पर कार्यवाही

12. (*क्र. 1065) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में किस-किस फर्म/व्यक्ति को बाक्सार्ट के क्रशिंग करने एवं भण्डारण करने हेतु अनुज्ञापत्र कब-कब जारी किया गया ? नाम सहित जानकारी दें ? (ख) क्या बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा बाक्सार्ट का परिवहन करने, भण्डारण करने एवं क्रशिंग करने की शिकायत विभाग को वर्ष 2019 से 10 नवम्बर, 2019 के मध्य प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी है ? (ग) यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा उसका परीक्षण/निरीक्षण/जांच कब-कब की गई एवं उसमें क्या-क्या पाया गया तथा संबंधित के विरुद्ध किस किस धारा के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में किसी भी फर्म को बाक्सार्ट के क्रशिंग एवं भण्डारण का अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया है. अतः नाम सहित जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) जी हां. (ग) उत्तर “ख” के परिप्रेक्ष्य में खनि निरीक्षक, बेमेतरा के द्वारा दिनांक 08.11.2019 को शिकायत स्थल ग्राम पंचायत चोरभट्टी का निरीक्षण किया गया, शिकायत निराधार पाया गया. अतः जानकारी निरंक है.

कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन

13. (*क्र. 562) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग में स्थानीय युवाओं की भर्ती हेतु कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस हेतु 2019-20 के मुख्य बजट एवं प्रथम अनुपूरक में कितनी राशि का प्रावधान किया है ? क्या इसका सेटअप स्वीकृत हो गया है ? प्रत्येक के कार्य क्षेत्र में कौन-कौन से जिले आयेंगे एवं कौन-कौन से स्तर के कर्मचारियों की भर्ती बोर्ड द्वारा की जायेगी ? (ख) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक कर लिया जायेगा ? (ग) दुर्ग और रायपुर संभाग में युवाओं की भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2019 द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है. 2019-20 के मुख्य बजट एवं प्रथम अनुपूरक में राशि का प्रावधान तथा सेटअप स्वीकृत नहीं हुआ है. विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड-सरगुजा (अंबिकापुर) के अंतर्गत 05 जिले सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर-रामानुजगंज, बस्तर (जगदलपुर) बोर्ड के अंतर्गत 07 जिले बस्तर उत्तर बस्तर कांकर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा एवं कोण्डागांव तथा बिलासपुर बोर्ड के अंतर्गत केवल जिला कोरबा शामिल है. उक्त बोर्ड द्वारा जिला स्तर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) दुर्ग और रायपुर संभाग में विभागों के सेवा भरती नियम के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भरती की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित प्रक्रियानुसार होगी.

कोण्डागांव तथा कांकेर जिले में कैम्पा मद से कराए गए कार्य

14. (*क्र. 839) **श्री संतराम नेताम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव तथा कांकेर जिले के विभिन्न वनमण्डलों में जनवरी, 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक कैम्पा मद से कितने कार्य कितनी लागत से कराये गये ? परिक्षेत्रवार कार्यों की जानकारी देवें ?- (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में कैम्पा मद से कितनी राशि वनमण्डलों को आर्बिट्रि की गई ? आर्बिट्रि राशि से कितने कार्यों के लिए सामग्री किन-किन फर्मों से खरीदी गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कांकेर एवं कोण्डागांव जिले के विभिन्न वनमण्डलों में जनवरी 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक कैम्पा मद से कराये गये कार्यों की परिक्षेत्रवार जानकारी निम्नानुसार है :—

जिले का नाम (1)	वनमण्डल का नाम (2)	परिक्षेत्र का नाम (3)	कार्य की संख्या (4)	राशि (रु. लाख में) (5)
कांकेर	कांकेर	कांकेर	13	82.37
		सरोना	13	97.44
		नरहरपुर	12	96.07
		चारामा	25	174.23
		कोरर	10	73.83
		योग		73
पश्चिम भानुप्रतापपुर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	कापसी	16	33.64
		कोयलीबेड़ा	10	10.70
		पश्चिम परलकोट	06	6.63
		पूर्व परलकोट	07	6.94
		योग		39
पूर्व भानुप्रतापपुर	पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	23	267.53
		दुर्गकोंदल	17	243.56
		अंतागढ़	10	75.12
		आमाबेड़ा	07	109.34
योग		57	695.55	
योग कांकेर जिला		169	1277.40	
कोण्डागांव	केशकाल	केशकाल	39	418.40
		बड़े राजपुर	23	64.51
		फरसगांव	26	86.27
		बड़े डोंगर	08	33.00
		योग		96
दक्षिण कोण्डागांव	दक्षिण कोण्डागांव	अमरावती	11	299.08
		मुलमुला	18	165.72
		दहीकोंगा	22	285.30
		कोण्डागांव	31	152.95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		माकड़ी	06	56.93
		नारंगी	14	58.16
		मर्दापाल	03	36.24
		योग	105	1054.38
योग कोण्डागांव जिला 201				1656.56

(ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

राज्य में कोयला खदानों से कोयला का उत्पादन

15. (*क्र. 734) **श्री अरूण चोरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के रायगढ़, कोरबा, सरगुजा एवं जशपुर जिले में कुल कितनी कोयला खदानें हैं ? इन कोयला खदानों से प्रतिवर्ष कुल कितना कोयला उत्पादन होता है ? (ख) पिछले 3 वर्षों में राज्य से कुल कितना कोयला अन्य संस्थानों को किस दर पर दिया गया और राज्य को इससे कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? वर्षवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़, कोरबा एवं सरगुजा जिले में कुल 28 कोयला खनिपट्टा स्वीकृत है, जशपुर जिले में कोयले का खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। उक्त जिलों से वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1252.38 लाख टन, वर्ष 2017-18 में 1316.36 लाख टन एवं वर्ष 2018-19 में 1516.46 लाख टन खनिज कोयला का उत्पादन हुआ है। (ख) साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) द्वारा राज्य में उनके द्वारा उत्पादित कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित बेसिक प्राईज के आधार पर अन्य संस्थानों को बिक्री किया गया है। विगत 3 वर्षों में एस.ई.सी.एल. द्वारा प्रेषित/विक्रय किये गये कोयले से राज्य को वर्ष 2016-17 में राशि 1837.04 करोड़, वर्ष 2017-18 राशि रुपये 2225.15 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 2484.73 करोड़ रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई है।

बस्तर संभाग के लौह अयस्क की खदानों का लीज पर आबंटन

16. (*क्र. 830) **श्री रेखचन्द्र जैन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग के किन-किन जिलों की किन लौह अयस्क खदानों को सार्वजनिक संयुक्त तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों को लीज पर कब दिया गया है ? इनमें किन उपक्रमों के लीज का नवीनीकरण हुआ है ? (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में दंतेवाड़ा जिला स्थित बैलाडिला के 13 बी खदान की लीज की अद्यतन स्थिति क्या है ? इसमें निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बस्तर संभाग अंतर्गत जिला उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में सार्वजनिक क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों एवं निजी क्षेत्रों को स्वीकृत खनिपट्टा की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) को स्वीकृति खनिज लौह अयस्क खनिपट्टों का नवीनीकरण हुआ है। (ख) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित बैलाडीला में डिपॉजिट-13 बी कुल रकबा 413.745 हेक्टर क्षेत्र में मेसर्स एन.सी.एल. लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.-सी.एम.डी.सी. लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम) को खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा दिनांक 10.01.2017 से 50 वर्षों के लिए स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में भू-प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। खनिपट्टाधारी कंपनी मेसर्स एन.सी.एल. लिमिटेड द्वारा खुली निविदा के माध्यम से “माइन्स डेव्हलपर एण्ड ऑपरेटर” (एमडीओ) के नियुक्ति हेतु निजी क्षेत्र के संस्थान मेसर्स अडानी इंटरप्राइजेस का चयन किया गया है।

सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत वन्य प्राणियों द्वारा फसल/मकान/जन हानि का मुआवजा भुगतान

17. (*क्र. 919) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर अक्टूबर, 2019 तक वन्य प्राणियों द्वारा किए गए फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि एवं जन घालय के कितने

प्रकरण दर्ज किए गए ? (ख) कितने प्रकरणों का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है तथा कितने प्रकरणों का मुआवजा भुगतान वर्तमान में लंबित है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर अक्टूबर 2019 तक वन्य प्राणियों द्वारा किए गए फसल क्षति के 9586, मकान क्षति के 506, जनहानि के 17, जनघालय के 51 प्रकरण एवं अन्य क्षति के 437 प्रकरण कुल 10597 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. (ख) समस्त 10597 प्रकरणों का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है तथा वर्तमान में मुआवजा भुगतान हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है.

छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी द्वारा तेलंगाना राज्य को विद्युत सप्लाई एवं बकाया भुगतान

18. (*क्र. 55) **श्री अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार की छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी पर कितनी राशि का बकाया है ? (ख) छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी द्वारा जनवरी, 2018 से 31.10.2019 तक तेलंगाना राज्य को कितनी बिजली किस दर पर सप्लाई की गयी ? इसके एवज में तेलंगाना से राज्य की पावर कंपनी को कितनी राशि मिलना बकाया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के रिकार्ड अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में राज्य शासन को ऋण के मद में भुगतान हेतु बकाया राशि 108.71 करोड़ है. (ख) छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 01 जनवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक तेलंगाना राज्य को 8162.83 मिलियन यूनिट्स बिजली बेची गई और उक्त बिजली हेतु देय भुगतान के आधार पर सप्लाई की दर रुपये 4.40 प्रति यूनिट आकलित होती है. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तेलंगाना राज्य को बेची गई बिजली के विरुद्ध 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में रुपये 1988.48 करोड़ बकाया है.

बस्तर संभागान्तर्गत कैम्पा योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य

19. (*क्र. 994) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कैम्पा योजना के तहत विगत 3 वर्षों से अब तक कितने, कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : बस्तर संभाग के जिलों में कैम्पा योजना अंतर्गत विगत 03 वर्षों (वर्ष 2016-17 से 15.11.2019) तक 444 कार्यों के लिए राशि रुपये 32822.77 लाख स्वीकृत की गई है.

नवा रायपुर में मकान तोड़ने का प्रदत्त नोटिस

20. (*क्र. 537) **श्री पुनूलाल मोहले** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में रायपुर जिले के नवा रायपुर के बाहर एवं आस पास के ग्रामीण क्षेत्र में एन. आर. डी. ए. द्वारा कितने लोगों को मकान तोड़ने का नोटिस दिया गया था ? और कितने लोगों का मकान तोड़ा गया है ? (ख) किन-किन लोगों का मकान तोड़ा गया है ? नामवार ब्यौरा देवें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायपुर जिले के नवा रायपुर के बाहर एवं आस पास के ग्रामीण क्षेत्र में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की अधिकारिता नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

संचार क्रांति योजना अंतर्गत मोबाइल सप्लाई का भुगतान

21. (*क्र. 1086) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचार क्रांति योजना के अंतर्गत कितने मोबाइल की सप्लाई की गई ? (ख) सप्लाई करने वाली एजेंसी कौन-कौन है ? (ग) उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया ? (घ) वितरण और लौटाई गई मोबाइल एवं राशि की जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) संचार क्रांति योजना के अंतर्गत कुल 29,14,845 मोबाइल का सप्लाई किया गया था. (ख) रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एवं माइक्रोमैक्स एन्फोरमेटिक लिमिटेड मोबाइल सप्लाई करने वाली एजेंसी है. (ग) कुल 183.56 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है. (घ) उत्तर † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

राजनांदगांव जिला में क्रेडा द्वारा सौर संयंत्रों की स्थापना

22. (*क्र. 1049) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्नावधि तक क्रेडा द्वारा कितनी योजनाएं संचालित हैं एवं कितने यूनिट और संयंत्र स्थापित किये गये हैं ? इनमें से कितने चालू एवं कितने बंद हैं ? (ख) सौर ऊर्जा स्थापित किये जाने हेतु अनुदान देने की क्या शर्तें हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्नावधि तक क्रेडा द्वारा 13 योजनाएं संचालित हैं. प्रश्नाधीन अवधि में कुल 4469 संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से 4437 संयंत्र चालू एवं 32 संयंत्र बंद हैं. (ख) क्रेडा द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने पर पात्रतानुसार अनुदान दिया जाता है, जिसकी शर्तें † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित हैं.

जिला बिलासपुर को कैम्पा योजना अंतर्गत राशि आबंटित

23. (*क्र. 1025) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले को वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 में 01 नवम्बर, 2019 तक कैम्पा योजना अंतर्गत कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? (ख) किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है व कितनी राशि शेष है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बिलासपुर जिले को वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 में 01 नवम्बर, 2019 तक कैम्पा एवं योजना अंतर्गत आबंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	कैम्पा (रु. लाख में)	अन्य योजना
2017-18	390.45	4870.94
2018-19	882.67	4953.86
2019-20	780.52	3320.64
(01 नवम्बर 2019 तक)		
कुल योग	2053.64	13145.44
कैम्पा मद एवं अन्य योजना महायोग		15199.08

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में आबंटित राशि के विरुद्ध कार्यवार व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-एक एवं दो” में दर्शित है.

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नल-जल योजना की स्वीकृति

24. (*क्र. 144) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017 से 2018 तक कितनी नल जल कहां-कहां स्वीकृत की गई ? कितनी योजनाएं पूर्ण हैं कितनी अपूर्ण हैं ? कितनी राशि स्वीकृति हुई है कितनी राशि व्यय हुई पृथक-पृथक वर्ष एवं योजनावार बताएं ? (ख) कितनी नल-जल योजनाएं प्रारंभ हैं कितनी बंद हैं एवं बंद होने के क्या कारण हैं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ में वर्ष 2017 से वर्ष 2018 तक 07 नल-जल योजना स्वीकृत की गई है. ग्रामवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 5 में दर्शित अनुसार है. उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में से 04 योजनाएं पूर्ण एवं 03 योजनाएं अपूर्ण हैं. उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं हेतु राशि रु. 262.78 लाख की स्वीकृति हुई है एवं राशि रु. 150.37 लाख व्यय हुआ है. पृथक-पृथक वर्ष एवं योजनावार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 6 एवं 7 में दर्शित अनुसार है. (ख) 04 नलजल योजना प्रारंभ है. कोई भी योजना बंद नहीं है. अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

धमतरी विधान सभा क्षेत्र में पर्यावरण विभाग द्वारा रेत खदानों को प्रदत्त अनापत्ति

25. (*क्र. 1057) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 30 अक्टूबर, 2019 तक छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग के द्वारा कितनी रेत खदानों को वृक्षारोपण की शर्त पर उत्खनन हेतु अनापत्ति दी थी ? खनन क्षेत्र का नाम पेड़ों की संख्या सहित बतावें ? (ख) क्या पर्यावरण विभाग के द्वारा उक्त खदानों के वृक्षारोपण का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो उक्त अनापत्ति दी गई रेत खदानों में कितनी संख्या में किस-किस प्रजाति के पौधे रोपे गए हैं ? (ग) क्या रेत खदान संचालनकर्ता द्वारा वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु उपाय किए गए थे, यदि हां, तो क्या ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रेत खदानों को पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति जारी नहीं किया जाता है. वस्तुतः धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 30 अक्टूबर, 2019 तक राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण छ.ग. एवं जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, धमतरी द्वारा 24 रेत खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिनमें वृक्षारोपण की शर्त निहित है. खनन क्षेत्रों के नाम एवं वृक्षों की संख्या की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 02, 03, 04 एवं 05 अनुसार है. (ख) जी हां. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के संयुक्त दल द्वारा उक्त रेत खदानों का निरीक्षण किया गया है. उक्त रेत खदानों/आसपास में किये गये वृक्षारोपण की संख्या एवं प्रजाति के संबंध में जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 06 एवं 07 अनुसार है. (ग) 04 रेत खदान संचालनकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण की सुरक्षा के उपाय किये गये है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 08 अनुसार है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलासपुर जिले में वन विभाग अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों का नियमितकरण

1. (क्र. 11) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? (ख) दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को लेकर शासन की क्या नीति है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बिलासपुर जिले में वन विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है, अपितु बिलासपुर जिले में वन विभाग के अंतर्गत 382 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक एवं छ.ग. राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत 79 दैनिक वेतन श्रमिक तथा छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत 22 तेन्दूपत्ता सुरक्षा श्रमिक कार्यरत हैं. (ख) इस संबंध में परीक्षण करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-1/2019/1-3 दिनांक 08.03.2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है.

नगर निगम बिलासपुर अंतर्गत जल आवर्धन योजना का नगर पालिक निगम को हस्तांतरण

2. (क्र. 12) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम बिलासपुर की जल-आवर्धन योजना को कितना कार्य शेष है ? (ख) इस परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है इसका हस्तांतरण नगर पालिक निगम बिलासपुर को क्यों नहीं किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) नगर निगम बिलासपुर की जल आवर्धन योजना का कोई कार्य शेष नहीं है. (ख) इस परियोजना का संचालन नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा किया जा रहा है. योजना का हस्तांतरण नगर पालिक निगम को किये जाने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से शतत् प्रयास किये गये हैं तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा समस्त योजना का भौतिक आधिपत्य लिया जाकर दिनांक 01.04.2018 से निरंतर संचालन-संधारण किया जा रहा है. केवल औपचारिक हस्तांतरण की कार्यवाही नगर पालिक निगम द्वारा किया जाना शेष है.

बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित डामर फैक्ट्री

3. (क्र. 74) **श्री संतराम नेताम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग अंतर्गत कितनी डामर फैक्ट्री संचालित है ? नाम तथा स्थान सहित जानकारी देवें ? (ख) क्या डामर फैक्ट्री संचालित करने हेतु पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो कब तक के लिए ? (ग) बिना पर्यावरण विभाग की अनुमति के कितनी फैक्ट्री संचालित है ? जिलेवार, फैक्ट्रीवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर संभाग के अंतर्गत डामर उत्पादन करने वाली कोई ईकाई स्थापित नहीं है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

अकलतरा तहसील में डोलामाईट खनिज पट्टा का प्रदाय

4. (क्र. 104) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा तहसील के अंतर्गत ग्राम दर्रीटांड और कल्याणपुर में किस-किस व्यक्ति को किस-किस खसरा नम्बर के कितने क्षेत्रफल में कितनी मात्रा में डोलामाईट खनिज का खनिज पट्टा प्रदान किया गया है ? दिनांक 31.10.2019 तक ? कितने आवेदन कब से किस कारण से लंबित है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा तहसील के अंतर्गत ग्राम दर्रीटांड और कल्याणपुर में नहीं, अपितु ग्राम पंचायत कल्याणपुर के आश्रित ग्राम दर्री के खसरा नंबर 469/2, रकबा 3.163 हेक्टेयर क्षेत्र में श्री राम केडिया को 72,360 मेट्रिक टन औसत वार्षिक उत्पादन क्षमता हेतु खनिज डोलोमाईट का उत्खनिपट्टा स्वीकृत है. उक्त क्षेत्र हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है.

अकलतरा बलौदा तहसील में गौण खनिज रॉयल्टी मद से प्राप्त राशि

5. (क्र. 105) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा और बलौदा तहसील को 2018-2019 और 2019-20 में गौण खनिज रॉयल्टी मद से कितनी राशि प्राप्त हुई ? इस राशि का वितरण जनपद पंचायत द्वारा किस-किस ग्राम पंचायत को कितना-कितना किया गया ? (ख) क्या गौण खनिज राशि के गलत वितरण की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर किसके द्वारा जांच की गई तथा जांच में क्या तथ्य पाए गए ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्ष 2018-2019 एवं वर्ष 2019-20 हेतु गौण खनिज की राशि के वितरण हेतु आर्बिटिन जारी नहीं हुआ है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) उत्तर “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

रायगढ़/धरमजयगढ़ वनमण्डल में स्वीकृत कार्य

6. (क्र. 145) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनमण्डल रायगढ़/धरमजयगढ़ में विगत 02 वर्षों में कितनी-कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) कितने कार्य प्रारंभ हैं एवं कितने अप्रारंभ हैं ? (ग) इस वित्तीय वर्ष में कितने कार्य योजना में शामिल हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वनमण्डल रायगढ़/धरमजयगढ़ में विगत 02 वर्षों में स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	वनमंडल	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (राशि लाख में)
2017-18	रायगढ़	726	1705.11
	धरमजयगढ़	1079	1130.30
	योग	1805	2835.41
2018-19	रायगढ़	260	845.57
	धरमजयगढ़	134	988.52
	योग	394	1834.09
कुलयोग		2199	4669.59

(ख) 314 कार्य प्रारंभ है एवं 101 कार्य अप्रारंभ है. (ग) इस वित्तीय वर्ष में 144 कार्य योजना में शामिल हैं.

बिलासपुर जिले में पौधारोपण

7. (क्र. 245) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 व 2019 में 31.10.2019 तक बिलासपुर जिले के किन-किन संस्थानों पर कितनी मात्रा में पौधारोपण किया गया व इस हेतु कितनी राशि जारी की गई ? (ख) स्थानवार, मदवार जानकारी देने का कष्ट करें.

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला रायपुर में ओव्हर लोड वाहनों पर कार्यवाही

8. (क्र. 251) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर में जनवरी 2019

से सितम्बर 2019 तक कितने वाहन ओव्हर लोड पाए गये ? वाहनों के प्रकार सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक “क” में उल्लेखित भार क्षमता से अधिक भार पाये जाने पर कितनी राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गई ? वर्ष एवं वाहन के प्रकार अनुसार बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जिला रायपुर में माह जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक 232 भारी मालयान, 616 मध्यम मालयान एवं 40 हल्का मालयान इस प्रकार कुल-888 वाहन ओव्हरलोड पाये गये. (ख) माह जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 तक भार क्षमता से अधिक भार पाये जाने पर कुल राशि रु. 1,56,53,700/- अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गई है, यथा :—

वर्ष	वाहन के प्रकार	ओव्हरलोड वाहन संख्या	वसूल अर्थदण्ड
2019 (जनवरी से सितम्बर)	भारी मालयान	232	रु. 34,09,800
	मध्यम मालयान	616	रु. 1,16,29,200
	हल्का मालयान	40	रु. 6,14,700
योग		888	रु. 1,56,53,700

जिला कोरबा में वन विभाग के अंतर्गत रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कार्य

9. (क्र. 340) **श्री ननकीराम कंवर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में वन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में रोजगार गारंटी योजना के कार्य कहां-कहां स्वीकृत किए गए हैं ? कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई हैं ? (ख) कार्य पूर्ण है एवं कितने अपूर्ण है ? अपूर्ण को कब तक पूर्ण कराया जायेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

मस्तूरी ब्लाक के ग्राम पंचायत लुतरा शरीफ में उद्यान निर्माण हेतु काटे गये वृक्ष

10. (क्र. 362) **डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत लुतरा शरीफ में कुल कितने क्षेत्रफल में उद्यान बनाया जा रहा है ? (ख) उक्त उद्यान बनाने के लिये कुल कितने पेड़ काटे गये हैं ? काटे गये पेड़ कितने वर्ष पुराने थे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत लुतरा शरीफ में कुल 2.85 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उद्यान बनाया जा रहा है. (ख) उक्त उद्यान बनाने के लिए कुल 03 पेड़ काटे गये हैं. काटे गये पेड़ 30 वर्ष पुराने थे.

ट्रांसफार्मर पर विद्युत मीटर लगाकर देयक प्रभारित करने के संबंध में

11. (क्र. 363) **डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी किसी ट्रांसफार्मर में एक से अधिक पम्प उपभोक्ता होने पर ट्रांसफार्मर में विद्युत मीटर लगाकर उस मीटर के खपत के आधार पर विद्यमान उपभोक्ताओं का बिजली बिल वसूल कर रही है ? (ख) यदि हां तो जिस किसान के द्वारा फसल नहीं लिया जा रहा है उसके पश्चात् भी उपभोक्ताओं के खपत के आधार पर उसको विद्युत बिल किस आधार पर प्रभावित किया जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी नहीं. अपितु किसी पंप कनेक्शन के मीटर बंद/खराब/दोषपूर्ण/जले होने के कारण उनके खपत के निर्धारण के लिए केवल पंप कनेक्शन युक्त ट्रांसफार्मर में लगे मीटर में दर्ज खपत, ऐसे 11 के.व्ही.फीडर जिसमें केवल पंप कनेक्शन ही की खपत तथा वितरण केन्द्र में विद्यमान मीटर युक्त पंप कनेक्शन की खपत लेकर युक्तियुक्त ढंग से औसत का निर्धारण कर बिल किया जाता है. (ख) ऊपर (क) के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे कृषक जिनके द्वारा फसल नहीं लिया जा रहा है अथवा जिनके द्वारा किसी माह पम्प का उपयोग नहीं किया गया है और जिन्होंने फ्लेट रेट का विकल्प भी नहीं लिया है, यदि ऐसे उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर देयक जारी होते हैं तो जानकारी प्राप्त होने पर जांच उपरांत बिल सुधार की कार्यवाही की जाती है.

जांजगीर-चांपा जिले में किसानों की कर्जमाफी

12. (क्र. 415) **श्रीमती इन्दु बंजारे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिला से कुल कितने-कितने किसानों के कितनी-कितनी राशि के कर्ज माफ किये गये ? विकासखण्डवार राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम सहित जानकारी, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 अक्टूबर तक की देवें.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : 1 जनवरी, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक जांजगीर-चांपा जिला के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 21622 किसानों के राशि रु. 17068.49 लाख कर्जमाफ किये गये हैं. विकासखण्डवार एवं बैंकवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

जिला मुंगेली में किसानों की कर्ज माफी

13. (क्र. 535) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुंगेली में कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया है और कितने किसानों को देना बाकी है ? (ख) किस किस राष्ट्रीयकृत बैंक से कितनी राशि माफ किया गया है ? जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं ग्रामीण बैंकों से कितनी राशि माफ की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य शासन के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिला मुंगेली में सहकारी समिति से सम्बद्ध 27991 कृषकों का ऋण माफ किया गया है. समिति से सम्बद्ध किसी भी किसान का ऋण माफी शेष नहीं है. सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 16400 कृषकों अनुपातिक रूप से ऋण माफ किया गया है. शेष भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) जिला मुंगेली के जिला सहकारी बैंक अंतर्गत 27991 किसानों का रु. 11308.00 लाख ऋण माफ किया गया है तथा राष्ट्रीयकृत बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 16400 किसानों का रु. 13777.76 लाख ऋण माफ किया गया है. (परिशिष्ट †† संलग्न)

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

14. (क्र. 538) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता की संख्या कितनी है और कितने उपभोक्ताओं कि बिजली हाफ किया गया है ? (ख) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने कितने घण्टे बिजली कटौती की जाती है ? (ग) किसानों को कितने हॉस पावर पंप की बिजली की छूट दी जाती है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के संख्या 49.87 लाख है. वर्तमान में लगभग 33.89 लाख उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल योजना का लाभ दिया जा रहा है. (ख) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की घोषित कटौती नहीं की जा रही है, लेकिन दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में तकनीकी कारणों से राज्य में बिजली की मांग एवं उपलब्धता में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रुप वार फीडरों में, जो कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आते हैं, में 278 घंटे 58 मिनट बिजली कटौती की गई है. (ग) किसानों को कृषक जीवन ज्योति योजनांतर्गत 05 अश्व शक्ति तक के एक पंप कनेक्शन के लिए निर्धारित सीमा में निःशुल्क विद्युत की पात्रता है. एक वित्तीय वर्ष में (अप्रैल से मार्च तक) 03 अश्व शक्ति तक के कृषि पम्प हेतु 6000 यूनिट तक एवं 03 से 05 अश्व शक्ति तक के कृषि पम्प हेतु 7500 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत की पात्रता है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रत्येक कृषकों के लिए 05 अश्व शक्ति तक के पम्प कनेक्शन हेतु विद्युत की आपूर्ति पूरी तरह निःशुल्क है.

तृतीय राज्य वित्त की अनुशंसाएं संबंधी

15. (क्र. 563) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 12 जुलाई 2019 के तारांकित प्रश्न संख्या 22 (*क्र. 216) के उत्तर में शासन ने यह स्वीकार किया था कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें राज्य सरकार को प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां तो यह अनुशंसायें छत्तीसगढ़ शासन को कब प्राप्त हुई ? (ख) 31 अक्टूबर 2019, तक इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लागू करने के संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ? और यदि इसमें देरी हुई है तो इसके कारण क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) हां, तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं राज्य शासन को दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हुई हैं. (ख) तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई अनुशंसाओं पर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन विधान सभा के चतुर्थ सत्र (दिनांक 25.11.2019 से 06-12-2019 तक) में सदन के पटल पर रखने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कार्यवाही हेतु कोई समय-सीमा विहित नहीं है.

जिला कोण्डागांव में व्यपवर्तित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

16. (क्र. 581) **श्री मोहन मरकाम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वित्तीय वर्षों में कोण्डागांव जिले के दक्षिण वन मण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम की गाईडलाइन अनुसार कितने हेक्टेयर वन भूमि का व्यपवर्तन किया गया ? स्थल का नाम व प्रयोजन का ब्यौरा देवें ? (ख) क्या वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यपवर्तित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किए जाने का प्रावधान है ? यदि हां तो प्रश्नांश अवधि वर्ष 2019 में किन-किन स्थलों पर कितनी मात्रा में वृक्षारोपण किया गया ? इस हेतु कितनी राशि व्यय की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) विगत 3 वित्तीय वर्षों में (2016-17 से 2018-19 तक) कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत 159.350 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन किया गया है. स्वीकृति का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:—

वित्तीय वर्ष	प्रकरण संख्या	व्यपवर्तित रकबा (हे.में)
2016-17	4	17.000
2017-18	10	142.350
2018-19	-	-
योग	14	159.350

व्यपवर्तित वन भूमि का स्थल एवं प्रयोजन का ब्यौरा † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जी हां. वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि में या दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किए जाने का प्रावधान है. दक्षिण कोण्डागांव वन मण्डल में वर्ष 2019 में 8 स्थलों में 131.239 हे. वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें रु. 86.19 लाख की राशि का व्यय हुआ है. वर्ष 2019 में कराये गये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

प्रदेश में किसानों का ऋण माफी

17. (क्र. 608) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जनवरी 2019 से 1 नवम्बर 2019 के मध्य कुल कितने किसानों को कितनी राशि का ऋण माफ किया गया ? जिलेवार, बैंकवार जानकारी देवें ? (ख) 01 नवम्बर 2018 की स्थिति में प्रदेश के कितने किसानों द्वारा कितनी राशि का ऋण व्यवसायिक बैंक से लिया गया था ? जिलेवार, बैंकवार जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार 1 नवम्बर 2019 की स्थिति में व्यावसायिक बैंक से कितने किसानों द्वारा लिए गए कितना ऋण माफ किया गया ? जिलेवार, बैंकवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश में 17,56,966 किसानों के राशि रु. 837412 लाख के ऋण माफ किये गये हैं. जिलेवार, बैंकवार जानकारी प्रपत्र “अ” और प्रपत्र “ब” में †† संलग्न है. (ख) 01 नवम्बर 2018 की स्थिति में व्यवसायिक बैंकों से 2,17,583 किसानों द्वारा रुपये 305435 लाख का ऋण लिया गया था. जिलेवार, बैंकवार जानकारी प्रपत्र “स” में †† संलग्न है. (ग) व्यवसायिक बैंकों से 2,02,083 किसानों के रुपये 156843 लाख का ऋण माफ किया गया है. जिलेवार, बैंकवार जानकारी प्रपत्र “द” में †† संलग्न है.

जिला राजनांदगांव में अल्पकालिक कृषि ऋण का वितरण

18. (क्र. 636) **श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017-18 में विभिन्न बैंकों से अल्पकालीन ऋण कितने किसानों ने लिया था ? बैंकवार तहसीलवार किसानों की संख्या बतावें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया कितने का नहीं यदि नहीं तो क्यों ? बैंकवार कर्ज माफ न होने का कारण बतावें ? (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार कर्ज माफी से वंचित कृषकों के खाते में कब तक ऋण की राशि जमा किया जायेगा.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017-18 में 1,50,652 किसानों द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया है. बैंकवार, तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) शासन के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति के सभी पात्र के दावों के अनुसार ऋण माफी की गई है. राजनांदगांव जिले में अब तक 1,49,607 किसानों का कर्ज माफ किया गया है. (ग) अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों की खाते में जमा करने की कार्यवाही जारी है.

† परिशिष्ट “चौदह”

†† परिशिष्ट “पन्द्रह”

‡ परिशिष्ट “सोलह”

राजनांदगांव जिले में मुख्य खनिज एवं गौण खनिज की संचालित खदानें

19. (क्र. 637) **श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले से वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक मुख्य खनिज एवं गौण खनिज की खदानें कहां-कहां संचालित है ? इन खदानों के संचालन की अनुमति किस-किस फर्म/व्यक्ति को किन-किन नियम शर्तों के तहत प्रदान की गई है ? वर्षवार संचालनकर्ता का नाम पता बतावें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार खदानों का निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया ? किस-किस संचालनकर्ता पर नियम-शर्त उल्लंघन के प्रकरण दर्ज किये गए ? जिले को अर्थदण्ड के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार संचालनकर्तावार बतावें ? (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार प्राप्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों पर किया गया ? मदवार, कार्यवार, ग्रामवार, वर्षवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक मुख्य खनिज एवं गौण खनिजों की संचालित खदानों की संचालनकर्ता फर्म/व्यक्ति के नाम व पता सहित वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. मुख्य खनिज की खदानें, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 व खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत तथा गौण खनिज की खदानें, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में प्रावधानित शर्तों के तहत प्रदान की गई है. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार खदानों का निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं निरीक्षण दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 09 एवं 10 पद पर दर्शित है. नियम/शर्त उल्लंघन पर कार्यवाही से जिले को राशि 11,17,750.00 रुपये प्राप्त हुई है. संचालनकर्तावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 11 पर दर्शित है. (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार प्राप्त अर्थदण्ड की राशि राज्य की संचित निधि में जमा की जाती है. उक्त राशि को सीधे ग्राम पंचायत को विकास कार्यों हेतु वितरण नहीं किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा लाभान्वित तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार

20. (क्र. 638) **श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा वनोपज लाभांश से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लाभान्वित किया जाता है ? (ख) यदि हां तो वर्ष 2016-17 से 30 सितंबर 2019 तक राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वन मंडल अंतर्गत कितने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लाभान्वित किया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां, तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाता है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

बार अभ्यारण्य अनुकूलन केन्द्र में काले हिरणों की मौत

21. (क्र. 665) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बार अभ्यारण्य अनुकूलन केन्द्र में बीते दो वर्षों में कितने काले हिरणों की मौत हुई है ? (ख) मौत के कारण बताइए ? (ग) दोषियों के खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बार अभ्यारण्य अनुकूलन केन्द्र में बीते दो वर्षों में 11 काले हिरणों की मौत हुई है. (ख) इन 11 काले हिरणों में से 05 की निमोनिया, 03 की डायरिया, 01 की सेप्टीसेमिया, 01 की मल्टी आरगन फेल्योर एवं 01 की आपसी लड़ाई के कारण मृत्यु हुई है. (ग) इन प्रकरण में (1) श्री एस. के. सिन्हा, अधीक्षक, बार नवापारा अभ्यारण्य, (2) श्री मोहम्मद माविया, प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी, (3) श्री माबिया खान, उप वनक्षेत्रपाल, (4) श्री मेहरू निषाद, वनरक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

जिला बलौदा बाजार में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संचालित कार्यक्रम

22. (क्र. 666) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित हैं ? (ख) बीते दो वर्षों में कितने पौधे रोपण/वृक्षारोपण किये गये ? (ग) वृक्षारोपण करने वाली एजेंसी कौन-कौन सी है ? (घ) वृक्षारोपण में कितनी राशि खर्च की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बलौदाबाजार जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वन विभाग के द्वारा औषधी रोपण कार्यक्रम, हरियर छत्तीसगढ़ कोष योजना, विशिष्ट प्रजाति रोपण, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, नदी तट वृक्षारोपण, पथ वृक्षारोपण, हरियाली प्रसार

योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के द्वारा सागौन रोपण योजना संचालित की जा रही है. (ख) बीते दो वर्षों में कुल 13,39,279 पौधों का रोपण किया गया है. (ग) उपरोक्त संचालित योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग एवं छ.ग. राज्य वन विकास निगम द्वारा कराया गया है. (घ) उक्त वृक्षारोपण में राशि 811.99 लाख रु. खर्च किए गए हैं.

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित खदानें

23. (क्र. 708) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी एवं कौन-कौन सी खदानें संचालित हैं ? क्या खदानों के द्वारा किसी प्रकार का अवैध उत्खनन/शतोर के उल्लंघन करने का मामला वर्ष 2019 में प्रकाश में आया है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) उपरोक्तानुसार खनिपट्टाधारियों पर राजस्व (रॉयल्टी) करने संबंधी अथवा अवैध परिवहन के कितने प्रकरण किन-किन लोगों के खिलाफ विगत तीन वर्ष में दर्ज किये गये हैं ? वर्षवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्य खनिज के 11 खनिपट्टा एवं गौण खनिज के कुल 59 उत्खनिपट्टा संचालित हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर दर्शित है. उपरोक्त पट्टेदारों के द्वारा वर्ष 2019 में अवैध उत्खनन किये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है. खनिपट्टाधारियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन के भी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, अपितु 06 उत्खनिपट्टाधारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियमों एवं उत्खनिपट्टा अनुबंध के शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया, जिनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” पर दर्शित है. (ख) उत्तर “क” के परिशिष्ट “अ” में उल्लेखित उत्खनिपट्टाधारियों में से 04 पट्टेदारों के विरुद्ध विगत तीन वर्षों में अवैध खनिज परिवहन के 07 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” पर दर्शित है.

जनपद पंचायत पलारी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दातान “ख” में अवैध रेत उत्खनन की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

24. (क्र. 796) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पंचायत पलारी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दातान “ख” में वर्ष 2019 में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत ग्रामिणों द्वारा की गई ? यदि हां तो क्या शिकायत पश्चात् जांच में अवैध उत्खनन सही पाया ? यदि हां तो अवैध उत्खनन के दोषियों के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बलौदाबाजार से रायपुर यात्री बसों के संचालन हेतु जारी परमिट

25. (क्र. 797) **सुश्री शकुन्तला साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलौदाबाजार से रायपुर के लिए कितनी यात्री बसों को संचालन हेतु परमिट जारी किया गया है ? क्या जारी परमिट पर सभी बसें चल रही हैं, जो बसें जारी (परमिट) पर नहीं चल रही हैं उनकी जानकारी उपलब्ध करावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : बलौदाबाजार से रायपुर के लिये कुल 62 यात्री बसों को संचालन हेतु परमिट जारी किया गया है. असंचालन की सूचना नहीं है.

नान परफार्मिंग खातों का वन टाईम सेटलमेंट

26. (क्र. 817) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने किसानों के नान परफार्मिंग खातों के वन टाईम सेटलमेंट का निर्णय लिया है ? यदि हां तो ऐसे किसानों की संख्या कितनी है ? और उनकी कुल राशि कितनी है ? (ख) 31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति में कितने किसानों की कितनी राशि का सेटलमेंट कर दिया गया है ? और कितने किसानों का सेटलमेंट बकाया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां, व्यावसायिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऐसे किसानों की संख्या 116324 तथा उनकी कुल राशि रु. 1077 करोड़ है. (ख) 31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति में 79109 किसानों की रु. 626 करोड़ का सेटलमेंट कर दिया गया है एवं 37215 किसानों की रु. 451 करोड़ का सेटलमेंट बकाया है.

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बाधित विद्युत आपूर्ति

27. (क्र. 831) **श्री रेखचन्द्र जैन** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी 2019 से नवम्बर 2019 तक विद्युत विभाग में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण किस स्थान व दिनांक को विद्युत आपूर्ति बाधित रहीं ? इनमें से कितने स्थान के ट्रांसफार्मर को बदला गया अथवा सुधारा गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रश्नाधीन अवधि में जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण कुल 65 स्थानों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहीं. इनमें से सभी स्थानों के ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं. स्थलवार एवं तिथिवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

कांकेर नगर में गढ़ियापहाड़ में सड़क निर्माण

28. (क्र. 840) **श्री संतराम नेताम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर नगर में गढ़िया पहाड़ में सड़क निर्माण तथा उससे संबद्ध अन्य निर्माण कार्यों के संबंध में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किन-किन शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई ? कार्यादेश किस फर्म/ठेकेदार को कितनी राशि का किन-किन शर्तों के तहत दिया गया ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” के कार्य में निर्माणकर्ता एजेंसी के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन किये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आई है ? यदि हां तो क्या इसकी जांच/परीक्षण करायी गयी ? यदि हां तो द्वारा एवं जांच में क्या पाया गया एवं उसमें क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) उक्त सड़क निर्माण से कितनी वन संपदा, गौण खनिज की क्षति हुई है एवं पर्यावरणीय हानि हुई ? सड़क निर्माण पश्चात् कितनी मात्रा में मलबा/पत्थर सड़क किनारे डम्प किया गया है एवं उक्त को सड़क धसकने से जान मालहानि की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए कब तक हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कांकेर नगर के गढ़िया पहाड़ में सड़क निर्माण हेतु छ.ग. शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक F-5-3/2015/10-2 दिनांक 06-05-2015 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 24 शर्तों को अधिरोपित करते हुए अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है. अनुमति की शर्तें †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा प्राप्त नहीं की गई है. लोक निर्माण विभाग (भा/स) संभाग कांकेर के द्वारा मेसर्स मोहम्मद फिरोज कन्स्ट्रक्शन कंपनी कांकेर को Provision of clause 7.17 of appendix 2.10 of the agreement शर्त जो †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है, के तहत अनुबंध कर कार्य आदेश क्रमांक/2468/वलेलि/टेन्डर/13-14 दि. 25-07-2013 को जारी किया गया तथा दिनांक 07-03-2017 को राशि रु. 1386.74 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है. (ख) जी हां. निर्माण कार्य के विरुद्ध शिकायत की गई है. इसके अलावा श्री अभीजीत दत्ता राय कांकेर के द्वारा ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच में याचिका क्रमांक 150/2017 दायर की गयी है. ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के द्वारा प्रकरण में दिनांक 31-01-2018 को अंतरिम निर्देश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में वन मण्डलाधिकारी कांकेर को स्थल निरीक्षण कर बरती गई अनियमितता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया. वन मण्डलाधिकारी कांकेर के द्वारा स्थल जांच की गई. जांच में यूजर एजेंसी द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन करना पाया गया. जांच में पायी गई अनियमितता तथा की गई कार्यवाही †† संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है. वन मण्डलाधिकारी कांकेर ने मा. ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के समक्ष अंतरिम आदेश दिनांक 31-01-2018 के अनुपालन में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रकरण मा. ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में विचाराधीन है. (ग) गढ़िया पहाड़ कांकेर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान 430 नग वृक्षों को क्षति पहुंची है एवं 2741.10 घन मी. मुरूम का अनियमित उपयोग किया गया है. सड़क के किनारे कोई मलबा डम्प नहीं किया गया है और घाट कटिंग में प्राप्त पत्थर (चट्टान) 113977.26 घ.मी. मार्ग के ढलान दुर्गम क्षेत्र में डम्प किया गया है. मार्ग के किनारों पत्थर को हटाने से जानमाल की नुकसान की आशंका है अतः इन्हें हटाया जाना प्रस्तावित नहीं है.

बस्तर संभाग संचालित राईस मिलों को पर्यावरण विभाग से प्रदत्त अनुमति

29. (क्र. 845) **श्री संतराम नेताम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में कितनी, शासकीय एवं निजी राईस मिल संचालित है ? उक्त राईस मिलों को संचालित किये जाने के संबंध में पर्यावरण विभाग से किन शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है ? कौन-कौन सी राईस मिल को पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त है ? (ख) राईस मिलों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण तथा आमजन को होने वाली असुविधा के संबंध में कितनी शिकायत एवं प्रकरण विगत पांच वर्षों में दर्ज किये गये अथवा संज्ञान में आये इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर संभाग में कोई शासकीय राईस मिल संचालित नहीं है। बस्तर संभाग के सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर संभाग में 114 निजी राईस मिले स्थापित/संचालित है। इनमें से 32 निजी राईस मिलों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा वृक्षारोपण करने आदि शर्तों के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत सम्मति प्रदान की गई है। सम्मति प्राप्त 32 राईस मिलों का सूची प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है। (ख) जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है।

बिन्दानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र में किसानों द्वारा लिया गया कृषि ऋण

30. (क्र. 861) **डॉ. डमरूधर पुजारी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 अक्टूबर, 2018 की स्थिति में कितने किसानों द्वारा कितना ऋण लिया गया था ? व्यावसायिक व अन्य बैंकवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जनवरी, 2019 से 01 नवम्बर, 2019 के मध्य कितने किसानों का कितना ऋण माफ किया गया है ? बैंकवार जानकारी दें ? शेष किसानों का ऋण कब तक माफ कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य शासन के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत बैंकों से प्राप्त जानकारी अनुसार 01 अक्टूबर 2018 की स्थिति में बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 28,206 कृषकों के द्वारा राशि रु. 12678.59 लाख का ऋण लिया गया था। बैंकवार जानकारी प्रपत्र “अ” में †† संलग्न है। (ख) बैंकों से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 30-11-2018 की स्थिति में बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सहकारी समितियों से 22,383 किसानों के रूपये 7181.01 लाख ऋण माफ किया गया है एवं ऋण माफी हेतु कोई पात्र किसान शेष नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जनवरी 2019 से 01 नवम्बर, 2019 के मध्य 5,866 किसानों के राशि रु. 4639.03 लाख का ऋण माफ किया गया है। (प्रपत्र “ब” †† संलग्न)। बैंकों को पात्र ऋणों के लिए मांग प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जिला गरियाबंद में कैम्पा एवं अन्य योजना अंतर्गत राशि का आबंटन

31. (क्र. 863) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में 01 नवम्बर, 2019 तक कैम्पा एवं अन्य योजना अंतर्गत कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना अंतर्गत आबंटित की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है कितनी राशि शेष है ? क्या निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नांश “क” की जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-एक” में दर्शित है। (ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-दो” में दर्शित है, एवं निर्माण कार्यों में प्राप्त शिकायतों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की गई :—

- (1) मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर के पत्र क्र./शिकायत 2019/8256 दिनांक 16-09-2019 के अनुसार उप वनमण्डलाधिकारी राजिम के द्वारा परिक्षेत्र धवलपुर के क.क्र. 854, 849, 850 एवं परिक्षेत्र नवागढ़ क.क्र. 694 में तालाब निर्माण कार्य का प्राथमिक जांच किया गया है, अग्रिम जांच जारी है।
- (2) कलेक्टर गरियाबंद के पत्र क्रमांक/2742/शिका./402/2019, गरियाबंद दिनांक 25-06-2019 के अनुसार परिक्षेत्र मैनपुर के कक्ष क्रमांक 1000 में तालाब निर्माण कार्य का उप वनमण्डलाधिकारी देवभोग के द्वारा जांच की जा रही है। जांच की कार्यवाही प्रगति पर है।
- (3) कलेक्टर गरियाबंद के पत्र क्रमांक/3471/शिकायत/421/2019 दिनांक 08-08-2019 के द्वारा प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा इंदगांव परिक्षेत्र के वन क्षेत्रों में किये गये विभिन्न प्रकार के कार्यों के गड़बड़ी के संबंध में शिकायत की गई शिकायतकर्ता के द्वारा स्थलवार किसी विशेष कार्य के संबंध में शिकायत नहीं की गई है। वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमंडल के पत्र क्रमांक/स्टेनो/1843 दिनांक 25-06-2019 द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी देवभोग को सूक्ष्मता से जांच कर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। जांच की अग्रिम कार्यवाही शेष है।
- (4) उप निदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के पत्र क्रमांक/स्टेनो/3985 दिनांक 25-09-2019 द्वारा तालाब निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच हेतु सहायक संचालक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद को लेख किया गया है, जांच की कार्यवाही प्रगति पर है।

जिला गरियाबंद में खनिज न्यास निधि से आबंटन राशि

32. (क्र. 864) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले को वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में 01 नवम्बर 2019 तक खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार राशि किन-किन कार्यों के लिए किस-किस कार्य एजेंसी को आबंटित की गई है ? 01 नवम्बर 2019 की स्थिति में उक्तानुसार कार्यों में कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) गरियाबंद जिले को वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में 01 नवम्बर 2019 तक जिला खनिज संस्थान न्यास की निधि (डीएमएफ) में कुल राशि रुपये 1038.15 लाख प्राप्त हुआ है. (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में जिला खनिज संस्थान न्यास की निधि (डीएमएफ) से स्वीकृत कार्यों एवं कार्य एजेंसियों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. 01 नवम्बर 2019 की स्थिति में स्वीकृत कुल 72 कार्यों में से 16 कार्य पूर्ण एवं 56 कार्य अपूर्ण है, अपूर्ण कार्य के पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

रेत खदानों हेतु नीति एवं आमंत्रित निविदाएं

33. (क्र. 906) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में रेत खदानों के लिए, क्या नई नीति बनाई गई है ? यदि हां तो कब ? दिनांक 05-11-2019 तक कितनी रेत खदानों का ठेका हुआ है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका (क) की कितनी खदानों की निविदाएं कब आमंत्रित की गई ? (ग) कंडिका (क) की खदानों से अवैध परिवहन की कितनी शिकायतें प्रश्नावधि तक प्राप्त हुई ? इन पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) कंडिका (क) की नीति लागू होने के बाद, रेत की कीमत का निर्धारण किस आधार पर किया गया ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. प्रदेश में रेत उत्खनन हेतु नये नियम “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019” अधिसूचना दिनांक 16-08-2019 से लागू की गई है. प्रदेश में दिनांक 05-11-2019 तक रेत उत्खनन के लिए 115 खदानों का नीलामी के माध्यम से आबंटन किया जा चुका है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) निविदा आमंत्रण तिथि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-3 पर दर्शित है. (ग) प्रदेश में रेत खदानों हेतु प्रथम निविदा की तिथि से दिनांक 05-11-2019 तक लिखित समाचार पत्रों एवं सोशल मिडिया से कुल 113 शिकायतें प्राप्त हुई है. उक्त शिकायतों पर तथा औचक निरीक्षण के दौरान दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही कर खनिज रेत के अवैध परिवहन के 734 प्रकरण दर्ज कर राशि रुपये 80 लाख 84 हजार 162 समझौता राशि वसूल किया गया. (घ) जिला स्तरीय समिति द्वारा लोडिंग हेतु निर्धारित प्रति घनमीटर सीलिंग प्राईज तथा शासन द्वारा निर्धारित रायल्टी, डीएमएफ, पर्यावरण अधोसंरचना उपकर, विकास उपकर, टीसीएस, जीएसटी के कुल गणना के आधार पर रेत की कीमत निर्धारित किया जा रहा है.

शासकीय विभागों को माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करने के लिए विधि विभाग की अनुमति

34. (क्र. 910) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व मंडल के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करने हेतु क्या कलेक्टरों को विधि विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है ? (ख) यदि हां तो 01-04-2013 से 31-03-2017 तक किन-किन जिलों के कलेक्टरों ने विधि विभाग से अनुमति मांगी और विधि विभाग ने किस-किस प्रकरण में कलेक्टरों को रिट दायर करने अनुमति दी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

सूरजपुर जिला में ग्रामों का विद्युतीकरण

35. (क्र. 920) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिला अंतर्गत अक्टूबर 2019 की स्थिति में कुल कितने एवं कौन-कौन से गांवों को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत किया गया है ? (ख) वर्तमान स्थिति में ऐसे कितने व कौन-कौन से गांव हैं जहां विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है या कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला सूरजपुर के अंतर्गत अक्टूबर 2019 की स्थिति में 544 ग्रामों में से 481 ग्रामों को परम्परागत स्रोत से तथा 35 ग्रामों को गैर-परम्परागत स्रोत (सौर ऊर्जा) से शत प्रतिशत विद्युतीकृत किया जा चुका है। परम्परागत स्रोत एवं गैर परम्परागत स्रोत (सौर ऊर्जा) के माध्यम से विद्युतीकृत ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित हैं। (ख) वर्तमान में 28 ग्रामों के शेष 61 मजरा-टोलों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शित हैं।

जिला बालोद में डी.एम.एफ. निधि के तहत स्वीकृत कार्य

36. (क्र. 957) **श्री कुंवरसिंह निषाद** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 में बालोद जिले में डी.एम.एफ. (खनिज न्यास निधि) निधि से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किया गया था ? विकासखंडवार बतावें। (ख) किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि (डी.एम.एफ. मद से) स्वीकृत की गई थी ? पूर्ण विवरण सहित बतावें ? (ग) वर्ष 2018-19 में डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है।

जिला बालोद में अवैध खनिज उत्खनन के दर्ज प्रकरण

37. (क्र. 958) **श्री कुंवर सिंह निषाद** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले में वर्ष 2018-19 में अवैध खनिज उत्खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? विधानसभा क्षेत्रवार बतावें। (ख) प्राप्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या अवैध खनिज सहित परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की भी जप्ती की गई है ? यदि हां तो कितने प्रकरणों में ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बालोद जिला अंतर्गत वर्ष 2018-19 में अवैध खनिज उत्खनन के कुल 07 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिनमें विधानसभा क्षेत्र गुण्डरदेही के 03, संजारी बालोद के 02 एवं डौणडीलोहारा के 02 प्रकरण हैं। (ख) उक्त 07 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुये, कुल समझौता अर्थदण्ड राशि रुपये 3,61,375.00 वसूल किया गया। (ग) जी हां। अवैध उत्खनन के दर्ज 07 प्रकरणों में से 04 प्रकरणों में 07 वाहनों/मशीन को भी जप्त कर कार्यवाही की गई है।

जिला बलौदाबाजार भाटापारा में सिमेंट प्लाटों में खनिज पट्टों का प्रदाय

38. (क्र. 962) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पिछले 7 वर्ष के अंदर किन-किन सीमेंट उद्योगों के खनन (लाईम स्टोन) हेतु खनिज पट्टा प्रदाय किया गया है तथा पट्टा प्रदाय करने की क्या-क्या शर्तें हैं ? (ख) क्या सीमेंट उद्योग को प्रदेश से बाहर क्लिंकर भेजने की अनुमति की शर्त का उल्लेख पट्टे में था ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत विगत 7 वर्षों में मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स ईमामी सीमेंट लिमिटेड एवं मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को मुख्य खनिज चूनापत्थर का खनिज पट्टा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं खनि रियायत नियम 1960 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत स्वीकृत की गई है। (ख) जी नहीं।

जिला जांजगीर-चांपा तथा बलौदाबाजार-भाटापारा में पावर प्लांटों को एन.ओ.सी. प्रदाय

39. (क्र. 963) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार भाटापारा तथा जांजगीर चांपा जिले में किन-किन उद्योगों में या किन-किन व्यक्ति व संस्थाओं को पिछले 5 वर्षों में पावर प्लांट लगाने की स्वीकृति शासन द्वारा कब-कब दी गयी है ? (ख) जिनको पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गयी है उन्हें पर्यावरण विभाग द्वारा प्लांट लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) कब-कब दी गयी है ? (ग) क्या उक्त जिले में पिछले 5 वर्षों के अंदर ऐसे प्लांट स्थापित किये गये हैं जिनको पर्यावरण विभाग की एन.ओ.सी. नहीं मिली है ? यदि ऐसे प्लांट लगे हैं या लगाने जा रहे तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पावर प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अपितु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति दी

जाती है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 01-01-2014 से 31-12-2018 की अवधि में जिला-बलौदाबाजार भाटापारा के ग्राम-खपराडीह में मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड (यूनिट श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) को कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट क्षमता-25 मेगावाट हेतु स्थापना सम्मति दिनांक 04-01-2017 को जारी की गई है। (ख) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं की जाती है, अपितु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति दी जाती है। दिनांक 01-01-2014 से 31-12-2018 की अवधि में जिला-बलौदाबाजार भाटापारा के ग्राम-खपराडीह में मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड (यूनिट श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) को कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट क्षमता-25 मेगावाट हेतु स्थापना सम्मति दिनांक 04-01-2017 को जारी की गई है। उक्त अवधि में जिला-जांजगीर चांपा में किसी पावर प्लांट को स्थापना सम्मति जारी नहीं की गई है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

टावर लाईन की धरातल से ऊंचाई

40. (क्र. 987) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 400 के.व्ही. एवं 750 के.व्ही. विद्युत पारेषण (टावर लाईन) लाईन की धरातल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : 400 के.व्ही. एवं 765 के.व्ही. (750 के.व्ही. नहीं) विद्युत पारेषण (टावर लाईन) की धरातल से ऊंचाई क्रमशः 8.840 मीटर व 12.400 मीटर निर्धारित है। उक्त निर्धारित ऊंचाई में असमान धरातल एवं विद्युत तारों में “सेग” हेतु 150 मिलीमीटर की अतिरिक्त धरातल ऊंचाई (Ground Clearance) निर्धारित है।

जिला बस्तर में संचालित रेत, गिट्टी, पत्थर व मुरुम की खदानें

41. (क्र. 995) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर में कितनी पंजीकृत रेत, गिट्टी, पत्थर व मुरुम की खदानें हैं ? (ख) जिला बस्तर में विगत 2 वर्षों से अब तक कितनी अवैध खदानें संचालित होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? तथा इनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बस्तर जिला अंतर्गत खनिज चूनापत्थर के 13 खनिपट्टा तथा 103 उत्खनिपट्टा, साधारण पत्थर के 09 तथा फर्शी पत्थर के 01 उत्खनिपट्टा स्वीकृत हैं। 02 रेत खदानों हेतु नीलामी उपरान्त उत्खनिपट्टा के आशय पत्र जारी किये गये हैं। खनिज मुरुम का कोई उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है, अपितु तालाबों के गहरीकरण से निकले मुरुम के परिवहन हेतु 06 संस्थानों को अनुमति दिया गया है। गिट्टी के नाम से कोई खदान स्वीकृत नहीं है। (ख) जिला बस्तर में विगत 2 वर्षों से अक्टूबर 2019 तक अवैध खदानें संचालित होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्लांटों एवं उद्योगों में संचालित ओव्हर लोड वाहनों पर कार्यवाही

42. (क्र. 1022) **श्री नारायण चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक जांजगीर-चांपा जिले के वर्धा पावर प्लांट तथा अन्य उद्योग के ओव्हर लोड वाहन तथा बलौदाबाजार जिले के सीमेंट प्लांटों व अन्य उद्योगों के कितने ओव्हर लोड वाहनों को पकड़ा गया है ? (ख) उक्त प्रश्न के संदर्भ में किस कंपनी व व्यक्तियों के कौन-कौन से वाहन कितने टन ओव्हर लोड पकड़े गये थे ? (ग) प्रश्न “क” व “ख” के संदर्भ में क्या मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 के अनुसार उक्त वाहन मालिकों/कंपनी पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई है एवं कितना-कितना जुर्माना विभाग द्वारा वसूला गया है ? कृपया जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराये।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) मार्च 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक जांजगीर चांपा जिले में वर्धा पावर प्लांट के 04 ओव्हरलोड वाहनों तथा अन्य उद्योग के 79 ओव्हरलोड वाहनों और बलौदाबाजार जिले के सीमेंट प्लांटों के 352 ओव्हरलोड वाहनों व अन्य उद्योग के निरंक ओव्हरलोड वाहनों पर कार्यवाही की गई है। (ख) उक्त प्रश्न के संबंध में सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ”, “ब”, “स” में है। (ग) प्रश्नांश “क” व “ख” के संदर्भ में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 की कार्यवाही सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “द” में है।

जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिलों में कृषि जमीन में टॉवर लगाने हेतु प्रदत्त मुआवजा

43. (क्र. 1024) **श्री नारायण चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ जिलों के किस-किस विकासखण्ड के कितने किसानों की कृषि जमीन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा कितने टॉवर कब-कब लगाये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 में 31 अक्टूबर 2019 तक की जानकारी विकासखण्डवार उपलब्ध कराये ? (ग) उक्त प्रश्न से संदर्भित इन दोनों जिलों में कितने किसानों को टावर लाइन लगाने हेतु मुआवजा कब-कब दिया गया है एवं कितने किसानों को मुआवजा की राशि को अप्राप्त है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड जांजगीर, पामगढ़ एवं डभरा तथा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड घरघोड़ा, रायगढ़, तमनार एवं पुसौर में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-2019 एवं 2019-2020 में 31 अक्टूबर 2019 तक 2,886 किसानों की कृषि जमीन में 291 टावर लगाये गये हैं. उक्त अवधि में स्थापित किये गए टावरों की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 में दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक किसानों की कृषि भूमि पर स्थापित किये गए टावरों की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) उक्त दोनों जिलों में टावर लाईन लगाने हेतु वर्ष 2017-2018 में, 2,646 एवं 2018-2019 में 68 किसानों को मुआवजा दिया गया है एवं 172 किसानों को मुआवजा की राशि अप्राप्त है.

जिला कोरबा में कोलवाशरी की जांच

44. (क्र. 1026) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरबा जिले की कोल वाशरियों में 01 अप्रैल 2019 के पश्चात् विभाग की राज्य स्तरीय केन्द्रीय टीम/अधिकारियों के द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो जांच दल में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे ? (ख) क्या-क्या अनियमितता पाई गई व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. जांच दल में शामिल अधिकारियों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) पाई गई अनियमितताओं एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

उदंती सीतानदी बाघ अभ्यारण्य में वनों की अवैध कटाई एवं अवैध कब्जों की प्राप्त शिकायत

45. (क्र. 1033) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनवरी 2019 के पश्चात् उदंती सीतानदी बाघ अभ्यारण्य में वनों की अवैध कटाई व अवैध कब्जों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो शिकायत की जांच कब कराई गई व जांच में क्या अनियमितताये पाई गई ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार उदंती सीतानदी बाघ अभ्यारण्य में कितने व कौन-कौन से वृक्षों की अवैध कटाई तथा कितने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर कितने घर बनाये गये थे ? (ग) प्रश्नांश “क” के अनुसार जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां. उदंती सीतानदी बाघ अभ्यारण्य में वनों की अवैध कटाई व अवैध कब्जों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी. छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के निर्देश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के द्वारा एक जांच समिति दिनांक 24-09-2019 को गठित कर माह अक्टूबर, 2019 में जांच कराई गई. जांच में इंदागांव बफर परिक्षेत्र में खेती करने के उद्देश्य से वनभूमि में अतिक्रमण कर वृक्षों की अवैध कटाई किया जाना पाया गया. (ख) मुख्यतः कर्ना, तेन्दु, चार, तिन्सा, मोदे, धामन, कुम्ही, धोबन, सेन्हा, सागौन, साल एवं बीजा आदि प्रजाति के कुल 979 वृक्ष की अवैध कटाई कर 16,783 हे. वन भूमि में अवैध अतिक्रमण किया जाकर उक्त अतिक्रमित क्षेत्र में 06 नग झोपड़ी बनायी गयी थी. (ग) वन विभाग के द्वारा अवैध कटाई एवं अतिक्रमण के कुल 20 वन अपराध प्रकरण दर्ज कर 46 वन अपराधियों को सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत माननीय न्यायालय गरियाबंद एवं देवभोग में प्रस्तुत किया गया. इसके अतिरिक्त अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव बफर श्री नीलकंठ गंगबेर, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक पीपीलखुंटा श्री चन्द्रशेखर ध्रुव एवं तत्कालीन परिसर रक्षक पीपीलखुंटा श्री सत्यनारायण राठौर को दिनांक 11-10-2019 को निलंबित किया गया है. उप निदेशक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद द्वारा वन प्रबंधन समिति पीपीलखुंटा को आदेश क्रमांक 264 दिनांक 04-11-2019 एवं वन प्रबंधन समिति धनोरा को आदेश क्रमांक 265 दिनांक 04-11-2019 के द्वारा भंग किया गया है.

जिला जांजगीर-चांपा में आरा मशीन संचालकों के ऊपर लंबित प्रकरण

46. (क्र. 1037) **श्री रामकुमार यादव** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत कहां-कहां आरा मशीन (लायसेंस) संचालित है ? (ख) किस-किस आरा मशीन संचालक के उपर कुल कितने प्रकरण लंबित है ? इस पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बलौदा में 57 वन परिक्षेत्र चांपा में 19 एवं वन परिक्षेत्र सक्ती में 27 इस प्रकार कुल 103 लायसेंस आरामशीन संचालित हैं. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

मोतीपुर नवागांव से डोंगरगढ़ तक सोलर ऊर्जा प्लांट की स्थापना हेतु स्वीकृत राशि

47. (क्र. 1046) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के मोतीपुर नवागांव से डोंगरगढ़ तक सोलर ऊर्जा स्ट्रीट लाईट हेतु कितनी-कितनी राशि का सोलर प्लांट लगाया गया है ? सोलर ऊर्जा प्लांट हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई थी ? तथा इसे पूर्ण करने की समयावधि क्या थी ? (ख) उक्त कार्य करने के लिए किस-किस एजेंसी/फर्म को कार्यादेश जारी किया गया था ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले के मोतीपुर नवागांव से डोंगरगढ़ तक सोलर ऊर्जा स्ट्रीट लाईट हेतु कुल राशि रुपये 1,88,86,635.00 (रुपए एक करोड़ अठ्यासी लाख छियासी हजार छः सौ पैंतीस) के सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिसकी जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. सोलर ऊर्जा प्लांट हेतु कुल राशि 1,91,64,160.00 (रुपए एक करोड़ इन्क्यान्बे लाख चौंसठ हजार एक सौ साठ) की स्वीकृति प्राप्त हुई थी. उक्त कार्य पूर्ण करने की समयावधि की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” अनुसार निम्नलिखित एजेंसी/फर्म को कार्यादेश जारी किया गया था.

क्र.	कार्य का नाम	एजेंसी/फर्म का नाम
1.	सोलर पावर प्लांट की स्थापना	मेसर्स ग्रीनसोल रिन्यूएबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड रायपुर
2.	सोलर पैनल हेतु स्ट्रक्चर की स्थापना	मेसर्स श्री सिद्धि, विनायक, रायपुर
3.	सोलर पावर प्लांट की फेन्सिंग	मेसर्स आर.के. एजेंसी, बिलासपुर

वित्त विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले में कर्जमाफी योजना

48. (क्र. 1050) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले में कर्जमाफी योजना के तहत वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से कितनी राशि रिलीज की गई है ? कितने किसानों को प्रथम व द्वितीय किस्त के माध्यम से कितनी राशि बैंकों में किसानों के खाते में जमा की गयी है ? बैंकवार, वर्गवार, राशिवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : वित्त विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले में कर्जमाफी योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के माध्यम से कुल राशि रु. 14696.52 लाख की राशि रिलीज की गई है. अब तक 29312 किसानों के खाते में राशि रु. 14696.52 लाख जमा की गई है. विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में ‡ संलग्न है.

जिला कोरबा में निर्मित रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य में अनियमितता की जांच

49. (क्र. 1054) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में वित्तीय वर्ष 2014-15 करतला, कटघोरा, कोरबा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा में कितनी राशि से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया गया था, कार्यवार, राशि सहित बतायें ? (ख) क्या परिवर्तित तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 446) दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 के उत्तर में अनियमितता

की जांच हेतु जांच समिति गठन की जानकारी दी गई है ? यदि हां तो उक्त जांच समिति में कौन-कौन है, एवं जांच में क्या पाया गया है ? (ग) यदि अभी भी जांच लंबित है, तो जांच लंबित होने के क्या कारण हैं, एवं कब तक पूरी की जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) जिला कोरबा में वित्तीय वर्ष 2014-15 में करतला, कटघोरा, कोरबा, पाली एवं पोड़ीउपरोड़ा में कुल राशि रु. 92.4183 लाख की राशि से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया गया था. कार्यवार राशि सहित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. (ख) जी हां. उक्त जांच समिति में अद्यतन श्री जे.के. शर्मा, मुख्य अभियंता (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता) श्री जी. एल. लखेरा, अधीक्षण अभियंता, श्री समीर गौड़ कार्यपालन अभियंता, श्री एस.पी. सोनवानी, सहायक अभियंता, श्री ए.पी.वैद्य, उपअभियंता है. जांच अभी लंबित है. (ग) दिनांक 01-08-2016 को उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन हुआ. प्रकरण में पूर्व से थाना कोतवाली कोरबा में अपराध क्र. 386/15 दर्ज होने के कारण संबंधित अभिलेख थाना कोतवाली कोरबा में जमा थे. तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड कोरबा द्वारा कोतवाली थाना से अभिलेख प्राप्त कर उनकी प्रतियां पत्र क्र. 6147 दिनांक 26-12-2017 द्वारा विलंब से जांच समिति को उपलब्ध करायी गई. प्रकरण में विभाग के आदेश क्रमशः दिनांक 08-06-2017 एवं दिनांक 11-05-2018 द्वारा उच्च स्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति में परिवर्तन किया गया है. उच्च स्तरीय जांच समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री जे.के. शर्मा, मुख्य अभियंता, (तत्कालीन अधीक्षण अभियंता) सामान्य प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है. अतः उपरोक्त कारणों से जांच अद्यतन लंबित है. जांच कब तक पूरी की जावेगी, तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

राज्य शासन द्वारा रावघाट स्थित खदानों को स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को देने हेतु किए गए अनुबंध

50. (क्र. 1064) **श्री देवेन्द्र यादव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा रावघाट में स्थित खदानों में से कितने क्षेत्र स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया जाना सुनिश्चित किया गया है ? तथा इसमें कितने क्षेत्र का कब्जा स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया गया है ? (ख) राज्य शासन द्वारा स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को रावघाट में आर्बिट्रि की गयी खदानों के एम.ओ.यू. में क्या स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने के संबंध में कोई उल्लेख किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य शासन द्वारा रावघाट क्षेत्र में डिपाजिट “एफ” ब्लाक के कुल रकबा 2028.797 हेक्टेयर क्षेत्र में स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृत है, जिसमें से 883.22 हेक्टेयर क्षेत्र पर कार्य अनुमति प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है. उक्त क्षेत्र का कब्जा नहीं सौंपा गया है. (ख) राज्य शासन से एम.ओ.यू. नहीं हुआ है. अतः शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

बेमेतरा में बाक्सआईट के क्रशिंग/भण्डारण हेतु प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति

51. (क्र. 1066) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में किस-किस फर्म/व्यक्ति को बाक्सआईट के क्रशिंग करने एवं भण्डारण करने हेतु कब पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अनुज्ञा प्रदान की गई ? नाम सहित जानकारी दें ? (ख) क्या किसी संस्था/व्यक्ति के द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से बाक्सआईट का क्रशिंग प्लांट संचालित करने एवं पर्यावरणीय क्षति करने के संबंध में विभाग को शिकायत वर्ष 2019 से 10 नवम्बर, 2019 के मध्य प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आया है ? (ग) यदि हां तो किस अधिकारी द्वारा उसका परीक्षण/निरीक्षण/जांच कब-कब की गई एवं उसमें क्या-क्या पाया गया तथा संबंधित के विरुद्ध किस-किस धारा के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम चोरभट्टी में किसी फर्म/व्यक्ति को बाक्सआईट के क्रशिंग एवं भण्डारण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अथवा अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई है. (ख) जी हां. (ग) जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

नवा रायपुर विकास प्राधिकरण किसानों के जमीन खरीदी एवं पुनर्वास

52. (क्र. 1067) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के गांव के किसानों से अधिग्रहित की गई एवं खरीदी गई जमीन की निर्धारित कीमतों की भुगतान के अलावा किसानों को पुनर्वास पैकेज के रूप में विभिन्न सुविधाएं दिए जाने का क्या-क्या निर्णय लिया गया है ? कृपया पुनर्वास पैकेज की पूरी जानकारी दें ? (ख) किस-किस वर्ष में किस-किस ग्राम के किसानों को कौन-कौन सी सुविधाएं पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत प्रदान किया गया है ? (ग) प्रभावित लोगों को कौन-कौन सी पुनर्वास पैकेज दिया जाना लंबित है ? उसे कब तक दिया जावेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की पुनर्वास पैकेज की पूरी जानकारी निम्नानुसार है :—

1. सशक्त समिति के निर्णय तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 7-12/2010/32 दिनांक 15-05-2013 की कंडिका-6 के पालन में नवा रायपुर के क्षेत्र के ग्रामों में आपसी सहमति से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि विक्रय करने वाले भूमिस्वामियों को वर्ष 2012-13 से 2030-31 तक वार्षिकी राशि रु. 15000/- (पंद्रह हजार रुपये) प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जाता है उक्त दर में प्रतिवर्ष रु. 750/- (सात सौ पचास रुपये) प्रति एकड़ की वृद्धि किये जाने का प्रावधान है.
2. पुनर्वास योजना के अनुसार दिये जाने वाले उद्यानिकी/आवासीय/वाणिज्यिक भू-खण्ड के बदले यदि प्रभावित व्यक्ति नगद राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो विकल्प प्रस्तुत करने पर 2.75 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाने का प्रावधान है.
3. प्रभावित व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार मुआवजा की राशि के भुगतान के अतिरिक्त, पात्रता अनुसार उद्यानिकी/साग-सब्जी हेतु भू-खण्ड अथवा सुविधाजनक दुकानें या आवासीय भू-खण्ड भी विशेष सुविधा के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है.
4. ऐसे खातेदार जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए आपसी सहमति से क्रय की गई है या की जावेगी या भू-अर्जन, अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की गई है या की जावेगी उन्हें विशिष्ट पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावित भूमि के अनुपात में संबंधित ग्राम की आबादी के समीप आवासीय भू-खण्ड का आबंटन लीज पर किया जावेगा.

(ख) वर्षवार एवं ग्रामवार किसानों को भुगतान किये गये वार्षिकी एवं विशेष अनुग्रह राशि की जानकारी प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ग) पात्रता अनुसार किसानों को मुआवजा राशि के अतिरिक्त उद्यानिकी/सागसब्जी हेतु भू-खण्ड अथवा दुकान/गुमटी या आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाना शेष है आपसी सहमति से भू-खण्ड क्रय किया जाना शेष होने एवं कतिपय भू-अर्जन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन होने के कारण निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश जंगली जानवरों के हमलों से क्षति का मुआवजा

53. (क्र. 1068) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किस-किस जिले में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में अभी तक जंगली सुअरों के हमलों से मृत एवं घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी थी तथा फसल क्षति एवं अन्य क्षति की कितनी-कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में जन-धन की क्षति से पीड़ित व्यक्तियों को कुल कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गयी ? कृपया अलग-अलग वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी दें ? (ग) वन क्षेत्र से बाहर मैदानी क्षेत्र में जंगली सुअरों के हमलों से हो रही जन-धन की क्षति को रोकने हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में अभी तक जंगली सुअरों के हमलों से मृत व्यक्तियों की संख्या 18 एवं घायल व्यक्तियों की संख्या 323 थी. फसल क्षति की 1681 तथा अन्य क्षति की 03 शिकायतें दर्ज हुई हैं. वर्षवार एवं जिलावार विस्तृत विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में जन-धन की क्षति से पीड़ित व्यक्तियों को कुल मुआवजा राशि रुपये 17823323/- प्रदान की गयी है. वर्षवार एवं जिलावार विस्तृत विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) वनक्षेत्र से बाहर मैदानी क्षेत्र में जंगली सुअर के हमलों से हो रही जन-धन की क्षति को रोकने हेतु क्षेत्रीय अमलों द्वारा सतत गश्त की जा रही है, जंगली सुअर को वनक्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए रहवास विकास कार्य जैसे-जल स्रोतों का निर्माण, चारागाह विकास आदि की मदद से पानी और भोजन की व्यवस्था की जा रही है, ग्रामीणों को जंगली सुअर के पास न जाने की सलाह दी जाती है तथा ढोल/टीना बजाकर तथा फटाखे फोड़कर जंगली सुअर को वनक्षेत्र की ओर भगाने के उपाय किये जा रहे हैं. क्षतिपूर्ति मुआवजे का त्वरित भुगतान किया जा रहा है.

गोबरा नवापारा में पेयजल योजना की स्वीकृति

54. (क्र. 1072) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की गोबरा-नवापारा पेयजल योजना की स्वीकृति कब एवं कितनी राशि की हुई थी ? 30-10-2019 तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ? (ख) उक्त योजना को पूर्ण करने हेतु कौन-कौन से वार्डों में क्या-क्या कार्य शेष है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर नगर पालिका को हैण्ड ओव्हर किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) रायपुर जिले की गोबरा-नवापारा पेयजल योजना की मूल स्वीकृत दिनांक 12-02-2013 को रुपये 1377.15 लाख की एवं प्रथम पुनरीक्षित योजना दिनांक 19-05-2016 को रुपये 1951.40 लाख की हुई थी। योजनांतर्गत दिनांक 31-10-2019 तक कुल राशि रुपये 1951.328 लाख का भुगतान किया जा चुका है। (ख) उक्त योजना को पूर्ण करने हेतु केवल वार्ड क्रमांक-1 एवं वार्ड क्रमांक-4 में दो स्थानों पर रेलवे क्रॉसिंग का इंडरकनेक्शन कार्य शेष है, जिसके कारण वार्ड क्रमांक-1 में नये पाईप लाईन से जल प्रदाय नहीं हो रहा है। अपितु वार्ड क्रमांक-4 एवं 5 में अन्य वार्डों के पाईप लाईन से जोड़कर आंशिक रूप से जल प्रदाय की जा रही है। गोबरा-नवापारा आवर्धन जल प्रदाय योजना की द्वितीय पुनरीक्षित योजना लागत रुपये 2183.98 लाख की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना स्वीकृति उपरांत शेष कार्य पूर्ण कर नगर पालिका परिषद गोबरा-नवापारा को हैण्ड ओव्हर किया जावेगा।

कृषक ऋण माफी योजना के संबंध में

55. (क्र. 1074) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. शासन की कृषक ऋण माफी योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल कितनी-कितनी संख्या एवं राशि का कर्जा माफी किया जा चुका है ? कृपया जिलेवार अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि महिला समूहों के कर्ज को माफ नहीं किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य शासन के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 17,56,966 किसानों के रु. 837412 लाख का ऋण माफ किया गया है। जिलावार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है। (ख) महिला समूहों के कर्ज माफी के प्रस्ताव विचाराधीन है।

नया रायपुर में विकसित प्लाट का आबंटन

56. (क्र. 1087) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीते 3 साल में नया रायपुर क्षेत्र में सार्वजनिक, व्यावसायिक और आवासीय उपयोग के लिए कितने लोगों को विकसित प्लाट आबंटित किया गया है ? (ख) इसके आबंटन की प्रक्रिया एवं दर बताने की कृपा करें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बीते 3 साल में नया रायपुर क्षेत्र में सार्वजनिक भू-उपयोग अंतर्गत 22 संस्थाओं/शासकीय विभागों, व्यावसायिक/औद्योगिक भू-उपयोग अंतर्गत 58 व्यक्तियों/संस्थाओं एवं आवासीय भू-उपयोग अंतर्गत 200 व्यक्तियों/शासकीय विभागों/संस्थाओं को भूखण्डों का आबंटन किया गया है। (ख) नया रायपुर अटल नगर में भूखण्ड का आबंटन छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के नियमों के तहत किया जाता है। जिसमें नियम 09 के तहत निविदा के माध्यम से, नियम 12 एवं 14 के तहत सीधी बातचीत द्वारा तथा नियम 13 के तहत लॉटरी द्वारा आवेदन आमंत्रित कर आबंटन किया जाता है। बीते तीन वर्षों में वांछित भू-उपयोग हेतु आरक्षित प्रीमियम की दरें निम्नानुसार हैं :—

क्र.	श्रेणी	भू-उपयोग	आरक्षित प्रीमियम दर (रुपये प्रति वर्गमीटर में)
01.	व्यावसायिक	व्यावसायिक रिटेल	3620.00
		व्यावसायिक थोक	3090.00
		विशिष्ट उद्योग	930.00
		औद्योगिक	1510.00
02.	आवासीय	आवासीय	2150.00
03.	सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (लेयर-1)	930.00
		सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (लेयर-2)	75 लाख रु. प्रति हेक्टेयर

हेल्थ एवं शैक्षणिक प्रयोजन हेतु दरें दिनांक 01-06-2016 से 31-05-2018 तक क्रमशः 1601.00 एवं 1977.00 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा दिनांक 01-06-2018 से अब तक क्रमशः 2472.00 रुपये एवं 3706.00 रुपये प्रति वर्गमीटर हैं। जो कि सार्वजनिक भू-उपयोग की श्रेणी में आता है।

किसानों को कृषि ऋण माफी योजना से संबंधित

57. (क्र. 1430) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों को ऋण माफी योजना के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों से लिए गए कृषि ऋण की सम्पूर्ण राशि माफ की गई है ? (ख) किसानों द्वारा कौन-कौन से वित्तीय वर्ष में लिये गए कृषि ऋण से माफी योजना में शामिल किया गया है ? क्या वित्तीय वर्ष 2018-19 में लिए गए ऋण को 30 नवम्बर 2018 की अवधि के पहले जमा किये गए किसानों को कृषि ऋण माफी योजना को लाभ दिया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना, 2019 अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों के पात्र किसानों के कृषि ऋण पात्रतानुसार माफ की जा रही है. (ख) राज्य शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना, 2019 के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक के कृषकों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि को कर्ज माफी की योजना में शामिल किया गया है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में लिए गए ऋण को 30 नवम्बर 2018 की अवधि के पहले जमा किये गये किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ नहीं दिया गया है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बिलासपुर नगर पालिक निगम सीमा अन्तर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्र

1. (क्र. 31) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर नगर निगम सीमा में कितने लोक सेवा केन्द्र संचालित है ? (ख) दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक कितने आवेदकों को किस प्रकार से लाभान्वित किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर नगर पालिक निगम सीमा में 11 लोक सेवा केन्द्र हैं. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

बिलासपुर जिले अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा नवीन लायसेंस का निर्माण एवं नवीनीकरण

2. (क्र. 32) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में लायसेंस बनाने के लिये परिवहन विभाग के कितने कार्यालय हैं ? (ख) दिनांक 1 मार्च, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक कितने लोगों के नये लायसेंस बनाये गये एवं कितने लोगों के लायसेंस नवीनीकरण हुए ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बिलासपुर जिले में लायसेंस बनाने के लिये परिवहन विभाग का 01 (एक) कार्यालय है. (ख) दिनांक 1 मार्च, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक 8876 व्यक्तियों के नये लायसेंस बनाये गये एवं 6720 व्यक्तियों के लायसेंस नवीनीकरण किये गये.

जांजगीर-चांपा जिले में नदी तट वृक्षारोपण

3. (क्र. 124) **श्री सौरभ सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-10-2019 तक चांपा वनमण्डल के अन्तर्गत कहां-कहां पर कितनी लागत से नदी तट वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत कितने पौधे किस प्रजाति के लगाये गये हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जांजगीर-चांपा जिले में पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-10-2019 तक जांजगीर-चांपा वनमण्डल के अंतर्गत नदी तट वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत कोई पौधे नहीं लगाये गये हैं.

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित नल-जल योजनाएं

4. (क्र. 125) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी नल-जल योजना किन गांवों में चालू है ? कितनी नई प्रस्तावित है ? ग्रामवार जानकारी देवें ? (ख) कितनी योजना किन कारणों से बंद है ? कितनी योजनाओं का काम अधूरा है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 36 नलजल योजना चालू है. ग्रामवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. 18 नई (नवीन) नलजल योजना प्रस्तावित है. प्रस्तावित योजनाओं की ग्रामवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है (ख) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी नलजल योजना बंद नहीं है. किसी भी योजना का काम अधूरा नहीं है.

रायगढ़ जिले में विद्युतीकरण से वंचित ग्राम/पारा/टोला

5. (क्र. 164) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ के कितने ग्राम/पारा/मझरा टोला/मुहल्ला विद्युत विहीन है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) सितम्बर, 2019 की स्थिति में कितने पारा/टोला में लाईन विस्तार का कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् भी प्रवाह चालू नहीं किया गया है ? (ग) सितम्बर, 2019 की स्थिति में विभाग को विद्युतीकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? कितने प्रकरण लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्तमान में कोई भी ग्राम/पारा/मझरा टोला/मुहल्ला विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है. (ख) सितम्बर 2019 तक जिन पारा टोला में लाइन विस्तार का कार्य पूर्ण किया गया था, उन सभी में विद्युत प्रवाह चालू कर दिया गया है. वर्तमान में गैरपरम्परागत स्रोत से विद्युतीकृत 5 ग्राम के 6 मझराटोलों में विद्युत विस्तार का कार्य प्रगति पर है. (ग) छत्तीसगढ़ स्टेट पाँवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को माह सितम्बर 2019 की स्थिति में विद्युतीकरण हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अतएव कितने प्रकरण लंबित हैं, का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

कोरबा एवं रायगढ़ जिले में संचालित कोयला खदानें

6. (क्र. 165) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा एवं रायगढ़ जिले में कुल कितनी कोयला खदान संचालित हैं एवं कितने टन कोयले का उत्पादन होता है ? खदानवार नाम सहित जानकारी दें ? (ख) कोयला उत्पादन से शासन को कितने राजस्व की प्राप्ति होती है ? (ग) वर्तमान अवधि में कितनी कोयला खदान खनन हेतु प्रस्तावित है ? कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) कोरबा एवं रायगढ़ जिले में कुल 25 कोयला खदानें संचालित हैं. उत्पादित कोयले की खदानवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य शासन को कोयले से 2182 करोड़ 80 लाख रुपये रायल्टी प्राप्त हुई है. (ग) वर्तमान अवधि में 13 कोयला खदानें खनन हेतु प्रस्तावित हैं. जिनमें खनन प्रारंभ होने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

7. (क्र. 169) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान स्थिति 2019 में कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं जिलेवार जानकारी दें ? (ख) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित किये जाने हेतु क्या-क्या प्रयास किया गया ? (ग) कब तक नियमित कर दिये जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जिला जांजगीर-चांपा में बिगड़े वनों के सुधार योजना के तहत पौधारोपण

8. (क्र. 204) **श्री नारायण चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक चांपा वन मंडल के अंतर्गत कहां-कहां कितनी लागत से बिगड़े वनों के सुधार योजना के अंतर्गत कितने पौधे किस प्रजाति के लगाए गए हैं ? (ख) उक्त जिले में इस योजना के अंतर्गत लगाए गए कितने पौधे सुरक्षित हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक

31 अक्टूबर 2019 तक जांजगीर-चांपा वनमंडल के अंतर्गत बिगड़े वनों के सुधार योजना के तहत लगाए गए पौधों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वित्तीय वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	लागत राशि (लाख रुपये में)	प्रजाति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2016-17	निरंक	निरंक	
2.	2017-18	1,10,000	127.53	आंवला, खम्हार, अर्जुन, कालासिरस, शिशु, करंज, शिशम, जामुन, मुड़ी, पीपल, हर्षा बहेरा, बीजा, पारसपीपल, नीम, साजा
3.	2018-19	98,020	138.51	सागौन, बांस, आंवला, खम्हार, नीलगिरी, अर्जुन, कालासिरस, शिशु, करंज, शिशम, मुड़ी, नीम
4.	2019-20 (31 अक्टूबर, 2019 तक)	2,92,700	270.72	सागौन, बांस, आंवला, खम्हार, अर्जुन, कालासिरस, सफेद सिरस, शिशु, करंज, शिशम, अमलतास, जामुन, मुड़ी, पीपल, हर्षा, बहेरा, रीठा, बीजा, पारसपीपल, सीताफल, नीम, साजा, पेल्टाफार्म, अमरूद

(ख) उक्त जिले में इस योजना के अंतर्गत लगाए गए कुल 5,00,720 पौधों में से 4,71,998 पौधे सुरक्षित हैं.

कटघोरा वनमंडल एवं सरगुजा जिले के वनमंडल को कैम्पा मद से स्वीकृत राशि

9. (क्र. 205) श्री नारायण चंदेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल एवं सरगुजा जिले के वनमंडल के अंतर्गत कैम्पा मद से कितनी राशि पिछले 03 वित्तीय वर्ष में और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक स्वीकृति हुई है ? (ख) उक्त राशि को किस स्थान और कौन-कौन से वन कक्ष में कितना-कितना खर्च किया गया है ? (ग) कोरबा जिले के उक्त वनमंडल में कैम्पा योजना के कार्य में शासन के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने व इस कार्य में लापरवाही की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो इस हेतु कौन जिम्मेदार है ? जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल एवं सरगुजा जिले के वनमंडल के अंतर्गत कैम्पा मद से पिछले 03 वित्तीय वर्ष में और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक स्वीकृत राशि की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोरबा	कटघोरा	2016-17	607.84
			2017-18	348.03
			2018-19	1212.33
			2019-20 (31-10-2019 तक)	1830.12
योग कटघोरा वनमण्डल				3998.32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	सरगुजा	सरगुजा	2016-17	1541.06
			2017-18	210.98
			2018-19	1262.74
			2019-20 (31-10-2019 तक)	535.81
योग सरगुजा वनमण्डल				3550.59

(ख) प्रश्नांश की जानकारी कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल हेतु पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-एक” एवं सरगुजा वनमंडल हेतु पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-दो” में दर्शित है। (ग) कोरबा जिले के उक्त वनमंडल में कैम्पा योजना के कार्य में शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने व इस कार्य में लापरवाही की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन

10. (क्र. 249) **श्री अजीत जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ में कितनी बिजली का उत्पादन हुआ है और कितनी खपत रही है ? वर्षवार वर्णन दें। (ख) छत्तीसगढ़ द्वारा किन राज्यों को किस दर पर कितनी बिजली बेची जा रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ (निजी, सार्वजनिक एवं स्टेट सेक्टर के विद्युत उत्पादन संयंत्र में 388980.944 मिलियन युनिट बिजली का उत्पादन हुआ है और 166402.061 मिलियन यूनिट खपत रही है। जिसका वर्षवार विवरण नीचे तालिका में दर्शित है :—

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुल उत्पादन (मिलियन युनिट में)	120418.405	130590.645	137971.894	388980.944
2.	कुल खपत (मिलियन युनिट में)	53347.579	55708.044	57346.438	166402.061

(ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश से तेलंगाना राज्य को 1000 मेगावाट बिजली बेचने हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा सदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड एवं नार्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के मध्य दिनांक 22-09-2015 को निष्पादित दीर्घकालीन पावर पचेस एग्रीमेंट की शर्तों के अधीन दिनांक 06-05-2017 से दिनांक 31-10-2019 तक तेलंगाना राज्य को कुल 11719.97 मिलियन यूनिट बिजली रुपये 4.30 प्रति यूनिट की औसत दर से बेची गई है।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप खनन

11. (क्र. 370) **डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत किन-किन स्थानों में पेयजल आपूर्ति हेतु नवीन नलकूप खनन का कार्य प्रस्तावित है ? (ख) वर्ष 2019 में कितने नवीन नलकूप खनन किये गये हैं, स्थानवार जानकारी दी जावे ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित नवीन नलकूप खनन कार्य की स्थानवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम 4 में दर्शित अनुसार है. (ख) वर्ष 2019 में 40 नवीन नलकूप खनन किए गए हैं. स्थानवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” के कॉलम 4 में दर्शित अनुसार है.

कोलवाशरी तथा कोलडिपो की पर्यावरणीय जांच

12. (क्र. 371) **डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के कोलवाशरी एवं कोलडिपो की पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण मण्डल द्वारा वर्ष 2018 से 31-10-2019 तक कब-कब जांच की गयी है ? संस्थानवार, तिथिवार जानकारी दी जाये ? (ख) उक्त कोलवाशरी एवं कोलडिपो के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? संस्थावार जानकारी दी जाये ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बिलासपुर जिले के कोलवाशरी एवं कोलडिपो के प्रश्नाधीन अवधि में की गई जांच का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम दो एवं तीन अनुसार है. (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित कोलवाशरी एवं कोलडिपो में पर्यावरण संरक्षण हेतु किये गये उपायों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम चार अनुसार है.

बस्तर संभाग के शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराये गये अधिकारी/कर्मचारी

13. (क्र. 512) **श्री शिशुपाल सोरी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग के विभिन्न शासकीय विभागों के किन-किन अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किये जाने के मामले विगत 2015 से लंबित है ? किन-किन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जा चुका है तथा कितने के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया जाना शेष है ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार किन-किन अधिकारी/कर्मचारी को किस-किस न्यायालय के द्वारा कितनी अवधि के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है ? संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दोष सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” में †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” में †† संलग्न है.

मोटर वाहन अधिनियम 2019 का राज्य में अनुपालन संबंधी

14. (क्र. 570) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार द्वारा पारित मोटर वाहन अधिनियम 2019 छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया है ? (ख) यदि हां तो कब से तथा क्या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुरूप में ही लागू किया है ? या किसी प्रकार का संशोधन किया गया है ? (ग) यदि परिवर्तन किया गया है ? तो कौन-कौन से धाराओं में क्या-क्या संशोधन किया गया एवं कब तक की अवधि के लिए किया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) भारत सरकार द्वारा पारित मोटर वाहन अधिनियम 2019 राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से लागू है. (ख) दिनांक 09 अगस्त से प्रभावशील है. कोई संशोधन नहीं किया गया है. (ग) निरंक.

निजी प्रयोजन हेतु अधिकारियों की विदेश यात्रा की प्रदत्त अनुमति

15. (क्र. 597) **डॉ. रमन सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन में 01 जनवरी, 2015 से 06 नवम्बर, 2019 के बीच कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा के लिये राज्य शासन द्वारा

अनुमति दी गई ? (ख) अधिकारियों का नाम तथा शासन द्वारा दी गई अनुमति आदेश दिनांक एवं जिस देश की यात्रा हेतु अनुमति दी गई है, उसकी जानकारी दी जावे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) 63 भा.प्र.से. (ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

प्रदेश में बाघों की गणना

16. (क्र. 631) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में बाघों की गणना विगत 04 वर्षों में कब-कब, किन-2 पद्धतियों से किनके माध्यम से कराई गयी ? वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019 में इनकी उपलब्धता क्या रही ? (ख) बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए विषयांकित समयावधि में कौन-कौन से कारगर उपाय किए गए ? इसका परिणाम क्या रहा ? (ग) कंडिका “क” एवं “ख” के संदर्भ में कुल कितना-कितना खर्च किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में बाघों की गणना विगत 4 वर्षों में वर्ष 2018 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पद्धति से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से कराई गई. वर्ष 2018 में इनकी उपलब्धता 19 रही. (ख) बाघों का कुनबा बढ़ाने की लिए प्रस्तावित अवधि में पानी एवं भोजन की उपलब्धता बढ़ाने, अवैध शिकार को रोकने, विभागीय अमले द्वारा नियमित पेट्रोलिंग करने, वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता तथा मुखबिर तंत्र बढ़ाने एवं वैज्ञानिक पद्धति से ट्रैप कैमरा से गणना करने आदि उपाय किये गये. इसका परिणाम औसत रहा. (ग) कंडिका “क” एवं “ख” के संदर्भ में निम्नानुसार खर्च किया गया :—

योजना मद	वित्तीय वर्ष	व्यय राशि (रुपये में)
41-2406-3730-प्रोजेक्ट टायगर	2016-17	10,63,91,388
	2017-18	11,97,37,482
	2018-19	7,00,36,407
	2019-20	0
	(अक्टूबर 2019 तक)	
	योग	29,61,65,277

जिला मुंगेली में ग्रीष्मकाल में शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु कराए गए कार्य

17. (क्र. 632) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुंगेली अन्तर्गत ग्रीष्मकाल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कौन-कौन सी योजना के तहत कौन से कार्य कराए गए ? विधानसभा क्षेत्रवार योजनावार व्यय राशि बतावें ? (ख) क्या कंडिका “क” के क्षेत्र में बोरवेल खनन भी कराए गए ? यदि हां तो कितने, उसमें से कितने खनन सफल रहे ? कितने असफल ? (ग) कंडिका “ख” के असफल बोर खनन की स्थिति में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई ? नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जिला मुंगेली अंतर्गत ग्रीष्म काल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए वर्ष 2017-18 में नलकूप खनन 210 नग, नलजल प्रदाय योजना 05 नग, सोलर पम्प 25 नग एवं सिंगल फेस पावर पम्प 50 नग कुल 290 कार्य कराए गए. विधानसभा क्षेत्रवार, योजनावार व्यय राशि का विवरण †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. वर्ष 2018-19 में नलकूप खनन 199 नग, नलजल प्रदाय योजना 13, कुल 212 कार्य कराए गए. विधानसभा क्षेत्रवार, योजनावार व्यय राशि का विवरण †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है. (ख) जी हां. वर्ष 2017-18 में 210 नग नलकूप खनन (बोरवेल) एवं 2018-19 में 199 नग कुल 409 नग कराए गए. वर्ष 2017-18 में खनित नलकूपों में से 188 सफल एवं 22 असफल रहे तथा वर्ष 2018-19 में 199 नग नलकूप खनन कराए गए, जिसमें से 181 सफल एवं 18 असफल रहे. (ग) कंडिका “ख” के असफल बोर खनन की स्थिति में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित अनुसार है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

डोंगरगढ़ वि. स. क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन समिति को वनोपज लाभांश की राशि का प्रदाय

18. (क्र. 652) **श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से 30 सितम्बर, 2019 तक राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कितने संयुक्त वन प्रबंधन समिति को वनोपज लाभांश की कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ? (ख) प्रश्नांक “क” की राशि से व्यय की जानकारी मदवार, समितिवार, देवें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वर्षवार निम्नानुसार लाभांश राशि प्रदाय किया गया है :-

वनमंडल का नाम (1)	वर्ष (2)	संयुक्त वन प्रबंधन समिति की संख्या (3)	समिति में जमा लाभांश राशि (रुपया में) (4)
खैरागढ़	2016-17	7	14768471
	2017-18	5	7965398
	2018-19	9	18236356
	2019-20 (30 सितम्बर 2019)	निरंक	निरंक

(ख) डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त वन प्रबंधन समिति को प्राप्त लाभांश राशि से कराये गये कार्य एवं व्यय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

बलौदा बाजार जिले में यात्री बस को परमिट का प्रदाय

19. (क्र. 679) **श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार जिले में बीते दो वर्षों में कितनी यात्री बसों को परमिट प्रदान किया गया है ? (ख) कितने परमिट बीते दो वर्षों में निरस्त किए गए हैं ? (ग) कितने परमिट परिवर्तित व नवीनीकरण किए गए ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बलौदा बाजार जिले में बीते दो वर्षों अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 व अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 में कुल 92 यात्री बसों को परमिट प्रदान किया गया है. (ख) बीते दो वर्षों अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 व अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 में कुल 23 परमिट निरस्त किए गए हैं. (ग) 23 परमिट परिवर्तित व 58 का नवीनीकरण किया गया.

बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में गौण खनिज के उत्खनन हेतु स्वीकृत लीज

20. (क्र. 717) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना द्वारा बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में गौण खनिज द्वारा क्रेशर, खदानों एवं अन्य स्रोतों से किन-किन विकास खंडों की कौन-कौन सी पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लीज स्वीकृत है ? स्वीकृति हेतु क्या-क्या मापदण्ड अपनाये गये एवं उत्खनन हेतु कितने-कितने घनमीटर की स्वीकृति दी गई ? (ख) वर्ष 2018-19 में लीज से कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार, स्थानवार जानकारी देवें ? (ग) कंडिका “ख” से प्राप्त राशि से कौन-कौन से प्रभावित क्षेत्रों में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिजों का नगरीय निकाय क्षेत्र में कोई उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है. पंचायत क्षेत्रों में स्वीकृत उत्खनिपट्टों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. खदान स्वीकृति की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के तहत उत्खनिपट्टें स्वीकृत किये गये हैं. पर्यावरण सम्मति अनुसार स्वीकृत उत्खनिपट्टों में उत्खनन मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम “10” पर दर्शित है. (ख) वर्ष 2018-19 में लीज क्षेत्र से प्राप्त राजस्व राशि रुपये 2,97,25,65,9.00 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम “9” पर दर्शित है. (ग) उत्खनिपट्टा क्षेत्र से वर्ष 2018-19 में प्राप्त राजस्व राशि का आबंटन जारी नहीं हुआ है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित उद्योगों द्वारा किए गए वृक्षारोपण

21. (क्र. 718) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में स्थापित विभिन्न उद्योगों/क्रेशर खदानों में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत प्रदत्त सम्मति में निर्दिष्ट शर्तों के पालन में उद्योग प्रबंधन द्वारा वृक्षारोपण का मापदण्ड है ? (ख) यदि हां तो उद्योग प्रबंधनों एवं क्रेशर खदानों द्वारा कितनी संख्या में किस-किस प्रजाति के कितने पौधे रोपित किये गये हैं ? (ग) रोपित पौधों में कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं ? इनका भौतिक सत्यापन किनके द्वारा कब किया गया था ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हाँ. (ख) वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों एवं खदानों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं लघु श्रेणी के उद्योगों एवं क्रेशर खदानों द्वारा वृक्षारोपण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है. (ग) वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों एवं खदानों में जीवित पौधे एवं भौतिक सत्यापन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक के कॉलम 5, 6, 8, एवं 9 एवं लघु श्रेणी के उद्योगों एवं क्रेशर खदानों में जीवित पौधे एवं भौतिक सत्यापन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो के कॉलम 4, 6 एवं 7 अनुसार है.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित आवासीय परियोजना में वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा

22. (क्र. 756) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा अपनी आवासीय परियोजना शंकर नगर फेस-01/02 रायपुर तथा दीनदयाल आवास कालोनी खम्हारडीह रायपुर में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है ? (ख) यदि नहीं तो यह निर्माण कब तक कर लिया जायेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी नहीं. (ख) शंकर नगर सरहद फेस-01 एवं दीनदयाल आवास कालोनी खम्हारडीह रायपुर के मूल योजना में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य सम्मिलित नहीं है. शंकर नगर सरहद फेस-02 रायपुर में वाटर हार्वेस्टिंग योजना हेतु रु. 10.00 लाख प्रावधानित है, दिनांक 30-06-2020 तक कार्य करा लिया जायेगा.

रायपुर जिला अंतर्गत उद्योगों का लंबित बिजली बिल का भुगतान

23. (क्र. 757) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. के द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 तक रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र के वृहद माध्यम व लघु उद्योगों का बिजली बिल का भुगतान कितना शेष है ? उद्योग/फर्मवार वर्षवार, बकाया राशि की जानकारी दें ? (ख) शेष भुगतान वाले कितने उद्योग को बिजली की आपूर्ति जारी है व कितने की आपूर्ति बंद कर दी गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) 31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र के वृहद माध्यम व लघु उद्योगों के बिजली बिल का भुगतान के लिए कुल बकाया राशि रु. 10,565.50 लाख है, जिसकी उपभोक्तावार वर्षवार जानकारी परिशिष्ट "अ" में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" के बकाया राशि वाले 118 उपभोक्ताओं में से 105 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित हैं. 10 उपभोक्ताओं के प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/एपटेलके आदेश से तथा शेष 03 उपभोक्ताओं के कनेक्शन उनके द्वारा आंशिक भुगतान करने के कारण विच्छेदित नहीं किये गये हैं.

बस्तर जिले को कैम्पा मद के तहत स्वीकृत राशि

24. (क्र. 835) **श्री रेखचन्द्र जैन** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले को कैम्पा निधि से वर्ष 2017-18 से प्रश्नांकित तिथि तक किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? परिक्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में, प्राप्त राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर जिले को कैम्पा निधि से वर्ष 2017-18 से 15-11-2019 तक परिक्षेत्रवार प्राप्त राशि

की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में, प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

बस्तर संभाग में पेयजल की गुणवत्ता

25. (क्र. 836) **श्री रेखचन्द्र जैन** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में जिलेवार कुल कितनी बसाहटें आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, क्लोराइड, व खारे पानी से प्रभावित है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) क्या गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था की गई है ? यदि हां तो क्या व्यवस्था है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रुद्रकुमार) : (क) बस्तर संभाग में कुल 230 बसाहटें फ्लोराइड तथा 1962 बसाहटें आयरन से प्रभावित है. कोई भी बसाहट आर्सेनिक, क्लोराइड व खारे पानी से प्रभावित नहीं है. जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की संख्या				
		फ्लोराइड	आयरन	आर्सेनिक	क्लोराइड	खारेपानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बस्तर	79	903	0	0	0
2.	दंतेवाड़ा	0	245	0	0	0
3.	सुकमा	0	145	0	0	0
4.	बीजापुर	05	15	0	0	0
5.	कोण्डागांव	57	295	0	0	0
6.	कांकेर	89	143	0	0	0
7.	नारायणपुर	0	216	0	0	0
	योग	230	1962	0	0	0

(ख) जी हाँ. गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था की गई है. फ्लोराइड की अधिकता से प्रभावित बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. आयरन की अधिकता से प्रभावित बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है.

केशकाल विधानसभा क्षेत्र में गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित शासकीय आवास

26. (क्र. 851) **श्री संतराम नेताम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गृह निर्माण मंडल के द्वारा कहां-कहां कितनी-कितनी लागत के शासकीय भवन बनाये जा रहे हैं ? एवं अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ख) उक्त भवन कब तक पूर्ण होना था? यदि समय सीमा में पूर्ण नहीं हुए हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) दिनांक 04-01-2019 तक. भवनों का निर्माण कार्य अपरिहार्य कारणों से समय सीमा में पूर्ण नहीं हो सका, अतः कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है.

जिला कोन्डागांव एवं कांकेर अंतर्गत गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित आवासीय परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा

27. (क्र. 852) **श्री संतराम नेताम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गृह निर्माण मंडल द्वारा कोन्डागांव एवं कांकेर में निर्मित समस्त आवासीय परियोजनाओं में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया गया है ? यदि नहीं तो किन-किन स्थानों पर निर्मित आवासीय परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण नहीं हुआ है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी नहीं. गृह निर्माण मण्डल द्वारा कोण्डागांव एवं कांकेर में निर्मित समस्त आवासीय परियोजनाओं में वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण नहीं किया गया है. निम्न स्थानों पर निर्मित आवासीय परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण नहीं हुआ है :-

1. अटल आवास योजना बांधा पारा कोण्डागांव,
2. अटल आवास योजना कराठी, भानुप्रतापपुर,
3. अटल आवास योजना बारगरी चारामा,
4. दीनदयाल आवास योजना टेलकाबोड़ कांकेर
5. अटल विहार योजना श्रीराम नगर कांकेर

जिला गरियाबंद के ग्रामों में आर्सेनिक व फ्लोराईड युक्त रिमूवल्ड प्लांट की स्थापना

28. (क्र. 867) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिला अंतर्गत 01 नवम्बर, 2019 की स्थिति में कितने ग्राम भू-जल आर्सेनिक व फ्लोराईड से युक्त हैं ? ग्रामवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने ग्रामों में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक रिमूवल्ड प्लांट लगाये गये हैं ? इसमें संचालित हैं व कितने बंद हैं ? बंद प्लांटों को कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) गरियाबंद जिले के अंतर्गत 01 नवम्बर, 2019 की स्थिति में 01 ग्राम का भू-जल आंशिक रूप से आर्सेनिक एवं फ्लोराईड युक्त तथा 54 ग्रामों का भू-जल आंशिक रूप से फ्लोराईड युक्त है. ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार एक ग्राम सुपेबेड़ा में 03 फ्लोराईड रिमूवल्ड प्लांट एवं 03 आर्सेनिक रिमूवल्ड प्लांट लगाये गये हैं. उक्त सभी संचालित है व कोई भी प्लांट बंद नहीं है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला गरियाबंद में संचालित बुनकर/हाथ करघा समिति

29. (क्र. 868) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिला के अंतर्गत कुल कितनी बुनकर/हाथ करघा समितियां संचालित है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार बुनकर/हाथ करघा समितियों को जनवरी, 2019 से अक्टूबर, 2019 के मध्य क्या-क्या सामग्री उपलब्ध कराई गई है ? किन-किन बुनकर व हाथ करघा समितियों को मांग अनुरूप सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई तथा कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) गरियाबंद जिले के अंतर्गत कुल 14 बुनकर/हाथकरघा सहकारी समितियां संचालित है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखण्ड	समिति संख्या
1	गरियाबंद	01
2.	मैनपुर	03
3.	देवभोग	10
	कुल	14

(ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार बुनकर/हाथकरघा सहकारी समितियों को जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019 के मध्य उपलब्ध करायी गई सामग्रियों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में दर्शित है. गरियाबंद जिले के कोई भी बुनकर सहकारी समितियों को सामग्री की मांग लंबित नहीं है.

भवन विहीन प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कार्यालय हेतु भवन व्यवस्था

30. (क्र. 892) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. राज्य की कितनी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को स्वयं का कार्यालय भवन है ? कितने समितियों में स्वयं का भवन नहीं है ? (ख) भवन विहीन समितियों के लिए भवन निर्माण की क्या कोई कार्ययोजना है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छ. ग. राज्य की 683 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का स्वयं का कार्यालय भवन है. 218 समितियों में स्वयं का भवन नहीं है. (ख) जी हां, प्राथमिक समितियों के कार्यालय भवनों की स्टेण्डर्ड डिजाईन, ड्राईंग एवं एस्टीमेट तैयार कर राज्य स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है. स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्राथमिक समितियों में कार्यालय भवन निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 09 प्राथमिक समितियों के कार्यालय भवनों हेतु अनुमति जारी कर दी गई है.

प्रदेश में तेन्दूपत्ता का भण्डारण

31. (क्र. 893) **श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में वर्ष 2019 में संग्रहित तेन्दूपत्ता का भण्डारण कितने मानक बोरा/वास्तविक बोरा संघ गोदाम में भण्डारित है ? कितने मानक बोरा/वास्तविक बोरा किराये के गोदाम में भण्डारित है ? जिला यूनियन वार जानकारी प्रदाय करें ? (ख) प्रश्नांक "क" में भण्डारित मानक बोरा/वास्तविक बोरा की जानकारी जिला यूनियन वार जानकारी क्रेतावार देवें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

पेयजल सप्लाई में व्यय राशि

32. (क्र. 908) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से वर्ष 2019 में रायपुर, दुर्ग, भिलाई एवं बिलासपुर नगर क्षेत्र की पेयजल सप्लाई के लिए किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ? (ख) कंडिका (क) के क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल नागरिकों को सप्लाई करने के लिए प्रश्नावधि में किन-किन कार्यों को सम्पादित किया गया ? (ग) क्या कंडिका (क) के क्षेत्रों में सप्लाई के लिए प्रश्नावधि में पेय जल संवर्धन संयंत्रों की योजना प्रस्तावित की गई है ? यदि हां तो लागत सहित ब्यौरा दें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रुद्रकुमार) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से वर्ष 2019 में रायपुर, दुर्ग, भिलाई एवं बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की पेयजल सप्लाई के लिए किसी भी मद में राशि खर्च नहीं की गई है. (ख) एवं (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

गारे पालमा कोल ब्लॉक के भूमि का आवंटन

33. (क्र. 909) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गारे पालमा कोल ब्लॉक के जंगलों के छोटे झाड़ एवं बड़े झाड़ के पेड़ों की गणना (मार्किंग) का कार्य हुआ है ? यदि हां तो क्यों और कब ? (ख) क्या कंडिका "क" की भूमि का आवंटन किसी संस्थान/कंपनी को करना प्रस्तावित है ? (ग) कंडिका "क" कंडिका के क्षेत्र में प्रभावित होने वाले कितने गांव है ? गांवों का नाम जनसंख्या सहित देवें ? (घ) क्या कंडिका "ग" के नागरिकों ने भूमि आवंटन पर आपत्ति दर्ज की है ? यदि तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत गारे पालमा कोल ब्लॉक के जंगलों के छोटे झाड़ एवं बड़े झाड़ के वनों में पेड़ों की गणना (मार्किंग) का कार्य किया जा रहा है. आवेदक संस्थान, मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उक्त क्षेत्र में कोयला खनन के लिये आवेदन करने पर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नोडल कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा पंजीयन क्रमांक- FP/CG/MIN/40028/2019 दिनांक 19-09-2019 आबंटित किया गया है. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति के लिये प्रस्ताव तैयार करने हेतु पेड़ों की गणना कार्य दिनांक 26-09-2019 से किया जा रहा है.

(ख) कंडिका “क” की भूमि का आबंटन मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति के उपरांत किया जाना प्रस्तावित है। अभी भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। (ग) कंडिका “क” कंडिका के क्षेत्र में प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या 03 है। गांवों की जनसंख्या निम्नानुसार है -

क्र.	गांव का नाम	जनसंख्या
1.	कोड़केल	1014
2.	डोंगामहुआ	777
3.	बेलजोर	340

(घ) सरपंच ग्राम पंचायत कोड़केल, जनपद पंचायत तमनार ने वृक्ष गणना के कार्य को बंद करने हेतु आवेदन किया है। आवेदन विचाराधीन है।

जिला सूरजपुर अंतर्गत लघु एवं ग्रामीण उद्योग हेतु स्वीकृत राशि

34. (क्र. 921) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2017-18 से लेकर अक्टूबर 2019 तक ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लघु एवं ग्रामीण उद्योग व्यवसाय हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ? (ख) उक्त अवधि में लघु एवं ग्रामीण उद्योग व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा कितने व्यक्तियों को क्या-क्या प्रशिक्षण दिया गया ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) सूरजपुर जिला अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लघु एवं ग्रामोद्योग व्यवसाय हेतु राशि रु. 293.96 लाख स्वीकृत की गयी। वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में लघु एवं ग्रामीण व्यवसाय हेतु विभाग द्वारा 16 महिलाओं को मधुमक्खी पालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

सूरजपुर जिला में सोलर ड्यूल पंप की स्थापना

35. (क्र. 929) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सूरजपुर जिले में वर्तमान में किन-किन स्थानों पर क्रेडा विभाग द्वारा सोलर ड्यूल पम्प स्थापित करना प्रस्तावित है ? स्थलवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : सूरजपुर जिले में वर्तमान में सोलर ड्यूल पम्प स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थलों की जानकारी निरंक है। अतः स्थलवार जानकारी का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

सरगुजा वन वृत्त में गजराज वाहन की उपलब्धता

36. (क्र. 942) **श्री विनय कुमार भगत** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरगुजा वन वृत्त में जंगली हाथियों के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा गजराज वाहन उपलब्ध कराये गये हैं ? (ख) यदि हों तो कितनी मात्रा में इस हेतु कितनी राशि का व्यय वर्ष 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक किया गया एवं क्या इनका उपयोग निरंतर किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हों। (ख) सरगुजा वन वृत्त में 08 गजराज वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। इस हेतु राशि रुपये 75,54,880/- का व्यय वर्ष 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक किया है। इनका उपयोग निरंतर किया जा रहा है।

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए सोलर पंप

37. (क्र. 959) **श्री कुंवर सिंह निषाद** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले में गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की स्थिति में कितने सोलर पंप, किसानों के हित में लगाये गये ? (ख) कितने किसानों के

द्वारा सोलर पंप लगाये जाने हेतु आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुए ? (ग) क्या प्राप्त सभी आवेदनों पर उचित कार्यवाही की गई है ? लंबित हो तो कारण बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बालोद जिले के गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में 194 एवं वर्ष 2018-19 में 118 कुल 312 सोलर पंप, किसानों के हित में लगाये गये हैं. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में बालोद जिले के गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में 226 एवं वर्ष 2018-19 में 182 इस प्रकार कुल 408 आवेदन सोलर पम्प लगाये जाने हेतु प्राप्त हुए है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त आवेदनों में की गई कार्यवाही की जानकारी नीचे तालिका में दर्शित है.

वर्ष	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत/स्थापित सोलर पंप	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन
2017-18	226	194	32	0
2018-19	182	118	49	15
योग	408	312	81	15

वर्ष 2018-19 में लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण 15 आवेदन लंबित है,जिन पर वर्ष 2019-20 में कार्यवाही किए जाने का लक्ष्य है.

जिला बालोद में नल जल योजना का संचालन

38. (क्र. 960) **श्री कुंवर सिंह निषाद** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले में कितने गाँव में नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) कितने स्थानों पर योजना बंद हैं ? (ग) कहाँ-कहाँ पर नवीन योजना प्रस्तावित है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बालोद जिले के अंतर्गत 161 ग्रामों में नलजल योजना का संचालन किया जा रहा है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	नलजल योजना की संख्या
1.	बालोद	20	20
2.	गुरूर	27	27
3.	डौण्डी	24	24
4.	डौण्डीलोहारा	39	39
5.	गुण्डरदेही	51	51
	कुल	161	161

(ख) किसी भी स्थान पर योजना बंद नहीं है. (ग) प्रस्तावित नवीन नलजल योजनाओं की ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 5 में दर्शित अनुसार है.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित आवासीय परियोजनाओं में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना

39. (क्र. 961) **श्री अनुप नाग** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा रायपुर शहर में निर्मित समस्त आवासीय परियोजनाओं में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हाँ तो तद्संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा पूर्व निर्मित आवासीय परियोजनाओं में वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं किये गये थे. क्योंकि स्वीकृत योजनाओं में वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम सम्मिलित नहीं थे. वर्तमान में निर्मित कॉलोनियों में योजना सम्मिलित करते हुए वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, तथा समस्त योजनाओं में वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम निश्चित रूप से तैयार किये जा रहे हैं.

प्रदेश में विद्युत उत्पादन तथा खपत

40. (क्र. 964) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक प्रतिदिन औसत विद्युत खपत कितने मेगावाट की है ? तथा प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में औसत विद्युत उत्पादन कितना है ? (ख) उक्त अवधि में विद्युत मंडल द्वारा प्रतिमाह किनको-किनको किस-किस दर पर प्रदेश के बाहर विद्युत विक्रय किया गया है तथा विक्रय की शर्तें क्या हैं ? (ग) प्रदेश शासन द्वारा उक्त अवधि में कितनी विद्युत किन-किन संस्थाओं से किस किस दर पर खरीदी गयी है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) दिसम्बर-2018 से 31 अक्टूबर-2019 तक प्रतिदिन औसत विद्युत खपत 162.14 मिलियन यूनिट तदनुसार 6756 मेगावाट रही, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की ईएचव्ही ग्रिड (एसटीयू) में विद्युत की खपत, राज्य में स्थापित सेन्ट्रल सेक्टर, राज्य सेक्टर (सीएसपीजीसीएल) एवं आईपीपी (इंडिपेंडेड पावर प्लांट) के विद्युत उत्पादन संयंत्रों की आक्जीलरी खपत तथा निजी उद्योगों सह स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांटों की केप्टिव खपत सम्मिलित है. उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित उपरोक्त उत्पादन संयंत्रों द्वारा प्रतिदिन औसत विद्युत उत्पादन 367.14 मिलियन यूनिट रही. (ख) दिसम्बर-2018 से 31 अक्टूबर-2019 की अवधि में प्रदेश के बाहर विक्रय की गई बिजली की दर का संस्थावार मासिक विवरण एवं विक्रय की मुख्य शर्तों का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ग) दिसम्बर-2018 से 31 अक्टूबर-2019 की अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 69 संस्थानों से कुल 30,174 मिलियन यूनिट बिजली की खरीदी की गई है. विद्युत की खरीदी की मात्रा एवं दर का संस्थावार विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

उपभोक्ताओं को आधे दर पर विद्युत का प्रदाय

41. (क्र. 965) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ के किस-किस श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को आधे दर पर विद्युत प्रदाय की जा रही है ? (ख) आधे दर पर विद्युत प्रदाय करने से विद्युत मंडल को प्रतिमाह कितनी आर्थिक हानि हो रही है ? तथा इसकी पूर्ति शासन द्वारा विद्युत मंडल को कब-कब कितनी-कितनी की गयी है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को वर्तमान में आधे दर पर विद्युत प्रदाय की जा रही है. (ख) आधे दर पर विद्युत प्रदाय करने से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कोई आर्थिक हानि नहीं हो रही है क्योंकि हॉफ बिजली बिल योजना के तहत उपभोक्ताओं को दी गई रियायत की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है. राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को इस मद में माह अक्टूबर 2019 में राशि रुपये 147.58 करोड़ उपलब्ध करायी गयी है.

जिला मुंगेली में खनिज विकास न्यास मद के तहत स्वीकृत राशि

42. (क्र. 966) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली जिले के अंतर्गत वर्ष 2017 से अक्टूबर 2019 तक खनिज विकास न्यास मद के तहत क्या-क्या निर्माण कार्य हुआ ? और कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? वि. ख. वार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) मुंगेली जिले के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से अक्टूबर 2019 तक जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. उक्त निर्माण कार्यों हेतु राशि 611.12 लाख रुपये स्वीकृत की गई है. (ख) उक्त अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्य में से 35 कार्य पूर्ण एवं 30 कार्य अपूर्ण हैं. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट प्रपत्र “ब” दर्शित है.

गंडई में सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना

43. (क्र. 970) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खैरागढ़ विद्युत मण्डल के अंतर्गत गंडई में सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव बोर्ड स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां तो गंडई में सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना एवं सहायक अभियंता की पदस्थापना कब तक की जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा खैरागढ़ (संचा/संधा) संभाग के अंतर्गत गंडई में उपसंभाग (सहायक अभियंता कार्यालय) के स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. नये स्वीकृत उपसंभागों में सहायक अभियंता की पदस्थापना प्रक्रियाधीन है.

खैरागढ़ विद्युत मण्डल में लाईनमेन के रिक्त पद पर भर्ती

44. (क्र. 971) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के खैरागढ़ विद्युत मण्डल के पूरे डिविजन में लाईनमेन एवं सहायक लाईनमेन के डी. सी. वार कुल कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की भर्ती कब तक कर ली जाएगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के खैरागढ़ संभाग के अंतर्गत वितरण केन्द्रवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. उक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के द्वारा नहीं की जाती अपितु पदोन्नति के द्वारा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है.

जिला बालोद में सौभाग्य योजनांतर्गत वितरित एवं लंबित कनेक्शन

45. (क्र. 976) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में बालोद जिले में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) के तहत कितने आवेदकों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना लंबित है ? इन्हें विद्युत कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) के तहत बालोद जिले में 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में लम्बित विद्युत कनेक्शनों की संख्या निरंक है. अतएव, इन्हें विद्युत कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिया जावेगा, का प्रश्न उदभूत नहीं होता है.

संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नल जल योजना, स्थल जल योजना व पाईप लाईन विस्तार के कार्य

46. (क्र. 977) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में नलजल योजना, स्थल जल योजना व पाईप लाईन विस्तार का कार्य प्रस्तावित है ? प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति कब तक हो जावेगी ? (ख) संजारी -बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 31 अक्टूबर, 2019 तक कहां-कहां नलजल योजना, स्थल योजना व पाईप लाईन विस्तार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी है एवं इन कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या हैं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित नलजल योजना का कार्य की ग्रामवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" के कॉलम 4 में दर्शित अनुसार है. प्रस्तावित स्थल जल योजना व पाईप लाईन विस्तार का कार्य निरंक है. प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है. (ख) संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 31 अक्टूबर, 2019 तक स्वीकृत नलजल योजनाओं की ग्रामवार व स्वीकृत राशि की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" के कॉलम 5 एवं 6 में दर्शित अनुसार है. प्रश्नाधीन अवधि में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थल जल योजना व पाईप लाईन विस्तार कार्यों हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है. स्वीकृत नलजल योजनाओं के कार्यों के अद्यतन स्थिति की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" के कॉलम 7 में दर्शित अनुसार है.

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत नल-जल योजना

47. (क्र. 990) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के अंतर्गत किन-किन गांवों में नल-जल योजना स्वीकृत है ? (ख) प्रत्येक नल-जल योजना की लागत, कार्य प्रारंभ करने का दिनांक एवं उक्त कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ के अंतर्गत स्वीकृत नल-जल योजनाओं की ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 4 में दर्शित अनुसार है. (ख) प्रत्येक नल-जल योजना की लागत कार्य प्रारंभ करने का दिनांक एवं उक्त कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी † संलग्न के कॉलम 6, 7 एवं 8 में दर्शित अनुसार है.

रायगढ़ जिले में उड़ान योजना के तहत एरो ड्रम हेतु चिन्हांकित स्थल

48. (क्र. 991) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ान योजना के संचालन हेतु रायगढ़ जिले में एरो ड्रम हेतु किस स्थान को चिन्हांकित किया गया है ? क्या चिन्हांकित स्थान में यात्रियों के लिए सभी सुविधाएँ मुहैया करा दी गयी है ? यदि नहीं तो कब तक करा दी जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : उड़ान योजना के संचालन हेतु केन्द्र शासन द्वारा रायगढ़ जिले में जिंदल कम्पनी के निजी एरोड्रम को चिन्हांकित किया गया था किन्तु जिंदल प्रशासन द्वारा स्वयं को योजना से पृथक कर लेने के कारण योजना हेतु यात्री सुविधाएँ विकसित करना संभव नहीं है.

बस्तर संभागान्तर्गत अवैधानिक रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही

49. (क्र. 1002) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अवैधानिक रूप से संचालित (लाईट टू-फोर व्हीकल, हैवी व्हीकल, यात्री बस बस स्कूल बसों) वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने कितनी टीम गठित की गई है ? (ख) प्रश्नांक “क” के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकरण दर्ज किये गये व चालान के रूप कितनी राशि की वसूली हुई है ? श्रेणीवार जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में अवैधानिक रूप से संचालित (लाईट टू-फोर व्हीकल, हैवी व्हीकल, यात्री बस स्कूल बसों) वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु वर्ष 2018-19 (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019) में 04 एवं वर्ष, 2019-20 (अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019) में 04 टीम गठित की गई है. (ख) प्रश्नांक “क” के परिप्रेक्ष्य में वर्ष, 2018-19 (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019) तक 459 प्रकरण दर्ज कर चालान के रूप में राशि रु. 33,84,700/वसूल की गई एवं वर्ष, 2019-20(अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019) तक 1,454 प्रकरण दर्ज कर चालान के रूप में राशि रु. 32,07,700/-वसूल की गई. श्रेणीवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वाहनों की श्रेणी	वाहन के विरुद्ध बनाये गये चालान संख्या		वसूल शमन-शुल्क की राशि (रुपये में)	
		2018-19 (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक)	2019-20 (अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक)	2018-19 (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक)	2019-20 (अप्रैल, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मालयान	415	1338	33,39,200	30,61,600
2.	यात्री बस	37	60	28,500	91,200
3.	स्कूल बस	07	09	17,000	27,900
4.	मोटर-कार	0	10	0	5,800
5.	दो-पहिया	0	37	0	21,200
	योग	459	1,454	33,84,700	32,07,700

बस्तर संभागान्तर्गत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

50. (क्र. 1003) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के कितने ग्राम-पारा-टोला, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं है ? (ख) इन स्थानों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों के कोई भी ग्राम पारा-टोला शुद्ध पेयजल विहीन नहीं है. शासकीय भवन युक्त 627 स्कूल, 1712 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 444 स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में बोर नहीं है. जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	पारा-टोला	नलकूप उपलब्ध विहीन		स्वास्थ्य केन्द्र
			स्कूल	आंगनबाड़ी केन्द्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बस्तर	0	425	498	119
2.	दंतेवाड़ा	0	0	172	27
3.	सुकमा	0	12	87	62
4.	बीजापुर	0	12	219	62
5.	कोण्डागांव	0	22	326	30
6.	कांकेर	0	156	361	87
7.	नारायणपुर	0	0	49	57
योग		0	627	1712	444

(ख) इन स्थानों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना व उपलब्ध आवंटन अनुसार कार्यवाही की जाती है.

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित हैण्डपंप एवं नल-जल योजना

51. (क्र. 1028) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने हैण्डपंप एवं नल-जल योजना स्थापित है ? कितने हैण्डपंप नल-जल योजना संचालित व असंचालित है ? ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय वार्डवार जानकारी देवें ? असंचालित पम्प/नल-जल योजना को कब तक संचालित किया जावेगा ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 व 2019-2020 में हैण्डपम्प स्थापना हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 1170 हैण्डपंप एवं 47 नलजल योजना स्थापित है. 1170 हैण्डपंप एवं 45 नलजल योजना संचालित है 02 नलजल योजना असंचालित है. ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय वार्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. असंचालित 02 नलजल योजना को कब तक संचालित किया जावेगा निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है. (ख) विधानसभा क्षेत्रवार हैण्डपंप स्थापना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु जिलेवार लक्ष्य निर्धारित होता है. बिलासपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नलकूप खनन (हैण्डपंप स्थापना) हेतु 222 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था व वित्तीय वर्ष 2019-20 में नलकूप खनन (हैण्डपंप स्थापना) हेतु 316 का अंतरिम लक्ष्य निर्धारित है.

कानन पेंडारी जू में वन्य जीवों की मृत्यु

52. (क्र. 1030) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में स्थित कानन पेंडारी जू में जनवरी, 2019 से 30 अक्टूबर, 2019 तक कुल कितने वन्य जीवों की मृत्यु हुई है ? इन वन्य जीवों की मृत्यु के क्या कारण हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार वन्य जीवों की मृत्यु के संदर्भ में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बिलासपुर जिले में स्थित कानन पेंडारी जू में जनवरी, 2019 से 30 अक्टूबर, 2019 तक कुल 08 वन्यजीवों की मृत्यु हुई है। इन वन्य जीवों की मृत्यु आपसी लड़ाई, वृद्धावस्था, श्वसन तंत्र संक्रमण, हृदयाघात एवं मस्तिष्क में रक्त स्राव के कारण हुई है। (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार वन्य जीवों की मृत्यु के संदर्भ में 02 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रायगढ़ जिले में संचालित क्रेशर प्लांट में अनियमितता पर कार्यवाही

53. (क्र. 1034) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिव शक्ति प्लांट जिला रायगढ़ में अनियमितता के संबंध में नेता प्रतिपक्ष छ. ग. विधान सभा द्वारा कलेक्टर रायगढ़ को प्रेषित पत्र 646/ने. प्र./2019, दिनांक 30-04-2019 पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) क्या जनवरी 2019 के पश्चात प्लांट की जांच की गई ? यदि हां तो क्या-क्या अनियमितता पाई गई व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) एवं (ख) जिला रायगढ़ ग्राम बगुरसिया स्थित मेसर्स शिव शक्ति स्टील प्राईवेट लिमिटेड के प्लांट में अनियमितता के संबंध में नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा कलेक्टर रायगढ़ को प्रेषित शिकायत पत्र क्रमांक 646/ने. प्र./2019, दिनांक 30-04-2019 पर सहायक कलेक्टर की अध्यक्षता में खनिज/पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के गठित संयुक्त दल द्वारा जांच की गई। जांच में पायी गई अनियमितताएं एवं उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

सुकमा जिले में संचालित क्रेशर की जांच/कार्यवाही

54. (क्र. 1035) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुकमा जिले में बिना लीज पर संचालित क्रेशर के संबंध में नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा कलेक्टर सुकमा को प्रेषित पत्र 647/ने. प्र./2019, दिनांक 30-04-2019 पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) सुकमा में अवैध संचालित क्रेशर की शिकायत के संबंध में क्या कोई जांच समिति या जांच अधिकारी के माध्यम से जांच कराई गई ? यदि हां तो कब-कब कराई गई ? क्या अनियमितता पाई गई व क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) एवं (ख) सुकमा जिले में नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र क्रमांक 647/ने. प्र./2019, दिनांक 30-04-2019 के परिप्रेक्ष्य में गठित राजस्व एवं खनिज विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा दिनांक 30-09-2019 को निरीक्षण किया जाकर श्री जी. टी. रामाराव पर स्वीकृत उत्खनन अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्ति के बाद भी खनिज उत्खनन पर 5250 घनमीटर खनिज के अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

जांजगीर-चांपा जिलांतर्गत ग्रामोद्योग हेतु स्वीकृत राशि

55. (क्र. 1038) **श्री रामकुमार यादव** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2018 तक कौन-कौन से ग्रामोद्योग हेतु शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत वर्ष 2015 से 2018 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं परिवार मूलक (मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) योजनांतर्गत कुल 721 ग्रामोद्योग इकाई हेतु राशि रु. 2028.41 लाख स्वीकृत की गयी तथा राशि रु. 648.927 लाख का अनुदान दिया गया। वर्षवार एवं ग्रामोद्योगवार विवरण परिशिष्ट पर †† संलग्न है।

जांजगीर-चाम्पा जिले के अंतर्गत हेण्ड पंपों का खनन

56. (क्र. 1039) **श्री रामकुमार यादव** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत वर्ष 2018 एवं 2019 में कितने हेण्ड पंपों की खुदाई की गयी ? (ख) हेण्ड पंपों की खुदाई के लिए किस-किस ठेकादारों एवं विभाग की कितनी खुदाई मशीन लगायी गयी ? (ग) इसमें कुल कितनी राशि खर्च की गयी ? विधानसभा वार किये गये खर्च राशि तथा हेण्ड पंपों की संख्या की अलग-अलग जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत वर्ष 2018 में 279 एवं वर्ष 2019 में 15 नवम्बर 2019 तक 238 हैण्डपंपों (नलकूप) की खुदाई (खनन) की गयी. (ख) वर्ष 2018 में हैण्डपंपों की खुदाई (नलकूप खनन) के लिए किसी भी ठेकेदार द्वारा मशीन नहीं लगायी गयी एवं विभाग की 02 खुदाई (नलकूप खनन) मशीनें लगायी गयी. वर्ष 2019 में हैण्डपंपों की खुदाई के लिए 02 ठेकेदारों क्रमशः मेसर्स अनूप बोरवेल्स एण्ड पंप्स डबारा द्वारा 1 मशीन, मेसर्स भवानी बोरवेल्स, जांजगीर द्वारा 01 मशीन लगायी गयी एवं विभाग की 04 खुदाई (नलकूप खनन) मशीनें लगायी गयी. (ग) इसमें कुल राशि रु. 516.08 लाख खर्च की गयी. विधानसभा वार किये गये खर्च राशि एवं खनित नलकूपों (हैण्डपंपों)की संख्या वर्षवार अलग-अलग जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है.

नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपंप, ट्यूबवेल खनन के स्वीकृत कार्य

57. (क्र. 1044) **श्री चंदन कश्यप** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 में दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 तक कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के हैण्डपंप एवं ट्यूबवेल खनन एवं स्थापना कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? जिलेवार विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 में दिनांक 30 अक्टूबर 2019 तक नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना के स्वीकृत कार्यों की स्थानवार एवं राशिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 5 एवं 7 में दर्शित अनुसार है. (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों की जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमशः कालम क्रमांक 3 एवं 4 में दर्शित अनुसार है. स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 8, 9 एवं 10 में दर्शित अनुसार है.

राजनांदगांव जिले में हुए पेयजल संबंधी स्वीकृत कार्य

58. (क्र. 1047) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में सत्र 2016-17 से 30 अक्टूबर 2019 तक पेयजल हेतु कितने नलजल, स्थल जल, समूह जल एवं हैण्डपंप खनन हेतु कहां-कहां कार्य स्वीकृत किये गये है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) क्या उक्त कार्य हेतु निविदा जारी की गयी थी ? यदि हां तो किस-किस कार्य के लिए कौन-कौन से ठेकेदार, एजेन्सी/फर्म को कार्य मिला ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में सत्र 2016-17 से 30 अक्टूबर 2019 तक पेयजल हेतु 125 नलजल योजना, 294 सोलर आधारित नलजल योजना, शून्य स्थल जल, शून्य समूह जल एवं 1678 हैण्डपंप/नलकूप खनन कार्य स्वीकृत किये गये है. विकासखण्डवार जानकारी संलग्न क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” “ब” एवं “स” में दर्शित अनुसार है. (ख) जी हां. नलजल योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य हेतु निविदा जारी की गई थी. सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना अंतर्गत सोलर पंप स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को विभाग द्वारा राशि जारी की गई थी. पाईप लाईन एवं टंकी हेतु निविदा जारी की गई थी. नलकूप खनन कार्य विभागा में उपलब्ध रिग मशीनों से कराया गया. उक्त कार्य हेतु जारी की गई निविदाओं, ठेकेदारों, एजेन्सी/फर्म की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” के कॉलम 5, 6, 7, 8 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” के कॉलम 5, 6, 7, 8, 9 तथा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” के कॉलम 5, 6, 7 में दर्शित अनुसार है.

राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वन मण्डल के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन

59. (क्र. 1051) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग के अंतर्गत वन वृत्त दुर्ग के राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वन मंडल में वर्ष 2017 से प्रश्नावधि तक कितनी संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है ? उक्त समितियों में कितनी-कितनी राशि जमा है ? (ख) प्रश्नावधि तक समितियों द्वारा किन-किन कार्यों को किया गया है ? कार्यवार व्यय, जमाराशि की बैंकवार, राशिवार व समितिवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वन विभाग के अंतर्गत वन वृत्त दुर्ग के राजनांदगांव वनमण्डल में वर्ष 2017 से प्रश्नावधि तक 01 संयुक्त वन प्रबंधन समिति, गिरगांव का गठन किया गया है, उक्त समिति में दिनांक 31-10-2019 की स्थिति में कुल 2,84,655/- रुपये जमा है. खैरागढ़ वनमण्डल में वर्ष 2017 से प्रश्नावधि तक कोई संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया है. (ख) प्रश्नावधि

तक समिति द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया. समिति में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. में)					
क्र. (1)	समिति का नाम (2)	कार्य जिस हेतु राशि जमा किया गया (3)	जमा राशि (4)	बैंक का नाम (5)	जमा दिनांक (6)
1.	गिरगाँव	खाता खोलने एवं ब्याज की पूर्व शेष राशि बिगड़े वनों का सुधार (वृक्षारोपण रहित) कक्ष क्र. 539 IX मनेरी सी. बी. ओ. कार्य लाईवहैज का निर्माण, अण्डी, नागफनी, बबूल, जेट्रोफा आदि का फेसिंग के किनारे दो लाईन में रोपण जल संधारण संरचनाओं की मेढ़ पर बीज बोआई अन्य कार्य	2499 177981 145959 13673 4543	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, डोंगरगाँव	21-09-2019
योग			284655		

जिला जांजगीर चाम्पा में खनिज न्यास संस्थान का गठन

60. (क्र. 1055) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में जिला खनिज न्यास संस्थान का गठन कब किया गया है ? गठन पश्चात कितनी बैठक कब-कब आयोजित की गयी ? (ख) जिला खनिज न्यास समिति जिला जांजगीर चाम्पा के नये गठन में सदस्य कौन-कौन है ? समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गयी एवं कितने निर्माण कार्य किनकी अनुशंसा पर जारी किये गये ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर चांपा में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन दिनांक 02-01-2016 को किया गया. गठन पश्चात्, वर्ष 2016-17 में दिनांक 01-04-2016 एवं 05-01-2017 वर्ष 2017-18 में दिनांक 10-10-2017, वर्ष 2018-19 में दिनांक 16-07-2018 तथा वर्ष 2019-20 में दिनांक 11-09-2019 को बैठक आयोजित की गई है. (ख) जिला खनिज संस्थान न्यास के नवीन गठित शासी परिषद् के सदस्यों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. दिनांक 11-09-2019 को आयोजित बैठक में 106 निर्माण कार्य शासी परिषद् की अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये हैं.

जिला कोरबा के चैतुरगढ़ मंदिर में नलजल योजना की स्वीकृति

61. (क्र. 1056) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में पहाड़ में स्थित चैतुरगढ़ मंदिर हेतु कब एवं कितने राशि से नलजल योजना स्वीकृत की गयी है ? प्रशासकीय स्वीकृत क्रमांक एवं दिनांक सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर में कार्य कब तक पूर्ण करना था, क्या कार्य अवधि में कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं तो क्या कारण थे, एवं संबंधित अधिकारी या ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या कार्य में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया है ? यदि हाँ तो क्यों ? (घ) क्या कार्य पूर्ण हो गया है एवं मंदिर के दर्शनार्थियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है, यदि हाँ तो कब से ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्रकुमार) : (क) जिला कोरबा में पहाड़ में स्थित चैतुरगढ़ मंदिर हेतु दिनांक 22-04-2008 को राशि रु. 19.60 लाख की नलजल योजना स्वीकृति की गई है. प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 07/तशा./दिनांक 22-04-2008 है. (ख) प्रश्नांक “क” के उत्तर में योजना के कार्य दिनांक 21-04-2009 तक पूर्ण किये जाने थे. जी नहीं. योजना हेतु पर्याप्त जल स्रोत का अभाव था. प्रकरण में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई थी. पाली थाने में प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध क्रमांक 224/17 तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, कोरबा द्वारा दर्ज कराया गया एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है. ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है. (ग) जी हाँ. योजना में प्रावधानित कार्यों के आलावा अन्य कार्यों के

संपादन के कारण अधिक राशि व्यय हुई. (घ) जी नहीं. पहाड़ स्थित मंदिर प्रांगण में दर्शनार्थियों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला धमतरी एन. जी. ओ. द्वारा निष्पादित कार्य

62. (क्र. 1059) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा किस-किस एन. जी. ओ. को कहां-कहां कौन-कौन से कार्य दिए गए हैं ? (ख) क्या एन. जी. ओ. के विरुद्ध किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में आज पर्यन्त तक किसी भी एन. जी. ओ. से कार्य नहीं कराया है. (ख) प्रश्न ही नहीं उठता है.

धमतरी विधान सभा में सिंचाई पम्प कनेक्शन के लंबित प्रकरण

63. (क्र. 1060) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने किसानों ने सी. सी. कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन हेतु वर्ष 2017-18 से 30 अक्टूबर 2019 तक विद्युत विभाग में आवेदन प्रस्तुत किये हैं, और विभाग के द्वारा कितने किसानों को स्थाई कनेक्शन स्वीकृत किया गया एवं कितने लंबित है ? (ख) प्रदेश में सिंचाई पंप के बिल भुगतान हेतु कितने प्रकार की दर निर्धारण की गई है क्या सिंचाई पम्प का बिल मीटर रीडिंग के आधार किसानों के द्वारा भुगतान किया जाता है ? यदि हां तो मीटर की रीडिंग कब-कब की जाती है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि तक 464 कृषकों ने सी. सी. कनेक्शन नहीं, अपितु टी. सी. कनेक्शनों के स्थान पर स्थाई कनेक्शन दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिनमें से सभी 464 आवेदकों के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं. औपचारिकता पूर्ण नहीं होने के कारण 02 आवेदन निरस्त किये गये अतः कुल 462 प्रकरणों में से 148 का कार्य किया जाना शेष है. (ख) प्रदेश में कृषि सिंचाई पंपों की बिलिंग हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा वर्तमान में प्रचलित टैरिफ के अनुसार दर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार
1	80 रु. प्रति अश्वशक्ति प्रति माह	रु. 440 प्रति यूनिट

फ्लैटरेट विकल्प चुनने पर निम्नानुसार दरों पर बिल जारी किये जाते हैं :-

क्रमांक	पंप की क्षमता	फ्लैटरेट की दर
1	5 अश्वशक्ति तक प्रथम पंप पर	रुपये 100 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह
2.	5 एचपी तक द्वितीय पंप पर	रुपये 200 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह
3.	5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर	रुपये 200 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह
4.	5 एचपी तक के एवं 5 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंपों पर	रुपये 300 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह

जी हां, प्रतिवर्ष निःशुल्क विद्युत सुविधा के पश्चात आधिक्य की खपत पर वित्तीय वर्ष हेतु प्रभावशील टैरिफ के अनुसार कृषकों को मीटर रीडिंग के आधार पर शेष यूनिट का बिल दिया जाता है जिसका भुगतान कृषकों द्वारा किया जाता है. जिन कृषि पम्पों पर मीटर स्थापित किये गये हैं उनकी बिलिंग मीटर रीडिंग के आधार पर की जाती है. जिन कनेक्शनों पर मीटर स्थापित नहीं किये गये हैं अथवा मीटर बंद/दोषपूर्ण/जलने के कारण खराब है, उनकी बिलिंग आंकलित औसत खपत के आधार पर की जाती है. सिंचाई पम्पों में लगे मीटर की रीडिंग मासिक बिलिंग चक्र के आधार पर की जाती है.

ग्राम पौता एवं चेरीया में सड़क निर्माण कार्य की कार्यवाही

64. (क्र. 1078) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम पौता एवं चेरीया ग्राम तक की सड़क को आई. आई. एम. को सौंप दिये जाने के बाद से पक्की एवं बारहमासी सड़क से वंचित ग्राम पौता एवं चेरीया तक सड़क निर्माण किए जाने हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) प्राधिकरण द्वारा इन दोनों ग्रामों तक पक्की डामरीकरण सड़क का निर्माण कब तक कराया जावेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आई. आई. एम. संस्थान को ग्राम पौता एवं चेरीया तक सड़क को आधिपत्य में दिये जाने के बाद आई. आई. एम. के बांडड़ीवाल के बाहर लगकर पौता ग्राम के ग्रामवासियों हेतु आवागमन के लिए अस्थाई मुरूम सड़क का निर्माण कर दिया गया है तथा उक्त सड़क में आने वाले खसरा नंबर का चिन्हांकन कर लिया गया है. इसी प्रकार ग्राम चेरीया तक के सड़क तक के लिए भी भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है. ग्राम चेरीया एवं पौता के लिए आई. आई. एम. के बांडड़ीवाल के बाहर से प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित तृतीय चरण सड़क निर्माण कार्य के अंतर्गत लिये गये सड़कों में शामिल किया गया है एवं तृतीय चरण के सड़कों के निर्माण को बजट वर्ष 2018-19 में शामिल किया गया है. (ख) प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य के प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है. प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर सड़क निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

प्रदेश में स्थाई विद्युत पंप स्थाई कनेक्शन का प्रदाय

65. (क्र. 1079) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश के किस-किस जिलों में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में अभी तक कुल कितनी-कितनी संख्या में विद्युत पंपों को नया स्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया ? तथा उक्त वर्षों में लंबित आवेदनों की कितनी-कितनी संख्या थी एवं वर्तमान में कुल कितनी-कितनी संख्या में आवेदन लंबित है ? कृपया जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में लंबित पंप कनेक्शन के आवेदनों को स्थायी कनेक्शन कब तक दे दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में कृषि पंपों के जारी किये गये कनेक्शन एवं लंबित आवेदनों की संख्या की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” के लंबित आवेदनों में से स्वीकृति एवं औपचारिकता पूर्ण करने हेतु कुल 13,504 आवेदन लंबित है, आवेदकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने पर कार्य किया जा सकेगा. लाइन विस्तार हेतु 28,881 आवेदन लंबित है जिनका कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के प्रयास है.

जिला रायपुर में संचालित अवैध मुरूम खदान

66. (क्र. 1088) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में मुरूम की कौन-कौन सी खदान संचालित है ? (ख) बीते 3 साल में कितने-कितने एजेंसियों को मुरूम उत्खनन का ठेका दिया गया है ? (ग) बीते तीन साल में अवैध मुरूम उत्खनन और मुरूम परिवहन के मामले दर्ज किए गए हैं ? (घ) सभी प्रकरणों में जप्त वाहन और आरोपी की सूची उपलब्ध कराएं.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्तमान में रायपुर जिले के अंतर्गत मुरूम की कोई खदान संचालित नहीं है. (ख) बीते 3 साल में किसी भी एजेंसी को मुरूम उत्खनन का ठेका नहीं दिया गया है. (ग) जी हाँ. (घ) विगत तीन वर्षों में रायपुर जिले में अक्टूबर 2019 तक खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों में जप्त वाहन और आरोपी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला रायपुर में परिवहन विभाग में स्वीकृत पद

67. (क्र. 1089) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में परिवहन विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) वर्तमान में कितने अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ हैं ? (ग) अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है और वर्तमान में कितने अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायपुर जिले में परिवहन विभाग में 88 पद स्वीकृत हैं. (ख) वर्तमान में 62 अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ है. (ग) अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है और वर्तमान में कोई अनियमित कर्मचारी कार्यरत नहीं है.

छ. ग. प्रदेश में आरक्षण संबंधी

68. (क्र. 1312) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ावर्ग एवं सामान्य वर्ग हेतु नौकरी, शिक्षा एवं राजनीति में कितने-कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ? (ख) छ. ग. प्रदेश में क्या निजी क्षेत्र में भी नौकरी हेतु आरक्षण प्रभावशील है ? यदि हां तो आरक्षण के प्रतिशत बतायें ? (ग) छ. ग. प्रदेश में क्या स्थानीय निवासी को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है ? यदि हां तो आरक्षण प्रतिशत बताने की कृपा करें.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनगणना वर्ष 2011 की आबादी के आधार पर अनुसूचित जातियों का आरक्षण 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 32 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण 27 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश 2019 दिनांक 04-09-2019 को जारी किया गया है. उक्त अध्यादेश के विरुद्ध माननीय छ. ग. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 4-10-2019 को अंतरिम आदेश पारित कर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण प्रतिशत पर स्थगन प्रदान किया है एवं याचिकाएं माननीय न्यायालय के विचाराधीन है. अतः वर्तमान में पूर्व में प्रचलित के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासकीय सेवाओं में राज्य स्तरीय सीधी भर्ती के सभी श्रेणी के पदों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 32 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है. शासकीय सेवाओं में संभाग एवं जिला स्तरीय संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों के लिए संबंधित संभाग/जिले की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत पृथक-पृथक निर्धारित है. नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों में महापौर/अध्यक्ष के पद हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को एक चौथाई पद लॉट के द्वारा एवं महिला वर्ग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में आरक्षित संख्या को सम्मिलित करते हुए लॉट द्वारा एक तिहाई पदों पर आरक्षण दिया जाता है. इसी प्रकार वार्डों में पार्षद पद हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल वार्डों की संख्या में से पचास प्रतिशत या उससे कम संख्या में वार्ड आरक्षित हुए हैं वहां वार्डों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत वार्ड एवं महिला वर्ग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में आरक्षित संख्या को सम्मिलित करते हुए लॉट द्वारा 25% पदों पर आरक्षण दिया जाता है. पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला पंचायतों में प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 129 ड में प्रावधानों के अनुसार 27 जिला पंचायतों के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु 13 अनुसूचित जनजाति तथा 03 पद अनुसूचित जाति एवं 07 पद अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं. इसी प्रकार जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत के सदस्य जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा ग्राम पंचायतों में पंच व सरपंच के पद उन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर उन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित किए जाते हैं तथा प्रावधानित धारा 129 ड में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत के यथा स्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाते हैं. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए ऐसी संख्या में आरक्षित किए जाते हैं, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हो, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे. (ख) एवं (ग) जी नहीं प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

शीतकालीन सत्र

सोमवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2019

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1045) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित क्लेशर प्लांट की जानकारी

क.	रियायत का प्रकार	पट्टेदार/अनुज्ञापत्रधारी का नाम व पता	ग्राम/तहसील/खसरा नम्बर/रकबा (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	भूमि का प्रकार	उत्खनिपट्टा/अनुज्ञापत्र की अवधि	पर्यावरण सम्मति जारी दिनांक एवं अवधि	जल/वायु सम्मति जारी दिनांक/अवधि
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	भण्डारण अनुज्ञापत्र	तरुण गांधी पता सदर लाईन डोंगरगांव जिला राजनांदगांव	तेलगान छुरिया 76/1 1.442	साधारण पत्थर	श्री संतु ठाकुर की निजी स्वामित्व की भूमि (12.12.16 से 10 वर्ष हेतु अनुबंधित)	04.06.19 से 03.06.29	लागू नहीं	03.03.18 से 02.03.23
2	उत्खननपट्टा	मेसर्स शिवा मिनरल्स प्रो. श्रीमती कुसुमबेन चावड़ा निवासी-19/132, सहदेव नगर, राजनांदगांव	कांपा छुरिया 62, 64, 65 4.587	क्वार्टज	शासकीय	04.02.94 से 03.02.44	06.09.16 से 31.03.20	30.10.17 से 29.10.20

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 505) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कांकेर जिला अंतर्गत में संचालित लौह अयस्क खदानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का विषय	शिकायत दिनांक	की गई कार्यवाही
1.	2.	3.	4.	5.
1.	भगवती मानव कल्याण संगठन	हाहालददी, चारगांव, बरबसपुर एवं कच्चे माईस में पेंड कटाई के सम्बंध व पर्यावरण की रक्षा करने बाबत्।	26.07.2016	शिकायत की जांच में वृक्षों की कटाई जारी वन सम्मति अनुसार होना पाया गया। खदान क्षेत्रों में गांवों के समीप संबंधित पट्टाधारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है तथा आश्रित ग्रामों के विकास हेतु नियमानुसार सी.एस.आर. निधि से व्यय किया गया है। शिकायतकर्ता को कार्यालयीन पत्र दिनांक 17.08.2016 द्वारा की गई जांच से अवगत कराया गया है।
2.	श्री योगेन्द्र यादव, ग्राम कच्चे तहसील भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर	ग्राम कच्चे में गोदावरी माईस द्वारा किये जा रहे ब्लास्टिंग के संबंध में।	31.07.2017	दिनांक 20.12.2017 को खान सुरक्षा निदेशक बिलासपुर द्वारा उक्त खदान के निरीक्षण में ब्लास्टिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।
3.	श्री पंकज वाधवानी कार्यालय मेन चौक भानुप्रतापपुर जिला कांकेर	ग्राम हाहालददी तहसील में चल रही लौह अयस्क खानों को मांगे पूर्ण होते तक बंद करने बाबत्	28.12.2016	खनि निरीक्षक द्वारा जांच अनुसार खनिपट्टा अनुबंध पत्र एवं पर्यावरण स्वीकृति आदेश अंतर्गत शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेखित शर्तों का पट्टेधारी द्वारा पालन किया जाना पाया गया।
4.	माननीय श्री विक्रम उसेण्डी, सांसद महोदय	मेसर्स जायसवाल निको को स्वीकृत मेटाबोदली लौह अयस्क 25 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत खनिपट्टा में 1. वन क्षेत्र, 23 हेक्टेयर क्षेत्र को 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बिना अनुमति परिवर्तन करने 2. स्टाम ड्यूटी की मांग नहीं करने 3. खनिपट्टा क्षेत्र में रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित नहीं करने 4. स्थानीय विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये पंचायत को नहीं देने 5. खनिपट्टा क्षेत्र के बाहर वृक्षों की कटाई करने आदि से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है।	11.05.2018	1. मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को स्वीकृत मेटाबोदली लौह अयस्क 25 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र पर खनन कार्य जा रहा है। 2. पट्टा अवधि में वृद्धि के अनुक्रम में पूरक अनुबंध हेतु अंतर की स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.05.2019 को भुगतान किया गया है। 3. नक्सली समस्या को देखते हुये खनिपट्टा क्षेत्र के बाहर रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा दिनांक 21.08.2017 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। 4. स्थानीय विकास हेतु प्रतिवर्ष सी.एस.आर. के तहत ग्राम पंचायत के मांग अनुसार कार्य किया जा रहा है व डी.एम.एफ. की राशि से जिला स्तर से विकास कार्य किये जा रहे है। 5. राजस्व, वन एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त जांच दिनांक 23.06.2018 से 26.06.2018 तक किया गया, जिसमें, स्वीकृत क्षेत्रों के बाहर अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया।

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का विषय	शिकायत दिनांक	की गई कार्यवाही
1.	2.	3.	4.	5.
5.	माननीय श्री विक्रम उसेण्डी, सांसद महोदय	दुर्गूकोदल के पहाड़ी से लौह अयस्क के खनन से निकलने वाले लाल पानी से फसलों को नुकसान के संबंध में।	03.10.2018	खनिपट्टा क्षेत्र से निकलने वाले लाल पानी के निवारण हेतु संबंधित पट्टेधारियों द्वारा उपाय किया जाता है एवं लाल पानी से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि दी जाती है।
6	माननीय विधायक श्री मनोज सिंह मण्डावी	जिले में संचालित लौह अयस्क खानों से उत्खनन एवं परिवहन से सड़कों की स्थिति के संबंध में।	22.06.2018	राजस्व, वन एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त जांच दिनांक 23.06.2018 से 26.06.2018 तक किया गया, जिसमें स्वीकृत क्षेत्रों के बाहर अवैध उत्खनन नहीं होना पाया गया।
7	सरपंच ग्राम पंचायत चारगांव	चारगांव मेटाबोदली लोह अयस्क खदान द्वारा लाल पानी बहाव से किसानों की फसल नुकसान बाबत।	11.09.2019	पट्टेधारी कंपनी द्वारा लाल पानी से बहाव को रोकने एवं उसके उपचार हेतु गारलैंड डैन एवं चेक डेम का निर्माण किया जाना पाया गया है। लाल पानी से किसानों को हुए नुकसान के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा०) भानुप्रतापपुर द्वारा क्षतिपूर्ति निर्धारण कर संबंधितों को मुआवजा राशि प्रदाय करने संबंधित फर्म को निर्देशित किया गया। संबंधित फर्म द्वारा कुल मुआवजा राशि रुपये 2,94,228 को प्रभावित 26 कृषकों के पक्ष में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 11 कृषकों को भुगतान किया जा चुका है।
8	सरपंच ग्राम पंचायत चारगांव एवं अन्य	चारगांव हाहालददी, रावघाट में फर्जी पंचायत प्रस्ताव पास कर उत्खनन से आदिवासियों के पुरखों से पेन स्थान को ध्वस्त कियो जाने व पांचवी अनुसूची के अनच्छेद।	29.08.2019	शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जा रहा है।
9	सर्व आदिवासी समाज भानुप्रतापपुर	कांकेर जिले में चल रहे माईनिंग कम्पनियों की तानाशाही रवैए, प्रभावित क्षेत्र के किसानों की समस्याएं तथा डीएमएफ एवं सीएसआर मद की राशि पर हो रहे खुला भ्रष्टाचार के एवं लाल पानी के संबंध में।	24.09.2019	शिकायत के संबंध में जानकारी का सत्यापन एवं जांच कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रपत्र "ब"

जिला उत्तर बस्तर कांकेर अन्तर्गत संचालित लौह अयस्क खदानों की अनुबंध अवधि, उत्पादन मात्रा, प्राप्त रायल्टी राजस्व की खदानवार वर्षवार जानकारी

क्र	कांकेर जिले अंतर्गत ग्राम व तहसील जहां लौह अयस्क खदान संचालित है		पट्टेधारी / संचालनकर्ता का नाम	अनुबंधित अवधि	लौह अयस्क उत्पादन एवं जमा राजस्व की जानकारी		
	ग्राम	तहसील			वित्तीय वर्ष	उत्खनित खनिज की मात्रा (टन में)	प्राप्त खनिज राजस्व / रायल्टी राशि (रुपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	मेटाबोदली	पखांजूर	मे. जायसवाल निको लि. हिंगना रोड नागपुर	50 वर्ष (17.1.2002 से 16.01.2052)	2014-15 (जनवरी 2015 से मार्च 2015)	44,990	25,000
					2015-16	49,010	40,00,000
					2016-17	49,950	2,40,00,000
					2017-18	5,92,511	13,41,76,440
					2018-19	9,31,371	24,29,06,925
2	आरीडोंगरी	भानुप्रतापपुर	मे. गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लि. रायपुर	50 वर्ष (30.09.2008 से 29.09.2058)	2014-15 (जनवरी 2015 से मार्च 2015)	1,36,795.21	4,50,00,000
					2015-16	4,20,069.85	10,75,00,000
					2016-17	9,85,178.41	23,50,00,000
					2017-18	12,07,017.62	23,50,00,000
					2018-19	11,82,025.24	34,92,89,950
3	हाहालादी	दुर्गकोदल	मे. बजरग पावर एण्ड इस्पात लि. रायपुर	30 वर्ष (21.11.2014 से 20.11.2044 तक)	2014-15 (जनवरी 2015 से मार्च 2015)	85,930.00	25,00,000
					2015-16	1,19,999.00	1,90,00,000
					2016-17	2,49,998.80	6,08,00,000
					2017-18	3,31,787.11	7,50,99,238
					2018-19	5,93,100.00	12,93,10,689
					2019-20 (अक्टूबर 2019 तक)	4,10,919.37	8,82,48,421

क्र	कांकेर जिले अंतर्गत ग्राम व तहसील जहां लौह अयस्क खदान संचालित है		पट्टेधारी / संचालनकर्ता का नाम	अनुबंधित अवधि	लौह अयस्क उत्पादन एवं जमा राजस्व की जानकारी		
	ग्राम	तहसील			वित्तीय वर्ष	उत्खनित खनिज की मात्रा (टन में)	प्राप्त खनिज राजस्व / रायल्टी राशि (रुपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4	बरबसपुर (लायनडोंगरी)	भानुप्रतापपुर	मे जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लि. सिलतरा रायपुर	30 वर्ष (16.10.2014 से 15.10.2044 तक)	2014-15 (जनवरी 2015 से मार्च 2015)	59,700	80,00,000
					2015-16	59,663.85	80,00,000
					2016-17	93,650	1,40,00,000
					2017-18	1,13,280	3,23,26,365
					2018-19	9,568	1,06,33,862
					2019-20 (अक्टूबर 2019 तक)	0.00	5,52,694
5	हाहालादी	दुर्गाकोदल	मे. पुष्प स्टील एवं मायनिंग प्रा.लि. दिल्ली	50 वर्ष (07.01.2017 से 2067 तक)	2014-15 (जनवरी 2015 से मार्च 2015)	निरंक	निरंक
					2015-16	निरंक	निरंक
					2016-17	निरंक	निरंक
					2017-18	निरंक	निरंक
					2018-19	79,000	55,39,699
					2019-20 (अक्टूबर 2019 तक)	22,800	90,94,860

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 250) के भाग (ख) की जानकारी]

रायपुर जिले के धरसीवा ब्लाक अंतर्गत सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में जनवरी 2019 से सितम्बर 2019 तक प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का विषय / विवरण	शिकायत की जांच का दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	श्रीराम निषाद एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम-सोण्डरा, प.ह.न.-99, विकासखण्ड-धरसीवा, जिला-रायपुर	13.05.2019	स्पंज ऑयरन के गर्दा (रसायन) व काला धुआ हवा के साथ मिलकर जहरीला गैस के रूप में पूरे गांव में उड़ने के संबंध में।	13.05.2019	उद्योग मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम-सोण्डरा, फेस-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर के पॉवर प्लांट की चिमनी से अधिक उत्सर्जन, ठोस अपशिष्टों का समुचित भण्डारण/अपवहन नहीं करना, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की स्थिति एवं हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। दिनांक 17/06/2019 को निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा वांछित सुधार कार्य किया जाना पाया गया। स्थिति समान्य पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 13.05.2019 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31' क के तहत नोटिस जारी कर सुधार की कार्यवाही कराई गई।

2.	श्री राजीव कपूर, चौबे कॉलोनी, रायपुर	27.07.2019	मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा, प्रदूषण के संबंध में।	29.07.2019	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
3.	मेसर्स इण्डियन आईल कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट, सिलतरा, फेस-1, जिला-रायपुर	26.08.2019	निकटतम स्पंज इस्पात उद्योगों से हो रहे वायु प्रदूषण के रोकथाम के संबंध में।	19.09.2019	निकटतम उद्योग मेसर्स महामाया स्पंज ऑयरन प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 21 एवं 22 सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेस-1, सिलतरा, जिला-रायपुर में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 824) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 824 प्रश्नांश (क) की जानकारी		
स.क.	जिले का नाम	किसानों की संख्या
1	बिलासपुर	82114
2	जाजगीर चांपा	115571
3	कोरबा	22394
4	मुंगेली	41099
5	रायगढ़	91138
	योग	352316

प्रपत्र "ब"

स.क.	बैंक का नाम	किसानों की संख्या
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12180
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6209
3	कार्पोरेशन बैंक	592
4	यूनियन बैंक	2014
5	इंडियन बैंक	26
6	बैंक ऑफ इंडिया	2135
7	सिंडिकेट बैंक	9
8	पंजाब नेशनल बैंक	10931
9	केनरा बैंक	2196
10	इलाहाबाद बैंक	4608
11	आईडीबीआई	3865
12	इंडियन ओवरसीस बैंक	538
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1533
14	यूनाइटेड बैंक	0
15	बैंक ऑफ बड़ौदा	3034
16	युको बैंक	1120
17	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	6
18	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	818
19	आंध्रा बैंक	723
20	छठग राज्य ग्रामीण बैंक	47532
21	सहकारी बैंक	252247
	योग	352316

प्रपत्र "स"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 824 प्रश्नांश (ख) की जानकारी			
सं. क्र.	जिले का नाम	किसानों की संख्या	ऋण माफी राशि (रु. लाख में)
1	बिजनौर	82194	32954
2	जाजगीर बाँपा	115589	55582
3	कौरवा	22396	8437
4	भूमली	41148	21993
5	रायगढ़	91116	39157
	योग	352443	158123

स.क.	बैंक का नाम	किसानों की संख्या
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12180
2	सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6209
3	कार्पोरेशन बैंक	2992
4	यूनियन बैंक	2014
5	इंडियन बैंक	26
6	बैंक ऑफ इंडिया	2135
7	सिंडिकेट बैंक	9
8	पंजाब नेशनल बैंक	10931
9	केनरा बैंक	2196
10	इलाहाबाद बैंक	4608
11	आईडीबीआई	3865
12	इंडियन ओवरसीस बैंक	538
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1533
14	यूनाईटेड बैंक	0
15	बैंक ऑफ बड़ौदा	3034
16	युको बैंक	1120
17	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	6
18	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	818
19	आंध्रा बैंक	723
20	छठग राज्य ग्रामीण बैंक	47532
21	सहकारी बैंक	252247
	योग	352316

प्रपत्र "द"

स.क.	बैंक का नाम	किसानों की संख्या	ऋण माफी राशि (रुपये लाख में)
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12180	7410
2	सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6209	4071
3	कार्पोरेशन बैंक	560	472
4	यूनियन बैंक	2022	1620
5	इंडियन बैंक	26	16
6	बैंक ऑफ इंडिया	2286	2188
7	सिडिकेट बैंक	9	11
8	पंजाब नेशनल बैंक	10931	6882
9	केनरा बैंक	2196	1196
10	इलाहाबाद बैंक	4608	3885
11	आईडीबीआई	3865	3534
12	इंडियन ओवरसीस बैंक	541	391
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1533	1388
14	यूनाईटेड बैंक	0	0
15	बैंक ऑफ बड़ौदा	3034	2122
16	युको बैंक	1120	1180
17	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	6	6
18	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	815	955
19	आंध्रा बैंक	723	535
20	छठग राज्य ग्रामीण बैंक	47532	36093
21	सहकारी बैंक	252247	84169
	योग	352443	158123.61

परिशिष्ट "पांच"
[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 839) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	अवधि	आबंटित राशि (लाख में)	कार्य विवरण	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	कांकेर	कांकेर	जनवरी 2017 से 31/10/2019 तक	1488.28	एन.एन.आर. कार्य, क्लोनल नीलगिरी सिंगारभाट स्थायी रोपणी की स्थापना, टॉल पौधा तैयारी, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण, जामवत परियोजना, मितव्ययी वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	मेसर्स एस.एल. इंडस्ट्रीज मंदिर हसौद रायपुर, मेसर्स आरिस्टो ट्रांसमिशन प्राईवेट लिमि रायपुर, मेसर्स सुखमन ट्रेड लिंक डोंगरगढ़, मेसर्स कंबल मल्टीलेयर रायपुर, मेसर्स बालाजी पॉवर वर्क, कांकेर, मेसर्स लनय मार्केटिंग रायपुर, मेसर्स अमिका उद्योग, रायपुर, वन प्रबंधन समिति, पुसाकण्ड, मेसर्स नोबल इंडस्ट्रीज कांकेर, मेसर्स ललित जैन, रायपुर, मेसर्स अमिका एजेन्सी, मेन रोड नगरी, मेसर्स खण्डेलवार फर्टीलाइजर, धमतरी
		योग		1488.28		
2	कांकेर	पश्चिमभानुप्रताप पुर	जनवरी 2017 से 31/10/2019 तक	616.40	ए.एन.आर. कार्य, मिश्रित पौधा तैयारी, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, नर्सरी सुदृढीकरण, चैनलिक फेंसिंग, चारागाह विकास, आवासीय भवन निर्माण	उदय उद्योग, माहुदा पाटन, मेसर्स आर.के.दास कापसी, मेसर्स ओम साई ट्रेडर्स, सुखमन ट्रेडर्स, राजनांदगांव, ओकासु इजिनियर कार्पोरेशन, रायपुर, बालाजी इंटरप्राइजेस सक्ती, नेशनल फेडरेशन ऑफ फारमर्स रायपुर, ऐश्वर्य इलेक्ट्रीकल्स, भानुप्रतापपुर, ठाकुर ट्रेडर्स, कोयलीबेड़ा, लक्ष्मी हार्डवेयर इलेक्ट्रानिक, पसांजुर राय बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, बांदे
		योग		616.40		
3	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	जनवरी 2017 से 31/10/2019 तक	1404.51	ए.एन.आर. कार्य, सिंचित बांस मिलिगीरी रोपण, सिंचित सागौन रोपण, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, चैनलिक फेंसिंग, खरपतवार उन्मूलन, बाउण्ड्रीवॉल निर्माण, मितव्ययी वृक्षारोपण, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण, आक्सीवन रोपण, तालाब निर्माण, नर्सरी सुदृढीकरण, वन्यप्राणी प्रबंधन योजना, अग्नि सुरक्षा कार्य, बॉटलॉवर निर्माण, स्टॉपडैम निर्माण, कर्मचारी आवासीय सुविधा, आवासीय भवन निर्माण, मिश्रित रोपण	एस.एल.इंडस्ट्रीज धनसुली रायपुर, दुर्गा नर्सरी एवं जामिल क्लोन्स, इब्राहिमपेटा, विनर प्लास्टिक रायपुर, एस.जे.ट्रेडर्स, साकोली, निर्मल एजेन्सीज, भा.पुर, पुना एग्रीकल्चर, आगरा, इ.पी.सी. इंडस्ट्रीज, नासिक, किसान लीह मण्डार, भा.पुर, गुप्ता प्लास्टिक, बिलासपुर, अलंकार बीज मंडार, बिलासपुर, ओम साई कृषि केन्द्र, दुर्गुकोदल, सुकमन ट्रेड लिंक, डोंगरगढ़, राधाकृष्णा इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव, नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स, राजनांदगांव, मेहरसिंह, सोनी ट्रेडर्स, सम्बलपुर, दिपाली इंटरप्राइजेस, रिश्म एजेंसीज, धमतरी, जय मारुति ट्रेडिंग, धनराज उइके, मेरसिंह दुर्गा, श्रद्धा कृषि सेवा, सुनिता कृषि फार्म, निर्मल एजेन्सीज, भा.पुर, डुर्गा हार्डवेयर, दुर्गुकोदल, गौतम मशीन टुल्स, डोंगरगढ़, सोनी ट्रेडर्स, सम्बलपुर, मजहर बक्श वेल्डिंग वर्कशॉप, भा.पु., मोहन ट्रेक्टर, अरिहंत हार्डवेयर, अंतागढ़, कश्यम हार्डवेयर बेलगांव, दीप ट्रेडर्स, जांजगीरचापा, संजय कृषिफार्म बेलगांव, सुकमन ट्रेडर्स डोंगरगढ़, आर.के.इंटरप्राइजेस धमतरी, संजय कृषि फार्म बेलगांव, सोनी ट्रेडर्स बांदनी चौक संबलपुर, किसान ट्रेक्टर्स एंड सप्लायर अंतागढ़, कश्यम हार्डवेयर बेलगांव
		योग		1404.51		

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 839) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	अवधि	आवंटित राशि (लाख में)	कार्य विवरण	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	कांकेर	कांकेर	जनवरी 2017 से 31/10/2019 तक	1488.28	एन.एन.आर. कार्य, क्लोनल नीलगिरी सिंगारभाट स्थायी रोपणी की स्थापना, टॉल पौधा तैयारी, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण, जामवत परियोजना, मितव्ययी वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	मेसर्स एस.एल. इंडस्ट्रीज मंदिर हसीद रायपुर, मेसर्स आरिस्टो ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, मेसर्स सुखमन ट्रेडिंग लिमिटेड डोंगरगढ़, मेसर्स कंबल मल्टीलेयर रायपुर, मेसर्स बालाजी पॉवर वर्क, कांकेर, मेसर्स तनय मार्केटिंग रायपुर, मेसर्स अमिताभ उद्योग, रायपुर, वन प्रबंधन समिति, पुसावण्ड, मेसर्स नोबल इंडस्ट्रीज कांकेर, मेसर्स जलित जैन, रायपुर, मेसर्स अमिताभ एजेन्सी, मेन रोड नगरी, मेसर्स खण्डेलवार फटीलाईजर, धमतरी
योग				1488.28		
2	कांकेर	पश्चिममानुप्रताप पुर	जनवरी 2017 से 31/10/2019 तक	616.40	ए.एन.आर. कार्य, मिश्रित पौधा तैयारी, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, नर्सरी सुदृढीकरण, चैनलिंग फेंसिंग, चारागाह विकास, आवासीय भवन निर्माण	उदय उद्योग, माहुदा पाटन, मेसर्स आर.के.दास कापसी, मेसर्स ओम साई ट्रेडर्स, सुखमन ट्रेडर्स, राजनांदगांव, ओकासु इंजिनियर कार्पोरेशन, रायपुर, बालाजी इंटरप्राइजेस सक्ती, नेशनल फेडरेशन ऑफ फारमर्स रायपुर, ऐश्वर्य इलेक्ट्रीकल्स, मानुप्रतापपुर, ठाकुर ट्रेडर्स, कोयलीबेड़ा, लक्ष्मी हार्डवेयर इलेक्ट्रानिक, पन्नाजुर राय बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, बांदे
योग				616.40		
3	कांकेर	पूर्व मानुप्रतापपुर	जनवरी 2017 से 31/10/2019 तक	1404.51	ए.एन.आर. कार्य, सिंचित बांस निलिगिरी रोपण, सिंचित सागौन रोपण, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, चैनलिंग फेंसिंग, खरपतवार उन्मूलन, बाउण्ड्रीवॉल निर्माण, मितव्ययी वृक्षारोपण, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण, आक्सीजन रोपण, तालाब निर्माण, नर्सरी सुदृढीकरण, वन्यप्राणी प्रबंधन योजना, अग्नि नुरक्षा कार्य, वॉचटॉवर निर्माण, स्टॉपडैम निर्माण, कर्मचारी आवासीय सुविधा, आवासीय भवन निर्माण, मिश्रित रोपण	एस.एल.इंडस्ट्रीज धनसुली रायपुर, दुर्गा नर्सरी एवं जामिल क्लोन्स, इब्राहिमपेटा, विनर प्लास्टिक रायपुर, एस.जे.ट्रेडर्स, साकोली, निर्मल एजेन्सीज, भा.पुर, पुना एग्रीकल्चर, आगरा, इ.पी.सी. इंडस्ट्रीज, नासिक, किसान लौह भण्डार, भा.पुर, गुप्ता प्लास्टिक, बिलासपुर, अलंकार बीज भंडार, बिलासपुर, ओम साई कृषि केन्द्र, दुर्गाकोदल, सुकमन ट्रेड लिंक, डोंगरगढ़, राधाकृष्णा इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव, नेशनल फेडरेशन आफ फार्मर्स, राजनांदगांव, मेहरसिंह, सोनी ट्रेडर्स, सम्बलपुर, दिपाली इंटरप्राइजेस, रिशम एजेंसीज, धमतरी, जय मारुति ट्रेडिंग, धनराज उड़के, मेरसिंह दुर्गा, श्रद्धा कृषि सेवा, सुनिता कृषि फार्म, निर्मल एजेन्सीज, भा.पुर, डुग्गा हार्डवेयर, दुर्गाकोदल, गौतम मशीन टुल्स, डोंगरगढ़, सोनी ट्रेडर्स, सम्बलपुर, मजहर बकश वैल्विंग वर्कशॉप, भा.पु., मोहन ट्रेक्टर, अरिहंत हार्डवेयर, अंतागढ़, कश्यप हार्डवेयर बेलगांव, दीप ट्रेडर्स, जांजगीरंचापा, संजय कृषिफार्म बेलगांव, सुकमन ट्रेडर्स डोंगरगढ़, आर.के.इंटरप्राइजेस धमधा, संजय कृषि फार्म बेलगांव, सोनी ट्रेडर्स चांदनी चौक संबलपुर, किसान ट्रेक्टर एंड सप्लायर अंतागढ़, कश्यप हार्डवेयर बेलगांव
योग				1404.51		

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	अवधि	आबंटित राशि (लाख में)	कार्य विवरण	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6	7
4	कोण्डागांव	केशकाल	जनवरी 2017 से 31/10/2019 तक	1558.59	मिलिया डुबिया रोपण, क्षतिपूर्ति रोपण, मितव्ययी रोपण, रोपण निर्माण, सोलरपंप की स्थापना, वर्मीकम्पोस्ट, सिंचित बांस नीलगिरी रोपण, एम.पी.सी.ए. की स्थापना, बोर खनन सोलरपंप की स्थापना, सिंचित रोपण, अग्नि सुरक्षा, चैनलिंग फेसिंग, देव वनों का संरक्षण	आदिया इंटरप्राइजेस रायपुर, साहू कृषि फार्म सिंगनपुर, चुरोश इंटरप्राइजेस केशकाल, गुरुदेव स्टेनरी केशकाल, किसान मशीनरी स्टोर्स केशकाल, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम कांकर, आर.बी.डिलर्स केशकाल, लखन राम नेताम कृषि फार्म केशकाल, सं.व.प्र. समिति निराछिन्दली, मे. आर.बी. डिलर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन केशकाल, लखन राम नेताम कृषि फार्म बिखलाडिही केशकाल, कुमटी कृषि फार्म केशकाल, मे. जय अम्बे हार्डवेयर केशकाल, देवेन्द्र कृषि फार्म केशकाल, छिन्द कृषि केन्द्र केशकाल, मे. रायल कन्स्ट्रक्शन केशकाल, मे. विनार प्लास्टिक इंड. रायपुर, मे. फरहीन सीमेन्ट सेंटर केशकाल, लक्की इंजीनियरिंग केशकाल, के.जी.एन. कन्स्ट्रक्शन केशकाल, मे. हिन्द कृषि केन्द्र केशकाल, मे. रविन्द्र हार्डवेयर केशकाल, मे. एस.जे. ट्रेडर्स सकोली, अलंकार बीज भंडार बिलासपुर, ऋषभ एजेन्सीज धमतरी, सत्यम फर्नीचर मेन रोड कोण्डागांव, मेसर्स रविन्द्र हार्डवेयर केशकाल, साहू मशीनरी बांच निखिल इंटरप्राइजेस बहीगांव, मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्पलीमेन्ट रायपुरकेशकाल, बली राम उईके फर्नीचर मार्ट बेडमा कोण्डागांव, गटाराम पिता साधूराम खजरावण्ड विश्रामपुरी, धूपाल पिता मयाराम ग्राम खजरावण्ड विश्रामपुरी, कृषणा हार्डवेयर विश्रामपुरी, बाबा वेल्डिंग एवं इंजीनियरिंग विश्रामपुरी, श्री महेश ग्राम पश्चिम बोरगांव फरसगांव, श्रीमती सीमा व्यापारी बोरगांव फरसगांव, श्री सुधीरदास ग्राम पश्चिम बोरगांव, श्री सुखराम ग्राम गट्टीपलना फरसगांव, श्री सुकालू ग्राम गट्टीपलना फरसगांव, श्री सुग्रीव ग्राम गट्टीपलना फरसगांव, श्रीमती बुधयारीन ग्राम कुम्हारबडगांव, श्री मानकू ग्राम सोडमा फरसगांव, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम नन्दनमारा कांकर, मेसर्स श्वेता हार्डवेयर फरसगांव, समबुद्धि एगो गायत्री मंदिर फरसगांव, बलराम सायकल एण्ड मोटर्स पार्ट्स फरसगांव, मेसर्स बॉफना सेल्स केशकाल, लक्की इंजीनियरिंग वर्क्स शॉप केशकाल, मेसर्स मॉ दन्तेश्वरी एग्रो टेक सिरहासार जगदलपुर, बैजनाथ प्रसाद तिवारी फरसगांव, ओम वेल्डिंग वर्क्स फरसगांव, मे. हितेश मेहता केशकाल, मनीराम सोरी कृषि फार्म गट्टीपलना, सोहन ग्राम कुल्हागांव, दन्तेश्वरी महिला स्व सहा समूह गट्टीपलना, जयसवाल कृषि सेवा केन्द्र विश्रामपुरी केशकाल, मेसर्स हितेश मेहता केशकाल, महाराजा फर्नीचर मार्ट फरसगांव, मरकाम कृषि फार्म केरावाही, सौरभ इंटरप्राइजेस केशकाल, पाण्डे वेल्डिंग वकशोप बडेडोंगर, उत्सव ट्रेडर्स कोण्डागांव, प्रिया इंटरप्राइजेस कोण्डागांव, मॉ दन्तेश्वरी एण्ड फोटो कॉपी फरसगांव, माधोराम मरकाम कृषि फार्म केरावाही
			योग	1558.59		
5	कोण्डागांव	दक्षिण कोण्डागांव	जनवरी 2017 से 31/10/2019 तक	2968.03	ए.एन.आर कार्य, सिंचित रोपण, साल वनों में कोसा कुकून, बाउण्ड्रीवॉल निर्माण, देव वनों का संरक्षण, सिंचित रोपण, रोपण उन्नयन, काष्ठगांर बांसाझार नर्सरी सुदृढीकरण, विशेष प्रजाति रोपण, स्टॉप डैम निर्माण, क्षतिपूर्ति रोपण, आकसीवन रोपण, औषधी रोपण	उत्सव ट्रेडर्स कौंडागांव, जे.के. इंटरप्राइजेस पाटन दुर्ग, एस.एल.इण्डस्ट्रीज रायपुर मानव ट्रेडर्स कौंडागांव, चौहान इलेक्ट्रीकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स कौंडागांव, देव ऑफसेट प्रिन्टर्स कौंडागांव, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सह. संध मर्या रायपुर, सरस्वती बुक डिपो कौंडागांव, छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल दहीकोगा, मे.साई एजेसी कोण्डागांव, गुडविंग एग्रो एण्ड सीड्स प्रोसेसिंग, कौंडागांव, दहिया फैशन हाऊस, प्रिया इंटरप्राइजेस कोण्डागांव, शुभम सीमेंट बिल्डिंग कोण्डागांव, सुशील पवार धमतरी, फरही सीमेन्ट केशकाल, मुकेश पाण्डेय कोण्डागांव, कवल सिंह नेताम कृषि फार्म कोण्डागांव, जे.पी.ट्रेडर्स कोण्डागांव, महिला स्व सहायता समूह, पर्यावरण जैव विकास संस्था कोण्डागांव, पर्यावरण जैव विकास संस्था बडेकनेरा, विनायक ट्रेडर्स, रायपुर, राठीर एग्रो कोण्डागांव, साईल इंटरप्राइजेस बिलासपुर, मानव ट्रेडर्स कोण्डागांव, नर्सरीमेन बिलासपुर, विनय ट्रेडर्स रायपुर
			योग	2968.03		
			कुल योग	8036.21		

परिसर "क"

सर्वजनिक उपक्रम/संयुक्त उपक्रम/निजी क्षेत्र

इसका संक्षेप और विवरण जिला जमा करके, जोक्षण करने के बाद, एन.एम.डी.ए. के मातेजेनेके क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों एवं निजी क्षेत्रों को खनिज लौह अयस्क के स्वीकृत खनिपट्टों की जानकारी

क्र.	जिला	पट्टेधारी का नाम	सार्वजनिक उपक्रम/ संयुक्त उपक्रम / निजी क्षेत्र	खान का विवरण			
				ग्राम एवं तहसील	रकबा (हेक्टेर में)	प्रथम लीज की अवधि दिनांक	लीज का नवीनीकरण दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	दक्षिण बस्तर दंतेवाडा	मेसर्स एन.एम. डी.सी. लिमिटेड	सार्वजनिक उपक्रम	बचेली डिपाजिट 05	540.040	11.9.1965 से 10.09.1995	11.09.1995 से 31.03.2020
2				बचेली डिपाजिट 10	309.34	11.9.1965 से 10.09.1995	11.09.1995 से 31.03.2020
3				किरन्दुल डिपाजिट 14	322.368	12.09.1965 से 11.09.1995	12.09.1995 से 31.03.2020
4				किरन्दुल डिपाजिट 14 एनएमजेड	506.742	07.12.1965 से 06.12.1995	07.12.1995 से 31.03.2020
5				बचेली डिपाजिट 11	874.924	11.09.1967 से 10.09.1997	11.09.1997 से 10.09.2037
6		मेसर्स एन.सी. एल लिमिटेड(एन.एम.डी.सी. - सी.एम.डी.सी लिमिटेड)	संयुक्त उपक्रम	वनरेंज बैलाडिला डिपाजिट 13	413.745	10.01.2017 से 09.01.2067	-
7		मेसर्स आरती स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड	निजी क्षेत्र	अलनार, तहसील बड़े बचेली	31.55	07.01.2017 से 06.01.2067	-
8	उत्तर बस्तर कांकर	मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड	निजी क्षेत्र	कच्चे-आरी डोंगरी	138.96	30.09.2008 से 29.09.2058	-
9		मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रिज लिमिटेड,	निजी क्षेत्र	ग्राम मेटाबोदली, तहसील पंखाजूर	25.00	17.1.2002 से 16.01.2052	

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 830) के भाग (क) की जानकारी]

बस्तर संभाग अंतर्गत जिला उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों एवं निजी क्षेत्रों को खनिज लौह अयस्क के स्वीकृत खनिपट्टों की जानकारी

क्र.	जिला	पट्टेधारी का नाम	सार्वजनिक उपक्रम/ संयुक्त उपक्रम / निजी क्षेत्र	खान का विवरण			
				ग्राम एवं तहसील	रकबा (हेक्टेर में)	प्रथम लीज की अवधि दिनांक	लीज का नवीनीकरण दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	मेसर्स एन.एम. डी.सी. लिमिटेड	सार्वजनिक उपक्रम	बचेली डिपाजिट 05	540.040	11.9.1965 से 10.09.1995	11.09.1995 से 31.03.2020
2				बचेली डिपाजिट 10	309.34	11.9.1965 से 10.09.1995	11.09.1995 से 31.03.2020
3				किरन्दुल डिपाजिट 14	322.368	12.09.1965 से 11.09.1995	12.09.1995 से 31.03.2020
4				किरन्दुल डिपाजिट 14 एनएमजेड	506.742	07.12.1965 से 06.12.1995	07.12.1995 से 31.03.2020
5				बचेली डिपाजिट 11	874.924	11.09.1967 से 10.09.1997	11.09.1997 से 10.09.2037
6		मेसर्स एन.सी. एल लिमिटेड(एन.एम.डी.सी. - सी.एम.डी.सी लिमिटेड)	संयुक्त उपक्रम	वनरेंज बैलाडिला डिपाजिट 13	413.745	10.01.2017 से 09.01.2067	—
7		मेसर्स आरती स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड	निजी क्षेत्र	अलनार, तहसील बड़े बचेली	31.55	07.01.2017 से 06.01.2067	—
8	उत्तर बस्तर कांकेर	मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड	निजी क्षेत्र	कच्चे-आरी डोंगरी	138.96	30.09.2008 से 29.09.2058	—
9		मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रिज लिमिटेड,	निजी क्षेत्र	ग्राम मेटाबोदली, तहसील पंखाजूर	25.00	17.1.2002 से 16.01.2052	

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1086) के भाग (घ) की जानकारी]

जिले का नाम	कुल वितरण
बालोद	128,253
बलौदाबाजार	153,010
बलरामपुर	48,520
बस्तर	99,644
बेमेतरा	96,817
बीजापुर	2,775
बिलासपुर	245,593
दन्तेवाड़ा	17,046
धमतरी	102,793
दुर्ग	230,673
गरियाबंद	71,216
जंजगीर-चांपा	244,207
जशपुर	85,730
कबीरधाम	86,467
कोन्डागांव	39,757
कोरबा	120,988
कोरिया	51,529
महासमुन्द	119,471
मुंगेली	88,570
नारायणपुर	2,044
रायगढ़	185,715
रायपुर	246,575
राजनांदगांव	175,807
सुकमा	2,173
सुरजपुर	108,371
सरगुजा	109,474
कांकेर	51,627
कुल	29,14,845

वितरण किये गये स्मार्टफोन (29,14,845) की राशि रू. 844.47 करोड़ हैं एवं लौटाए गये स्मार्टफोन की संख्या एवं राशि शून्य (0) हैं।

RFP की कंडिका 24 के अनुसार मोबाईल का भुगतान प्रति 1.00 लाख मोबाईल के इन्वाइस के अनुसार किया जाना है, स्मार्टफोन के लिए इन्वाइस का भुगतान राज्य स्तर से एकमुश्त किया गया है। योजना अंतर्गत जिलेवार भुगतान नहीं किया गया है।

क्र.	जिला	पट्टेधारी का नाम	सार्वजनिक उपक्रम/ संयुक्त उपक्रम / निजी क्षेत्र	खान का विवरण			
				ग्राम एवं तहसील	रकबा (हेक्टेर में)	प्रथम लीज की अवधि दिनांक	लीज का नवीनीकरण दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10	-	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रिज लिमिटेड,	निजी क्षेत्र	बरबसपुर तह. भानुप्रतापपुर	14.40	16.10.2014 से 15.10.2044	-
11		मेसर्स भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अथारिटी आफ इंडिया (सेल)	सार्वजनिक उपक्रम	रावघाट तह. अंतागढ़	2028.797	21.10.2009 से 20.10.2029	-
12		श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि, रायपुर	निजी क्षेत्र	हाहालदी तह. भानुप्रतापपुर	75.00	21.11.2014 से 20.11.2044	-
13		मेसर्स पुष्प स्टील एण्ड मायनिंग प्रा0 लिमिटेड	निजी क्षेत्र	वन रेंज भानुप्रतापपुर वनमण्डल दुर्गकोदल	66.00	07.01.2017 से 06.01.2067	-
14		मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड,	निजी क्षेत्र	ग्राम हाहालदी, तहसील भानुप्रतापपुर	78.09	07.01.2017 से 06.01.2067	-
15		मेसर्स सी.एम. डी.सी. लिमिटेड	सार्वजनिक उपक्रम	कच्चे-आरी डोंगरी, तहसील भानुप्रतापपुर	166.80	01.09.2018 से 31.08.2068	-
16	नारायणपुर	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रिज लिमिटेड	निजी क्षेत्र	छोटे डोंगर तह. नारायणपुर	192.25	21.6.2005 से 20.6.2055	-

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1086) के भाग (घ) की जानकारी]

जिले का नाम	कुल वितरण
बालोद	128,253
बलौदाबाजार	153,010
बलरामपुर	48,520
बस्तर	99,644
बेमेतरा	96,817
बीजापुर	2,775
बिलासपुर	245,593
दन्तेवाड़ा	17,046
धमतरी	102,793
दुर्ग	230,673
गरियाबंद	71,216
जंजगीर-चांपा	244,207
जशपुर	85,730
कबीरधाम	86,467
कोन्डागांव	39,757
कोरबा	120,988
कोरिया	51,529
महासमुन्द	119,471
मुंगेली	88,570
नारायणपुर	2,044
रायगढ़	185,715
रायपुर	246,575
राजनादगांव	175,807
सुकमा	2,173
सुरजपुर	108,371
सरगुजा	109,474
कांकेर	51,627
कुल	29,14,845

वितरण किये गये स्मार्टफोन (29,14,845) की राशि रु. 844.47 करोड़ हैं एवं लौटाए गये स्मार्टफोन की संख्या एवं राशि शून्य (0) हैं।

RFP की कंडिका 24 के अनुसार मोबाईल का भुगतान प्रति 1.00 लाख मोबाईल के इन्वॉइस के अनुसार किया जाना है, स्मार्टफोन के लिए इन्वॉइस का भुगतान राज्य स्तर से एकमुश्त किया गया है। योजना अंतर्गत जिलेवार भुगतान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1049) के भाग (ख) की जानकारी]

अनुदान राशि की जानकारी

क्रमांक	संयंत्र/परियोजना (क्रेडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मापदंडों के अनुसार स्थापित होने पर)	राज्य अनुदान	राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)
1	सोलर होम लाइट (37 वॉट)	5,000/- प्रति नग	घरेलू उपयोग हेतु
2	सोलर स्ट्रीट लाइट (75 वॉट)	8,000/- प्रति नग	सामुदायिक, शासकीय एवं संस्थागत
	सोलर स्ट्रीट लाइट (37 वॉट)	4,500/- प्रति नग	
3	सोलर पावर प्लांट (ऑफ-ग्रिड) 01 से 10 किलोवॉट क्षमता तक न्यूनतम 7.2 व्ही.ए.एच./वॉट बैटरी के साथ	40/- प्रतिवॉट	समस्त (घरेलू 10 किलोवॉट क्षमता तक) शासकीय, सामुदायिक, व्यवसायिक संस्थागत)
	7.2 व्ही.ए.एच./वॉट से कम क्षमता बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
4	> 10 किलोवॉट से 50 किलोवॉट तक 7.2 व्ही.ए.एच./वॉट बैटरी के साथ	25/- प्रतिवॉट	समस्त (घरेलू 10 किलोवॉट क्षमता तक) शासकीय, सामुदायिक, व्यवसायिक संस्थागत)
	7.2 व्ही.ए.एच./वॉट से कम क्षमता बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
5	> 50 किलोवॉट से 100 किलोवॉट तक 7.2 व्ही.ए.एच./वॉट बैटरी के साथ	15/- प्रतिवॉट	समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक शासकीय, व्यवसायिक)
	7.2 व्ही.ए.एच./वॉट से कम क्षमता बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
6	सोलर पावर प्लांट (ऑन-ग्रिड)		केवल घरेलू उपयोग हेतु
	01 किलोवॉट से 03 किलोवॉट तक	15/- प्रतिवॉट	
	> 03 किलोवॉट से 10 किलोवॉट तक	10/- प्रतिवॉट	
7	सोलर पावर पैक-		समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक शासकीय, व्यवसायिक)
	(1) 150 वॉट क्षमता	10,000/- प्रति नग	
	(2) 300 वॉट क्षमता	20,000/- प्रति नग	
	(3) 500 वॉट क्षमता	25,000/- प्रति नग	
8	पेयजल पंप - (न्यूनतम 900 वॉट मॉड्यूल 4.5 मीटर स्टेण्ड एवं 5000 लीटर वॉटर टैंक क्षमता का सोलर ड्यूल पंप)	1,00,000/- प्रति एच0पी0	सामुदायिक एवं शासकीय
9	सौर जल शुद्धिकरण संयंत्र - (न्यूनतम 900 वॉट मॉड्यूल, आर.ओ+यू.वी., आई. आर.पी., वॉटर ए.टी.एम./कॉईन वेंडिंग मशीन)	3,00,000/- प्रति नग	सामुदायिक एवं शासकीय
10	सोलर हाईमास्ट संयंत्र 900 वॉट मॉड्यूल क्षमता व 9 मीटर उचाई (लिथियम कैते-फास्फेट बैटरी बेस्ड) 7.2 व्ही.ए.एच./वॉट बैटरी के साथ	1,50,000/- प्रति नग	सामुदायिक एवं शासकीय
	7.2 व्ही.ए.एच./वॉट से कम क्षमता बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
11	ऑफ-ग्रिड सोलर विंड हाईब्रिड पावर प्लांट (05 किलोवॉट)	4,00,000/- प्रति नग	औद्योगिक इकाईयों को छोड़कर अन्य सभी
12	सामान्य इन्वर्टरों का सोलर्राइजेशन (अधिकतम 01 किलोवॉट)	40/- प्रतिवॉट	घरेलू

क्रमांक	संयंत्र/परियोजना (केंडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मापदंडों के अनुसार स्थापित होने पर)	राज्य अनुदान	राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)
13	सौर सामुदायिक सिंचाई योजना (न्यूनतम 7.5 एचपी क्षमता का सोलर पंप, संबंधित सिविल कार्य यथा-प्लेटफार्म / इन्टकवेल / बफरवेल / सम्पवेल, फीसिंग कार्य, अंडरग्राउण्ड पाईप लाईन के माध्यम से कृषक समूह को जल वितरण व्यवस्था पंचवर्षीय संचालन-संभारण, ऑपरेटर एवं लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित)	रुपए 1.8 लाख प्रति हेक्टेयर	सामुदायिक (न्यूनतम 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि)
14	सोलर टेलीविजन - 32 इंच एल.ई.डी. टी.वी. 150 वॉट पावर मॉड्यूल 150 ए.एच./ 12 वोल्ट एल.एम. एल.ए. बैटरी, 100 व्ही.ए. पी.सी.यू. टी.वी. स्टेण्ड सेटटॉप बाक्स के साथ)	50,000/- प्रति नग	लाभार्जन न करने वाली संस्था
15	सोलर कोल्ड स्टोरेज (04 किलोवॉट मॉड्यूल, 05 टन स्टोरेज क्षमता)	4,00,000/- प्रति नग	कृषक समूह / शासकीय
16	सोलर ट्राइसिकल (24 वोल्ट / 250 वॉट मोटर क्षमता व 100 वॉट मॉड्यूल, 24 वोल्ट / 24 ए.एच. बैटरी क्षमता)	75,000/- प्रति नग	निजी / दिव्यांगों हेतु
17	सोलर कुकर (बॉक्स एवं डिश टाईप)	3800/- प्रति वर्ग मीटर	समस्त हितग्राही (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)
18	सोलर स्टीम कुकिंग / एयर कंडिशनिंग संयंत्र	(अ) सोलर स्टीम कुकिंग संयंत्र 3600/- प्रति वर्ग मीटर (ब) सोलर एयर कंडिशनिंग संयंत्र 3600/- प्रति वर्ग मीटर	केवल शासकीय संस्थाओं / विभागों हेतु
19	सौर गर्म जल संयंत्र	(अ) संयंत्र स्थापना लागत की 50 प्रतिशत राशि (ब) मार्केट मोड अन्तर्गत 1) एफपीसी 500/- प्रति वर्ग मीटर 2) ईटीसी -3000/- प्रति वर्ग मीटर	केवल शासकीय संस्थाओं / विभागों हेतु समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, व्यावसायिक)
20	घरेलू (परिवारमूलक) बायोगैस संयंत्र (न्यूनतम 2 से 6 घ0मी0)	एन.बी.एम.एम.पी.कार्यक्रम (गोबर आधारित) 9000/- प्रति संयंत्र गोबर आधारित प्री फेब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट 9000/- प्रति संयंत्र	समस्त वर्गों के व्यक्तिगत हितग्राही
21	उन्नत चूल्हा कार्यक्रम अन्तर्गत बायोमास कुकरस्टोव (एमएनआरई अनुमोदित मॉडल)	(1) नेचुरल ड्राफ्ट 300/- (2) फोर्स ड्राफ्ट 600/- (1) नेचुरल ड्राफ्ट 1000/- (2) फोर्स ड्राफ्ट 2000/-	समस्त हितग्राही (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1049) के भाग (ख) की जानकारी]

अनुदान राशि की जानकारी

क्रमांक	संयंत्र/परियोजना (केडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मापदंडों के अनुसार स्थापित होने पर)	राज्य अनुदान	राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)
1	सोलर होम लाईट (37 वॉट)	5,000/- प्रति नग	घरेलू उपयोग हेतु
2	सोलर स्ट्रीट लाईट (75 वॉट)	8,000/- प्रति नग	सामुदायिक, शासकीय एवं संस्थागत
	सोलर स्ट्रीट लाईट (37 वॉट)	4,500/- प्रति नग	
3	सोलर पावर प्लांट (ऑफ-ग्रिड) 01 से 10 किलोवॉट क्षमता तक न्यूनतम 7.2 व्ही.ए.एच./वॉट बैटरी के साथ	40/- प्रतिवॉट	समस्त (घरेलू 10 किलोवॉट क्षमता तक) शासकीय, सामुदायिक, व्यवसायिक संस्थागत)
	7.2 व्ही.ए.एच./वॉट से कम क्षमता बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
4	> 10 किलोवॉट से 50 किलोवॉट तक 7.2 व्ही.ए.एच./वॉट बैटरी के साथ	25/- प्रतिवॉट	समस्त (घरेलू 10 किलोवॉट क्षमता तक) शासकीय, सामुदायिक, व्यवसायिक संस्थागत)
	7.2 व्ही.ए.एच./वॉट से कम क्षमता बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
5	> 50 किलोवॉट से 100 किलोवॉट तक 7.2 व्ही.ए.एच./वॉट बैटरी के साथ	15/- प्रतिवॉट	समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक शासकीय, व्यवसायिक)
	7.2 व्ही.ए.एच./वॉट से कम क्षमता बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
6	सोलर पावर प्लांट (ऑन-ग्रिड)		केवल घरेलू उपयोग हेतु
	01 किलोवॉट से 03 किलोवॉट तक	15/- प्रतिवॉट	
	> 03 किलोवॉट से 10 किलोवॉट तक	10/- प्रतिवॉट	
7	सोलर पावर पैक-		समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक शासकीय, व्यवसायिक)
	(1) 150 वॉट क्षमता	10,000/-प्रति नग	
	(2) 300 वॉट क्षमता	20,000/-प्रति नग	
(3) 500 वॉट क्षमता	25,000/-प्रति नग		
8	पेयजल पंप - (न्यूनतम 900 वॉट मॉड्यूल 4.5 मीटर स्टेण्ड एवं 5000 लीटर वॉटर टैंक क्षमता का सोलर ड्यूल पंप)	1,00,000/-प्रति एच0पी0	सामुदायिक एवं शासकीय
9	सौर जल शुद्धिकरण संयंत्र - (न्यूनतम 900 वॉट मॉड्यूल, आर.ओ+यू.वी., आई. आर.पी., वॉटर ए.टी.एम./कोईन वेंडिंग मशीन)	3,00,000/-प्रति नग	सामुदायिक एवं शासकीय
10	सोलर हाईमास्ट संयंत्र 900 वॉट मॉड्यूल क्षमता व 9 मीटर उंचाई (लिथियम कैथो-फास्फेट बैटरी बेसड) 7.2 व्ही.ए.एच./वॉट बैटरी के साथ	1,50,000/-प्रति नग	सामुदायिक एवं शासकीय
	7.2 व्ही.ए.एच./वॉट से कम क्षमता बैटरी के साथ	एम.एन.आर.ई. के समतुल्य	
11	ऑफ-ग्रिड सोलर विंड हाईब्रिड पावर प्लांट (05 किलोवॉट)	4,00,000/-प्रति नग	औद्योगिक इकाईयों को छोड़कर अन्य सभी
12	सामान्य इन्वर्टरों का सोलर्राइजेशन (अधिकतम 01 किलोवॉट)	40/-प्रतिवॉट	घरेलू

क्रमांक	संयंत्र/परियोजना (क्रेडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मापदंडों के अनुसार स्थापित होने पर)	राज्य अनुदान	राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)
13	सौर सामुदायिक सिंचाई योजना (न्यूनतम 7.5 एचपी क्षमता का सोलर पंप, संबंधित सिविल कार्य यथा-प्लेटफार्म/इन्टकवेल/बफरवेल/सम्पवेल, फीस संग कार्य, अंडरग्राउण्ड पाईप लाईन के माध्यम से कृषक समूह को जल वितरण व्यवस्था पंचवर्षीय संचालन-संभारण, ऑपरेटर एवं लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित)	रूपए 1.8 लाख प्रति हेक्टेयर	सामुदायिक (न्यूनतम 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि)
14	सोलर टेलीविजन - 32 इंच एल.ई.डी. टी.वी. 150 वॉट पावर मॉड्यूल 150 ए.एच./12 वोल्ट एल.एम. एल.ए. बैटरी, 100 व्ही.ए. पी.सी.यू. टी.वी. स्टेण्ड सेटटॉप बाक्स के साथ)	50,000/-प्रति नग	लाभार्जन न करने वाली संस्था
15	सोलर कोल्ड स्टोरेज (04 किलोवॉट मॉड्यूल, 05 टन स्टोरेज क्षमता)	4,00,000/-प्रति नग	कृषक समूह/ शासकीय
16	सोलर ट्राईसिकल (24 वोल्ट/250 वॉट मोटर क्षमता व 100 वॉट मॉड्यूल, 24 वोल्ट/24 ए.एच. बैटरी क्षमता)	75,000/-प्रति नग	निजी/ दिव्यांगों हेतु
17	सोलर कुकर (बॉक्स एवं डिश टाईप)	3800/- प्रति वर्ग मीटर	समस्त हितग्राही (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)
18	सोलर स्टीम कुकिंग / एयर कंडिशनिंग संयंत्र	(अ) सोलर स्टीम कुकिंग संयंत्र 3600/- प्रति वर्ग मीटर (ब) सोलर एयर कंडिशनिंग संयंत्र 3600/- प्रति वर्ग मीटर	केवल शासकीय संस्थाओं/ विभागों हेतु
19	सौर गर्म जल संयंत्र	(अ) संयंत्र स्थापना लागत की 50 प्रतिशत राशि (ब) मार्केट मोड अन्तर्गत 1) एफपीसी 500/- प्रति वर्ग मीटर 2) ईटीसी -3000/-प्रति वर्ग मीटर	केवल शासकीय संस्थाओं/ विभागों हेतु समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, व्यावसायिक)
20	घरेलू (परिवारमूलक) बायोगैस संयंत्र (न्यूनतम 2 से 6 घ0मी0)	एन.बी.एम.एम.पी.कार्यक्रम (गोबर आधारित) 9000/-प्रति संयंत्र गोबर आधारित प्री फेब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट 9000/- प्रति संयंत्र	समस्त वर्गों के व्यक्तिगत हितग्राही
21	उन्नत चूल्हा कार्यक्रम अन्तर्गत बायोगैस कुकरस्टोव (एमएनआरई अनुमोदित मॉडल)	(1) नेचुरल ड्राफ्ट 300/- (2) फोर्स ड्राफ्ट 600/- (1) नेचुरल ड्राफ्ट 1000/- (2) फोर्स ड्राफ्ट 2000/-	समस्त हितग्राही (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)

समस्त राशि रु. में

क्र.सं.	संयंत्र / परियोजना I (केडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मापदंडों के अनुसार स्थापित होने पर)	सोलर पम्प की क्षमता	सोलर पम्प का प्रकार	राज्य अनुदान			राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाइयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)
				अ.जा./ अ. ज.जा.	अ.पि.व.	समान्य	
22	सौर सुजला योजना	02 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	119691	115691	108691	राज्य के कृषकों, कृषकों के समूहों तथा नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजनांतर्गत चिन्हित जल स्रोत
		02 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	103899	99899	92899	
		02 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	137659	133659	126659	
		02 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	119146	115146	108146	
		03 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	179219	174219	168219	
		03 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	161795	156795	150795	
		03 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	188911	183911	177911	
		03 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	172685	167685	161685	
		05 एच.पी.	डी.सी सर्फेस पम्प	272051	267051	262051	
		05 एच.पी.	ए.सी सर्फेस पम्प	230669	225669	220669	
		05 एच.पी.	डी.सी सबमर्सिबल पम्प	272596	267596	262596	
		05 एच.पी.	ए.सी सबमर्सिबल पम्प	237203	232203	227303	

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 144) के भाग (क) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ में वर्ष 2017 से 2018 तक स्वीकृत नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	वर्ष	विधानसभा क्षेत्र	विकासखण्ड	योजना ग्राम का नाम	स्वीकृत राशि (रु.लाख में)	व्यय राशि (रु.लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	चालू	बंद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	तिलाईपाली	12.04	8.40	पूर्ण	चालू	—	
2	2017	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	रूमकेरा	22.32	22.09	पूर्ण	चालू	—	
योग :-					34.36	30.48				
1	2018	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	कुडूमकेला	146.00	66.00	अपूर्ण	—	—	प्रगतिरत
2	2018	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	भालूमार	19.41	14.11	पूर्ण	चालू	—	
3	2018	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	बगचबा	19.65	16.16	पूर्ण	चालू	—	
4	2018	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	पतरापाली	19.53	9.24	अपूर्ण	—	—	प्रगतिरत
5	2018	धरमजयगढ़	घरघोड़ा	कोनपारा	23.83	14.37	अपूर्ण	—	—	प्रगतिरत
योग :-					228.42	119.89				
महायोग :-					262.78	150.37				

9.	ग्राम पंचायत - सारंगपुरी, ग्राम-सारंगपुरी, तहसील व जिला - धमतरी	754का भाग	6.00	1200 पौधे	नदी किनारे 10 नग	बरगद एवं पीपल	ट्री गार्ड
10.	ग्राम पंचायत - सारंगपुरी, ग्राम-सारंगपुरी, तहसील व जिला - धमतरी	1347	4.99	1000 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक
11.	ग्राम पंचायत - सारंगपुरी, ग्राम - सारंगपुरी, तहसील व जिला - धमतरी	1347	4.99	1000 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक
12.	ग्राम पंचायत - खरेंगा, ग्राम-खरेंगा तहसील व जिला - धमतरी	920	6.00	1200 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक
13.	ग्राम पंचायत - खरेंगा, ग्राम-खरेंगा, तहसील व जिला - धमतरी	927	5.00	1000 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक
14.	ग्राम पंचायत - बारना, ग्राम-बारना, तहसील व जिला - धमतरी	658	6.00	1200 पौधे	नदी किनारे 93 नग	नीम, अर्जुन, आँवला, शीशम, गुलमोहर एवं मुनगा	काटेदार तार का बाड (फंसिंग)
15.	ग्राम पंचायत - बारना, तहसील व जिला - धमतरी	658	4.99	1000 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक
16.	ग्राम पंचायत - अरौद (ली), ग्राम-अरौद, तहसील व जिला - धमतरी	01	8.0	1600 पौधे	नदी किनारे 55 नग	कटहल, आँवला, नीम एवं अशोक	निरंक
17.	ग्राम पंचायत - परसुली, तहसील व जिला - धमतरी	735	14.00	2800 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक
18.	ग्राम पंचायत - परसुली, तहसील व जिला - धमतरी	735	4.90	1000 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक
19.	ग्राम पंचायत - दोनर, तहसील व जिला - धमतरी	3170	6.00	1200 पौधे	1870 नग (छन्नू तालाब के किनारे-1800 एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में-70)	कटहल, जामुन, अमरुद, अशोक, आवला, मुनगा, गुलमोहर आदि	काटेदार तार के बाड (फंसिंग)
20.	ग्राम पंचायत - दोनर, तहसील व जिला - धमतरी	2774	5.00	1000 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक

21.	ग्राम पंचायत - अमेटो, तहसील व जिला - धमतरी	364	4.99	1000 पौधे	60 नग नदी किनारे स्थित स्कूल परिसर में।	अमरुद, आवला एवं कटहल	निरंक
22.	ग्राम पंचायत - जवरगांव तहसील व जिला - धमतरी	952	4.95	1000 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक
23.	ग्राम पंचायत - कोलथारी, तहसील व जिला - धमतरी	995	4.50	1000 पौधे	130 नग (नवीन प्राथमिक शाला -120 नग एवं हाई स्कूल परिसर में-10 नग)	अशोक, आम, अमरुद, कटहल, नीम, जामुन, आवला एवं नींबू	निरंक
24.	ग्राम पंचायत - मथुराडीह ग्राम- तेन्दूकोना, तहसील व जिला - धमतरी	1/502	4.95	1000 पौधे	निरंक	निरंक	निरंक

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से

संबंधित परिशिष्ट
संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "ब्यारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 245) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बिलासपुर जिले में किए गए रोपण की वर्षवार, स्थलवार, मदवार रोपित पौधों की संख्या एवं रोपण हेतु जारी की गई राशि का विवरण (राशि लाख में)

क्र.सं.	स्थल का नाम	मद का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपण हेतु जारी/प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
2017-18	परसापानी	मांग संख्या 64-2406 (6724) बिगड़े बांस वनों का सुधार अंतर्गत असिंचित बांस वृक्षारोपण	7600	2.69
2017-18	नवागांव		6000	2.50
2017-18	2263 कैंवची	मांग संख्या 64-2406 (6724)	12000	13.16
2017-18	2325 पीपरखुटी	बिगड़े बांस वनों का सुधार अंतर्गत असिंचित बांस वृक्षारोपण	10000	10.97
2017-18	2003 मटियाडांड		19516	21.40
2017-18	976, 198 सिवनी		12000	13.16
2017-18	1398 मेढुका		8000	14.05
2017-18	1428 पिपरिया		8000	14.05
2017-18	1530 चुवाबहरा	मांग संख्या 41-2406 (6516)	16000	28.10
2017-18	1527 धरहर	लघुवनोपज/औषधी रोपण	20000	35.13
2017-18	1426 घोबहर		16000	27.29
2017-18	1430 झिरनापोड़ी		12000	20.67
2017-18	1486 गुल्लीडांड		24000	41.15
विभागीय योग			171116	244.32
2017-18	औषधि रोपण फदहाखार	कैम्पा	4000	35.45
2017-18	आरेंज एरिया सरसेनी		12000	34.06
2017-18	आरेंज एरिया सागर		12000	34.06
2017-18	आरेंज एरिया सेलर	कैम्पा (क्षतिपूर्ति रोपण)	12000	34.06
2017-18	आरेंज एरिया कोपरा		10000	28.38
2017-18	आरेंज एरिया सुलौनी		10000	28.38
कैम्पा योग			60000	194.39
2017-18	मिश्रित रोपण खैरा भाग 1		27500	23.28
2017-18	मिश्रित रोपण खैरा भाग 2		13200	11.17
2017-18	मिश्रित रोपण पोड़ी		27500	61.78
2017-18	नगर वन वृक्षारोपण भरनी		29700	25.14
2017-18	नगर वन वृक्षारोपण आरेंज एरिया गोगाडीह		13200	13.08
2017-18	नगर वन वृक्षारोपण आरेंज एरिया जैतपुरी		55000	46.55
2017-18	नगर वन वृक्षारोपण आरेंज एरिया लोखण्डी 'अ'	हरियर छ.ग. कोष	6600	7.08
2017-18	नगर वन वृक्षारोपण आरेंज एरिया लोखण्डी 'ब'		11000	11.10
2017-18	नगर वन वृक्षारोपण आरेंज एरिया उमरिया		17600	16.48
2017-18	नगर वन वृक्षारोपण आरेंज एरिया भुरकुण्डा		24200	21.14
2017-18	नगर वन रोपण बिलासपुर		5000	53.20
2017-18	नगर वन रोपण रतनपुर		5000	59.76
2017-18	व्यापार विहार बिलासपुर		500	4.50

वर्ष	स्थल का नाम	मद का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपण हेतु जारी/प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
2017-18	चौरभट्टीकला, मटसगरा, दबेना, डाकाचाका, खजुरी, लोको कॉलोनी रेलवे बिलासपुर	हरियर छ.ग. कोष	166100	381.44
हरियर छ.ग.कोष का योग			402100	735.70
2017-18	कोरबी 40 आर.एफ	ग्रीन इंडिया मिशन	20000	12.49
2017-18	कोरी 39 आर.एफ		10000	6.24
2017-18	बांका 47 आर.एफ.		10000	6.24
2017-18	बांका 45 आर.एफ.		20000	12.49
2017-18	खोन्दा 30 आर.एफ.		20000	12.49
2017-18	कनई 42 आर.एफ.		20000	12.49
2017-18	कनई 28 आर.एफ.		20000	12.49
ग्रीन इंडिया मिशन का योग			120000	74.93
2017-18	गंगासागर से शमशान घाट	मनरेगा	240	1.20
2017-18	चंदापारा से डिपरापारा		200	1.00
मनरेगा का योग			440	2.20
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में	मांग संख्या 64-2406 (2533) हरियाली प्रसार योजना	115000	12.68
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		150000	18.38
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		85000	10.06
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में	मांग संख्या 64-2406 (2533) हरियाली प्रसार योजना	314047	22.99
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		124240	10.87
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		199578	25.35
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		457680	40.04
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		255000	22.30
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		40310	2.20
2017-18	मरवाही परिक्षेत्र		382690	55.87
2017-18	गौरेला परिक्षेत्र	मांग संख्या 64-2406 (2533) हरियाली प्रसार योजना	200000	32.44
2017-18	खोडरी परिक्षेत्र	224710	36.25	
2017-18	पण्ड्रा परिक्षेत्र	98920	17.79	
हरियाली प्रसार योजना का योग			2647175	307.22
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में	मांग संख्या 10-2406 (7930) मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना	2500	1.08
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		5000	2.16
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		2500	1.08
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		10000	4.33
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		3000	1.25
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		1109	1.67

वर्ष	स्थल का नाम	मद का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपण हेतु जारी/प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में	मांग संख्या 10-2406 (7930) मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना	2245	0.20
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		7000	2.92
2017-18	हितग्राहियों के निजी भूमि में		7000	2.92
मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना का योग			40354	17.61

18. ग. राज्य वन विकास निगम

2017-18	RF/175	निगम मद	20000	4.64
	RF/172	निगम मद	20000	4.64
	P/1757	निगम मद	62500	14.5
	RF/133	निगम मद	37500	8.7
	RF/136	निगम मद	50000	11.6
	P/1610	निगम मद	35000	8.12
	P/795	वन विकास उपकर	25000	12.5
	P/797	वन विकास उपकर	25000	12.5
	P/798	वन विकास उपकर	75000	37.49
	P/799	वन विकास उपकर	12500	6.25
	P/1610	वन विकास उपकर	37500	18.74
	P/1619	वन विकास उपकर	75000	37.48
		सीपत	डिपॉजिट मद	5000
योग			480000	189.71
कुल योग (वर्ष 2017-18)			39,21,185	1,766.07
2018-19	छत्तौना VI	मांग संख्या 64-2406 (2962) बिगड़े वनों का सुधार मद अंतर्गत	30045	11.08
2018-19	आमामुड़ा 2553	मिश्रित वृक्षारोपण	38500	29.77
2018-19	बेलगहना C	मांग संख्या 64-2406 आयोजना (6724) बिगड़े बांस वनों का सुधार अंतर्गत आर डी बी एफ (असिंचित बांस वृक्षारोपण)	20337	15.89
2018-19	लुसदा C		20574	12.95
2018-19	मोहली C		22090	17.26
2018-19	नवागांव C		13934	10.88
2018-19	परसापानी C		20034	15.65
2018-19	सिलपहरी C		32183	25.14
2018-19	1984 झिरनापोड़ी	मांग संख्या 64-2406 (2962) बिगड़े वनों का सुधार मद अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	26865	28.26

वर्ष	स्थल का नाम	मद का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपण हेतु जारी/प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
2018-19	1985 सिवनी	माग संख्या 64-2406 आयोजना (6724) बिगड़े बांस वनों का सुधार	6816	10.35
2018-19	2266 कैवची	अतर्गत आर.डी.बी.एफ. (असिंचित बांस वृक्षारोपण)	10000	11.92
विभागीय योग			241378	189.13
2018-19	कैम्पा	कैम्पा	-	
2018-19	2052 सचराटोला	कैम्पा मद (जागवंत परियोजना)	11000	11.05
2018-19	2065 चुवाबहरा		11000	11.05
2018-19	2051 घुसरिया		17600	18.10
2018-19	2054 सचराटोला		5500	5.52
2018-19	2024 माडाकोट		14300	14.13
कैम्पा का योग			59400	59.85
2018-19	कचनपुर आरंज वनखण्ड बरर	हरियर छ.ग. कोष	20000	48.69
2018-19	खैरझीटी आरंज वनखण्ड	हरियर छ.ग. कोष	8000	19.55
2018-19	जोगीअमराई	हरियर छ.ग. कोष	20000	48.69
2018-19	करगीकला, बिनौरी, लाखासार, अमलडीहा, बुटेना (सकरा)	हरियर छ.ग. कोष	92000	284.19
हरियर छ.ग.कोष का योग			140000	401.13
2018-19	बोंका	ग्रीन इंडिया मिशन (कृषि वानिकी)	2,21,784	86.55
2018-19	कोरबी		71,160	27.77
2018-19	खोन्द्रा		47,501	18.69
2018-19	कनई		1,05,554	41.05
2018-19	कोरबी	ग्रीन इंडिया मिशन (फलेक्सी फण्ड)	3,200	26.42
2018-19	बोंका		1,200	4.91
2018-19	खोन्द्रा		1,200	9.91
2018-19	कनई		1,000	8.26
ग्रीन इंडिया मिशन का योग			4,52,599	223.54
2018-19	--	मनरेगा	-	0.00
मनरेगा का योग			-	0.00
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में	माग संख्या 64-2406 (2533) हरियाली प्रसार योजना	145000	17.56
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		220000	25.10
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		112600	12.81
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		155000	19.02
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		17400	1.87

वर्ष	स्थल का नाम	मद का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपण हेतु जारी/प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में	मांग संख्या 64-2406 (2533) हरियाली प्रसार योजना	225000	16.1
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		108163	12.91
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		159150	13.93
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		300000	25.95
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		250000	20.71
2018-19	मरवाही परिक्षेत्र	मांग संख्या 64-2406 (2533) हरियाली प्रसार योजना	181370	22.76
2018-19	गौरेला परिक्षेत्र		495850	62.23
2018-19	खोडरी परिक्षेत्र		497000	61.55
2018-19	पेण्ड्रा परिक्षेत्र		275150	33.47
हरियाली प्रसार योजना का योग			3141683	345.98
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में	मांग संख्या 10-2406 (7930)	2500	1.06
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में	मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना	5000	2.12
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में	मांग संख्या 10-2406 (7930) मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना	6000	2.18
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		3765	2.36
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		5900	0.52
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		7000	2.86
2018-19	हितग्राहियों के निजी भूमि में		6000	2.45
मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना का योग			36165	13.55
2018-19	बिलासपुर नेहरू चौक 08 कि.मी. की परिधि	DMF	22028	215.00
डी.एम.एफ. का योग			22028	215.00
छ.ग. राज्य वन विकास निगम				
2018-19	RF/143	निगम मद	37500	6.37
	RF/139	निगम मद	50000	8.49
	P/1618	निगम मद	57500	9.76
	RF/245	निगम मद	60000	10.18
	P/1617	निगम मद	92500	15.7
	P/1585	निगम मद	55000	9.34
	RF/244	निगम मद	132500	22.49
	RF/171	वन विकास उपकर	15000	5.55
	P/1615	वन विकास उपकर	82500	30.5
	कुकदा	हरियर छ.ग. कोष	27500	79.36
	भिलमी	हरियर छ.ग. कोष	9900	27.06

वर्ष	स्थल का नाम	मद का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपण हेतु जारी/प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
2018-19	मड़ई	हरियर छ.ग. कोष	11330	35.77
	सीपत	डिपाजिट मद	31737	78.6
	सीपत	डिपाजिट मद	22975	94.95
	सीपत	डिपाजिट मद	2000	18.13
योग			687942	452.25
कुल योग (वर्ष 2018-19)			47,81,195	1,900.42
2019-20	करहीकछार	मांग संख्या 64-2406 आयोजना (2962) बिगड़े वनों का सुधार मद अंतर्गत (मिश्रित वृक्षारोपण)	32,359	5.97
2019-20	रिगरिगा		30,261	5.59
2019-20	बेलगहना A	मांग संख्या 64-2406 आयोजना (6724) बिगड़े बांस वनों का सुधार अंतर्गत आर.डी.बी.एफ. (असिंचित बांस वृक्षारोपण)	36,148	5.87
2019-20	मोहली A		35,078	5.70
2019-20	नवागांव A		29,112	4.73
2019-20	परसापानी A		26,394	4.29
2019-20	सिलपहरी A		51,828	8.42
2019-20	2253 केवचों	मांग संख्या 64-2406 आयोजना (6724) बिगड़े बांस वनों का सुधार अंतर्गत आर.डी.बी.एफ. (असिंचित बांस वृक्षारोपण)	12000	7.24
2019-20	2305 पीपरखुट्टी		12000	7.25
2019-20	2171 बस्ती		18000	10.88
2019-20	2143 खोंडरी		20000	12.08
2019-20	2050 माड़ाकोट	मांग संख्या 64-2406 आयोजना (2962) बिगड़े वनों का सुधार मद अंतर्गत (मिश्रित वृक्षारोपण)	101982	35.68
2019-20	1985 झिरनापोड़ी		27500	9.62
2019-20	2064 धरहर		44000	22.67
2019-20	2032 दमदम		54145	18.15
2019-20	1530 चुवाबहरा	मांग संख्या 41-2406 (6516) लघुवनोपज/औघधी रोपण	40000	71.74
2019-20	2105 बरियाडाड		9062	17.31
2019-20	2222 बरियाडाड		2188	4.18
2019-20	2222 बरियाडाड		2188	4.18
2019-20	2223 बरियाडाड		3437	6.57
2019-20	2105 बरियाडाड		2081	3.98
2019-20	2201 खोंडरी		1875	3.58
2019-20	2201 खोंडरी		3275	6.26
2019-20	2240 खोंडरी	मांग संख्या 10-2406 (1902) तेजी से बढ़ने वाले मिश्रित रोपण	14500	27.69
2019-20	2214 ललाती		4166	7.96
2019-20	2214 ललाती		6500	12.41
2019-20	2214 ललाती		1463	2.79
2019-20	2203 नेवरी		2719	5.19
2019-20	2203 नेवरी		2625	5.01
2019-20	2203 नेवरी		3594	6.86
2019-20	2203 सधवानी		8871	16.95
विभागीय का योग			6,39,352	366.80

वर्ष	स्थल का नाम	मद का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपण हेतु जारी/प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
2019-20	रिगरिगा	मांग संख्या 10-2406 आयोजना 1902 तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण मद अंतर्गत नदी तट रोपण (मिश्रित वृक्षारोपण)	11,000	11.94
2019-20	भेलवाटिकारी (गाड़ाघाट)		27,500	29.84
2019-20	भेलवाटिकारी (चतरापारा)		33,000	35.81
2019-20	सोनपुरी (कसईबहरा)		49,500	53.72
2019-20	सोनपुरी (सुखेना)		11,000	11.94
2019-20	रिगरिगा (भदरापारा)		11,000	11.94
2019-20	करहीकछार		7,700	8.36
2019-20	कंचनपुर		63,800	35.81
2019-20	सोंढाखुर्द		49,500	53.72
2019-20	आमामुड़ा		33,000	69.24
2019-20	सल्का		33,000	35.81
नदी तट रोपण का योग			3,30,000	358.13
2019-20	2346 पड़वनिया	कैम्पा क्षतिपूर्ति रोपण	41184	146.22
कैम्पा का योग			41184	146.22
2019-20	2008 दानीकुण्डी	Ecosystem Services Improvement Project (ESIP) योजना	37800	154.51
2019-20	2005 दानीकुण्डी		6600	229.25
2019-20	2003 मोहरीटोला		36000	59.96
2019-20	2014 दानीकुण्डी		76000	126.58
2019-20	1994 बघरा		80000	133.25
2019-20	2006 कोलबिरो		48000	79.95
2019-20	2016 रूमगा		44000	73.29
2019-20	2000 रूमगा		108000	179.27
2019-20	1999 रूमगा		48000	79.95
Ecosystem Services Improvement Project (ESIP) का योग			484400	1116.01
2019-20	पेण्ड्रा परिक्षेत्र	मांग संख्या 64-2406 (2533) हरियाली प्रसार योजना	50000	4.38
हरियाली प्रसार योजना का योग			50000	4.38
2019-20	करहीकछार	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना पी.डी. लेखा मद अंतर्गत क्षतिपूर्ति	470	0.17
2019-20	करहीकछार	वृक्षारोपण	270	0.11
पी.डी.लेखा का योग			740	0.27

वर्ष	स्थल का नाम	मद का नाम	रोपित पौधों की संख्या	रोपण हेतु जारी/प्राप्त राशि
1	2	3	4	5

छ.ग. राज्य वन विकास निगम

2019-20	सीपत	डिपाजिट मद	7032	2.16
योग			7032	2.16
कुल योग (वर्ष 2019-20)			15,11,524	1,847.75

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 415) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ कृषि ऋण माफी 2019 जांजगीर चांपा जिले का विकासखण्डवार जानकारी (दिनांक 01.01.2019 से 31.10.2019)

सरल क्रमांक	जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड	कैनरा बैंक		यूनियन बैंक		बैंक ऑफ बड़ौदा		स्टेट बैंक ऑफ		यूनाइटेड बैंक	
		कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)
1	2	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1	अकलतरा	73	37.50	233	151.68	260	80.13	234	124.97	0	0
2	बलौदा	94	38.48	21	20.86	3	1.71	1053	543.30	1	9.04
3	चांपा	394	179.99	317	217.56	64	39.67	992	518.05	0	0
4	डभरा	33	28.20	523	554.18	1	3.27	335	231.60	0	0
5	जांजगीर	45	42.54	163	38.90	41	30.21	2320	1338.88	48	22.91
6	मालखरौदा	9	5.79	4	1.61	13	18.41	543	393.75	3	3.3
7	नवागढ़	19	8.43	1	0.91	111	31.38	462	274.53	1	0.6
8	पामगढ़	136	76.64	0	0.00	15	9.26	414	192.51	4	2.86
9	सक्ती	38	18.09	196	178.29	44	25.56	1303	935.02	44	26.94
	योग	841	435.65	1458	1163.99	552	239.60	7656	4552.62	101	65.65

सरल क्रमांक	जाजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड	बैंक ऑफ महाराष्ट्र		पंजाब एंड सिंध बैंक		आईडीबीआई बैंक		ओरिएण्टल बैंक ऑफ		इलाहाबाद बैंक	
		कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	अकलतरा	5	3.65	0	0	111	55.6	20	17.48	0	0
2	बलोदा	2	1.36	0	0	15	11.17	22	14.19	0	0
3	चांपा	0	0	0	0	238	144.13	3	3.67	1	4.02
4	डभरा	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1120	1027.53
5	जाजगीर	194	91.39	0	0	37	19.68	56	50.63	0	0
6	मालखरोदा	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1067	971.92
7	नवागढ़	558	323.75	0	0	4	8.03	61	48.54	0	0
8	पामगढ़	412	178.47	0	0	113	66.47	11	8.68	698	483.76
9	सक्ती	0	0	0	0	106	61.57	1	1.83	1	0.63
	योग	1171	598.62	0	0	624	366.65	174	145.02	2887	2487.86

सरल क्रमांक	जाजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड	पंजाब नेशनल बैंक		सेंट्रल बैंक ऑफ		बैंक ऑफ इंडिया		कार्पोरेशन बैंक		इंडियन ओवरसीज बैंक	
		कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	अकलतरा	563	3129.79	354	215.14	1	0.42	9	9.46	174	100.34
2	बलोदा	255	138.06	16	10.71	6	6.71	17	18.92	2	1.25
3	चांपा	279	199.19	110	54.66	264	95.14	44	34.73	0	0
4	डभरा	56	44.23	0	0	49	35.86	0	0.00	0	0
5	जाजगीर	175	114.83	132	70.51	492	347.08	28	22.08	3	3.54
6	मालखरादा	102	94.05	0	0	30	40.22	0	0.00	0	0
7	नवागढ़	697	468.52	16	7.36	3	2.18	242	187.81	0	0
8	पामगढ़	853	677.39	9	8.65	0	0	21	15.31	22	9.42
9	सक्ती	467	322.44	16	7.04	0	0	3	2.74	0	0
	योग	3447	5188.50	653	374.07	845	527.61	364	291.06	201	114.55

सरल क्रमांक	जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड	सिंडिकेट बैंक		यूको बैंक		इंडियन बैंक		आंध्रा बैंक		समस्त बैंक	
		कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)	कृषि ऋण माफी योजना के लाभान्वित कुल कृषकों की संख्या	कुल ऋण माफी (राशि रु. लाख में)
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	अकलतरा	0	0	432	358.35	0	0	0	0	2469	4284.52
2	बलोदा	0	0	2	1.52	0	0	0	0	1509	817.28
3	चांपा	2	1.33	0	0	0	0	115	51.64	2823	1543.78
4	डभरा	0	0	0	0	0	0	0	0	2117	1924.87
5	जांजगीर	3	5.85	29	11.85	0	0	0	0	3766	2210.87
6	मालखरोदा	0	0	0	0	0	0	0	0	1771	1529.05
7	नवागढ़	0	0	12	9.92	0	0	0	0	2187	1371.96
8	पामगढ़	0	0	50	74.71	0	0	0	0	2758	1804.12
9	सक्ती	3	1.87	0	0	0	0	0	0	2222	1582.03
	योग	8	9.05	525	456.35	0	0	115	51.64	21622	17068.49

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 535) के भाग (ख) की जानकारी]

जिले का नाम		मुंगेली
कं.	बैंक का नाम	ऋण माफी राशि (रु लाख में)
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3409.57
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	470.62
3	कार्पोरेशन बैंक	0.00
4	यूनियन बैंक	176.82
5	इंडियन बैंक	0.00
6	बैंक ऑफ इंडिया	332.71
7	सिंडिकेट बैंक	0.00
8	पंजाब नेशनल बैंक	1763.35
9	केनरा बैंक	205.91
10	इलाहाबाद बैंक	360.16
11	आईडीबीआई	527.50
12	इंडियन ओवरसीस बैंक	96.58
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.00
14	यूनाईटेड बैंक	0.00
15	बैंक ऑफ बड़ौदा	659.31
16	युको बैंक	106.70
17	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	0.00
18	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	28.43
19	आंध्रा बैंक	0.00
20	छठग राज्य ग्रामीण बैंक	5640.10
21	सहकारी बैंक	11308.00
	कुल	25085.76

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 581) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अ.क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	भूमि का प्रकार	स्थल/ कक्ष क्रमांक	प्रभावी रकबा (हे.)	स्वीकृति क्रमांक /दिनांक
1	2016-17	कौडागांव	कमाण्डेंट 188 बटाथिलन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय हेतु	वन भूमि	P 773, OA 1087/11	5.000	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-10/2013/10-2 दि.11.8.2016
2			एस.टी.एफ.बल हेतु		P 773	2.000	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-34/2015/10-2 दि.20.5.2016
3			पुलिस आवास एवं पुलिस आफिसर मैस हेतु		P 773	5.000	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-33/2015/10-2 दि.20.5.2016
4			पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाईन		6.273	5.000	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-32/2015/10-2 दि.1.6.2016
2016-17 का योग :-						17.000	कुल प्रकरण संख्या-4
1	2017-18	कौडागांव	फायरिंग रेंज	वन भूमि	P 773	5.000	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-45/2016/10-2 दि.1.7.2017
2			फिल्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर		P 773	5.000	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-48/2016/10-2 दि.1.7.2017
3			हेलीपैड निर्माण		P 773	5.000	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-47/2016/10-2 दि.23.6.2017
4			पुलिस परेड ग्राऊंड कार्य हेतु		P 773	3.500	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-46/2016/10-2 दि.1.7.2017
5		दहीकोंगा	इंडोर स्टेडियम, आऊटडोर स्टेडियम एवं स्वीमिंग पुल निर्माण हेतु		P 794	8.000	भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/1586 दि. 5.4.2017
6		माकड़ी	कैरावाही जलाशय		P261, P265	6.260	भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/2081 दि. 11.7.2017
7		कौडागांव	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण उन्नयन हेतु		RF 969	4.507	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-8/2016/10-2 दि.10.7.2017
					RF 970	1.181	
					RF 976	4.154	
					RF 977	4.105	
					PF 774	1.233	
					PF 772	1.478	
					PF 773	1.444	
					PF 930	2.816	
					PF 756	1.855	
					RF 792	1.252	
					RF 770	2.861	
				PF 796	2.044		
		दहीकोंगा	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण हेतु		RF 792	1.252	
					RF 770	2.861	
					PF 796	2.044	

अ.क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	भूमि का प्रकार	स्थल/ कक्ष क्रमांक	प्रभावित रकबा (हे.)	स्वीकृति क्रमांक /दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8			
7	2017-18	दहीकौगा	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण उन्नयन हेतु	वन भूमि	PF 777	1.272	छ म. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-8/2016/10-2 दि.10.7.2017			
					PF 779	0.650				
					PF 778	0.292				
					PF 771	6.273				
					PF 760	1.454				
					PF 759	8.425				
					PF 750	5.639				
					PF 755	0.337				
					PF 749	5.106				
					PF 751	3.228				
					PF 754	2.944				
					OA	0.387				
					राजस्व वन क्षेत्र कोण्डागांव /दहीकौगा	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण उन्नयन हेतु		राजस्व वन भूमि	295/4	0.738
									289/1	0.495
									216/2	0.239
	1/20	0.277								
	17/3	0.024								
	17/1	0.287								
	1/24	0.265								
	3/1	0.394								
	3/2	0.220								
	6/1, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25/1	1.749								
	157/1	0.672								
	157/11	0.020								
	149	1.190								
	129/2	1.518								
	2/1, 2/1	0.900								
	18/8	0.213								
	186/1	1.698								
	218/1	0.179								
2/1	1.780									
271	0.370									
277	0.012									
325/1	1.390									
38	0.420									

अ.क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	भूमि का प्रकार	स्थल/ कक्ष क्रमांक	प्रमावित रकबा (हे.)	स्वीकृति क्रमांक /दिनांक
7	2017-18	राजस्व वन क्षेत्र कोण्डागांव /दहीकोंगा	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण उन्नयन हेतु	राजस्व वन भूमि	40	0.027	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-8/2016/10-2 दि.10.7.2017
					43	0.090	
					44	0.006	
					45	0.096	
					46	0.096	
					47	0.091	
					48	0.215	
					49	0.052	
					93	0.329	
					95	0.050	
योग						81.233	
8	2017-18	कोडागांव	ओ.एफ.सी. केबल लाईन कोण्डागांव से जोबा	वन भूमि	P 772	0.033	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-60/2017/10-2 दि.5.3.2018
					P 773	0.027	
					P 774	0.027	
		राजस्व वन क्षेत्र कोण्डागांव	ओ.एफ.सी. केबल लाईन कोण्डागांव से जोबा	राजस्व वन भूमि	KH N 1/20	0.005	
					KH N 1/24	0.006	
					KH N 3/1	0.007	
					KH N 6/1, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25/1	0.024	
योग						0.129	
9	2017-18	कोडागांव	ओ.एफ.सी. केबल लाईन जोबा से फरसागुडा	वन भूमि	RF 976	0.072	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-59/2017/10-2 दि. 19.2.2018
					RF 977	0.090	
					RF 970	0.042	
					RF 969	0.126	
					PF 930	0.071	
					PF 756	0.028	
					PF 751	0.024	
					PF 754	0.042	
		राजस्व वन क्षेत्र दहीकोंगा	ओ.एफ.सी. केबल लाईन जोबा से फरसागुडा	राजस्व वन भूमि	2/1	0.007	
					271	0.007	
					277	0.002	
					325/1	0.024	
					38	0.012	
					40	0.006	
					43	0.004	

अ.क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	भूमि का प्रकार	स्थल/ कक्षा क्रमांक	प्रभावित रकबा (हे.)	स्वीकृति क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
9	2017-18	राजस्व वन क्षेत्र दहीकोगा	ओ एफ.सी. केबल लाईन जोबा से फरसागुडा	राजस्व वन भूमि	44 45 46 47 48 49 97 95 100	0.002 0.004 0.004 0.003 0.007 0.004 0.011 0.003 0.006	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-5-59/2017/10-2 दि. 19.2.2018
						0.601	
10	2017-18	नारंगी	132 के व्ही. कोण्डागांव से नारायणपुर विद्युत पारेषण लाईन	वन भूमि	P 799 P 807 P 808, P809 P 838	1.226 0.738 2.153 1.503	भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/3107 दि. 12.01.2018
		राजस्व वन क्षेत्र नारंगी प.	132 के व्ही. कोण्डागांव से नारायणपुर विद्युत पारेषण लाईन	राजस्व वन भूमि	31/11 201/1 K 338/2 345/1 92	1.783 0.068 0.048 0.352 0.102	
	2017-18	राजस्व वन क्षेत्र नारंगी प.	132 के व्ही. कोण्डागांव से नारायणपुर विद्युत पारेषण लाईन	राजस्व वन भूमि	99/1 51/1 24/1 19/68 26/1 54/16 24/21 85/18 22/1 2/15 230/2 57/8,9 22 32 1 83/3 K 0.99	0.110 0.335 0.926 0.007 0.253 0.715 1.905 1.330 0.334 3.805 1.708 0.459 1.782 1.385 0.848 3.434 0.318	
						27.627	
					2017-18 का योग:-	142.350	कुल प्रकरण संख्या-10
1	2018-19				2018-19 का योग:-	निरक-	
					2016-17, 2017-18, 2018-19 का कुल योग	159.350	कुल प्रकरण संख्या-14

11

अ.क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	परियोजना का नाम	भूमि का प्रकार	स्थल/ कक्ष क्रमांक	प्रमावित रकबा (हे.)	स्वीकृति क्रमांक /दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
7	2017-18	राजस्व वन क्षेत्र कोण्डागांव /दहीकोंगा	राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण उन्नयन हेतु	राजस्व वन भूमि	40	0.027	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-8/2016/10-2 दि.10.7.2017
					43	0.090	
					44	0.006	
					45	0.096	
					46	0.096	
					47	0.091	
					48	0.215	
					49	0.052	
					93	0.329	
					95	0.050	
योग						81.233	
8	2017-18	कोडागांव	ओ.एफ.सी. केबल लाईन कोण्डागांव से जोबा	वन भूमि	P 772	0.033	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-60/2017/10-2 दि.5.3.2018
					P 773	0.027	
					P 774	0.027	
		राजस्व वन क्षेत्र कोण्डागांव	ओ.एफ.सी. केबल लाईन कोण्डागांव से जोबा	राजस्व वन भूमि	KH N 1/20	0.005	
					KH N 1/24	0.006	
					KH N 3/1	0.007	
					KH N 6/1, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25/1	0.024	
योग						0.129	
9	2017-18	कोडागांव	ओ.एफ.सी. केबल लाईन जोबा से फरसागुड़ा	वन भूमि	RF 976	0.072	छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ एफ-5-59/2017/10-2 दि. 19.2.2018
					RF 977	0.090	
					RF 970	0.042	
					RF 969	0.126	
					PF 930	0.071	
					PF 756	0.028	
					PF 751	0.024	
					PF 754	0.042	
		राजस्व वन क्षेत्र दहीकोंगा	ओ.एफ.सी. केबल लाईन जोबा से फरसागुड़ा	राजस्व वन भूमि	2/1	0.007	
					271	0.007	
					277	0.002	
					325/1	0.024	
					38	0.012	
					40	0.006	
					43	0.004	

प्रपत्र "ब"

अ.क्र.	कार्य का नाम	परियोजना का नाम	प्रत्यावर्तित वनभूमि रकबा (हे.मे.)		प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण				रिमार्क
			परिक्षेत्र	रकबा हे.	परिक्षेत्र	स्थल	रकबा हे.	व्यय राशि रु.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	क्षतिपूर्ति	इंडोर, आउट डोर स्टेडियम निर्माण	दहीकोगा	8.000	दहीकोगा	पी. 795	16.000	1025813	वर्षा ऋतु 2019 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण
2	वृक्षारोपण	एन.एच. 30 चौड़ीकरण एवं उन्नयन	कोंडागांव एवं दहीकोगा	81.233	कोंडागांव	पी. 912	14.151	847901	
			बलोद वनमण्डल	32.000	कोंडागांव	आर.एफ. 976	21.952	1198126	
			प्रत्यावर्तित रकबा		कोंडागांव	आर.एफ. 962	15.161	852132	
					नारंगी	आर.एफ. 802	15.081	1870131	
					दहीकोगा	पी. 764	20.984	990860	
					दहीकोगा	ओ.ए. जोबा	13.337	569458	
					दहीकोगा	पी. 698	14.573	1264475	
						योग :-	131.239	8618896	

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 608) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिलेवार जानकारी			
स.क्र.	जिले का नाम	किसानों की संख्या	ऋण माफी राशि (रूपये लाख में)
1	बालोद	111292	43431.96
2	बलोदा बाजार	111329	47234.13
3	बलरामपुर	33136	13781.4
4	बेमेतरा	104163	64784.03
5	बीजापुर	11341	6786.11
6	बिलासपुर	86121	36056.14
7	दत्तेवाड़ा	5951	2388.23
8	धमतरी	73685	31402.77
9	दुर्ग	89208	45402.54
10	गरियाबंद	55121	21955.23
11	जगदलपुर	34633	22704.27
12	जाजगीर-चापा	112414	54592.76
13	जशपुर	27709	12005.58
14	काकर	75577	29305.23
15	कर्वाघा	95182	60920.93
16	कोण्डागाव	36281	15023.8
17	कोरबा	22825	9217.12
18	कोरिया	26430	9770.44
19	महासमुद	113530	69694.29
20	मुंगेली	44391	25085.76
21	नारायणपुर	8113	6157.55
22	रायगढ़	98295	44518.65
23	रायपुर	79363	36298.28
24	राजनादगाव	192634	85824.32
25	सरगुजा	55853	21925
26	सूरजपुर	45461	17545.01
27	सुकमा	6918	3599.97
TOTAL		1756966	837412

प्रपत्र "ब"

स.क.	बैंक का नाम	किसानों की संख्या	ऋण माफी राशि (रुपये लाख में)
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	98209	75270
2	सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया	22480	15290
3	कार्पोरेशन बैंक	1893	1675
4	यूनियन बैंक	8028	7253
5	इंडियन बैंक	203	132
6	बैंक ऑफ इंडिया	10705	11661
7	सिंडिकेट बैंक	286	297
8	पंजाब नेशनल बैंक	29200	24993
9	केनरा बैंक	7732	4081
10	इलाहाबाद बैंक	10552	8627
11	आईडीबीआई	13493	11297
12	इंडियन ओवरसीस बैंक	2047	1579
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11581	8401
14	यूनाईटेड बैंक	782	602
15	बैंक ऑफ बड़ौदा	32064	27015
16	युको बैंक	3310	2750
17	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	276	233
18	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2664	3518
19	आंध्रा बैंक	1242	1276
20	छ0ग राज्य ग्रामीण बैंक	153827	105412
21	सहकारी बैंक	1346392	526050
	योग	1756966	837412

प्रपत्र "स"

स. क्र.	इलाहाबाद बैंक		बैंक ऑफ इंडिया		केनरा बैंक		दक्षिण बैंक		पंजाब एण्ड सिंध बैंक		मिडिकेट बैंक		यूको बैंक		बैंक ऑफ महाराष्ट्र		दक्षिण प्रोवेंसीस बैंक		अरबी बैंक	
	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)
योग	10933	16863	10705	29819	7827	8128	228	302	292	571	319	409	3310	3692	11581	10652	2035	2948	1259	1433

स. क्र.	आंध्रीबीआई		ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स		यूनियन बैंक		कार्पोरेशन बैंक		सेंट्रल बैंक		बैंक ऑफ बर्मा		पंजाब नेशनल बैंक		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		कुल	
	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)
योग	3188	9124	8028	15299	1976	2107	23102	24875	32064	60080	34702	36060	782	1013	32626	58408	32626	23610	217583	305435

प्रपत्र "स"

स. क्र.	इलाहाबाद बैंक		बैंक ऑफ इंडिया		केनरा बैंक		इंडियन बैंक		पंजाब एण्ड सिंध बैंक		मिडिकेट बैंक		यूको बैंक		बैंक ऑफ महाराष्ट्र		इंडियन ओवरसीस बैंक		अन्य बैंक	
	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)
योग	10933	16863	10705	29819	7827	8128	228	302	292	571	319	409	3310	3692	11581	10652	2035	2948	1239	1472

स. क्र.	आईबीआई		ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स		यूनियन बैंक		कार्पोरेशन बैंक		सेटुल बैंक		बैंक ऑफ बरौट		पंजाब नेशनल बैंक		यूनार्ड बैंक		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		कुल	
	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)	किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)
योग	3188	9124	8028	15299	1976	2107	23102	24879	32064	60080	34702	36060	782	1013	32626	58408	32626	23610	217583	305435

स. क.	जिलो का नाम	कुल	
		किसानों की संख्या	ऋण राशि (रु लाख में)
1	बालोद	6669	5052
2	बलोदा बाजार	13880	10922
3	बलरामपुर	1528	968
4	बेमैतरा	10819	9926
5	बीजापुर	80	51
6	बिलासपुर	10175	6785
7	दत्तेवाड़ा	249	95
8	धमतरी	14593	10256
9	दुर्ग	12303	10172
10	गरियाबंद	4020	3072
11	जगदलपुर	5799	4773
12	जाजगीर-चांपा	16718	13075
13	जशपुर	3557	2460
14	काकेर	10603	5901
15	कर्वघा	10620	8872
16	कोण्डागांव	2797	1529
17	कोरबा	1861	1602
18	कोरिया	1923	996
19	महासमुंद	21929	21587
20	मुंगेली	5465	4723
21	नारायणपुर	395	382
22	रायगढ़	8201	5875
23	रायपुर	11568	9046
24	राजनांदगाव	19757	14879
25	सरगुजा	2121	2591
26	सूरजपुर	4336	1194
27	सुकमा	117	61
योग		217583	305435

प्रपत्र "द"

स. क.	इलाहाबाद बैंक		बैंक ऑफ इंडिया		कैनरा बैंक		इंडियन बैंक		नजाम एण्ड मिथ बैंक		सिडिकॉट बैंक		पूना बैंक		बैंक ऑफ महाराष्ट्र		इंडियन ओवरसीस बैंक	
	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)
योग	16784	20784	10705	10665	7732	3679	293	119	34	196	286	260	3310	2619	11581	7377	2047	1406

स. क.	आंध्र बैंक		जाडोबीआई		आग्नेय बैंक ऑफ कॉमर्स		यूनियन बैंक		कार्पोरेशन बैंक		सेंट्रल बैंक		बैंक ऑफ बडौदा		पंजाब नेशनल बैंक	
	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)
योग	1242	1156	13493	10074	2664	3305	8028	6578	1893	1516	23102	12823	32064	27015	29200	23129

स. क.	यूनाइटेड बैंक		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		कुल	
	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)
योग	1	782	534	32626	23610	202083

स. क्र.	जिलो का नाम	कुल	
		लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी की राशि (रु लाख में)
1	बालीद	6669	5052
2	बलीदा बाजार	13880	10922
3	बलरामपुर	1528	968
4	बेमेतरा	10819	9926
5	बीजापुर	80	51
6	बिलासपुर	10175	6785
7	दत्तेवाडा	249	95
8	धमतरी	14593	10256
9	दुर्ग	12303	10172
10	गरियाबंद	4020	3072
11	जगदलपुर	5799	4773
12	जांजगीर-चापा	16718	13075
13	जशपुर	3557	2460
14	कांकेर	10603	5901
15	कवघा	10620	8872
16	कोण्डागांव	2797	1529
17	कोरबा	1861	1602
18	कोरिया	1923	996
19	महासमुंद	21929	21587
20	मुंगेली	5465	4723
21	नारायणपुर	395	382
22	रायगढ़	8201	5875
23	रायपुर	11568	9046
24	राजनांदगांव	19757	14879
25	सरगुजा	2121	2591
26	सूरजपुर	4336	1194
27	सुकमा	117	61
योग		202083	156843

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 636) के भाग (क) की जानकारी]

बैंकों के नाम		पंजाब नेशनल बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	इलाहाबाद बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	कार्पोरेशन बैंक	यूनियन बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	ओरियंटल बैंक कॉमर्स	इंडियन ओवरसीस बैंक	आईडीबीआई	यूको बैंक	सिडिकोट बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	इंडियन बैंक
स.क्र.	राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	अम्बागढ चौकी	135	0	5	1	74	0	2	39	0	42	0	0	0	0	0
2	छुरिया	0	467	119	2	47	0	24	26	5	2	7	0	0	0	0
3	डोगरगांव	0	746	40	64	30	0	462	8	16	1	38	0	0	0	6
4	डोगरगढ	272	856	308	139	79	114	205	9	13	0	44	0	0	0	3
5	खैरागढ	2486	2701	5	7	57	1	137	9	22	0	297	0	0	0	0
6	मानपुर	66	0	5	584	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	मोहला	505	0	3	0	27	0	0	19	0	1	0	0	0	0	0
8	राजनांदगांव	386	1671	18	65	94	8	208	82	56	2	121	8	87	0	5
9	छुहीखदान	518	476	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	4368	6917	503	862	479	123	1041	193	112	48	507	8	87	0	14

बैंकों के नाम		केनरा बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	आंध्रा बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल
स.क.	राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	अम्बागढ़ चौकी	0	0	0	206	7728	504
2	छुरिया	0	50	0	191	21071	940
3	डोगरगांव	16	21	0	349	14191	1797
4	डोगरगढ़	195	32	0	420	15667	2689
5	खैरागढ़	0	707	0	326	24448	6755
6	मानपुर	0	0	0	97	4531	753
7	मोहला	0	0	0	74	6653	629
8	राजनांदगांव	244	1427	38	278	17212	4798
9	छुहीखदान	0	0	0		19218	997
	योग	455	2237	38	1941	130719	150652

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 638) के भाग (ख) की जानकारी]

क.	जिला यूनियन का नाम	समिति का नाम	लाभांश (प्रोत्साहन पारिश्रमिक) का वितरण					
			वित्तीय वर्ष 2016-17 में वितरण किया गया है ।				वित्तीय वर्ष 2018-19 में वितरण किया गया है ।	
			2015		2016		2017	
			ते.प.संग्राहक परिवार संख्या	राशि	ते.प.संग्राहक परिवार संख्या	राशि	ते.प.संग्राहक परिवार संख्या	राशि
1	खैरागढ़	लालबहादुर नगर	1127	326533.00	1081	1773124.00	979	5936327.00
2		बागनदी	745	464767.00	750	1683347.00	723	5194331.00
3		कोठीटोला	792	427070.00	865	1231495.00	834	4880397.00
4		बागरेकसा	1464	1236407.00	1425	2321939.00	1393	7757854.00
5		बोरतलाव	1235	814864.00	1095	2539936.00	1124	8668180.00
6		डोंगरगढ़	1038	193530.00	998	1499562.00	1002	5683856.00
7		शिवपुरी	939	733213.00	906	1953089.00	977	8139887.00
8		मुढीपार	703	571066.00	752	842524.00	802	4254347.00
9		ईटार	660	908026.00	824	1978072.00	744	14264446.00
10		गातापार	247	88606.00	763	2752481.00	775	9280770.00
11		छुईखदान	1334	22861.00	1281	1962392.00	1372	7127218.00
12		पांडादाह	1080	446722.00	1092	1730312.00	1284	3919717.00
13		गंडई	1428	18954.00	1223	1681218.00	1334	8769964.00
14		ठाकुरटोला	1486	450485.00	1280	2856857.00	1299	9391795.00
15		बकरकट्टा	661	325351.00	714	1851841.00	801	11528686.00
16		कुम्हरवाडा	516	350015.00	530	2692908.00	555	7663791.00
17		रामपुर	883	243134.00	988	3578403.00	1040	10128277.00
18		मुरुम	418	246245.00	498	2044450.00	518	4646947.00
19		पैलीमेटा	1114	630030.00	1131	2776825.00	1202	8208674.00
20		साल्हेवारा	2472	596674.00	2929	7521761.00	3148	18940006.00
		योग :-	20342	9094553.00	21125	47272536.00	21906	164385470.00

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 831) की जानकारी]

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2019 से 15 नवम्बर 2019 तक की स्थिति में ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण विद्युत व्यवधान वाले स्थलों की तिथिवार जानकारी

क्रमांक	शहर/गांव का नाम	खराब होने की तिथि	बदलने की तिथि	टीप
1	उलनार केलाबाड़ी	09.01.2019	13.01.2019	
2	आड़ावाल गोरियाबहार	09.01.2019	14.01.2019	
3	भैंसबाधा	16.04.2019	18.04.2019	
4	नवागुड़ा	16.04.2019	20.04.2019	
5	मिल्कुलवाड़ा	20.05.2019	22.05.2019	
6	लामनी ठोटापारा	20.05.2019	17.09.2019	समीपस्थ ट्रांसफार्मर से उसी दिन विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी। सिंगल पोल में ट्रांसफार्मर स्थापित था जिसे दो पोल (डी.पी.) बनाकर ट्रांसफार्मर स्थापित करने के कारण विलंब हुआ।
7	मेटावाड़ा	17.05.2019	20.05.2019	
8	हाटपदमुर	20.05.2019	23.05.2019	
9	तुसेल कोटवार पारा	20.06.2019	20.06.2019	
10	सरगीपाल हीरमापारा	20.06.2019	21.06.2019	
11	कुलगांव	19.06.2019	19.06.2019	
12	तुसेल मांजीपारा	19.06.2019	20.06.2019	
13	साड़गुड़ आमागुड़ा	19.06.2019	21.06.2019	
14	साड़गुड़ लामनभाटा	19.06.2019	22.06.2019	
15	हिंगलाजिन राईस मिल नकटी सेमरा	29.06.2019	30.06.2019	
16	अलनार	29.06.2019	04.07.2019	
17	उलनार	19.07.2019	21.07.2019	
18	वर्धमान आटोमोटिव पंडरीपानी	07.08.2019	10.08.2019	
19	कैकागढ़	13.08.2019	16.08.2019	
20	नियानार	30.08.2019	03.09.2019	
21	कुरन्दी स्कूल पारा	10.10.2019	14.10.2019	

22	आड़ावाल खासपारा	10.10.2019	23.10.2019	समीपस्थ ट्रांसफार्मर से उसी दिन विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी
23	कैकागढ़	16.10.2019	17.10.2019	
24	छोटेमुरमा	16.10.2019	17.10.2019	
25	बालाजी कोल्ड स्टोरेज पडरीपानी	18.10.2019	21.10.2019	
26	बाल गोपाल इण्डस्ट्रीज धनपुंजी	23.01.2019	24.01.2019	
27	भाटागुड़ा (नगरनार)	31.01.2019	02.02.2019	
28	चोकावाड़ा आवासपलाट	31.01.2019	04.02.2019	
29	नगरनार	31.01.2019	02.02.2019	
30	मारकेल BSNL टावर	31.01.2019	31.01.2019	
31	भेजापदर	29.01.2019	01.04.2019	समीपस्थ ट्रांसफार्मर से दिनांक 30.01.19 को विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी
32	चिलकुटी	14.03.2019	16.03.2019	
33	कलचा	14.03.2019	14.03.2019	
34	आमागुड़ा	27.05.2019	28.05.2019	
35	कलचा	27.05.2019	28.05.2019	
36	मारकेल खासपारा	03.06.2019	03.06.2019	
37	चोकावाड़ा आवासपारा	03.06.2019	04.06.2019	
38	आमागुड़ा	25.06.2019	26.06.2019	
39	मारकेल बिरसागुड़ा	25.06.2019	30.06.2019	
40	नगरनार नदी बोड़ना	25.06.2019	26.06.2019	
41	बाबुसेमरा	19.08.2019	20.08.2019	
42	गरावण्ड कला	26.08.2019	27.08.2019	
43	धनपुंजी	26.08.2019	27.08.2019	
44	कालीपुर	09.01.2019	12.01.2019	
45	वृन्दावन कालोनी	18.01.2019	19.01.2019	
46	विजय वार्ड	02.04.2019	02.04.2019	
47	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	28.05.2019	28.05.2019	
48	सुभाष वार्ड	28.05.2019	31.05.2019	
49	अबदुल कलाम वार्ड	16.07.2019	16.07.2019	
50	कुम्हारपारा	02.08.2019	02.08.2019	
51	साकेत कालोनी	07.08.2019	07.08.2019	
52	अनुकल देव वार्ड	17.10.2019	17.10.2019	
53	शान्ति नगर	22.10.2019	22.10.2019	

54	जगदलपुर शहर (दामोदर पेट्रोल पंप के पीछे)	05.03.2019	05.03.2019	
55	जगदलपुर शहर (बृजराज नगर)	06.07.2019	07.07.2019	
56	जगदलपुर शहर (बजरंग राईस मिल के पास)	02.07.2019	03.07.2019	
57	जगदलपुर शहर (प्रातः इण्डिया समाचार)	04.09.2019	05.09.2019	
58	सेडवा	26.08.2019	27.08.2019	
59	छिन्दबहार	27.05.2019	30.05.2019	
60	मंगनार	15.05.2019	20.05.2019	
61	कामानार	20.04.2019	24.04.2019	
62	भावलीपदर	28.05.2019	30.05.2019	
63	टोपर	26.08.2019	30.08.2019	
64	काकलगुर	07.08.2019	11.08.2019	
65	दरभा	29.08.2019	30.08.2019	

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 840) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

- (i) Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged;
- (ii) The Compensatory Afforestation (CA) will be raised and maintained over double the area proposed for diversion in a degraded forest land (i.e.4.056 ha) at the cost of User Agency.
- (iii) The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional NPA, if so determined as per the final decision of Honble Supreme Court of India.
- (iv) The Nodal Officer will suggest comprehensive soil conservation measures to be undertaken at the cost of User Agency.
- (v) Over burden shall not be dumped outside the width of the rode The muck generated in the earth cutting will be disposed off at the designated dumping sites and in no case the musk/debris will be allowed to roll down the hill slopes The muck disposal plan, prepared in consultation with the State Forest Department will be submitted along with the compliance report.
- (vi) The user agency shall restrict the filling of trees of the minimum within the Right of Way.
- (vii) In case the widening of the Rode is to be done in areas already having adequate clearance, trees shall not be cut. Any tree felling shall ne done only when it is unavoidable under strict supervision of the State Forest Department.
- (viii) No labour camps shall be set up inside the forest area.
- (ix) The User Agency shall provide fuel wood preferably alternate-fuel to the labourers working at the site to avoid damage / felling of trees or the user agency to buy the fuel wood from the extracted timber from the State Department to be used by labourers.
- (x) No damage to the flora and fauna of the area shall be caused.
- (xi) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
- (xii) The user agency will not collect any toll tax from the Forest Department vehicles.
- (xiii) User Agency shall make adequate design provisions to facilitate free movement of wildlife across the road, in consultation with the State Forest Department.

- (xiv) The designing of culvert/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to waterlogging, and also does not hamper movement of wild animals.
- (xv) The user agency shall take adequate steps for prevention of water logging, sheet erosion etc. in consultation with the State Forest Department.
- (xvi) The user agency shall submit design of road widening with provisions of at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side of the road.
- (xvii) Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.
- (xviii) To avoid accidental deaths of the wild animals under speeding vehicles, the project authority shall provide speed limit signage at regular intervals. The speed limit shall be 40 km/hr. Besides, ramblers shall be provided at every one km interval.
- (xix) Any other condition that the State Govt. or the Chief Conservator of Forest (Central), Regional Office, Nagpur, may impose from time to time in the interest of conservation protection and development of flora and fauna of the area.
- (xx) Presuming the demand of forest land same, during the course of construction, some section of road may need minor deviation from proposed alignment and top width reduction also, to avoid land slide, Under such circumstances the user agency will abide by the inspections of Divisional Forest Officer and other senior forest officials.
- (xxi) No blasting of rocks will be done and such works will be carried out manually to minimize impact on the fauna found in the area.
- (xxii) If as per Environment Impact Assessment Notification 2006 any approval is needed the User Agency would get it from Ministry of Environment Forest and Climate Change New Delhi.
- (xxiii) Before handing over the forest land to the User Agency the User Agency shall abide by all the latest Rules, Regulations and Guidelines including Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006
- (xxiv) Any change in land use of Forest Land without the permission of Government of India would be treated as violation of Forest Conservation Act 1980. In case change of land use is necessary, The Nodal Officer would request Ministry of Environment Forest and Climate Change Bhopal for that.

Issued vide Govt. no. 8231/8275/04/19/nivida/B

Raipur dated 31/10/05

APPENDIX 2.10

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

DETAILED NOTICE INVITING TENDER

7.17 Work Programme and methodology of construction: The contractor shall furnish his programme of construction for execution of the work within the stipulated time and obtain the approval of the Engineer-in-Charge prior to actual commencement of work. For works costing more than 10 crores The contractor shall furnish his programme of construction for execution of the work within the stipulated time including the time and quantity schedule of material, transport, equipment, labour etc. The contractor shall also submit a statement of "Cash Flow" (as per the format enclosed) Together with methodology construction of each item of work and obtain the approval of the Engineer-in-Charge prior to actual commencement of work.

प्रपत्र "स"

1. निर्माण के दौरान घाट कटिंग से प्राप्त चट्टानों को साईज पत्थर बनाया जाकर उसे ढलान के माध्यम से गिराया गया था जिससे मौके पर 430 वृक्ष क्षतिग्रस्त हुए।
2. निर्माण एजेंसी द्वारा मौके पर लगभग 0.201 हे. में नियम विरुद्ध 2741.10 घ.मी. मुरूम की खुदाई करने की अनियमितता की गई।
3. यूजर एजेंसी को वनमण्डलाधिकारी कांकेर के पत्र क्रमांक /मा.चि./6202 दिनांक 23.6.2018 के द्वारा उक्त निर्माण कार्य में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आधार पर रू. 5868929.00 (अनठावन लाख अड़सठ हजार नौ सौ उनतीस रूपये) क्षतिपूर्ति राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

यूजर एजेंसी द्वारा दिनांक 29.11.2018 को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से क्षतिपूर्ति की उपरोक्त राशि जमा किया गया जिसे चालान के माध्यम से दिनांक 01.12.2018 को खजाना दाखिल किया गया।

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 845) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से सम्मति प्राप्त राईस मिलों की सूची

क्र.सं.	राईस मिल का नाम एवं पता
1.	मेसर्स बंशी राईस मिल, ग्राम-मोहलई पण्डानार, जिला-बस्तर (छ.ग.)
2.	मेसर्स बाबा चाँवल उद्योग, ग्राम-मारकेल, जिला-बस्तर (छ.ग.)
3.	मेसर्स भानुप्रकाश चाँवल उद्योग, ग्राम-देवडा, जिला-बस्तर (छ.ग.)
4.	मेसर्स रजा राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मसगांव, जिला-बस्तर (छ.ग.)
5.	मेसर्स आर.बी.राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बालेंगा, जिला-बस्तर (छ.ग.)
6.	मेसर्स बरवाटिया एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बालेंगा, जिला-बस्तर (छ.ग.)
7.	मेसर्स रजा फूड्स ग्राम-मसगांव, जिला-बस्तर (छ.ग.)
8.	मेसर्स गणपति राईस मिल, ग्राम-मोहलई, जिला-बस्तर (छ.ग.)
9.	मेसर्स नारायण राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-छोटे देवडा, जिला-बस्तर (छ.ग.)
10.	मेसर्स मत्ता इण्डस्ट्रीज, सेमी अरबन इण्डस्ट्रीयल एरिया, फ्रेजरपुर, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)
11.	मेसर्स शुभ मंगल इण्डस्ट्रीज (अरवा राईस मिल) ग्राम मोहलई, जिला-बस्तर (छ.ग.)
12.	मेसर्स दुर्गा एग्रो ग्राम-दुधावा, जिला-कांकेर (छ.ग.)
13.	मेसर्स सरस्वती राईस मिल, ग्राम-कोकानपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
14.	मेसर्स अरिहंत राईस मिल, ग्राम-आंवरी चारामा, जिला-कांकेर (छ.ग.)
15.	मेसर्स बरकत राईस मिल, ग्राम-माटवाडा लाल, जिला-कांकेर (छ.ग.)
16.	मेसर्स राजहंस राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-संबलपुर, भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
17.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पाण्डरवाही, जिला-कांकेर (छ.ग.)
18.	मेसर्स हिमांशी राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-हाराडुला, जिला-कांकेर(छ.ग.)
19.	मेसर्स या बाबा राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बार देवरी, जिला-कांकेर (छ.ग.)
20.	मेसर्स महक राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुलगाव, जिला-कांकेर (छ.ग.)
21.	मेसर्स श्री राम उसना राईस मिल ग्राम-नंदनमारा, जिला-कांकेर (छ.ग.)
22.	मेसर्स माही राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम-पटौड, जिला-कांकेर (छ.ग.)
23.	मेसर्स महामाया राईस मिल ग्राम-साल्हेटोला (बाबू), जिला-कांकेर (छ.ग.)
24.	मेसर्स प्रिया राईस मिल ग्राम-आमाकडा, संबलपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
25.	मेसर्स जय भोले राईस मिल, ग्राम-हाराडुला, जिला-कांकेर (छ.ग.)

26.	मेसर्स सृष्टि एग्रो, इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुलगांव, जिला-कांकेर (छ.ग.)
27.	मेसर्स जयसवाल राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मालगांव, जिला-कांकेर (छ.ग.)
28.	मेसर्स कमला राईस मिल ग्राम-पी.व्ही. 14, श्याम नगर, पखांजूर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
29.	मेसर्स जय माँ दुर्गा राईस मिल ग्राम-पी.व्ही. 22, लखनपुर, पखांजूर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
30.	मेसर्स श्री कृष्णा राईस मिल ग्राम-हांकेर, पखांजूर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
31.	मेसर्स मजीसा एग्रो प्रोडक्ट, इण्डस्ट्रीयल एरिया, अडका छेपडा पारा, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)
32.	मेसर्स ए.बी. राईस मिल, ग्राम-पिपरा, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

प्रश्नाधीन अवधि (01-04-2014 से 31-03-2019 तक) में प्रदूषण फैलाने बाबत प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही संबंधी जानकारी

क्रमांक	शिकायतकर्ता का नाम / माध्यम	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही	की गई कार्यवाही
1.	श्री हर्षवीर सिंह, पार्षद महात्मा गांधी वार्ड, कोण्डागाँव एवं अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, कोण्डागाँव	मेसर्स मजीसा एगो प्रोडक्ट (उसना राईस मिल) से जल एवं वायु प्रदूषण के संबंध में।	दिनांक 04/03/2015 एवं 25/05/2015 को ईकाई का निरीक्षण किया गया। ईकाई में दूषित जल उपचार व्यवस्था एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पाई गई। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
2.	श्रीमती विमला देवांगन एवं अन्य	मेसर्स देवांगन राईस मिल, पथरागुड़ा, सिविल लाईन्स, जगदलपुर से वायु प्रदूषण के संबंध में।	दिनांक 21/08/2015 को निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या अवलोकित नहीं की गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
3.	लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त शिकायत	मेसर्स किसान कौशिक राईस मिल (बस्तर हॉलर फ्लोर मिल) भट्टी पारा अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 11, नगर पंचायत -बस्तर, जिला-बस्तर से प्रदूषण के संबंध में।	दिनांक 18/04/2017 के दौरान मिल बंद पाई गई तथा भूसे को खुले में रखा जाना पाया गया। उद्योग को पत्र दिनांक 19/04/2017 द्वारा बंद शेड में भूसी को संग्रहित करने बाबत निर्देशित किया गया। ईकाई द्वारा उक्त कार्यवाही कर ली गई है।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
4.	लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त शिकायत	मेसर्स आर.बी. राईस मिल (अरवा) जिला-बस्तर से प्रदूषण के संबंध में।	दिनांक 19/01/2018 को निरीक्षण के दौरान धान भूसी खुले में रखा जाना एवं मंडल से सम्मति प्राप्त किये बिना उत्पादनरत होना पाया गया। उद्योग को पत्र दिनांक 22/01/2018 द्वारा बंद शेड में भूसी को	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

26.	मेसर्स सृष्टि एगो, इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुलगांव, जिला-कांकेर (छ.ग.)
27.	मेसर्स जयसवाल राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मालगांव, जिला-कांकेर (छ.ग.)
28.	मेसर्स कमला राईस मिल ग्राम-पी.व्ही. 14, श्याम नगर, पखांजूर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
29.	मेसर्स जय माँ दुर्गा राईस मिल ग्राम-पी.व्ही. 22, लखनपुर, पखांजूर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
30.	मेसर्स श्री कृष्णा राईस मिल ग्राम-हांकेर, पखांजूर, जिला-कांकेर (छ.ग.)
31.	मेसर्स मजीसा एगो प्रोडक्ट, इण्डस्ट्रीयल एरिया, अडका छेपडा पारा, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)
32.	मेसर्स ए.बी. राईस मिल, ग्राम-पिपरा, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

प्रपत्र "ब"

प्रश्नाधीन अवधि (01-04-2014 से 31-03-2019 तक) में प्रदूषण फैलाने बाबत प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही संबंधी जानकारी

क्रमांक	शिकायतकर्ता का नाम / माध्यम	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही	की गई कार्यवाही
1.	श्री हर्षवीर सिंह, पार्षद महात्मा गांधी वार्ड, कोण्डागाँव एवं अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, कोण्डागाँव	मेसर्स मजीसा एग्रो प्रोडक्ट (उसना राईस मिल) से जल एवं वायु प्रदूषण के संबंध में।	दिनांक 04/03/2015 एवं 25/05/2015 को ईकाई का निरीक्षण किया गया। ईकाई में दूषित जल उपचार व्यवस्था एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पाई गई। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
2.	श्रीमती विमला देवांगन एवं अन्य	मेसर्स देवांगन राईस मिल, पथरागुड़ा, सिविल लाईन्स, जगदलपुर से वायु प्रदूषण के संबंध में।	दिनांक 21/08/2015 को निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या अवलोकित नहीं की गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
3.	लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त शिकायत	मेसर्स किसान कौशिक राईस मिल (बस्तर हॉलर फ्लोर मिल) भट्टी पारा अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 11, नगर पंचायत -बस्तर, जिला-बस्तर से प्रदूषण के संबंध में।	दिनांक 18/04/2017 के दौरान मिल बंद पाई गई तथा भूसे को खुले में रखा जाना पाया गया। उद्योग को पत्र दिनांक 19/04/2017 द्वारा बंद शेड में भूसी को संग्रहित करने बाबत निर्देशित किया गया। ईकाई द्वारा उक्त कार्यवाही कर ली गई है।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
4.	लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त शिकायत	मेसर्स आर.बी. राईस मिल (अरवा) जिला-बस्तर से प्रदूषण के संबंध में।	दिनांक 19/01/2018 को निरीक्षण के दौरान धान भूसी खुले में रखा जाना एवं मंडल से सम्मति प्राप्त किये बिना उत्पादनरत होना पाया गया। उद्योग को पत्र दिनांक 22/01/2018 द्वारा बंद शेड में भूसी को	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

			संग्रहित करने बाबत निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में संचालक द्वारा व्यवस्था में सुधार कर सम्मति प्राप्त कर ली गई है।	
5.	लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त शिकायत	मेसर्स शंकर राईस मिल, ग्राम-झीपाटोला, जिला-कांकेर से प्रदूषण के संबंध में।	उद्योग का निरीक्षण 20/03/2018 को किया गया। उद्योग को पूर्व में बंद शेड में भूसी को संग्रहित करने एवं मंडल से सम्मति प्राप्त करने बाबत नोटिस जारी किया गया था। निरीक्षण के दौरान उद्योग बंद पाया गया। उद्योग द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत ही उत्पादन पुनः आरंभ करने की जानकारी दी गई है।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
6.	कलेक्टर कार्यालय, कोण्डागाँव के माध्यम से प्राप्त शिकायत	मेसर्स दाऊद एग्री अरवा राईस मिल, ढोडरा पारा, केशकाल, जिला-कोण्डागाँव से प्रदूषण के संबंध में।	उद्योग का निरीक्षण दिनांक 10/09/2018 को किया गया। उद्योग बंद पाया गया तथा शिकायत में दिये गये तथ्य सही नहीं पाये गये। उद्योग वर्तमान में बंद है।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
7.	ग्रामवासी नहर पारा, तोंगपाल, जिला-सुकमा से प्राप्त शिकायत	मेसर्स अरिहत राईस मिल (अरवा), ग्राम-तोंगपाल, जिला-सुकमा से प्रदूषण के संबंध में।	उद्योग का निरीक्षण 30/03/2019 को किया गया। उद्योग को पूर्व में बंद शेड में भूसी को संग्रहित करने एवं मंडल से सम्मति प्राप्त करने बाबत नोटिस जारी किया गया था। निरीक्षण के दौरान उद्योग बंद पाया गया। उद्योग द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत ही उत्पादन पुनः आरंभ करने की जानकारी दी गई है।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 861) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

स.क	बैंक का नाम	कृषकों की संख्या	ऋण राशि (रू.लाख में)
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	379	397
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3	4
3	कार्पोरेशन बैंक	0	0
4	यूनियन बैंक	536	955
5	इंडियन बैंक	0	0
6	बैंक ऑफ इंडिया	389	460
7	सिंडिकेट बैंक	0	0
8	पंजाब नेशनल बैंक	373	602
9	केनरा बैंक	110	94
10	इलाहाबाद बैंक	881	675
11	आईडीबीआई	64	136
12	इंडियन ओवरसीस बैंक	2	2
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0	0
14	यूनाइटेड बैंक	0	0
15	बैंक ऑफ बडौदा	266	377
16	युको बैंक	0	0
17	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	0	0
18	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0
19	आंध्रा बैंक	49	64
20	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2771	1732.04
21	सहकारी बैंक	22383	7181.01
	योग	28206	12678.59

प्रपत्र "ब"

स.क	बैंक का नाम	लाभान्वित कृषकों की संख्या	ऋण माफी राशि (रु.लाख में)
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	379	266
2	सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3	3
3	कार्पोरेशन बैंक	0	0
4	यूनियन बैंक	540	501
5	इंडियन बैंक	0	0
6	बैंक ऑफ इंडिया	389	307
7	सिंडिकेट बैंक	0	0
8	पंजाब नेशनल बैंक	364	501
9	केनरा बैंक	110	28
10	इलाहाबाद बैंक	1096	1096
11	आईडीबीआई	63	65
12	इंडियन ओवरसीस बैंक	2	1
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0	0
14	यूनाइटेड बैंक	0	0
15	बैंक ऑफ बड़ौदा	266	202
16	युको बैंक	0	0
17	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	0	0
18	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0
19	आंध्रा बैंक	50	64
20	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2604	1605
21	सहकारी बैंक	22383	7181
	योग	28249	11820.04

परिशिष्ट "बाईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 864) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य संख्या	कार्य एजेन्सी के नाम	कार्यों की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
वित्तीय वर्ष 2017-18				
1	प्रधानमंत्री उज्वला योजना	01	खाद्य विभाग गरियाबंद	पूर्ण
2	आधुनिक कृषि यंत्रों की स्थापना	01	कृषि विज्ञान केन्द्र गरियाबंद	अपूर्ण
3	04 ग्रामों में घरेलु कुक्कुट संधारणीय विकास कार्यक्रम,	01		पूर्ण
4	ग्राम पंचायत सढौली में पार्किंग सेड निर्माण एवं तालाब पुनरोद्धार कार्य हेतु अभिसरण योजना	01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गरियाबंद	पूर्ण
5	ग्राम पंचायत सढौली में तालाब पुनरोद्धार अंतर्गत सोलर लाईट कार्य हेतु अभिसरण योजना	01	क्रेडा विभाग गरियाबंद	पूर्ण
6	105 उचित मूल्य दुकान निर्माण मनरेगा के कन्वर्जेंस में डीएमएफ से स्वीकृति	01	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अपूर्ण
वित्तीय वर्ष 2018-19				
7	जल संसाधन विभाग गरियाबंद के लघु सिंचाई हेतु नहर प्राणाली के मरम्मत कार्य की स्वीकृति	01	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन गरियाबंद	पूर्ण
8	15 उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की स्वीकृति	01	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गरियाबंद	अपूर्ण
9	कंपनी कामण्डर एफ/211 वी/वाहिनी के.रि. पु.बल जुगाड़ मे 200 मीटर पाईप बिछाने हेतु	01	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूर्ण
10	कंपनी कामण्डर एफ/211 वी/वाहिनी के.रि. पु.बल इंदागांव में जी.आई. पाईप सामग्री एवं प्लम्बर	01		पूर्ण
11	संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में पम्प हाउस तथा मोनोब्लाक पावर पंप का स्थापना	01		पूर्ण
12	ग्राम पंचायत गोहेकला में 04 नग सोलर डयूल पंप स्थापना	01		पूर्ण
13	संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में आर.ओ. प्लांट की स्थापना	01		पूर्ण
14	प्रधानमंत्री उज्जलवला योजना अंतर्गत गैस, गोदाम एवं शोरूम निर्माण, आफिस उपकरण	01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर	अपूर्ण
15	शासकीय देवी संपदा उच्च माध्यमिक शाला राजिम के पुराने खण्ड में नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापना हेतु मरम्मत कार्य एवं साफ-सफाई कार्य	01	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत राजिम	पूर्ण
16	जवाहर नवोदय विद्यालय राजिम में पूर्व निर्मित भवनों के ऊपर अतिरिक्त कक्ष निर्माण	01		पूर्ण
17	80 आदर्श आंगनवाडी केन्द्रों में गैस कनेक्शन हेतु	01	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास	पूर्ण

क	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य संख्या	कार्य एजेन्सी के नाम	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5
18	अभिसरण योजना डीएमएफ के तहत 36 आंगनवाड़ी निर्माण कार्य	01	महिला एवं बाल विकास एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अपूर्ण
19	42 आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु मनरेगा के कन्वर्जेंस में डीएमएफ से	01		अपूर्ण
20	प्राथमिक शाला नगरनार, सोरिद खुर्द, नवगाँव, आडपाथर, सुपेबेडा, भेजीपदर, खोखमा, नकबेल में 12 अतिरिक्त कक्ष	01	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	अपूर्ण
21	जिला अस्पताल में आवश्यक मरम्मत एवं अधोसंरचना निर्माण	01	पीडब्ल्यूडी /आईएस /सीएमओ	पूर्ण
22	गरियाबंद में व्यायाम शाला स्थापना	01	नगर पालिका परिषद गरियाबंद	पूर्ण
23	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खडमा में अहाता निर्माण	01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुरा	पूर्ण
वित्तीय वर्ष 2019-20 (01 नवम्बर, 2019 तक)				
24	सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु एम्बुलेंस क्रय बाबत	05	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद	अपूर्ण
25	20 हजार गर्भवती महिलाओं हेतु हिमोग्लोबिन स्ट्रीप	01		अपूर्ण
26	जिला अस्पताल गरियाबंद में 02 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्ति करने हेतु	02		अपूर्ण
27	पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति (मैनपुर एवं देवभोग)	20		अपूर्ण
28	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य लाभ हेतु मशीन क्रय करने एवं रिएजेण्ट, बायोकेमेस्ट्री, सीबीसी मशीन इत्यादि	06		अपूर्ण
29	रैबीज इंजेक्शन हेतु	01		अपूर्ण
30	जिला अस्पताल मर्चुरी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	01	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग गरियाबंद	अपूर्ण
31	जिला अस्पताल गरियाबंद में बाउण्ड्रीवाल	01	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गरियाबंद	अपूर्ण
32	सुपोषण व्यवस्था(3644 गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु)	01	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास गरियाबंद	अपूर्ण
33	प्रशिक्षण संस्था हेतु 30 बैच एवं अन्य सामग्री	01	प्राचार्य आईटीआई देवभोग	अपूर्ण
34	विभाग में संचालित कन्या छात्रावास /आश्रमों में सी.सी.टी.वी. कैमरा सिस्टम स्थापित करने हेतु	06	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास गरियाबंद	अपूर्ण
35	ग्राम कुल्हाड़ीघाट के उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं कन्या छात्रावास में सौर संयंत्र की स्थापना	02	सहायक अभियंता क्रेडा गरियाबंद	अपूर्ण
36	रेशम केन्द्र किरवई में धागाकरण कार्य प्रारंभ हेतु रीलिंग कार्य / प्रशिक्षण हेतु	01	सहायक संचालक रेशम जिला गरियाबंद	अपूर्ण
37	ग्राम कोकड़ी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (दिव्यांग) के लिए आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु हाल / कक्ष / शौचालय निर्माण	01	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गरियाबंद	अपूर्ण

परिशिष्ट "तेईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 906) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रदेश में दिनांक 05-11-2019 तक रेत उत्खनन के जारी एन.आई.टी. की जानकारी

क्र.	रेत खदानों का नाम जिनमें दिनांक 05.11.2019 तक टेंडर खोले जा चुके हैं	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी दिनांक
	2.	3.
जिला-बालोद		
1	अरौद	21.08.2019
2	देवीनवागांव	21.08.2019
3	रौना	21.08.2019
4	भरदाखुर्द	21.08.2019
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा		
1	सिरियाडीह	19.08.2019
2	तिल्दा	19.08.2019
3	हरदी बी-1	19.08.2019
4	हरदी बी-2	19.08.2019
5	अमलडीहा	19.08.2019
6	कोट(रा.)	19.08.2019
जिला-बिलासपुर		
1	घुटकू	19.08.2019
2	लछनपुर	19.08.2019
3	सरकंडा	19.08.2019
4	मंगला	19.08.2019
5	उरतुम	19.08.2019
6	चोरहादेवरी	19.08.2019
7	अकलतरी	19.08.2019
8	रहटाटोर	19.08.2019
9	मनवा	19.08.2019
10	कुकुरदीकेरा	19.08.2019
11	भिलौनी	19.08.2019
12	अमलडीहा	19.08.2019
13	उदईबंद	19.08.2019
14	पहंदा	05.10.2019
15	कोनचरा	05.10.2019
16	सोढाखुर्द	05.10.2019
17	रतखण्डी	05.10.2019
18	सिलदहा	05.10.2019
19	खोडरी	05.10.2019
जिला- बस्तर		
1	कलचा	26.08.2019
2	बनियागांव	26.08.2019

क्र.	रेत खदानों का नाम जिनमें दिनांक 05.11.2019 तक टेंडर खोले जा चुके हैं	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी दिनांक
1.	2.	3.
जिला-बेमेतरा		
1	ताकम	20.08.2019
जिला-धमतरी		
1	डाभा	22.08.2019
2	नवीन जोरातराई	22.08.2019
3	राजपुर	22.08.2019
जिला-दुर्ग		
1	कोनारी	21.08.2019
2	भरदा	21.08.2019
3	पीपरछेड़ी	21.08.2019
4	कोटनी	21.08.2019
5	तरीघाट	21.08.2019
6	सिपकोन्हा	21.08.2019
7	उफरा	21.08.2019
जिला-गरियाबंद		
1	पुरनापानी	20.08.2019
2	पसौद	20.08.2019
3	पोलकर्सी	20.08.2019
जिला-जशपुर		
1	टांगरगांव	07 / 10 / 2019
2	अमडीहा(बलुवाबहार)	07 / 10 / 2019
जिला जांजगीर-चाम्पा		
1	देवरघटा	19.08.2019
2	तनौद	19.08.2019
3	खोरसी-1	19.08.2019
4	खोरसी-2	19.08.2019
5	देवरी	19.08.2019
6	महन्तपारा	19.08.2019
7	भोगहापारा	19.08.2019
8	मिरौनी	19.08.2019
9	सुलौनी	19.08.2019
10	हथनेवरा	19.08.2019
11	जुनाडीह (सोनाईडीह)	19.08.2019
12	हरदी	19.08.2019
13	बरहागुडा	19.08.2019
14	चोरिया	19.08.2019
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर		
1	सराधूनवागांव	04.10.2019
2	करिहा	04.10.2019
3	नारा	04.10.2019
4	माहूद	04.10.2019

क्र.	रेत खदानों का नाम जिनमें दिनांक 05.11.2019 तक टेंडर खोले जा चुके हैं	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी दिनांक
1.	2.	3.
5	भिलाई	04.10.2019
6	चवेला	04.10.2019
7	चिनौरी	04.10.2019
8	गिरहोला	04.10.2019
जिला-कोरबा		
1	गेरवा	20.08.2019
2	मोतीसागर	20.08.2019
3	कसनिया	20.08.2019
4	छुरीकला	20.08.2019
जिला-कबीरधाम		
1	अंधरीकछार	19.08.2019
जिला-महासमुंद		
1	बरबसपुर अ	22.08.2019
2	बरबसपुर ब	22.08.2019
3	पासीद	22.08.2019
4	मुड़ियाडीह	22.08.2019
5	बल्दीडीह	22.08.2019
जिला-मुंगेली		
1	बघर्रा	19.08.2019
2	जमुनाही	19.08.2019
3	जमुनाही	19.08.2019
जिला-रायपुर		
1	गौरभाट / आरंग	19.08.2019
2	कागदेही / आरंग	19.08.2019
3	कुरुद / आरंग	19.08.2019
4	पारागांव / अभनपुर	19.08.2019
जिला-राजनांदगांव		
1	खुटेरी	20.08.2019
2	भरगांव	20.08.2019
3	ईरा	20.08.2019
4	घोरदा	20.08.2019
5	कोटरासरार	20.08.2019
जिला-रायगढ़		
1	जसरा	19.08.2019
2	बरभाटा	19.08.2019
जिला-सरगुजा		
1	भंवराडांड	20.08.2019
जिला-सूरजपुर		
1	कांतिपुर	05.10.2019
2	सेमरा	05.10.2019

क्र.	रेत खदानों का नाम जिनमें दिनांक 05.11.2019 तक टेंडर खोले जा चुके हैं	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी दिनांक
1.	2.	3.
जिला-बीजापुर		
1	तारलागुड़ा	29.08.2019
2	रेगुड़ा	29.08.2019
3	चेरपाल	29.08.2019
4	पेदोकोड़ेपाल	29.08.2019
5	मंगलनार	29.08.2019
जिला-सुकमा		
1	कोन्टा	27.08.2019
2	कोन्टा	27.08.2019
3	केरलापाल	27.08.2019
4	किन्दरवाडा	27.08.2019
जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा		
1	हितामेटा	01.10.2019
2	बालूद अ, ब, स	01.10.2019
3	मांझीपदर	01.10.2019
4	गुमडा, बालपेट	01.10.2019
5	बड़े तुमनार	01.10.2019
6	कारली, बड़े कारली	01.10.2019
7	बड़े सुरोखी 1, बड़े सुरोखी 2	01.10.2019
8	समलूर	01.10.2019
जिला-नारायणपुर		
1	गढबेंगाल	23.08.2019
2	ब्रेहबेड़ा	23.08.2019
जिला-कोण्डागांव		
	निरंक	निरंक
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज		
	निरंक	निरंक
जिला-कोरिया		
	निरंक	निरंक

परिशिष्ट "चौबीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1024) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विकासखण्डवार एवं वित्तीय वर्ष वार कृषि जमीन में लगाए गए टावरों एवं कृषकों की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	वित्तीय वर्ष	टावरों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	जांजगीर-चाम्पा	जांजगीर	2017-18	54	328
			2018-19	निरंक	निरंक
			2019-20 (31 अक्टूबर 2019 तक)	निरंक	निरंक
2	जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	2017-18	26	288
			2018-19	निरंक	निरंक
			2019-20(31 अक्टूबर 2019 तक)	निरंक	निरंक
3	जांजगीर-चाम्पा	डभरा	2017-18	65	1037
			2018-19	निरंक	निरंक
			2019-20(31 अक्टूबर 2019 तक)	निरंक	निरंक
4	रायगढ़	घरघोड़ा	2017-18	37	95
			2018-19	15	68
			2019-20(31 अक्टूबर 2019 तक)	निरंक	निरंक
5	रायगढ़	रायगढ़	2017-18	21	273
			2018-19	निरंक	निरंक
			2019-20(31 अक्टूबर 2019 तक)	निरंक	निरंक
6	रायगढ़	तमनार	2017-18	21	203
			2018-19	निरंक	निरंक
			2019-20(31 अक्टूबर 2019 तक)	निरंक	निरंक
7	रायगढ़.	पुसौर	2017-18	52	594
			2018-19	निरंक	निरंक
			2019-20(31 अक्टूबर 2019 तक)	निरंक	निरंक
योग				291	2,886

परिशिष्ट "पच्चीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1026) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जांच दल में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

क्रमांक	नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1.	2.	3.	4.
1	श्रीमती नंदिनी साहू	डिप्टी कलेक्टर, कोरबा	राजस्व विभाग
2	श्री मनीष साहू	एसडीएम, पोडी	
3	श्री सुरेन्द्र नायक	एसडीएम, करतला	
4	सोनल मेटिया	तहसीलदार, करतला	
5	श्री सुरेश कुमार साहू	तहसीलदार, कोरबा	
6	श्री रवि शंकर राठौर	नायब तहसीलदार, कटघोरा	
7	श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार, पाली	
8	श्री पी0आर0 सलामे	नायब तहसीलदार, कोरबा	
9	श्री डी0 महेश बाबू	संयुक्त संचालक (खनि प्रशा.)	खनिज साधन विभाग
10	श्री महिपाल सिंह कंवर	उप-संचालक (खनि प्रशा.)	
11	श्री भूपेन्द्र चंद्राकर	उप-संचालक (खनि प्रशा.)	
12	श्री एन0के0 सूर	खनि अधिकारी	
13	श्री रमाकांत सोनी	सहायक खनि अधिकारी	
14	श्री प्रवीण चन्द्राकर	सहायक खनि अधिकारी	
15	श्री अनिल साहू	सहायक खनि अधिकारी	
16	श्री हीरादास भारद्वाज	सहायक खनि अधिकारी	
17	श्री बजरंग सिंह पैकरा	सहायक खनि अधिकारी	
18	श्री अवधेश बारीक	सहायक खनि अधिकारी	
19	श्री योगेश साहू	सहायक खनि अधिकारी	
20	श्री फागूलाल नागेश	सहायक खनि अधिकारी	
21	श्री किशोर कुमार बंजारे	सहायक खनि अधिकारी	
22	श्री विवेक साहू	खनि निरीक्षक	
24	श्री नीरज शर्मा	खनि निरीक्षक	
25	श्री जागृत जायकवाड़	खनि निरीक्षक	
26	श्री बबलू पाण्डे	खनि निरीक्षक	
27	श्री राहुल गुलाटी	खनि निरीक्षक	
28	श्री राकेश वर्मा	खनि निरीक्षक	
29	श्री सुभाष साहू	खनि निरीक्षक	
30	डॉ0 अनिता सावंत	मुख्य रसायनज्ञ	पर्यावरण विभाग
31	डॉ0 एम0पी0 मिश्रा	मुख्य रसायनज्ञ	
32	श्री आर0के0 शर्मा	क्षेत्रीय अधिकारी, रायगढ़	
33	श्री मानिक चंदेल,	रसायनज्ञ, कोरबा	
34	श्री एल0एस0 चंद्राकर	अधीक्षण अभियंता	जल संसाधन विभाग
35	श्री आर0पी0 शुक्ला	कार्यपालन अभियंता, कोरबा	
36	श्री समीर कुमार गौर	कार्यपालन अभियंता	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
37	श्री रंजीत कुमार	कार्यपालन अभियंता	विद्युत विभाग
38	श्री विजय सोनी	उप-संचालक	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग

प्रपत्र "ब"

कोरबा जिले में संचालित कोल वाशरियों में की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	कोल वाशरी का नाम	कोल वाशरियों में पाई गई अनियमितता	कोल वाशरियों में की गई कार्यवाही
1	मेसर्स स्वास्तिक पावर एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. कनबेरी	जल संसाधन विभाग कोरबा का जलकर की राशि रूपये 3,64,841/- बकाया पाया गया।	अनुज्ञापितधारी पर बकाया जलकर की राशि रूपये 3,64,841/- को जमा करने हेतु नोटिस दिया गया तथा सम्पूर्ण बकाया राशि दिनांक 08.07.2019 को जमा कराया गया।
2	मेसर्स ए.सी.बी. (इण्डिया) लि. गोवरा वाशरी, ग्राम दीपका	कोल वाशरी की भण्डारण क्षमता 2.00 लाख टन से अधिक भण्डारण 9.40 लाख टन भण्डारण होना पाया गया	छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 14(6) का उल्लंघन पाये जाने पर नियम 15(2) के तहत भण्डारण आवेदन शुल्क रूपये 40,16,000/- के डेढ़ गुना राशि रूपये 60,24,000/- अर्धदण्ड आरोपित किया गया। सम्पूर्ण आरोपित अर्धदण्ड की राशि 60,24,000/- चालान क्रमांक 72, दिनांक 03.07.2019 को जमा कराया गया।
3	मेसर्स ए.सी.बी. (इण्डिया) लि. दीपका वाशरी, ग्राम बेलटिकरी	कोल वाशरी की भण्डारण क्षमता 2.00 लाख टन से अधिक 6.62 लाख टन भण्डारित होना पाया गया	छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 14(6) का उल्लंघन पाये जाने पर नियम 15 (2) के तहत भण्डारण आवेदन शुल्क रूपये 40,16,000/- के डेढ़ गुना राशि रूपये 60,24,000/- अर्धदण्ड आरोपित किया गया। सम्पूर्ण आरोपित अर्धदण्ड की राशि 60,24,000/- चालान क्रमांक 74, दिनांक 03.07.2019 को जमा कराया गया।
4	मेसर्स ए.सी.बी. इण्डिया लि. चाकाबुड़ा वाशरी, ग्राम कसईपाली	कोल वाशरी की भण्डारण क्षमता 2.00 लाख टन से अधिक 6.57 लाख टन भण्डारित होना पाया गया।	छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 14 (6) का उल्लंघन पाये जाने पर नियम 15 (2) के तहत भण्डारण आवेदन शुल्क रूपये 40,16,000/- के डेढ़ गुना राशि रूपये 60,24,000/- अर्धदण्ड आरोपित किया गया। सम्पूर्ण आरोपित अर्धदण्ड की राशि 60,24,000/- चालान क्रमांक 77, दिनांक 03.07.2019 को जमा कराया गया।
5	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लि. ग्राम रतिजा	कोल वाशरी की भण्डारण क्षमता 1.00 लाख टन से अधिक 4.37 लाख टन भण्डारित होना पाया गया।	छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 14(6) का उल्लंघन पाये जाने पर नियम 15(2) के तहत भण्डारण आवेदन शुल्क रूपये 20,16,000/- के डेढ़ गुना राशि रूपये 30,24,000/- अर्धदण्ड आरोपित किया गया। सम्पूर्ण आरोपित अर्धदण्ड की राशि 30,24,000/- चालान क्रमांक 35, दिनांक 02.07.2019 को जमा कराया गया।
6	मे. मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लि. ग्राम रतिजा	वाशरी क्षेत्र से बिना वैध अभिवहन पास के खनिज कोयला परिवहन करते 07 वाहनो का जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।	खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के तहत कार्यवाही कर, 9,46,195/- रूपये वसूल किया गया।

परिशिष्ट "छब्बीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1037) के भाग (ख) की जानकारी]

आरा मशीन संचालकों के विरुद्ध लंबित प्रकरणों की जानकारी

क्रमांक	आरामशीन/संचालक का नाम व पता	प्रकरण पर कार्यवाही कब तक पूर्ण की जायेगी	रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पिता श्री रामप्रसाद अग्रवाल, घठौली चौक चाम्पा	15.12.2019 तक	—
2	श्री देवदत्त अग्रवाल पिता स्व. रामदेव अग्रवाल, स्टेशन रोड चाम्पा	15.12.2019 तक	—
3	श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल पिता श्री आर.डी. अग्रवाल, पुराना कॉलेज चाम्पा	15.12.2019 तक	—
4	श्री संतोष कुमार पिता जेटूराम केशरवानी, पीआईएल रोड चाम्पा	15.12.2019 तक	—
5	श्री राजेश कुमार अग्रवाल पिता के.सी. अग्रवाल, लछनपुर	15.12.2019 तक	—
6	श्री शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता राजेश अग्रवाल, सिवनी	15.12.2019 तक	—
7	श्री राज अग्रवाल पिता श्री के.सी. अग्रवाल, सिवनी	15.12.2019 तक	—

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1046) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्रेडा द्वारा मोतीपुर नवागांव से डोंगरगढ़ तक सौर उर्जा प्लांट स्थापना कार्य के लागत की जानकारी

क्रमांक	स्थल का नाम	संयंत्र क्षमता (कि. वा. में)	सोलर पावर प्लांट लागत राशि (रूपए में)	स्ट्रक्चर लागत राशि (रूपए में)	फेंसिंग लागत राशि (रूपए में)	कुल लागत राशि (रूपए में)
1	ग्राम-माडीतरई (सामुदायिक भवन के पास) -2	6	752560	140000	81426	973986
2	ग्राम-टेका (नाला के पास, आम बगीचा)	6	752560	140000	90376	982936
3	ग्राम-मुसराकला (पारस कृषि केन्द्र के सामने)	6	752560	140000	84373	976933
4	ग्राम-हरदी (माधुरी ट्रेडर्स के सामने)	6	752560	140000	88957	981517
5	ग्राम-सुकुलदैहान (सामुदायिक भवन के पास)	6	752560	36000	0	788560
6	ग्राम-दुसेरा (सामुदायिक भवन के पास)	6	752560	36000	0	788560
7	ग्राम-माडीतराई (सामुदायिक भवन के पास) -1	6	752560	140000	81426	973986
8	ग्राम-सुकुलदैहान (चंडी मंदिर के पास) - 1	6	752560	140000	72421	964981
9	ग्राम-सुकुलदैहान (चंडी मंदिर के पास) - 2	6	752560	140000	72421	964981
10	ग्राम-बेलगांव (बाजार चौक सामुदायिक भवन के पास)	6	752560	36000	0	788560
11	ग्राम-अछोली (आईटीआई के सामने)	6	752560	140000	90027	982587
12	ग्राम-अछोली (बजरंग मंदिर के पास) - 1	6	752560	140000	72421	964981
13	ग्राम-अछोली (बजरंग मंदिर के पास) - 2	6	752560	140000	72421	964981
14	ग्राम-लिटिया (सामुदायिक भवन के सामने)	6	752560	140000	96052	988612
15	ग्राम-लिटिया (पेट्रोल पंप के पास)	6	752560	140000	93869	986429
16	ग्राम-नवागांव (जल शुद्धिकरण संयंत्र के सामने)	6	752560	140000	96052	988612
17	ग्राम-नवागांव (अवंति चौक के पास)	6	752560	140000	0	892560
18	ग्राम-बापूटोला (तालाब के पास)	6	752560	140000	96052	988612
19	ग्राम-कुसुमी (सामुदायिक भवन के पास)	6	752560	140000	83063	975623
20	ग्राम-मुसराखुर्द (सामुदायिक भवन के पास)	6	752560	140000	76078	968638
	योग		15051200	2488000	1347435	18886635

प्रपत्र "ब"

क्रेडा द्वारा मोतीपुर नवागांव से डोंगरगढ़ तक सौर उर्जा प्लांट स्थापना कार्य पूर्ण करने की समयावधि की जानकारी

कार्य का नाम- सोलर पावर प्लांट की स्थापना

क्रमांक	स्थल का नाम	कार्य पूर्ण करने की समयावधि		
		कार्यादेश अनुसार कार्य संपादन की निर्धारित तारीख	समयावृद्धि पश्चात् कार्य संपादन की निर्धारित तारीख	स्थापना की वास्तविक तारीख
1	ग्राम-माडीतरई (सामुदायिक भवन के पास) -2	20.11.18	10.03.19	19.02.19
2	ग्राम-टेका (नाला के पास, आम बगीचा)	20.11.18	10.03.19	23.02.19
3	ग्राम-मुसराकला (पारस कृषि केन्द्र के सामने)	20.11.18	10.03.19	21.02.19
4	ग्राम-हरदी (माधुरी ट्रेडर्स के सामने)	20.11.18	10.03.19	20.02.19
5	ग्राम-सुकुलदैहान (सामुदायिक भवन के पास)	20.11.18	10.03.19	12.02.19
6	ग्राम-दुसेरा (सामुदायिक भवन के पास)	20.11.18	10.03.19	17.02.19
7	ग्राम-माडीतराई (सामुदायिक भवन के पास) -1	20.11.18	10.03.19	18.02.19
8	ग्राम-सुकुलदैहान (चंडी मंदिर के पास)	20.11.18	10.03.19	15.02.19
9	ग्राम-सुकुलदैहान (चंडी मंदिर के पास)	20.11.18	10.03.19	27.02.19
10	ग्राम-बेलगांव (बाजार चौक सामुदायिक भवन के पास)	20.11.18	10.03.19	10.02.19
11	ग्राम-अछोली (आईटीआई के सामने)	20.11.18	10.03.19	02.03.19
12	ग्राम-अछोली (बजरंग मंदिर के पास)	20.11.18	10.03.19	03.03.19
13	ग्राम-अछोली (बजरंग मंदिर के पास)	20.11.18	10.03.19	01.03.19
14	ग्राम-लिटिया (सामुदायिक भवन के सामने)	20.11.18	10.03.19	06.03.19
15	ग्राम-लिटिया (पेट्रोल पंप के पास)	20.11.18	10.03.19	04.03.19
16	ग्राम-नवागांव (जल शुद्धिकरण संयंत्र के सामने)	20.11.18	10.03.19	25.02.19
17	ग्राम-नवागांव (अवंति चौक के पास)	20.11.18	10.03.19	23.02.19
18	ग्राम-बापूटोला (तालाब के पास)	20.11.18	10.03.19	05.03.19
19	ग्राम-कुसुमी (सामुदायिक भवन के पास)	20.11.18	10.03.19	10.03.19
20	ग्राम-मुसराखुर्द (सामुदायिक भवन के पास)	20.11.18	10.03.19	10.03.19

१५

कार्य का नाम- सोलर पैनल हेतु स्ट्रक्चर की स्थापना

क्रमांक	स्थल का नाम	कार्य पूर्ण करने की समयावधि		
		कार्यादेश अनुसार कार्य संपादन की निर्धारित तारीख	समयावृद्धि पश्चात् कार्य संपादन की निर्धारित तारीख	स्थापना की वास्तविक तारीख
1	ग्राम-माडीतरई (सामुदायिक भवन के पास) - 1	28.02.19	15.03.19	12.02.19
2	ग्राम-माडीतरई (सामुदायिक भवन के पास) - 2	28.02.19	15.03.19	13.02.19
3	ग्राम-टेका (नाला के पास, आम बगीचा)	28.02.19	15.03.19	20.02.19
4	ग्राम-मुसराकला (पारस कृषि केन्द्र के सामने)	28.02.19	15.03.19	17.02.19
5	ग्राम-हरदी (माधुरी ट्रेडर्स के सामने)	28.02.19	15.03.19	16.02.19
6	ग्राम-सुकुलदैहान (चंडी मंदिर के पास) - 1	28.02.19	15.03.19	09.02.19
7	ग्राम-सुकुलदैहान (चंडी मंदिर के पास) - 2	28.02.19	15.03.19	10.02.19
8	ग्राम-अछोली (आईटीआई के सामने)	28.02.19	15.03.19	21.02.19
9	ग्राम-अछोली (बजरंग मंदिर के पास) - 1	28.02.19	15.03.19	26.02.19
10	ग्राम-अछोली (बजरंग मंदिर के पास) - 2	28.02.19	15.03.19	27.02.19
11	ग्राम-लिटिया (सामुदायिक भवन के सामने)	28.02.19	15.03.19	27.02.19
12	ग्राम-लिटिया (पेट्रोल पंप के पास)	28.02.19	15.03.19	28.02.19
13	ग्राम-नवागांव (जल शुद्धिकरण संयंत्र के सामने)	28.02.19	15.03.19	21.02.19
14	ग्राम-नवागांव (अवंति चौक के पास)	28.02.19	15.03.19	20.02.19
15	ग्राम-बापूटोला (तालाब के पास)	28.02.19	15.03.19	26.02.19
16	ग्राम-कुसुमी (सामुदायिक भवन के पास)	28.02.19	15.03.19	04.03.19
17	ग्राम-मुसराखुर्द (सामुदायिक भवन के पास)	28.02.19	15.03.19	06.03.19

कार्य का नाम- सोलर पावर प्लांट का फेंसिंग कार्य

क्रमांक	स्थल का नाम	कार्य पूर्ण करने की समयावधि		
		कार्यादेश अनुसार कार्य संपादन की निर्धारित तारीख	समयावृद्धि पश्चात् कार्य संपादन की निर्धारित तारीख	स्थापना की वास्तविक तारीख
1	ग्राम-माडीतरई (सामुदायिक भवन के पास) -2	30.05.19	30.06.19	27.06.19
2	ग्राम-माडीतरई (सामुदायिक भवन के पास) -1	30.05.19	30.06.19	27.06.19
3	ग्राम-टेका (नाला के पास, आम बगीचा)	30.05.19	30.06.19	24.06.19
4	ग्राम-मुसराकला (पारस कृषि केन्द्र के सामने)	30.05.19	30.06.19	20.06.19
5	ग्राम-हरदी (माधुरी ट्रेडर्स के सामने)	30.05.19	30.06.19	23.06.19
6	ग्राम-सुकुलदैहान (चंडी मंदिर के पास)	30.05.19	30.06.19	25.06.19
7	ग्राम-सुकुलदैहान (चंडी मंदिर के पास)	30.05.19	30.06.19	21.06.19
8	ग्राम-अछोली (आईटीआई के सामने)	30.05.19	30.06.19	24.06.19
9	ग्राम-अछोली (बजरंग मंदिर के पास)	30.05.19	30.06.19	26.06.19
10	ग्राम-अछोली (बजरंग मंदिर के पास)	30.05.19	30.06.19	26.06.19
11	ग्राम-लिटिया (सामुदायिक भवन के सामने)	30.05.19	30.06.19	27.06.19
12	ग्राम-लिटिया (पेट्रोल पंप के पास)	30.05.19	30.06.19	22.06.19
13	ग्राम-नवागांव (जल शुद्धिकरण सयंत्र के सामने)	30.05.19	30.06.19	26.06.19
14	ग्राम-बापूटोला (तालाब के पास)	30.05.19	30.06.19	28.06.19
15	ग्राम-कुसुमी (सामुदायिक भवन के पास)	30.05.19	30.06.19	28.06.19
16	ग्राम-मुसराखुर्द (सामुदायिक भवन के पास)	30.05.19	30.06.19	21.06.19

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 1050) की जानकारी]

जिले का नाम			राजनांदगांव
क्र.सं.	बैंक का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या	ऋण माफी राशि (रु लाख में)
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5946	172.21
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	491	340.85
3	कार्पोरेशन बैंक	127	106.43
4	यूनियन बैंक	1082	628.96
5	इंडियन बैंक	14	6.52
6	बैंक ऑफ इंडिया	204	229.91
7	सिंडिकेट बैंक	87	52.66
8	पंजाब नेशनल बैंक	4618	3188.99
9	केनरा बैंक	455	190.40
10	इलाहाबाद बैंक	775	426.79
11	आईडीबीआई	532	496.00
12	इंडियन ओवरसीस बैंक	48	35.44
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3105	1629.65
14	यूनाईटेड बैंक	1	0.28
15	बैंक ऑफ बड़ौदा	1352	1124.73
16	युको बैंक	8	3.79
17	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	0	0.00
18	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	126	184.61
19	आंध्रा बैंक	38	122.99
20	छठग राज्य ग्रामीण बैंक	10303	5755.31
	कुल	29312	14696.52

परिशिष्ट "उनतीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 1054) के भाग (क) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोरबा जिले के विकासखण्ड करतला, कटघोरा, कोरबा, पाली एवं पोड़ीउपरोड़ा में निर्मित रैनवाटर
हार्वेस्टिंग एवं कार्यवार व्यय राशि का विवरण

क्र.	विकास	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	निर्मित किये गये रैन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य की संख्या	व्यय राशि (रु. लाख में)
1	करतला	अमलडिहा	अमलडिहा	1	0.40567
2	करतला	बड़मार	बड़मार	1	0.40567
3	करतला	बेहरचुंवा	बेहरचुंवा	1	0.40567
4	करतला	बुधियापाली	बुधियापाली	1	0.40567
5	करतला	चैनपुर	चैनपुर	1	0.40567
6	करतला	डोंगाआमा	डोंगाआमा	1	0.40567
7	करतला	फतेगंज	फतेगंज	1	0.40567
8	करतला	गिधौरी	गिधौरी	1	0.40567
9	करतला	जामपानी	जामपानी	1	0.40567
10	करतला	जुनवानी	जुनवानी	1	0.40567
11	करतला	कलगामार	कलगामार	1	0.40567
12	करतला	करईनारा	करईनारा	1	0.40567
13	करतला	करतला	करतला	1	0.40567
14	करतला	केराकछार	केराकछार	1	0.40567
15	करतला	केरवाद्वारी	केरवाद्वारी	1	0.40567
16	करतला	खुंटाकुंडा	खुंटाकुंडा	1	0.40566
17	करतला	कोटमेर	कोटमेर	1	0.40566
18	करतला	लबेद	लबेद	1	0.40571
19	करतला	लिमडीह	लिमडीह	1	0.40566
20	करतला	नोनदरहा	नोनदरहा	1	0.40566
21	करतला	पहाड़गांव	पहाड़गांव	1	0.40566
22	करतला	पिडिया	पिडिया	1	0.40566
23	करतला	रामपुर	रामपुर	1	0.40566
24	करतला	साजापानी	साजापानी	1	0.40566
25	करतला	सेन्द्रीपाली	सेन्द्रीपाली	1	0.40566
26	करतला	सोहागपुर	सोहागपुर	1	0.40566
27	करतला	सुपातराई	सुपातराई	1	0.40566
28	करतला	सुखरीकला	सुखरीकला	1	0.40566
29	करतला	तुमान	तुमान	1	0.40566
30	करतला	उमरेली	उमरेली	1	0.40566
			योग :-	30	12.17
31	कटघोरा	अरदा	अरदा	1	0.43749
32	कटघोरा	बेलटिकरी	बेलटिकरी	1	0.42562
33	कटघोरा	भिलाईबाजार	भिलाईबाजार	1	0.43807
34	कटघोरा	बिरदा	बिरदा	1	0.40661
35	कटघोरा	चाकाबुड़ा	चाकाबुड़ा	1	0.43006
36	कटघोरा	छिंदपुर	छिंदपुर	1	0.40897

क्र.	विकास	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	निर्मित किये गये रैन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य की संख्या	व्यय राशि (रु. लाख में)
37	कटघोरा	छुरीखुर्द	छुरीखुर्द	1	0.41790
38	कटघोरा	देवरी	देवरी	1	0.43392
39	कटघोरा	देवगांव	देवगांव	1	0.41906
40	कटघोरा	धवईपुर	धवईपुर	1	0.41491
41	कटघोरा	ढेलवाडीह	ढेलवाडीह	1	0.44019
42	कटघोरा	दुरेना	दुरेना	1	0.41076
43	कटघोरा	डिंडोलभाठा	डिंडोलभाठा	1	0.43662
44	कटघोरा	डोंगरी	डोंगरी	1	0.42620
45	कटघोरा	गंगदेई	गंगदेई	1	0.42591
46	कटघोरा	जपेली	जपेली	1	0.42591
47	कटघोरा	जवाली	जवाली	1	0.42203
48	कटघोरा	जैजरा	जैजरा	1	0.42533
49	कटघोरा	झाबर	झाबर	1	0.42147
50	कटघोरा	कनबेरी	कनबेरी	1	0.41819
51	कटघोरा	कसईपाली	कसईपाली	1	0.43604
52	कटघोरा	कटसिरा	कटसिरा	1	0.42794
53	कटघोरा	खैरभवना	खैरभवना	1	0.43720
54	कटघोरा	खोडरी	खोडरी	1	0.42205
55	कटघोरा	कोलिहामुड़ा	कोलिहामुड़ा	1	0.41375
56	कटघोरा	मलगांव	मलगांव	1	0.43156
57	कटघोरा	मोहनपुर	मोहनपुर	1	0.42562
58	कटघोरा	मुढाली	मुढाली	1	0.42055
59	कटघोरा	नवागाव कला	नवागाव कला	1	0.43305
60	कटघोरा	नवापारा	नवापारा	1	0.42975
61	कटघोरा	पाली	पाली	1	0.43363
62	कटघोरा	पंडरीपानी	पंडरीपानी	1	0.41703
63	कटघोरा	पौसरा	पौसरा	1	0.42176
64	कटघोरा	पोडी	पोडी	1	0.41848
65	कटघोरा	राल	राल	1	0.42948
66	कटघोरा	रलिया	रलिया	1	0.41790
67	कटघोरा	रंगबेल	रंगबेल	1	0.42647
68	कटघोरा	रंजना	रंजना	1	0.42384
69	कटघोरा	सलोरा	सलोरा	1	0.42326
70	कटघोरा	सलोरा (ख)	सलोरा (ख)	1	0.44019
71	कटघोरा	सिघाली	सिघाली	1	0.41790
72	कटघोरा	तेलसरा	तेलसरा	1	0.41761
73	कटघोरा	विजयपुर	विजयपुर	1	0.42972
			योग :-	43	18.28
74	कोरबा	अरसेना	अरसेना	1	0.39688
75	कोरबा	डोकरमना	डोकरमना	1	0.41256
76	कोरबा	अजगरबहार	अजगरबहार	1	0.42510
77	कोरबा	गरकटरा	गरकटरा	1	0.44046

क्र.	विकास	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	निर्मित किये गये रैन वाटर हावैस्टिंग कार्य की संख्या	व्यय राशि (रु. लाख में)
78	कोरबा	अमलडीहा	अमलडीहा	1	0.37605
79	कोरबा	सुर्वे	सुर्वे	1	0.41702
80	कोरबा	बगबुडा	बगबुडा	1	0.40616
81	कोरबा	बरीडीह	बरीडीह	1	0.39008
82	कोरबा	भैसमा	अंजोरीपाली	1	0.44164
83	कोरबा	भैसमा	भैसमा	1	0.43171
84	कोरबा	बुंदेली	बुंदेली	1	0.43678
85	कोरबा	देवपहरी	देवपहरी	1	0.42037
86	कोरबा	कनसरा	कनसरा	1	0.39652
87	कोरबा	देउरमाल	बस्ती	1	0.40443
88	कोरबा	धनगांव	धनगांव	1	0.40201
89	कोरबा	गडउपरोडा	गडउपरोडा	1	0.41211
90	कोरबा	गेराव	बस्ती	1	0.41194
91	कोरबा	गुरमा	गुरमा	1	0.42481
92	कोरबा	जामबहार	जामबहार	1	0.37147
93	कोरबा	जिल्गा	जिल्गा	1	0.40630
94	कोरबा	चितापाली	चितापाली	1	0.42155
95	कोरबा	करमंदी	करमंदी	1	0.39810
96	कोरबा	कुदुरमाल	कुदुरमाल	1	0.42125
97	कोरबा	कुकरीचोली	बस्ती	1	0.44203
98	कोरबा	मसान	मसान	1	0.42697
99	कोरबा	अरेतरा	अरेतरा	1	0.43069
100	कोरबा	कुऊबहार	कुऊबहार	1	0.40573
101	कोरबा	लेमरू	लेमरू	1	0.42057
102	कोरबा	लेमरू	लेमरू	1	0.35937
103	कोरबा	मदनपुर	बस्ती	1	0.42840
104	कोरबा	नकिया	नकिया बस्ती	1	0.40784
105	कोरबा	पहदा	पहदा	1	0.41293
106	कोरबा	पंडरीपानी	पंडरीपानी	1	0.41565
107	कोरबा	पसरखेत	बस्ती	1	0.43600
108	कोरबा	खैरभवना	खैरभवना	1	0.40372
109	कोरबा	सतरंगा	सतरंगा	1	0.42909
110	कोरबा	श्यांग	श्यांग	1	0.41186
111	कोरबा	सोलवा	सोलवा	1	0.40165
112	कोरबा	सोनपुरी	सोनपुर बस्ती	1	0.39941
113	कोरबा	तिलईडांड	तिलईडांड	1	0.41000
114	कोरबा	तिलकेजा	खैरभवना	1	0.41907
115	कोरबा	तिलकेजा	तिलकेजा	1	0.39267
116	कोरबा	तौलीपाली	तौलीपाली	1	0.42168
117	कोरबा	उरगा	लालमाटी	1	0.42786
118	कोरबा	उरगा	सिलयारी भाटा	1	0.41047
119	कोरबा	उरगा	उरगा बस्ती	1	0.44169

क्र.	विकास	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	निर्मित किये गये रैन वाटर हावैस्टिंग कार्य की संख्या	व्यय राशि (रु. लाख में)
			योग :-	46	19.02065
120	पाली	अमगांव	अमगांव	1	0.44326
121	पाली	सरईसिंगार	सरईसिंगार	1	0.43554
122	पाली	अंडीकछार	अंडीकछार	1	0.43226
123	पाली	बक्साही	बक्साही	1	0.43168
124	पाली	बक्साही	बक्साही	1	0.42695
125	पाली	बम्हनीकोना	बम्हनीकोना	1	0.41923
126	पाली	जमनीमुड़ा	जमनीमुड़ा	1	0.42309
127	पाली	भलपहरी	भलपहरी	1	0.41923
128	पाली	बोकरामुड़ा	बोकरामुड़ा	1	0.41537
129	पाली	मुक्ता	मुक्ता	1	0.43467
130	पाली	चैनपुर	चैनपुर	1	0.42695
131	पाली	सुवाभोंडी	सुवाभोंडी	1	0.41537
132	पाली	चैतमा	चैतमा	1	0.40852
133	पाली	चैतमा	चैतमा	1	0.40852
134	पाली	छिंदपानी	छिंदपानी	1	0.41060
135	पाली	चोढ़ा	चोढ़ा	1	0.42039
136	पाली	चोढ़ा	चोढ़ा	1	0.43325
137	पाली	ढोलपुर	ढोलपुर	1	0.42695
138	पाली	पथरी	पथरी	1	0.42546
139	पाली	डोंगानाला	डोंगानाला	1	0.42039
140	पाली	गोपालपुर	गोपालपुर	1	0.41293
141	पाली	गोपालपुर	गोपालपुर	1	0.42658
142	पाली	बगदरा	बगदरा	1	0.45128
143	पाली	जेमरा	जेमरा	1	0.42098
144	पाली	धतुरा	धतुरा	1	0.42069
145	पाली	जोरहाडबरी	जोरहाडबरी	1	0.42426
146	पाली	खम्हरिया	खम्हरिया	1	0.45099
147	पाली	मुड़ापार	मुड़ापार	1	0.42368
148	पाली	मुड़ापार	मुड़ापार	1	0.42185
149	पाली	मुनगाडीह	मुनगाडीह	1	0.42218
150	पाली	नगोई	नगोई	1	0.42069
151	पाली	नुनेरा	नुनेरा	1	0.43584
152	पाली	परसदा	परसदा	1	0.44684
153	पाली	पोड़ी	पोड़ी	1	0.42039
154	पाली	पोड़ी	पोड़ी	1	0.42011
155	पाली	पोड़ी	पोड़ी	1	0.41596
156	पाली	पुलालीकला	पुलालीकला	1	0.40882
157	पाली	रामपुर	रामपुर	1	0.42040
158	पाली	रंगोले	रंगोले	1	0.42069
159	पाली	रतिजा	रतिजा	1	0.42069
160	पाली	पहाड़जमड़ी	पहाड़जमड़ी	1	0.41324

क्र.	विकास	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	निर्मित किये गये रैन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य की संख्या	व्यय राशि (रु. लाख में)
202	पोड़ीउपरोडा	पसान	पसान	1	0.42102
203	पोड़ीउपरोडा	पाथा	पाथा	1	0.43584
204	पोड़ीउपरोडा	पिपरिया	पिपरिया	1	0.43022
205	पोड़ीउपरोडा	पिपरिया	पिपरिया	1	0.41420
206	पोड़ीउपरोडा	पुटीपखना	पुटीपखना	1	0.41271
207	पोड़ीउपरोडा	पुटुवा	पुटुवा	1	0.43408
208	पोड़ीउपरोडा	रामपुर	रामपुर	1	0.43918
209	पोड़ीउपरोडा	रंगनिया	रंगनिया	1	0.41653
210	पोड़ीउपरोडा	रोदे	रोदे	1	0.42251
211	पोड़ीउपरोडा	सलिहाभाठा	सलिहाभाठा	1	0.44333
212	पोड़ीउपरोडा	सरिसमार	सरिसमार	1	0.42879
213	पोड़ीउपरोडा	सरिसमार	सरिसमार	1	0.40946
214	पोड़ीउपरोडा	सिमगा	सिमगा	1	0.41271
215	पोड़ीउपरोडा	सिंधिया	सिंधिया	1	0.42637
216	पोड़ीउपरोडा	सिरमिना	सिरमिना	1	0.42814
217	पोड़ीउपरोडा	सुतरा	सुतरा	1	0.42578
218	पोड़ीउपरोडा	तानाखार	तानाखार	1	0.43384
219	पोड़ीउपरोडा	तनेरा	तनेरा	1	0.41862
220	पोड़ीउपरोडा	तुमान	तुमान	1	0.42634
			योग :-	54	22.98706
			महायोग :-	220	92.41830

परिशिष्ट "तीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 1066) के भाग (ग) की जानकारी]

जनवरी 2019 से 10 नवम्बर 2019 के मध्य प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क.	शिकायतकर्ता का नाम	मंडल में शिकायत प्राप्त की तिथि	शिकायत की संक्षिप्त विषय वस्तु	स्थल निरीक्षण की तिथि	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	पाई की गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	श्री आशीष छाबड़ा, माननीय विधायक, बेमेतरा	25/09/2019	ग्राम-चोरभट्टी, जिला-बेमेतरा में मेसर्स कंडोई द्वारा वाक्सार्ट के कशिंग एवं मंडारण प्रदूषण होने के संबंध में	01/11/2019	श्री नवीन चंद्र मालवीय (विज्ञानिक), श्री अभिनीत चौहान (सहायक अभियंता) एवं श्री शिव प्रसाद पटेल (रसायनज्ञ)	ग्राम-चोरभट्टी, जिला-बेमेतरा में मेसर्स कंडोई द्वारा वाक्सार्ट के कशिंग एवं मंडारण हेतु गाई न लगाई जाकर ग्राम-बसनी, जिला-बेमेतरा में स्थापित की गई है। निरीक्षण के दौरान इकाई की कशर (यूनिट-1) उत्पादनरत तथा कशर (यूनिट-2) बंद पाई गई। कशर (यूनिट-1) में वाटर सिस्टम संचालित पाया गया एवं यूनिट-2 में परीक्षण के दौरान स्थापित वाटर सिस्टम ठीक प्रकार से संचालित होना नहीं पाया गया। आसपास के क्षेत्र में फसल पर धूल का जमाव नहीं पाया गया।	उद्योग प्रबंधन को पत्र दिनांक 13/11/2019 के द्वारा कशर कमाक 02 में स्थापित वाटर सिप्रंकलर तथा बाक्सार्ट मण्डारण स्थल में स्थापित फिक्सड वाटर सिप्रंकलर में तत्काल सुधार करने बाबत नोटिस जारी किया गया।

				15/11/2019	श्री अभिनीत सिंह चौहान (सहायक अभियंता) एवं श्री नंद कुमार पटेल (प्रमारी रसायनज्ञ)	निरीक्षण के दौरान कशर यूनिट-1 एवं यूनिट-2 बंद पाई गई एवं आसपास के क्षेत्र में फसल पर धूल का विशेष जमाव नहीं पाया गया।	-
--	--	--	--	------------	---	---	---

परिशिष्ट "ईकतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 1067) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत सुविधा के रूप में प्रदान की गई वार्षिकी राशि की जानकारी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण,
ग्रामवार/वर्षवार वार्षिकी राशि भुगतान विवरण

स.क्र	ग्राम का नाम	2012-13, 13-14	
		संख्या	वार्षिकी राशि
1	कयाबांधा	287	20773286.00
2	सेमरा	13	236777.00
3	कोटनी	26	2007207.00
4	बंजारी	68	4126659.00
5	झांकी	12	369639.00
6	तूता	448	36335536.00
7	खण्डवा	264	19172394.00
8	बरीदा	392	18930521.00
9	नवागांव 75 / 22	156	6007792.00
10	झांझ	112	8875509.00
11	राखी	252	23835895.00
12	उपरवारा	827	41406957.00
13	चीचा	291	17014007.00
14	कुहेरा	188	7988872.00
15	नवागांव 71 / 18	273	20211210.00
16	छतौना	164	10176196.00
17	भेलवाडीह	192	8814506.00
18	पलौद	390	17578475.00
19	चेरिया	36	1181575.00
20	पौता	5	517600.00
21	परसदा	284	13166426.00
22	सेन्ध	208	12867977.00
23	रीको	189	11028973.00
24	कोटराभाठा	175	14288032.00
25	खपरी	159	13255586.00
26	कुरु	97	5531935.00
27	मंदिरहसौद	89	2723118.00
28	तेन्दुवा	242	9673975.00
29	केन्द्री	58	2068848.00
30	पचेड़ा	85	4404723.00
31	बेन्द्री	5	925573.00
32	उमरिया	5	240619.00
33	रमचण्डी	14	920350.00
34	निमोरा	3	230626.00
35	परसट्टी	1	681113.00
योग :-		6010	357568496.00

स.क्र	ग्राम का नाम	2014-15	
		संख्या	वार्षिकी राशि
1	कयाबांधा	273	11323380.00
2	सेमरा	12	116741.00
3	कोटनी	24	1046106.00
4	बंजारी	62	2050062.00
5	झांकी	10	138920.00
6	तूता	441	19208385.00
7	खण्डवा	257	10299056.00
8	बरौदा	414	11639238.00
9	नवागांव 75/22	155	3363379.00
10	झांझ	103	4209313.00
11	राखी	243	11373102.00
12	उपरवारा	837	24697889.00
13	चीचा	295	9901662.00
14	कुहेरा	211	5149535.00
15	नवागांव 71/18	274	10855423.00
16	छतौना	169	5807893.00
17	भेलवाडीह	184	4625042.00
18	पलौद	383	9221723.00
19	चेरिया	33	584180.00
20	पौता	5	289576.00
21	परसदा	293	7933656.00
22	सेन्ध	205	6889609.00
23	जिन्ते	102	5637308.00
24	कोटराभाठा	203	7428652.00
25	खपरी	160	7106305.00
26	कुरू	98	3037281.00
27	मंदिरहसौद	96	1796321.00
28	तेन्दुवा	247	5269627.00
29	केन्द्री	55	1059640.00
30	पचेड़ा	84	2378739.00
31	बेन्द्री	5	496650.00
32	उमरिया	2	41663.00
33	रमचण्डी	12	397320.00
34	निमोरा	3	123750.00
35	परसट्टी	1	365475.00
योग :-		6041	195862601.00

परिशिष्ट "ईकतीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 1067) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत सुविधा के रूप में प्रदान की गई वार्षिकी राशि की जानकारी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण,
ग्रामवार/वर्षवार वार्षिकी राशि भुगतान विवरण

स.क्र	ग्राम का नाम	2012-13, 13-14	
		संख्या	वार्षिकी राशि
1	कयाबाधा	287	20773286.00
2	सेमरा	13	236777.00
3	कोटनी	26	2007207.00
4	बंजारी	68	4126659.00
5	झांकी	12	369639.00
6	तूता	448	36335536.00
7	खण्डवा	264	19172394.00
8	बरौदा	392	18930521.00
9	नवागांव 75/22	156	6007792.00
10	झांझ	112	8875509.00
11	राखी	252	23835895.00
12	उपरवारा	827	41406957.00
13	चीचा	291	17014007.00
14	कुहेरा	188	7988872.00
15	नवागांव 71/18	273	20211210.00
16	छतौना	164	10176196.00
17	भेलवाडीह	192	8814506.00
18	पलौद	390	17578475.00
19	चेरिया	36	1181575.00
20	पौता	5	517600.00
21	परसदा	284	13166426.00
22	सेन्ध	208	12867977.00
23	रीको	189	11028973.00
24	कोटराभाठा	175	14288032.00
25	खपरी	159	13255586.00
26	कुरु	97	5531935.00
27	मंदिरहसौद	89	2723118.00
28	तेन्दुवा	242	9673975.00
29	केन्द्री	58	2068848.00
30	पचेड़ा	85	4404723.00
31	बेन्द्री	5	925573.00
32	उमरिया	5	240619.00
33	रमचण्डी	14	920350.00
34	निमोरा	3	230626.00
35	परसट्टी	1	681113.00
योग :-		6010	357568496.00

ग्रामवार/वर्षवार वार्षिकी राशि भुगतान विवरण

स.क्र	ग्राम का नाम	2015-16	
		संख्या	वार्षिकी राशि
1	कयाबांधा	274	11668304.00
2	सेमरा	13	132358.00
3	कोटनी	25	1103273.00
4	बजारी	70	2336035.00
5	झांकी	12	231151.00
6	तूता	450	20402724.00
7	खण्डवा	274	10979097.00
8	बरीदा	408	11167194.00
9	नवागांव 75/22	158	3518859.00
10	झांझ	85	3265263.00
11	राखी	243	11858107.00
12	उपरवारा	837	25627238.00
13	चीचा	294	10175377.00
14	कुहेरा	208	4910589.00
15	नवागांव 71/18	274	11300029.00
16	छतौना	169	6011586.00
17	भेलवाडीह	191	4913992.00
18	पलौद	408	10066007.00
19	चेरिया	38	688822.00
20	पौता	5	302739.00
21	परसदा	284	7395095.00
22	सेन्ध	209	7203700.00
23	रीको	207	6353257.00
24	कोटराभाठा	205	7857829.00
25	खपरी	149	6617908.00
26	कुरु	103	3165762.00
27	मंदिरहसौद	96	1681526.00
28	तेन्दुवा	250	5535910.00
29	केन्द्री	56	1112300.00
30	पचेड़ा	91	2570469.00
31	बेन्द्री	5	519227.00
32	उमरिया	5	131007.00
33	रमचण्डी	14	535270.00
34	निमोरा	3	129376.00
35	परसट्टी	1	382088.00
योग :-		6114	201849468.00

ग्रामवार/वर्षवार वार्षिकी राशि भुगतान विवरण

स.क्र	ग्राम का नाम	2016-17	
		संख्या	वार्षिकी राशि
1	कयाबांधा	276	12227420.00
2	सेमरा	12	133631.00
3	कोटनी	25	1151269.00
4	बजारी	70	2438365.00
5	झांकी	12	241482.00
6	तूता	447	21201244.00
7	खण्डवा	271	11449148.00
8	बरीदा	408	11657442.00
9	नवागांव 75/22	158	3712594.00
10	झांझ	77	3136781.00
11	राखी	239	12192300.00
12	उपरवारा	834	26597242.00
13	चीचा	294	10607175.00
14	कुहेरा	207	5117234.00
15	नवागांव 71/18	271	11744476.00
16	छतौना	169	6273056.00
17	भेलवाडीह	189	5039119.00
18	पलौद	406	10459920.00
19	चेरिया	38	719045.00
20	पौता	5	315900.00
21	परसदा	286	7983150.00
22	सेन्ध	209	7516913.00
23	रीको	205	6540396.00
24	कोटरामाठा	203	8017464.00
25	खपरी	148	6905756.00
26	कुरु	103	3303846.00
27	मंदिरहसौद	96	1756031.00
28	तेन्दुवा	246	5720740.00
29	केन्द्री	57	1171283.00
30	पचेड़ा	90	2682808.00
31	बेन्द्री	5	541800.00
32	उमरिया	5	136875.00
33	रमचण्डी	14	558540.00
34	निमोरा	3	135000.00
35	परसट्टी	1	398700.00
योग :-		6079	209784145.00

ग्रामवार/वर्षवार वार्षिकी राशि भुगतान विवरण

स.क्र	ग्राम का नाम	2017-18	
		संख्या	वार्षिकी राशि
1	कयाबांधा	276	12736955.00
2	सेमरा	12	139220.00
3	कोटनी	25	1199270.00
4	बंजारी	70	2540707.00
5	झाकी	12	251813.00
6	तूला	442	21789099.00
7	खण्डवा	272	11940026.00
8	बरोदा	407	12136343.00
9	नवागांव 75/22	156	3814475.00
10	झाझ	77	3267667.00
11	राखी	238	12699874.00
12	उपरवारा	833	27712138.00
13	चीचा	294	11051850.00
14	कुहेरा	208	5340417.00
15	नवागांव 71/18	268	12011748.00
16	छतौना	169	6534491.00
17	भेलवाडीह	189	5247843.00
18	पलौद	406	10899347.00
19	चेरिया	38	749274.00
20	जौना	5	329063.00
21	परसदा	282	8179058.00
22	सेन्ध	209	7832046.00
23	रीको	205	6814263.00
24	कोटराभाटा	197	8211165.00
25	खपरी	145	7084377.00
26	कुरु	103	3441945.00
27	मंदिरहसौद	96	1841460.00
28	तेन्दुवा	245	5957510.00
29	केन्द्री	57	1220113.00
30	पचेड़ा	89	2762351.00
31	बेन्द्री	5	564377.00
32	उमरिया	5	142744.00
33	रमचण्डी	14	581815.00
34	निमोरा	3	140626.00
35	परसट्टी	1	415313.00
योग :-		6053	217580783.00

प्रपत्र "ब"

आपसी सहमति से क्रय भूमि पर दिये गये पुनर्वास सुविधा के रूप में विशेष अनुग्रह राशि का वर्षवार विवरण

ग्राम का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल योग
कुहेरा	2189000.00	9655250.00	2180750.00	2763750.00	12455000.00	9635000.00	4715000.00	1975000.00	2682500.00	45837000.00
कोटनी	0.00	143000.00	1262250.00	962500.00	4635000.00	3880000.00	1950000.00	0.00	0.00	11077750.00
परसदा	0.00	19522250.00	5337750.00	10634250.00	12210000.00	10750000.00	3065000.00	2972500.00	0.00	61816500.00
पलौद	0.00	398750.00	28525750.00	12215500.00	26540000.00	10425000.00	5580000.00	2646250.00	1109250.00	87440500.00
उमरिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505000.00	1060000.00	0.00	0.00	1565000.00
सेमरा	0.00	0.00	0.00	418000.00	1200000.00	0.00	1250000.00	0.00	0.00	1743000.00
तूता	0.00	71325100.00	19065750.00	18548475.00	346115000.00	13882000.00	0.00	2254750.00	0.00	157658300.00
चीचा	962500.00	17135250.00	11376750.00	19745000.00	21615000.00	9560000.00	0.00	0.00	0.00	80394500.00
तेन्दुवा	0.00	13626250.00	13659250.00	11000000.00	66250000.00	5495000.00	4550000.00	1464500.00	906250.00	43331250.00
सेन्ध	0.00	21983500.00	14102000.00	7493750.00	3100000.00	2195000.00	2100000.00	0.00	0.00	49084250.00
रीको	283250.00	11134750.00	11074250.00	3176250.00	41670000.00	7160000.00	8875000.00	0.00	0.00	53373500.00
पौता	0.00	0.00	1776500.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2056500.00
चेरिया	0.00	0.00	935000.00	187000.00	3340000.00	1275000.00	945000.00	543750.00	0.00	7225750.00
बंजारी	310750.00	4565000.00	5731000.00	1003750.00	1525000.00	2655000.00	2650000.00	1051250.00	304500.00	19796250.00
कुरू	0.00	459250.00	1883750.00	11907500.00	5990000.00	3330000.00	6445000.00	819250.00	0.00	30834750.00
पचेडा	77000.00	5596250.00	2257750.00	3621750.00	4375000.00	3150000.00	1335000.00	1660250.00	0.00	22073000.00
खपरी	1804000.00	24345750.00	13835250.00	6751250.00	3115000.00	465000.00	0.00	0.00	0.00	50316250.00
खण्डवा	737000.00	43697500.00	14720750.00	7152750.00	6405000.00	2655000.00	2745000.00	928000.00	1725500.00	80766500.00
भैलवाडीह	1149500.00	11547250.00	7796250.00	4724500.00	6390000.00	5500000.00	9550000.00	0.00	0.00	38062500.00
परसट्टी	0.00	0.00	0.00	0.00	4430000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4430000.00
केन्द्री	0.00	0.00	0.00	0.00	9341500.00	0.00	0.00	0.00	44225.00	9385725.00
बेन्द्री	0.00	0.00	0.00	0.00	5823000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5823000.00

परिशिष्ट "बत्तीस"

[परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1068) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	जंगली सुअरों द्वारा क्षति प्रकरण										कुल मुआवजा मुग्तान राशि रुपये	
				मृत व्यक्तियों का विवरण		घायल व्यक्तियों का विवरण		फसल क्षति का विवरण			अन्य क्षति का विवरण				
				प्रकरण संख्या	मुआवजा मुग्तान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा मुग्तान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)	मुआवजा मुग्तान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा मुग्तान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा मुग्तान राशि रुपये	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2017-18	मुंगेली	अचानकमार टाईगर रिजर्व	0	0	1	3978	0	0.000	0	0	0	3978	0	3978
2		बिलासपुर	बिलासपुर	0	0	1	500	0	0.000	0	0	0	500	0	500
3			मरवाही	0	0	1	4128	0	0.000	0	0	0	4128	0	4128
5		कोरबा	कटघोरा	0	0	5	39716	0	0.000	0	0	0	39716	0	39716
6		रायगढ़	रायगढ़	0	0	0	0	256	128.879	982883	0	0	982883	0	982883
7			धरमजयगढ़	0	0	1	19160	0	0.000	0	0	0	19160	0	19160
8		जाजगीर - चापा	जाजगीर - चापा	0	0	4	22860	0	0.000	0	1	20000	42860	0	42860
9		कांकेर	कांकेर	0	0	0	0	8	1.631	31905	0	0	31905	0	31905
10			प. भानुप्रतापपुर	0	0	3	26747	3	0.936	11560	0	0	38307	0	38307
11		नारायणपुर	नारायणपुर	1	400000	3	21300	0	0.000	0	0	0	421300	0	421300
12		कोण्डागांव	केशकाल	0	0	2	21506	0	0.000	0	0	0	21506	0	21506
13			दक्षिण कोण्डागांव	1	400000	1	24029	0	0.000	0	0	0	424029	0	424029
14		बस्तर	बस्तर	0	0	4	73688	0	0.000	0	0	0	73688	0	73688
15		सुकमा	सुकमा	1	400000	3	65000	0	0.000	0	0	0	465000	0	465000
16		बीजापुर	बीजापुर	0	0	4	164000	0	0.000	0	0	0	164000	0	164000
17			उप निर्देशक इन्द्रवती टायगर रिजर्व, बीजापुर	0	0	1	25885	0	0.000	0	0	0	25885	0	25885

परिशिष्ट "बत्तीस"

[परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1068) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	जंगली सुअरों द्वारा क्षति प्रकरण										कुल मुआवजा भुगतान राशि रुपये	
				मृत व्यक्तियों का विवरण		घायल व्यक्तियों का विवरण		फसल क्षति का विवरण			अन्य क्षति का विवरण				
				प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2017-18	मुंगेली	अचानकमार टाईगर रिजर्व	0	0	1	3978	0	0.000	0	0	0	3978	0	0
2		बिलासपुर	बिलासपुर	0	0	1	500	0	0.000	0	0	0	500	0	0
3			मरवाही	0	0	1	4128	0	0.000	0	0	0	4128	0	0
5		कोरबा	कटघोरा	0	0	5	39716	0	0.000	0	0	0	39716	0	0
6		रायगढ़	रायगढ़	0	0	0	0	256	128.879	982883	0	0	982883	0	0
7			धरमजयगढ़	0	0	1	19160	0	0.000	0	0	0	19160	0	0
8		जाजगीर - चापा	जाजगीर - चापा	0	0	4	22860	0	0.000	0	1	20000	42860	0	0
9		कांकेर	कांकेर	0	0	0	0	8	1.631	31905	0	0	31905	0	0
10			प. भानुप्रतापपुर	0	0	3	26747	3	0.936	11560	0	0	38307	0	0
11		नारायणपुर	नारायणपुर	1	400000	3	21300	0	0.000	0	0	0	421300	0	0
12		कोण्डागांव	केशकाल	0	0	2	21506	0	0.000	0	0	0	21506	0	0
13			दक्षिण कोण्डागांव	1	400000	1	24029	0	0.000	0	0	0	424029	0	0
14		बस्तर	बस्तर	0	0	4	73688	0	0.000	0	0	0	73688	0	0
15		सुकमा	सुकमा	1	400000	3	65000	0	0.000	0	0	0	465000	0	0
16		बीजापुर	बीजापुर	0	0	4	164000	0	0.000	0	0	0	164000	0	0
17			उप निदेशक इन्द्रवती टायगर रिजर्व, बीजापुर	0	0	1	25885	0	0.000	0	0	0	25885	0	0

क्र.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	जंगली सुअरों द्वारा क्षति प्रकरण						कुल मुआवजा भुगतान राशि रुपये			
				मृत व्यक्तियों का विवरण		घायल व्यक्तियों का विवरण		फसल क्षति का विवरण			अन्य क्षति का विवरण		
				प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	2017-18	दत्तवाड़ा	दत्तवाड़ा	2	800000	2	43365	0	0.000	0	0	0	843365
19		बालोद	बालोद	0	0	5	160243	8	0.000	35168	0	0	195411
20		दुर्ग	दुर्ग	0	0	12	103772	0	0.000	0	0	0	103772
21		बेमेतरा	दुर्ग	0	0	10	57308	0	0.000	0	0	0	57308
22		राजनादगांव	राजनादगांव	1	400000	10	11902	7	4.887	55117	0	0	467019
23			खैरागढ़	0	0	7	88618	5	4.105	16593	0	0	105211
24		कबीरधाम	ककवा	0	0	6	64900	20	8.044	99767	0	0	164667
25		सरगुजा	सरगुजा	0	0	0	0	1	0.048	1080	0	0	1080
26		सूरजपुर	सूरजपुर	0	0	1	3719	0	0.000	0	0	0	3719
27		बलरामपुर	बलरामपुर	0	0	4	9053	0	0.000	0	0	0	9053
28		कोरिया	कोरिया	1	400000	0	0	0	0.000	0	2	8400	408400
29		जशपुर	जशपुर	1	400000	1	21080	190	52.440	374288	0	0	795368
30		गरियाबंद	उदती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	0	0	0	0	2	1.600	3200	0	0	3200
31		रायपुर	रायपुर	0	0	18	574392	3	1.405	5254	0	0	579646
32		धमतरी	धमतरी	1	400000	3	25146	53	31.730	290115	0	0	715261
33		बलोदाबाजार	बलोदाबाजार	0	0	0	0	31	8.574	95542	0	0	95542
34		महासमुन्द	महासमुन्द	0	0	4	3923	6		27240	0	0	31163
35		गरियाबंद	गरियाबंद	0	0	1	15744	16	8.742	32345	0	0	48089
	2017-18		योग :-	9	3600000	118	1695662	609	253.021	2062057	3	28400	7386119
1	2018-19	बिलासपुर	मरवाही	0	0	3	25609	2	2.422	26846	0	0	52455
2		कोरबा	कोरबा	0	0	1	28456	0	0.000	0	0	0	28456
3			कटघोरा	0	0	5	18455	1	0.147	1000	0	0	19455
4		रायगढ़	रायगढ़	0	0	0	0	189	53.730	502816	0	0	502816

क्र.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	जंगली सुअरों द्वारा मृति प्रकरण												कुल मुआवजा भुगतान राशि रुपये
				मृत व्यक्तियों का विवरण			घायल व्यक्तियों का विवरण			फसल मृति का विवरण			अन्य मृति का विवरण			
				प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. म.)	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
5	2018-19	जंजगीर-चांपा	जंजगीर-चांपा	0	0	15	887051	5	2.226	30062	0	0	917113			
6		कांकेर	कांकेर	0	0	0	0	6	1.766	27195	0	0	27195			
7			प. भानुप्रतापपुर	0	0	1	5000	0	0.000	0	0	0	5000			
8		नारायणपुर	नारायणपुर	1	400000	0	0	0	0.000	0	0	0	400000			
9		कोण्डामन	केशकाल	0	0	0	0	11	2.642	17286	0	0	17286			
10		बलरामपुर	उप निदेशक एलीफैंट रिजर्व	0	0	0	0	2	1.346	29933	0	0	29933			
11		बरतर	बरतर	1	400000	2	65000	0	0.000	0	0	0	465000			
12		सुकमा	सुकमा	0	0	5	88892	0	0.000	0	0	0	88892			
13		दत्तेवाड़ा	दत्तेवाड़ा	0	0	2	18000	0	0.000	0	0	0	18000			
14		बीजापुर	उप निदेशक इन्दावती टायगर रिजर्व, बीजापुर	0	0	1	39963	0	0.000	0	0	0	39963			
15		बालोद	बालोद	0	0	8	144575	65	0.000	255267	0	0	399842			
16		दुर्ग	दुर्ग	0	0	10	125806	11	17.710	64531	0	0	190337			
17		बेमेतरा	दुर्ग	0	0	1	10276	0	0.000	0	0	0	10276			
18		राजनांदगांव	राजनांदगांव	2	800000	28	75742	45	29.198	272805	0	0	1148547			
19			खैरागढ़	0	0	4	14603	7	3.493	38527	0	0	53130			
20		कबीरघाम	कवर्धा	0	0	0	0	1	0.100	1350	0	0	1350			
21		सूरजपुर	सूरजपुर	0	0	0	0	1	0.442	3006	0	0	3006			
22		बलरामपुर	बलरामपुर	1	400000	5	53055	15	0.000	83353	0	0	536408			
23		कोरिया	कोरिया	0	0	0	0	11	1.850	12600	0	0	12600			
24			मनेन्द्रगढ़	0	0	1	3986	1	0.000	612	0	0	4598			
25		जशपुर	जशपुर	0	0	3	20391	153	62.772	403690	0	0	424081			

क्र.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	जंगली सुअरों द्वारा क्षति प्रकरण												कुल मुआवजा भुगतान राशि रुपये
				मृत व्यक्तियों का विवरण		घायल व्यक्तियों का विवरण		फसल क्षति का विवरण				अन्य क्षति का विवरण				
				प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. में)	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
26	2018-19	धमतरी	उदती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	0	0	2	21387	0	0.000	0	0	0	0	21387		
27		रायपुर	रायपुर	1	400000	8	173711	0	0.000	0	0	0	0	573711		
28		धमतरी	धमतरी	2	800000	23	384749	16	16.590	223965	0	0	0	1408714		
29		बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	0	0	1	17174	54	10.848	79034	0	0	0	96208		
30		महासमुन्द	महासमुन्द	0	0	2	2422	12		46750	0	0	0	49172		
31		गरियाबंद	गरियाबंद	0	0	4	61871	114	151.805	332290	0	0	0	394161		
1	2018-19		योग :-	8	3200000	135	2286174	722	359.087	2452918	0	0	0	7939092		
2	2019-20 (01 अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 की स्थिति में)	बिलासपुर	बिलासपुर	0	0	1	59100	0	0.000	0	0	0	0	59100		
3		कोरबा	कोरबा	0	0	1	50482	0	0.000	0	0	0	0	50482		
4		रायगढ़	रायगढ़	0	0	0	0	105	0.000	0	0	0	0	0		
5		रायगढ़	धरमजयगढ़	0	0	1	18225	0	0.000	0	0	0	0	18225		
6		जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	0	0	1	55337	1	0.137	936	0	0	0	56273		
7		कोण्डागाव	केशकाल	0	0	1	20413	4	2.300	11500	0	0	0	31913		
8		बस्तर	बस्तर	0	0	3	33741	0	0.000	0	0	0	0	33741		
9		सुकमा	सुकमा	0	0	3	62072	0	0.000	0	0	0	0	62072		
10		दत्तेवाड़ा	दत्तेवाड़ा	0	0	2	55817	0	0.000	0	0	0	0	55817		
		बीजापुर	उप निदेशक इन्द्रवती टायगर रिजर्व, बीजापुर	0	0	1	15000	0	0.000	0	0	0	0	15000		
11		बालोद	बालोद	0	0	2	7303	14	0.000	65086	0	0	0	72389		
12		दुर्ग	दुर्ग	1	400000	2	0	0	0.000	0	0	0	0	400000		
13		बेमेतरा	दुर्ग	0	0	2	35830	0	0.000	0	0	0	0	35830		
14		राजनांदगाव	राजनांदगाव	0	0	1	1892	14	5.471	41621	0	0	0	43513		

क्र.	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	वनमण्डल का नाम	जंगली सुअरों द्वारा क्षति प्रकरण										कुल मुआवजा भुगतान राशि रुपये
				मृत व्यक्तियों का विवरण		घायल व्यक्तियों का विवरण		फसल क्षति का विवरण			अन्य क्षति का विवरण			
				प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	रकबा (हे. मै)	मुआवजा भुगतान राशि रुपये	प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि रुपये		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	2019-20 (01 अप्रैल 2019 से 2019 अक्टूबर स्थिति में)	कबीरधाम	कवर्धा	0	0	0	0	3	2.778	13379	0	0	13379	
16		सरगुजा	सरगुजा	0	0	1	2900	0	0.000	0	0	0	2900	
17		सूरजपुर	सूरजपुर	0	0	1	2000	0	0.000	0	0	0	2000	
18		बलरामपुर	बलरामपुर	0	0	4	17991	19	0.000	55394	0	0	73385	
19		कोरिया	कोरिया	0	0	0	0	1	1.000	6800	0	0	6800	
20			मनेन्द्रगढ़	0	0	1	9335	0	0.000	0	0	0	9335	
21		जशपुर	जशपुर	0	0	1	21933	1	0.500	3400	0	0	25333	
22		राजनांदगाव	वन विकास निगम	0	0	0	0	1	1.214	8255	0	0	8255	
23		गरियाबंद	उदती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	0	0	4	42169	2	2.432	12464	0	0	54633	
24		रायपुर	रायपुर	0	0	9	281211	5	5.650	39400	0	0	320611	
25		धमतरी	धमतरी	0	0	6	102102	12	12.510	168885	0	0	270987	
26		बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	0	0	2	49127	18	6.149	42436	0	0	91563	
27		महासमुन्द	महासमुन्द	0	0	7	42168	4		17865	0	0	60033	
28		गरियाबंद	गरियाबंद	0	0	13	253252	146	131.000	371191	0	0	624443	
	2019-20		योग :-	1	400000	70	1239500	350	171.141	858612	0	0	2498112	
			कुलयोग :-	18	7200000	323	5221336	1681	783.249	5375587	3	28400	17823323	

परिशिष्ट "तैंतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 1074) के भाग (क) की जानकारी]

जिलेवार जानकारी			
स.क्र.	जिले का नाम	किसानों की संख्या	ऋण माफी राशि (रूपये लाख में)
1	बालोद	111292	43431.96
2	बलौदा बाजार	111329	47234.13
3	बलरामपुर	33136	13781.4
4	बेमेतरा	104163	64784.03
5	बीजापुर	11341	6786.11
6	बिलासपुर	86121	36056.14
7	दंतेवाड़ा	5951	2388.23
8	धमतरी	73685	31402.77
9	दुर्ग	89208	45402.54
10	गरियाबंद	55121	21955.23
11	जगदलपुर	34633	22704.27
12	जांजगीर-चांपा	112414	54592.76
13	जशपुर	27709	12005.58
14	कांकेर	75577	29305.23
15	कर्वधा	95182	60920.93
16	कोण्डागांव	36281	15023.8
17	कोरबा	22825	9217.12
18	कोरिया	26430	9770.44
19	महासमुंद	113530	69694.29
20	मुंगेली	44391	25085.76
21	नारायणपुर	8113	6157.55
22	रायगढ़	98295	44518.65
23	रायपुर	79363	36298.28
24	राजनांदगांव	192634	85824.32
25	सरगुजा	55853	21925
26	सूरजपुर	45461	17545.01
27	सुकमा	6918	3599.97
योग		1756966	837412

अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "चौतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 31) के भाग (ख) की जानकारी]

स. क्र.	लाभान्वित सेवा का नाम	लाभान्वितों की संख्या
1	जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	7763
2	मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	1489
3	व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति	1030
4	जन्म प्रमाण पत्र सुधार	924
5	दफ्तार एवं स्थापना पंजीयन हेतु	841
6	विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	619
7	नल कनेक्शन हेतु	257
8	चौइस जन्म सुधार	133
9	संपत्ति नामांतरण नगर पालिका क्षेत्र	122
10	मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार	123
11	विवाह प्रमाण पत्र सुधार	122
12	इंदिरा गौधी वृद्धावस्था पेंशन योजना	104
13	सुखद सहारा योजना के लिए आवेदन	91
14	विधवा पेंशन योजना	52
15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	13
16	इंदिरा गौधी निःशक्ता पेंशन योजना	5
17	चौइस मृत्यु सुधार	2
18	जन शिकायत नगर निगम/पालिका/पंचायत	1
19	चौइस विवाह प्रमाण पत्र सुधार	1
20	राशन कार्ड जारी कराने हेतु आवेदन	1
	कुल योग	13693

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 125) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित नलजल योजना

क्रं.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	योजना की स्थिति	
			चालू	बंद
1	2	3	4	5
1	अकलतरा	कोटमीसोनार	चालू	—
2	अकलतरा	अमोरा	चालू	—
3	अकलतरा	सोनसरी	चालू	—
4	अकलतरा	तिलई	चालू	—
5	अकलतरा	तागा	चालू	—
6	अकलतरा	किरारी	चालू	—
7	अकलतरा	पोड़ीदल्हा	चालू	—
8	अकलतरा	कापन	चालू	—
9	अकलतरा	नरियरा	चालू	—
10	अकलतरा	परसदा	चालू	—
11	अकलतरा	बरगंवा	चालू	—
12	अकलतरा	रसेड़ा	चालू	—
13	अकलतरा	तरौद	चालू	—
14	अकलतरा	खिसोरा	चालू	—
15	अकलतरा	आरसमेटा	चालू	—
16	अकलतरा	कोटगढ़	चालू	—
17	अकलतरा	कटघरी	चालू	—
18	अकलतरा	झलमला	चालू	—
19	अकलतरा	पौना	चालू	—
20	अकलतरा	सांकर	चालू	—
21	अकलतरा	हरदी	चालू	—
22	अकलतरा	पकरिया (झू)	चालू	—
23	अकलतरा	चंगोरी	चालू	—
24	अकलतरा	अर्जुनी	चालू	—
25	अकलतरा	पिपरसत्ती	चालू	—
26	अकलतरा	खटोला	चालू	—
27	अकलतरा	फरहदा	चालू	—
28	बलौदा	जावलपुर	चालू	—
29	बलौदा	जर्वे (ब.)	चालू	—
30	बलौदा	पंतोरा	चालू	—
31	बलौदा	चारपारा	चालू	—
32	बलौदा	औराईकला	चालू	—
33	बलौदा	खिसोरा	चालू	—
34	बलौदा	बुडगहन	चालू	—
35	बलौदा	महुदा (ब)	चालू	—
36	बलौदा	हेडसपुर	चालू	—

प्रपत्र "ब"

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नई योजना का विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	विकासखण्ड	प्रस्तावित नई योजना की ग्राम का नाम
1	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	करहीडीह
2	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	साजापाली
3	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	मुरलीडीह
4	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	कल्याणपुर
5	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	करुमहू
6	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	परसाही (नाला)
7	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	परसाही (बाना)
8	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	बिरकोनी
9	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	पड़रिया
10	जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरी
11	जांजगीर-चांपा	बलौदा	कण्डरा
12	जांजगीर-चांपा	बलौदा	पोंच
13	जांजगीर-चांपा	बलौदा	ढेरला
14	जांजगीर-चांपा	बलौदा	डोंगरी
15	जांजगीर-चांपा	बलौदा	कोरबी
16	जांजगीर-चांपा	बलौदा	महंदा-ब
17	जांजगीर-चांपा	बलौदा	रसौटा
18	जांजगीर-चांपा	बलौदा	बछौद

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 165) के भाग (क) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्पादित कोयले की खदानवार जानकारी

क्र.	कंपनी का नाम	स्वीकृत क्षेत्र का नाम	तहसील	रकबा (हेक्टर में)	कोयले का उत्पादन (मात्रा लाख टन में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	जिला-कोरबा				
1	एस.ई.सी.एल. कोरबा (प्रोजेक्ट सुराकछार)	सुराकछार	कटघोरा	5040.091	6329
2	एस.ई.सी.एल. कोरबा (प्रोजेक्ट बलगी)	बलगी	कटघोरा		
3	एस.ई.सी.एल. कोरबा (प्रोजेक्ट रजगामार)	राजगामार	कोरबा	5704.589	
4	एस.ई.सी.एल. कोरबा (प्रोजेक्ट मानिकपुर)	मानिकपुर	कोरबा	1944.151	
5	एस.ई.सी.एल. कोरबा (प्रोजेक्ट डेलवाडीह)	डेलवाडीह	कटघोरा	830.856	
6	एस.ई.सी.एल. कोरबा (प्रोजेक्ट सिंघाली)	सिंघाली	कटघोरा	862.266	
7	एस.ई.सी.एल. कोरबा (प्रोजेक्ट बगदेवा)	बगदेवा	कटघोरा	1026.380	
8	एस.ई.सी.एल. कोरबा (प्रोजेक्ट सरईपाली)	बुडबुड	पाली	314.516	
9	एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा (प्रोजेक्ट कुसमुण्डा)	कुसमुण्डा	कटघोरा	2659.485	400.00
10	एस.ई.सी.एल. गेवरा (प्रोजेक्ट गेवरा)	गेवरा	कटघोरा	2945.673	421.61
11	एस.ई.सी.एल. दीपका (प्रोजेक्ट दीपका)	दीपका	कटघोरा	2437.207	350.00
12	एस.ई.सी.एल. रानीअटारी (प्रोजेक्ट रानीअटारी)	रानी अटारी	कोरबा	2821.650	6.76
13	एस.ई.सी.एल. रानीअटारी (प्रोजेक्ट विजय वेस्ट)			475.268	
14	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	चोटिया	पौड़ी उपरोडा	1179.826	6.67
	योग				1248.33

जिला-रायगढ़

1	मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड (एसईसीएल)	छाल	धरमजयगढ़	721.313	106.34	
2	मेसर्स एसईसीएल	बरौंद	घरघोड़ा	72.043		
3	मेसर्स एसईसीएल	जामपाली	घरघोड़ा	559.149		
4	मेसर्स एसईसीएल	बिजारी	घरघोड़ा	72.043		
5	मेसर्स एसईसीएल (कस्टोडियन)	गारे पेलमा-IV/1 कोल ब्लॉक	तमनार	705.556		
6	मेसर्स एसईसीएल (कस्टोडियन)	गारे पेलमा-IV/2 & 3 कोल ब्लॉक	तमनार	964.650		
7	मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	गारे पेलमा-IV/4 कोल ब्लॉक	तमनार	884.846		8.38
8	मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	गारे पेलमा-IV/5 कोल ब्लॉक	तमनार	829.821		5.37
9	मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड	गारे पेलमा-IV/8 कोल ब्लॉक	तमनार	474.703		0.97
10	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	गारे पेलमा सेक्टर -III कोल ब्लॉक	तमनार	629.538		0
11	मेसर्स एन.टी.पी.सी.	तलाईपाली	घरघोड़ा	2094.890		0
	योग				121.06	

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 370) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में प्रस्तावित नवीन नलकूप खनन की स्थानवार जानकारी

क्रमिक	ग्राम का नाम	विकासखण्ड	नवीन नलकूप खनन हेतु प्रस्तावित स्थान	प्रस्तावित नवीन नलकूप खनन की संख्या
1	2	3	4	5
1	पकरिया	तखतपुर	हरदीरोड	1
2	पोंड़ी	तखतपुर	आवासपारा	1
3	बीजा	तखतपुर	हाई स्कूल	1
4	कपसियाखुर्द	तखतपुर	आवासपारा	1
5	घुटकु	तखतपुर	बंधवापारा	1
6	करनकापा	तखतपुर	घुरीपारा	1
7	बरगन	तखतपुर	अघरियापारा	1
8	निरतू	तखतपुर	वार्ड क्रमांक 18	1
9	घोघाडीह	तखतपुर	नदियापारा	1
10	गोकुलपुर	तखतपुर	बस्ती	1
11	भरारी	तखतपुर	दैहानपारा	1
12	लमेर	तखतपुर	मुख्यबस्ती	1
योग :-				12

प्रपत्र "ब"

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 में नवीन नलकूप खनन किये गये की स्थानवार जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	नवीन नलकूप खनन किये गये स्थान का नाम	वर्ष 2019 में खनित नवीन नलकूपों की संख्या
1	2	3	4	5
1	पकरिया	तखतपुर	जितेन्द्र चौहान के घर पास	1
2	पकरिया	तखतपुर	माध्यमिक शाला	1
3	मोडे	तखतपुर	पथरापाली मंदिर के पास	1
4	अरईबंद	तखतपुर	प्रा.शाला के पास	1
5	गुनसरी	तखतपुर	सतनामीपारा	1
6	टिहुलाडीह	तखतपुर	महेश्वर कोशले के घर पास	1
7	उमरिया	तखतपुर	स्कूलपारा	1
8	पोंडीकला	तखतपुर	कैवटपारा	1
9	बेलपान	तखतपुर	मेला परिसर	1
10	दर्सी	तखतपुर	टिलवाटोला	1
11	जोगीपुर	तखतपुर	आंगनबाड़ी के पास	1
12	घुरू	तखतपुर	गोकूलधाम के पास	1
13	घुरू	तखतपुर	प्रा.शाला के पास	1
14	लोखण्डी	तखतपुर	पटेल मोहल्ला	1
15	उस्लापुर	तखतपुर	आवासपारा मिडिल स्कूल के	1
16	गनियारी	तखतपुर	वर्मापारा	1
17	बीजा	तखतपुर	माध्यमिक शाला	1
18	कपसियाखुर्द	तखतपुर	माध्यमिक शाला	1
19	मेण्ड्रा	तखतपुर	माध्यमिक शाला	1
20	मेण्ड्रा	तखतपुर	अमर यादव घर पास	1
21	केकसँड	तखतपुर	माध्यमिक शाला	1
22	ढनढन	तखतपुर	माध्यमिक शाला के पास	1
23	पेण्डरी	तखतपुर	सड़क किनारे	1
24	नेवरा	तखतपुर	गेंदराम बंजारे घर पास	1
25	नेवरा	तखतपुर	सुरेन्द्र घर पास	1
26	बुटेना	तखतपुर	अरुण निर्णजक घर पास	1
27	समडिल	तखतपुर	चौक के पास	1
28	रानीडेरा	तखतपुर	महेश सिंह घर पास	1
29	देवतरा	तखतपुर	हाई स्कूल	1
30	छोटे मेडपार	तखतपुर	अरुण यादव घर पास	1
31	डिघोरा	तखतपुर	भागबाई घर पास	1
32	टांडा	तखतपुर	स्कूल के पास	1
33	भरनी	तखतपुर	हाई स्कूल के पास	2
34	सकरी भावंर	तखतपुर	रोड किनारे	1
35	पाली	तखतपुर	शिवकुमार घर पास	1
36	सांवाताल	तखतपुर	सामुदायिक भवन के पास	1
37	कुवा	तखतपुर	सड़कपारा	1
38	खमहरिया	तखतपुर	नहर के पास	1
39	जरौधा	तखतपुर	नवापारा रोड के किनारे	1
योग :-				40

परिशिष्ट "अड्डीतीस"
[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 512) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बस्तर संभाग के विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारी

01 जनवरी 2015 से अक्टूबर 2019 तक

क.	अपराध कमांक, कायमी दि०	धारा	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	भ्रष्टाचार तथा आय से अधिक	वि०प्र०कं० एवं चालान दिनांक	न्यायालय का नाम	निर्णय दिनांक
1	06 / 2015 21.01.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्रीमति जयती देवागन लेखापाल कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कोन्डागांव	भ्रष्टाचार मामला	03 / 2015 10.12.2015	विशेष न्यायालय कोन्डागांव	चालान पेश
2	16 / 2015 04.03.2015	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट 1988	श्री सतिश कुमार कवर्त्य कनिष्ठ तकनीकी सहायक नागरिक आपूर्ति निगम जगदलपुर	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित मामला	01 / 2016 21.07.2016	विशेष न्यायालय जगदलपुर	चालान पेश
3	23 / 2015 23.03.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री बसंत कुमार सिखेरिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोकानपुर जिला-कांकेर	भ्रष्टाचार मामला	03 / 2015 08.12.2015	विशेष न्यायालय कांकेर	चालान पेश
4	25 / 2015 22.04.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री देवचरण साहू सहायक विकास विस्तार अधिकारी अतागढ़ जिला-उत्तर बस्तर	भ्रष्टाचार मामला	04 / 2015 08.12.2015	विशेष न्यायालय कांकेर	चालान पेश

5	27/2015 01.05.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	कांकर श्री लखन लाल अहिरवार मत्स्य निरीक्षक नरहरपुर जिला-उत्तर बस्तर कांकर	भ्रष्टाचार मामला	03/2015 11.12.2015	विशेष न्यायालय कांकर	चालान पेश
6	36/2015 17.07.2015	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री किशन टण्डन, महिला बाल विकास अधिकारी महिला बाल विकास कार्यालय जगदलपुर	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित मामला	03/2017 05.05.2017	विशेष न्यायालय बिलासपुर	चालान पेश
7	41/2015 17.07.2015	13(1)ई, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री अजय कावरे रेंजर सुकमा छ.ग.	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित मामला	01/2018 23.03.2018	विशेष न्यायालय दत्तेवाडा	चालान पेश
8	48/2015 05.08.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	(1) श्री रणवीर शर्मा (आई.ए.एस) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भानुप्रतापपुर जिला-कांकर (2) श्री गणेश राम सोरी भृत्य	भ्रष्टाचार मामला	29.12.2018	विशेष न्यायालय कांकर	खारजी पेश
9	53/2015 05.10.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री रत्तीराम बघेल (सहायक वर्ग- 2) लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कांकर जिला-उत्तर बस्तर कांकर (छ.ग.) ।	भ्रष्टाचार मामला	01/2016 30.05.2016	विशेष न्यायालय कांकर	चालान पेश
10	21/2016 05.04.2016	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	श्री कुंवरलाल उर्फ कंवर लाल रंगारी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग मददेड, बीजापुर, जिला-	भ्रष्टाचार मामला	01/2017 11.04.2017	विशेष न्यायालय बस्तर दन्तेवाडा	चालान पेश

11	01 / 2017 19.01.2017	409, 420, 467, 468, 471 भादवि0 एवं 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988	बीजापुर (छ.ग.) श्री प्रताप सिंह नामदेव, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड अंतागढ, जिला उत्तर बस्तर कांकर।	वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में पदस्थापना अवधि के दौरान राशि 1,99,90,240 (एक करोड़ निर्यानबे लाख नब्बे हजार दो सौ चालीस) रुपये गबन करना।	विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा	विवेचना जारी है।
12	04 / 2017 14.02.2017	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट1988	श्री सुभाष गंजीर, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, दंतेवाड़ा (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित मामला	04 / 2018 21.06.2018	चालान पेश
13	15 / 2017 20.04.2017	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट1988 एवं सहपठित धारा 109, 120बी, 193, 201 भादवि.	(1) श्री रामकरण कुम्हार, कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, संभाग जगदलपुर, (2) श्री दिनेश कुमार जैन, शांती नगर, चर्च रोड़ जगदलपुर, जिला- जगदलपुर (छ.ग.)	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित मामला	01 / 2018 27.11.2018	चालान पेश
14	21 / 2017 22.07.2017	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988 सहपठित धारा 34 भा.द.वि.	(1) श्री कुमदो ऊर्फ कोमदो सोलंकी, लिपिक, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, दंतेवाड़ा (छ.ग.) (2) डॉ. प्रकाश सिंह, जिला-आयुर्वेद अधिकारी, दंतेवाड़ा (छ.ग.)	भ्रष्टाचार मामला	02 / 2018 25.04.2018	चालान पेश

15	22 / 2017 22.07.2017	7.13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	(1) श्री कुमदो रूफ कोमदो सोलंकी, लिपिक, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, दत्तेवाड़ा (छ.ग.) (2) डॉ. प्रकाश सिंह, जिला-आयुर्वेद अधिकारी, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)	भ्रष्टाचार मामला	03 / 2018 11.05.2018	विशेष न्यायालय दत्तेवाड़ा	चालान पेश
16	25 / 2017 19.09.2017	13(1)डी, 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	(1) श्री आर0एस0 भोई, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दत्तेवाड़ा (2) श्री श्रीकांत दुबे, तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कांकेर (3) श्री नवल सिंह मंडावी, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दत्तेवाड़ा।	वर्ष 2001-02 में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय जिला कांकेर / दत्तेवाड़ा में गैस सिलेण्डर एवं गैस चूल्हा खरीदी में आरोपियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने हुए वित्तीय अनियमितता करना।	-	-	विवेचना जारी है।
17	13 / 2018 20.07.2018	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट 1988	श्री हिन्डू लाल शर्मा, उर्फ एच.एल. शर्मा, पिता स्व. रामकुमार शर्मा, उम्र-56 वर्ष, पद अनुविभागीय अधिकारी (सहायक अभियंता) विद्युत एवं यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग बस्तर परिक्षेत्र बस्तर जिला-जगदलपुर	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित मामला	-	-	विवेचना लंबित

18	18/2019 14.08.2019	13(1)ई, 13(2) पी. सी.एक्ट 1988	श्री चिन्तामणी चन्द्राकर, उप लेखाधिकारी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल साप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड उत्तर बस्तर कांकर छ.ग.	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित मामला			विवेचना लंबित
19	20/2019 03.09.2019	धारा-7, पी.सी. एक्ट 1988	(1) श्री देवेश कुमार बघेल, प्रभारी उप संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर (2) श्री अब्दुल रऊफ खान, सहायक ग्रेड-02, कार्यालय उप संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)	भ्रष्टाचार मामला			विवेचना लंबित

प्रपत्र "ब"

बस्तर संभाग के विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारी

01 जनवरी 2015 से अक्टूबर 2019 तक

क्र.	अपराध क्रमांक, कायमी दि०	धारा	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	भ्रष्टाचार तथा आय से अधिक	वि०प्र०क्र० एवं चालान दिनांक	न्यायालय का नाम	निर्णय दिनांक	रिमार्क
1	23/2015 23.03.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988	श्री बसंत कुमार सिखेरिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोकानपुर जिला- कांकेर	भ्रष्टाचार मामला	03/2015 08.12.2015	विशेष न्यायालय कांकेर	सजा 28.02.2018	धारा 7 में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000/रूपये अर्धदण्ड तथा धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) पीसीएक्ट में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 12000/-रूपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।
2	25/2015 22.04.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988	श्री देवचरण साहू सहायक विकास विस्तार अधिकारी अंतागढ़ जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	भ्रष्टाचार मामला	04/2015 08.12.2015	विशेष न्यायालय कांकेर	सजा 14.09.2017	धारा 7, में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000/-रूपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9000/-रूपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।
3	27/2015 01.05.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988	श्री लखन लाल अहिरवार मत्स्य निरीक्षक नरहरपुर जिला-उत्तर	भ्रष्टाचार मामला	03/2015 11.12.2015	विशेष न्यायालय कांकेर	सजा 11.09.2017	धारा 7, में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000/-रूपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2)

								में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9000/- रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।
4	53/2015 05.11.2015	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री रत्तीराम बघेल (सहायक वर्ग- 2) लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)	भ्रष्टाचार मामला	01/2016 30.05.2016	विशेष न्यायालय कांकेर	सजा 22.11.2017	धारा 7 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000/-रु. अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) में 06 वर्ष कठोर कारावास व 35000/-रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।
5	21/2016 05.04.2016	7,13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट1988	श्री कुंवरलाल उर्फ कंवर लाल रंगारी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग मद्देड़, बीजापुर, जिला- बीजापुर (छ.ग.)	भ्रष्टाचार मामला	01/2017 11.04.2017	विशेष न्यायालय बस्तर दन्तेवाड़ा	सजा 07.12.2017	धारा 7 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100000/-रु. अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 100000/- रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।

परिशिष्ट "उनचालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 597) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2015 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा के लिये राज्य शासन द्वारा दी गई अनुमति की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	अनुमति आदेश दिनांक	देश का नाम
1	श्री विकासशील	24.01.2015	संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.)
2	श्रीमती निधि छिब्रर	11.03.2015	संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.)
3	श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र	20.03.2015	थाईलैण्ड
4	श्री आर.पी. मण्डल	01.04.2015	स्वीटजरलैण्ड (यूरोप)
5	डॉ. बी. एल. अग्रवाल	15.04.2015	फ्रांस एवं स्वीटजरलैण्ड (यूरोप)
6.	श्री अजय सिंह	24.04.2015	मालदीव
7.	श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल	15.05.2015.	डेनमार्क (यू.के.)
8.	श्रीमती स्वाति श्रीवास्तव	18.05.2015	जापान, माकऊ, हांगकांग
9.	श्री रजत बंसल	28.05.2015	यू.एस.ए.
10	श्री के.डी.पी. राव	24.06.2015	संयुक्त राष्ट्र (यू.के.) एवं फ्रांस
11	श्री विवेक ढॉड	01.08.2015	Riga(Latvia) and Prague (Czech Republic)
12	श्री डी. के. श्रीवास्तव	18.09.2015	चीन
13	श्री मुकेश कुमार	21.09.2015	चीन
14	श्री एलेक्स व्ही एफ पॉल मेनन व्ही.	09.10.2015	जापान
15	श्री रजत कुमार	09.10.2015	जिनेवा एवं फ्रांस
16	श्रीमती ऋचा शर्मा	17.11.2015	दुबई
		21.12.2015	दुबई
17	श्री अमित कटारिया	23.11.2015	यू.एस.ए.
		30.12.2015	सिंगापुर
18	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	03.12.2015	पट्टाया, थाईलैण्ड
19	श्री एम. के. राउत	21.12.2015	हांगकांग

वर्ष 2016 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा के लिये राज्य शासन द्वारा दी गई अनुमति की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	अनुमति आदेश दिनांक	देश का नाम
1	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	04.01.2016	मकाऊ एवं हांगकांग
2	श्री प्रसन्ना आर.	18.02.2016	नीदरलैण्ड
3	श्रीमती ऋचा शर्मा	26.02.2016	दुबई
		29.03.2016	दुबई
		27.05.2016	दुबई
		02.06.2016	दुबई
		30.06.2016	दुबई
		08.09.2016	दुबई
		17.10.2016	दुबई
		22.12.2016	दुबई
4	श्री विवेक ढाँड	11.05.2016	थाईलैंड
		22.11.2016	सेन फ्रांसिस्को
5	श्री एम. के. राउत	24.05.2016	लंदन (यू.के.)
		25.11.2016	न्यूजीलैण्ड
6	डॉ. एम. गीता	29.06.2016	दुबई(यू.ए.ई.)
7	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	07.07.2016	बाली एवं सिंगापुर
8	श्री सोनमणि बोरा	21.07.2016	सिंगापुर
9	श्री सारांश मित्तर	23.07.2016	रूस
10	श्री अजय सिंह	08.09.2016	यू.एस.ए.
11	डॉ. बी. एल. अग्रवाल	19.09.2016	दुबई/यू.ए.ई.
12	श्री मो0 कैसर अब्दुलहक	04.10.2016	नार्वे
13	श्रीमती शम्मी आबिदी	04.10.2016	यू.एस.ए.
14	श्री अमित कटारिया	20.10.2016	ईजिप्ट एवं टर्की

वर्ष 2017 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा के लिये राज्य शासन द्वारा दी गई अनुमति की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	अनुमति आदेश दिनांक	देश का नाम
1	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा	04.02.2017	फ्रांस एवं स्वीटजरलैंड
2	श्रीमती ऋचा शर्मा	08.02.2017	दुबई
		10.03.2017	दुबई
		06.04.2017	दुबई
		02.06.2017	दुबई
		23.08.2017	दुबई एवं नीदरलैंड
		17.10.2017	दुबई
		20.12.2017	दुबई
3	श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले	02.03.2017	टोरंटो (कनाडा)
4	श्री अंकित आनंद	29.03.2017	यू.एस.ए. एवं यू.के.
		01.12.2017	सिंगापुर
5	श्री बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम	06.04.2017	यू.एस.ए.
6	श्री अविनाश चंपावत	15.05.2017	इटली
7	श्री विवेक ढाँड	17.05.2017	हांगकांग
8	श्री सुनील कुमार कुजूर	24.05.2017	इटली, स्वीटजरलैंड, फ्रांस, यू.के.
9	श्रीमती आर. शंगीता	30.05.2017	यू.एस.ए.
10	श्री सुब्रत साहू	06.06.2017	चेक गणराज्य
11	श्री सोनमणि बोरा	10.08.2017	मलेशिया एवं सिंगापुर
12	श्री जी. आर. चुरेन्द्र	19.06.2017	यू.के. (लंदन/स्काटलैंड)
13	श्री गणेश शंकर मिश्रा	20.07.2017	रूस
14	श्री आर. पी. मंडल	29.06.2017	इटली
15	श्री अमिताभ जैन	27.07.2017	नार्वे एवं स्वीडन
16	श्री अजय सिंह	31.07.2017	ग्रीस
17	श्री धर्मेश कुमार साहू	10.08.2017	थाईलैंड एवं मलेशिया
18	श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही.	12.09.2017	यू. एस. ए.
19	श्रीमती शम्मी आबिदी	21.09.2017	यू. एस. ए.
20	डॉ. कमलप्रीत सिंह	07.10.2017	नीदरलैंड
21	श्री एस. प्रकाश	07.10.2017	नेपाल
22	श्री रजत बंसल	24.11.2017	नीदरलैंड एवं फ्रांस
23	श्री राहुल देव	04.12.2017	न्यूजीलैंड एवं फिजी
24	श्री सारांश मित्तर	27.12.2017	न्यूजीलैंड

वर्ष 2018 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा के लिये राज्य शासन द्वारा दी गई अनुमति की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	अनुमति आदेश दिनांक	देश का नाम
1	श्रीमती ऋचा शर्मा	03.01.2018	दुबई
		26.02.2018	दुबई
		18.05.2018	यू.ए.ई.
		07.06.2018	यू.ए.ई.
		30.08.2018	यू.ए.ई.
2	श्री जय प्रकाश मौर्य	23.01.2018	श्रीलंका
3	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी	01.02.2018	फ्रांस
4	श्री प्रसन्ना आर.	13.02.2018	सिंगापुर
5	श्री अन्बलगन पी.	15.03.2018	दुबई
6	श्रीमती अलरमेलमगई डी.	15.03.2018	दुबई
7	श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर	02.04.2018	सिंगापुर
8	श्री हेमंत कुमार पहारे	04.04.2018	मास्को, पीटर्सबर्ग (रूस)
9	श्री नितिन गौर	01.05.2018	सिंगापुर
10	श्रीमती निहारिका बारिक	01.05.2018	यू.एस.ए.
11	श्री प्रभात मलिक	03.05.2018	यू.के.
12	श्री धर्मेश कुमार साहू	04.06.2018	मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड
13	श्री सुब्रत साहू	26.06.2018	कनाडा एवं यू.एस.ए.
14	श्री विनय कुमार लंगेह	10.05.2018	रूस
		17.12.2018	थाईलैण्ड
15	डॉ. कमलप्रीत सिंह	23.05.2018	इजराइल
16	श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र	06.06.2018	स्वीटजरलैण्ड
17	श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला	07.06.2018	थाईलैण्ड
18	सुश्री नुपूर राशि पन्ना	12.06.2018	थाईलैण्ड
19	श्री ऋतुराज रघुवंशी	03.07.2018	सेशेल्स
20	श्रीमती आर. शंगीता	01.08.2018	यू.एस.ए.
		28.12.2018	यू.एस.ए.
21	सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले	30.08.2018	यूनाइटेड किंगडम
22	श्री अविनाश चंपावत	27.09.2018	कनाडा
23	श्री अंकित आनंद	28.11.2018	वियतनाम, कंबोडिया

वर्ष 2019 में 06 नवम्बर, 2019 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा के लिये राज्य शासन द्वारा दी गई अनुमति की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	अनुमति आदेश दिनांक	देश का नाम
1	श्रीमती शम्मी आबिदी	01.01.2019	यू.ए.ई.
2	श्रीमती ऋचा शर्मा	01.01.2019	यू.ए.ई.
		19.03.2019	यू.ए.ई.
3	श्री सारांश मित्तर	18.01.2019	आस्ट्रेलिया
4	डॉ. कमलप्रीत सिंह	22.02.2019	श्रीलंका
5	श्रीमती पुष्पा साहू	22.02.2019	यू.ए.ई.
		05.08.2019	थाईलैण्ड
6	सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले	28.02.2019	ग्लासगो (स्काटलैण्ड), यू.के.
		13.09.2019	थाईलैण्ड
7	श्री मनोज कुमार पिंगुआ	07.03.2019	आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी
8	श्री सी. के. खेतान	15.03.2019	यू.के., फिनलैंड एवं आयरलैण्ड
		28.03.2019	यू.एस.ए.
		01.06.2019	आस्ट्रेलिया
9	श्री प्रसन्ना आर.	26.03.2019	टर्की
10	श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही.	26.04.2019	यूनाईटेड किंगडम
11.	श्री सुब्रत साहू	20.05.2019	चीन (व्हाया बैंकाक)
12	श्रीमती संगीता पी.	20.05.2019	यू.ए.ई.
13	सुश्री नुपूर राशि पन्ना	25.05.2019	थाईलैण्ड एवं वियतनाम
14	श्री जन्मेजय महोबे	19.07.2019	सिंगापुर
15	श्री एन. के. खारखा	26.08.2019	इंडोनेशिया
16	श्री कुंदन कुमार	31.08.2019	बेल्जियम एवं फ्रांस
17	श्री अंकित आनंद	19.09.2019	इंडोनेशिया
18	श्री सी. आर. प्रसन्ना	20.09.2019	यूनाईटेड स्टेट्स
19	श्री विनय कुमार लंगेह	21.10.2019	भूटान
20	श्री पी. दयानंद	25.10.2019	काठमाण्डू (नेपाल)

(क) एवं (ग)

किये गये कार्यों

- स्वियर्य की माफ
- 65 नग
- 01 नग
- 12 नग
- 78 नग
- 102 नग
- 01 नग
- 08 नग
- 50 नग
- 161 नग
- 43 नग
- 03 नग
- 05 नग
- 51 नग
- 290 नग

पर परिशिष्ट संख्या 170 (क्र. 632)

प्रपत्र

में शुद्ध पेयजल आ

- /योजना का नाम
- नलकूप खन
- नजल प्रदाय योजना
- सोलर ड्यूल प
- योग
- नलकूप खन
- नजल प्रदाय योजना
- सोलर ड्यूल प
- पावर पम्प स्थाप
- योग
- नलकूप खन
- नजल प्रदाय योजना
- सोलर ड्यूल प
- योग
- सहायोग

वर्ष 2019 में 06 नवम्बर, 2019 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा के लिये राज्य शासन द्वारा दी गई अनुमति की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	अनुमति आदेश दिनांक	देश का नाम
1	श्रीमती शम्मी आबिदी	01.01.2019	यू.ए.ई.
2	श्रीमती ऋचा शर्मा	01.01.2019	यू.ए.ई.
		19.03.2019	यू.ए.ई.
3	श्री सारांश मित्तर	18.01.2019	आस्ट्रेलिया
4	डॉ. कमलप्रीत सिंह	22.02.2019	श्रीलंका
5	श्रीमती पुष्पा साहू	22.02.2019	यू.ए.ई.
		05.08.2019	थाईलैण्ड
6	सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले	28.02.2019	ग्लासगो (स्काटलैण्ड), यू.के.
		13.09.2019	थाईलैण्ड
7	श्री मनोज कुमार पिंगुआ	07.03.2019	आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी
8	श्री सी. के. खेतान	15.03.2019	यू.के., फिनलैंड एवं आयरलैण्ड
		28.03.2019	यू.एस.ए.
		01.06.2019	आस्ट्रेलिया
9	श्री प्रसन्ना आर.	26.03.2019	टर्की
10	श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही.	26.04.2019	यूनाईटेड किंगडम
11.	श्री सुब्रत साहू	20.05.2019	चीन (व्हाया बैंकाक)
12	श्रीमती संगीता पी.	20.05.2019	यू.ए.ई.
13	सुश्री नुपूर राशि पन्ना	25.05.2019	थाईलैण्ड एवं वियतनाम
14	श्री जन्मेजय महोबे	19.07.2019	सिंगापुर
15	श्री एन. के. खाखा	26.08.2019	इंडोनेशिया
16	श्री कुंदन कुमार	31.08.2019	बेल्जियम एवं फ्रांस
17	श्री अंकित आनंद	19.09.2019	इंडोनेशिया
18	श्री सी. आर. प्रसन्ना	20.09.2019	यूनाईटेड स्टेट्स
19	श्री विनय कुमार लंगेह	21.10.2019	भूटान
20	श्री पी. दयानंद	25.10.2019	काठमाण्डू (नेपाल)

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 632) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2017-18 में मुंगेली जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु किये गये कार्यों की विधानसभावार जानकारी

क्र.	जिला	विधानसभा	कार्य का नाम/योजना का नाम	कार्य की मात्रा	व्यय की गई राशि
1	मुंगेली	लोरमी	नलकूप खनन	65 नग	49.56 लाख
2			नलजल प्रदाय योजना	01 नग	43.46 लाख
3			सोलर ड्यूल पम्प	12 नग	52.74 लाख
			योग :-	78 नग	145.76 लाख
1	मुंगेली	मुंगेली	नलकूप खनन	102 नग	79.36 लाख
2			नलजल प्रदाय योजना	01 नग	43.04 लाख
3			सोलर ड्यूल पम्प	08 नग	32.24 लाख
4			सिंगल फेस पावर पम्प स्थापना	50 नग	23.50 लाख
			योग :-	161 नग	178.14 लाख
1	मुंगेली	बिल्हा	नलकूप खनन	43 नग	33.13 लाख
2			नलजल प्रदाय योजना	03 नग	92.80 लाख
3			सोलर ड्यूल पम्प	05 नग	20.15 लाख
			योग :-	51 नग	146.08 लाख
			महायोग :-	290 नग	469.98 लाख

वर्ष 2018-19 में मुंगेली जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु किये गये कार्यों की विधानसभावार जानकारी

क्र.	जिला	विधानसभा	कार्य का नाम/योजना का नाम	कार्य की मात्रा	व्यय की गई राशि
1	मुंगेली	लोरमी	नलकूप खनन	34 नग	27.45 लाख
			योग :-	34 नग	24.45 लाख
1	मुंगेली		नलकूप खनन	99 नग	77.56 लाख
2			नलजल प्रदाय योजना	06 नग	94.15 लाख
			योग :-	105 नग	171.71 लाख
1	बिल्हा		नलकूप खनन	66 नग	51.48 लाख
2			नलजल प्रदाय योजना	07 नग	78.84 लाख
			योग :-	73 नग	130.32 लाख
			महायोग :-	212 नग	329.48 लाख

प्रपत्र "स"

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कराये गये बोरवेल खनन के सफल, असफल एवं वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी

क्र.	वर्ष	खनित किये गये नलकूपों की संख्या	सफल नलकूपों की संख्या	असफल नलकूपों की संख्या	वैकल्पिक व्यवस्था
1	2017-18	210	188	22	हाईड्रोफेचरिंग कार्य - 07 (01 असफल) अन्य सफल नलकूप पर सिंगलफेस पावर पंप स्थापना - 06 अन्य सफल नलकूप पर सोलर पावर पंप स्थापना - 04 नवीन नलकूप - 01 नलजल प्रदाय योजना - 04 (02 प्रगतिरत)
2	2018-19	199	181	18	हाईड्रोफेचरिंग कार्य - 08 अन्य सफल नलकूप पर सिंगलफेस पावर पंप स्थापना - 01 अन्य सफल नलकूप पर सोलर पावर पंप स्थापना - 01 नवीन नलकूप - 01 नलजल प्रदाय योजना - 07 (03 प्रगतिरत)
योग :-		409	369	40	

प्रपत्र "स"

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कराये गये बोरेल खनन के सफल, असफल एवं बैकलिफ्ट व्यवस्था

तकारी

क्र.	वर्ष	खनित किये गये नलकूपों की संख्या	सफल नलकूपों की संख्या	असफल नलकूपों की संख्या	वैकल्पिक व्यवस्था	व्यवस्था
1	2017-18	210	188	22	हाईड्रोफेक्चरिंग कार्य - 01 अन्य सफल नलकूप पर सिंगिंग - 01 अन्य सफल नलकूप पर सिंगिंग - 02 नवीन नलकूप - 01 नलजल प्रदाय योजना - 01	1 असफल) फेस पावर पंप स्थापना - पावर पंप स्थापना - (02 प्रगतिरत)
2	2018-19	199	181	18	हाईड्रोफेक्चरिंग कार्य - 03 अन्य सफल नलकूप पर सिंगिंग - 03 अन्य सफल नलकूप पर सिंगिंग - 03 नवीन नलकूप - 01 नलजल प्रदाय योजना - 01	फेस पावर पंप स्थापना - पावर पंप स्थापना - (03 प्रगतिरत)
योग :-		409	369	40		

परिशिष्ट "ईकचालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 652) के भाग (ख) की जानकारी]

डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्राप्त लाभांश राशि से कराये गये कार्य एवं व्यय की समितिवार जानकारी

क्र.	वर्ष	समिति का नाम	कार्य का विवरण	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1	2016-17	महुवाढार	नल-जल योजना	150000
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	97032
			सूक्ष्म प्रबंधन योजना	10000
			साईन बोर्ड कार्य	29914
			प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम	37480
			मच्छरदानी वितरण	13966
			वन वर्धनिक कार्य कक्ष क्र. 297	829792
			आडिट फीस	1000
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	73008
			आडिट फीस	2360
			फलदार एवं सब्जी प्रजाति के बीजों का छिड़काव एवं शीड बाल निर्माण कार्य	15000
			योग	1259552
2	2016-17	घाघरा	भू-जल संरक्षण कार्य	649675
			स्टापडेम निर्माण, नाला क्रॉसिंग निर्माण, नाली मरम्मत कार्य	1227639
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	147210
			अंकेक्षण शुल्क	5750
			सूचना पटल	14175
			ग्रीन नेट	12550
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	73284
			स्टापडेम निर्माण कार्य	188848
			फेसिंग कार्य	371059
			योग	2690190
3	2016-17	मलैदा	अस्थाई डिरिया निर्माण	67000
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	60060
			ग्राम मलैदा में बोर मशीन फिटिंग कार्य	43800
			भू-जल संरक्षण कार्य	97290
			क्रास बंद निर्माण कार्य	79794
			प्र.म. योजना कार्यक्रम हेतु	20000
			15 अगस्त कार्यक्रम पर	10000
			समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों के लिए शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	81789
			चेक बुक हेतु	90
			योग	459823
4	2016-17	दल्लीखोली	भू-जल संरक्षण कार्य कट्टर ट्रैच, चेक डेम निर्माण कार्य	762946
			अस्थाई डिरिया निर्माण कार्य	20000
			मच्छरदानी क्रय	21000
			वन सुरक्षा कार्य	147660
			प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम	20000
			समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों के लिए शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	44347
			मुरुमीकरण कार्य	80000
			स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम	15000
			बैंक कलेक्शन चार्ज	115
			योग	1111068
5	2016-17	बनबोड़	चेक बुक चार्ज	165
			आर.डी.एफ. कार्य कक्ष क्र. 343	153288
			योग	153453

क्र.	वर्ष	समिति का नाम	कार्य का विवरण	व्यय राशि
6	2016-17	बरगांव- नवागांव	वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव	55857
			अंकेक्षण कार्य	1150
			मान. मुख्य मंत्री छ.ग. शासन के आगमन पर समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों को लेजाने एवं लाने तथा चाय, नाश्ता, भोजन एवं वाहन किराया	84000
			अस्थाई झिरिया निर्माण कार्य	80000
			बैंक कलेक्शन चार्ज	60
			बीज बुवाई कार्य	66000
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव	72000
			फ्लैक्स तैयार करने की राशि	3850
			योग	362917
7	2016-17	आमदनी	चेकडेम निर्माण कार्य	64096
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	12214
			वाहन किराया	2500
			प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	20000
			योग	98810
			महायोग	6135813
1	2017-18	मलैदा	समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों के लिए शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	76196
			ग्राम मलैदा में बोर के लिए बिजली कलेक्शन कार्य	4760
			अंकेक्षण शुल्क	1150
			फोटो कापी	684
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	459009
			अस्थाई झिरिया निर्माण	240000
			स्टापडेम मरम्मत कार्य	501127
			वन मंडई रायपुर	15000
			तेन्दूपत्ता बोनस कार्यक्रम	70000
			सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	154368
			सोलर पंप लगाने हेतु	480000
			योग	2002294
2	2017-18	कटेमा	तेन्दूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम, ग्राम -साल्हेवारा	60000
			पंचवर्षीय सूक्ष्म प्रबंधन योजना	10000
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	84903
			भू-जल संरक्षण कार्य कक्ष क्र. 290	301814
			सूचना पटल निर्माण कार्य	29914
			मच्छरदानी वितरण	34912
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	64896
			वन वर्धनिक कार्य कक्ष क्र. 291	285962
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	48672
			आडिट फीस	2000
			गौठान निर्माण कार्य	60000
			आडिट फीस	2360
			योग	985433
3	2017-18	लछना	भू-जल संरक्षण कार्य	49918
			शौचालय निर्माण	112069
			अंकेक्षण शुल्क	1150
			सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	24000
			सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	22190
			योग	209327

क्र.	वर्ष	समिति का नाम	कार्य का विवरण	व्यय राशि
4	2017-18	कोहकट्टा	सुरक्षा कार्य	71370
			वन मार्ग मरम्मत	495177
			सुरक्षा कार्य	87230
			परिक्षेत्र अधिकारी निवास गृह सेनेटरी फिटिंग कार्य	66083
			सुरक्षा कार्य	95160
			वाहन किराया	3000
			भू-जल संरक्षण कार्य क.क्र. 384	495074
			भू-जल संरक्षण कार्य क.क्र. 378	495072
			भू-जल संरक्षण कार्य क.क्र. 390	495072
			भू-जल संरक्षण कार्य क.क्र. 389	495072
			सुरक्षा कार्य	95160
			तेन्दूपल्ला बोनस तिहार सालहेवारा	325000
			सुरक्षा कार्य	55510
			सुरक्षा कार्य	23790
			सुरक्षा कार्य	15860
			सुरक्षा कार्य	15860
			बोर खनन	76966
			सुरक्षा कार्य	15860
			सुरक्षा कार्य	15860
			सुरक्षा कार्य	15860
			सुरक्षा कार्य	15860
			सुरक्षा कार्य	15860
			सुरक्षा कार्य	15860
			सुरक्षा कार्य	15860
			सुरक्षा कार्य	15860
			योग	3533336
5	2017-18	दल्लीखोली	भू-जल संरक्षण कार्य कक्ष क्र. 322, 366, 323	847534
			योग	847534
			महायोग	7577924
1	2018-19	टेमरी	पंचवर्षीय सूक्ष्म प्रबंधन योजना	10000
			सूचना पटल निर्माण कार्य	9972
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	129792
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	8112
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	8112
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	81120
			आडिट फीस	1000
			निस्तारी तालाब निर्माण कार्य	150450
			आडिट फीस	2360
			योग	400918
2	2018-19	घाघरा	फ्लैक्स निर्माण कार्य	3150
			पुराना हैण्डपंप मरम्मत कार्य	5200
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	55510
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	126880
			स्टापडेम निर्माण, नाला क्रासिंग निर्माण, नाली मरम्मत कार्य	1950229
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	198848

क्र.	वर्ष	समिति का नाम	कार्य का विवरण	व्यय राशि
			अस्थाई झिरिया निर्माण	318900
			पुनरुत्पादन कार्य	477037
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	298272
			फोटो मशीन क्रय	99862
			आर.डी.बी.एफ. कार्य	206513
			फ्लैक्स निर्माण कार्य	15300
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	34770
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	329472
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	120000
			प्राथमिक उचार हेतु दवाई क्रय	58912
			भू-जल संरक्षण कार्य	2075510
			बिगडे बांस वनो का सुधार कार्य	492084
			सील बनाने की राशि	100
			सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	23790
			मिस्ड डेबिट केश चार्ज	206
			सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	15840
			सोलर पंप लगाने हेतु	480000
			चेक बुक चार्ज	60
			तेन्दूपत्ता बोनस वितरण कार्य(म	60000
			योग	7446445
3	2018-19	लिमऊटोला	अस्थाई झिरिया निर्माण	148325
			चेकडेम निर्माण कार्य	247112
			गली काफ्रीटीकरण कार्य	1475333
			वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं शौचालय निर्माण कार्य	92521
			समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों के लिए शौचालय निर्माण हेतु सामग्री क्रय	223600
			वन क्षेत्र की सुरक्षा कार्य	37792
			योग	2224683
4	2018-19	खुरसीपारखुर्द	सुरक्षा श्रमिक	10000
			सुरक्षा श्रमिक	10000
			सामुदायिक भवन निर्माण खुरसीपार खुर्द	318539
			पुराना तालाब गहरीकरण कार्य ग्राम खुरसीपार खुर्द	961922
			उलट निर्माण पाककलन तैयार करना	15000
			सुरक्षा श्रमिक	10000
			सुरक्षा श्रमिक	10000
			सीड बॉल निर्माण/रोपण	13202
			आडिट फीस	2360
			सुरक्षा श्रमिक	10000
			नया चेक बुक शुल्क	90
			योग	1361113

क्र.	वर्ष	समिति का नाम	कार्य का विवरण	व्यय राशि
5	2018-19	कोहकट्टा	सुरक्षा श्रमिक	22500
			सुरक्षा श्रमिक	22500
			भू-जल संरक्षण कार्य कक्ष क्र. 384 / 100 हे.	750061
			सुरक्षा श्रमिक	22500
			सुरक्षा श्रमिक	22500
			सुरक्षा श्रमिक	22500
			आडीट फीस	2360
			सुरक्षा श्रमिक	22500
			योग	887421
6	2018-19	घोटिया	सुरक्षा श्रमिक	9000
			सुरक्षा श्रमिक	9000
			सुरक्षा श्रमिक	9000
			सी.सी. रोड निर्माण 100 मी. घोटिया	548470
			भू-जल संरक्षण कार्य कक्ष क्र. 378 / 133 हे.	1995756
			सुरक्षा श्रमिक	9000
			सुरक्षा श्रमिक	13500
			सीड बॉल निर्माण	13866
			आडीट फीस	2360
			सुरक्षा श्रमिक	13500
			चेक बुक शुल्क	180
			योग	2623632
			महायोग	14944212
	2019-20 30 Sep. 2019	-	-	0

परिशिष्ट "बयालीस"

[अतारंजित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 836) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जानकारी

अ. फलोराईड से प्रभावित ग्रामों/बसाहटों की जानकारी :-

क्र.	जिला	प्रभावित बसाहट की संख्या	प्रभावित बसाहटों में कुल स्थापित हेण्डपंपों की संख्या	फलोराईड से प्रभावित हेण्डपंपों की संख्या	बंद किये गये फलोराईड प्रभावित हेण्डपंपों की संख्या	स्थापित एफआरपी / आर.ओ. की संख्या			स्थापित सुरक्षित हेण्डपंपों की संख्या	क्रियान्वित स्थल जल प्रदाय योजना	क्रियान्वित नलजल प्रदाय योजना	समूह नलजल योजना	सोलर आधारित जल प्रदाय योजना	टिप्पणियाँ
						कुल	चालू	बंद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बस्तर	79	323	114	109	5	5	0	209	3	6	1	9	प्रभावित 12 ग्रामों के 41 बसाहटों में कोसस्टेडा परियोजना द्वारा जल प्रदाय किया जा रहा है
2	दत्तेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	बीजापुर	5	20	10	10	0	0	0	10	0	1	0	2	फलोराईड प्रभावित सभी 03 ग्रामों के 05 बसाहटों में मोपालपटनम्- शालापल्ली समूह जल प्रदाय योजना से जल प्रदाय किया जावेगा।
5	कोण्डागांव	57	179	55	8	55	36	19	124	0	12	0	3	
6	कांकर	89	200	104	0	58	46	12	96	1	16	0	14	
7	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग:-	230	722	283	127	118	87	31	439	4	35	1	28	

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जानकारी

ब. आयरन से प्रभावित ग्रामों/बसाहटों की जानकारी :-

क्र.	जिला	प्रभावित बसाहट की संख्या	प्रभावित बसाहटों में कुल स्थापित हेण्डपंपों की संख्या	आयरन से प्रभावित हेण्डपंपों की संख्या	बंद किये गये आयरन प्रभावित हेण्डपंपों की संख्या	स्थापित आईआरपी की संख्या			बसाहटों में स्थापित सुरक्षित हेण्डपंपों की संख्या	क्रियाचित स्थल जल प्रदाय योजना	क्रियाचित नलजल प्रदाय योजना	समूह नलजल योजना	सोलर आधारित जल प्रदाय योजना	रिमाक
						कुल	चालू	बंद						
1	बस्तर	903	4447	1253	0	327	210	117	3194	36	73	1	234	
2	दतेवाड़ा	245	1228	287	0	100	58	42	941	2	12	1	120	
3	सुकमा	145	558	153	0	123	0	123	405	0	15	0	26	
4	बीजापुर	15	49	15	0	0	0	0	34	0	6	0	4	
5	कोण्डागांव	295	707	295	0	199	151	48	412	6	53	0	12	
6	कांकेर	143	354	144	0	143	130	13	211	4	16	0	27	
7	नारायणपुर	216	446	186	0	186	151	35	432	14	41	0	201	
योग:-		1962	7789	2333	0	1078	700	378	5629	62	216	2	624	

विभाग द्वारा की गई पेयजल व्यवस्था

परिशिष्ट "तिरालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 851) के भाग (क) की जानकारी]

क.	स्थान	कार्य का नाम	भवनों की संख्या	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी को भुगतान राशि (लाख में)
1	केशकाल	ब्लॉक मुख्यालयों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग हेतु शासकीय प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण कार्य।	44 नग	488.00	369.00
2	परसगांव	तदैव	44 नग	488.00	407.00
3	बड़ेराजपुर (विश्रामपुरी)	तदैव	44 नग	488.00	491.00

5	पुस्तकालय	488	44 नग	488.00	488.00
		निर्माण कार्य			
		सूक्ष्म	44 नग	488.00	407.00
2	परसगाव				
3	बडोदा (विश्रामपुरा)		44 नग	488.00	491.00

परिशिष्ट "चौवालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 867) के भाग (क) की जानकारी]

गरियाबंद जिला अन्तर्गत ग्रामों के भू-जल आर्सेनिक व फ्लोराईड युक्त की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	प्रभावित ग्राम का नाम	भू-जल गुणवत्ता से प्रभावित	
1	2	3	4	5
1	देवभोग	सुपेबेड़ा	आंशिक रूप से आर्सेनिक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
2	देवभोग	निष्ठीगुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
3	देवभोग	दहीगांव	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
4	देवभोग	झीरीपानी	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
5	देवभोग	कुम्हडईकला	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
6	देवभोग	खम्हारगुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
7	देवभोग	खोखसरा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
8	देवभोग	झाखरपारा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
9	देवभोग	उपरपीटा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
10	देवभोग	डुमरबहाल	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
11	देवभोग	लाटापारा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
12	देवभोग	गोहरापदर	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
13	देवभोग	पीटापारा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
14	देवभोग	दरलीपारा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
15	देवभोग	नागलदेही	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
16	देवभोग	सुकलीभाठा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
17	देवभोग	धुपकोट	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
18	देवभोग	गंगराजपुर	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
19	देवभोग	दरलीपारा (घोघर)	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
20	देवभोग	घुमरगुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
21	देवभोग	मुरगुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
22	देवभोग	बाड़ीगाँव	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
23	देवभोग	गिरसुल	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
24	देवभोग	कदलीमुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
25	देवभोग	डोंगरीगुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
26	देवभोग	डूमरपीटा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
27	देवभोग	मगरोड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
28	देवभोग	कुशकोना	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
29	देवभोग	गाड़ाघाट	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
30	देवभोग	फलसापारा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड

क्र.	विकासखण्ड	प्रभावित ग्राम का नाम	भू-जल गुणवत्ता से प्रभावित	
1	2	3	4	5
31	देवभोग	मुरलीगुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
32	देवभोग	चिचिया	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
33	देवभोग	नवागँव	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
34	देवभोग	सितलीजोर	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
35	देवभोग	धुमामुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
36	देवभोग	लदरा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
37	देवभोग	मुड़ागँव	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
38	देवभोग	माहुलकोट	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
39	देवभोग	धौराकोट	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
40	देवभोग	कोदेबेड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
41	देवभोग	पुरनापानी	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
42	देवभोग	माड़ागँव	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
43	देवभोग	दिवानमुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
44	देवभोग	सुकलीभाठा-नवीन	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
45	देवभोग	कोड़कीपारा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
46	देवभोग	सहसखोल	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
47	देवभोग	खवासपारा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
48	देवभोग	धुंगियामुड़ा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
49	देवभोग	कोदोभाठा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
50	गरियाबंद	दर्दीपारा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
51	गरियाबंद	मजरकट्टा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
52	गरियाबंद	दसपुर	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
53	छुरा	नवापारा (भैरा)	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
54	मैनपुर	गुरुजीभाठा	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड
55	मैनपुर	तेतलखुंटी	निरंक	आंशिक रूप से फ्लोराईड

परिशिष्ट "पैतालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 868) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला गरियाबंद के बुनकर सहकारी समितियों को हाथकरघा वस्त्र बुनाई हेतु दिनांक 01-01-2019 से 31-10-2019 तक उपलब्ध कराये गये पी.सी. एवं कौटन धागा

क्र.	विकासखण्ड	समिति का नाम	राशि	प्रदत्त धागा										योग पी.सी. (कि.ग्रा.)	योग कौटन (कि.ग्रा.)
				पी.सी. (कि.ग्रा.में)				कौटन (कि.ग्रा.में)			रंगीन				
				2/60 पी.सी.	1/15 पी.सी.	1/30 पी.सी.	2/30 पी.सी.	10 ^s रंगीन	2/40 ^s रंगीन	20 ^s रंगीन	10 ^s रंगीन	2/40 ^s रंगीन	20 ^s रंगीन		
1	गरियाबंद	प्राथमिक बुन.सह.स. मर्या. गरियाबंद	510,452.00	900	600	480	0	0.00	0.00	0.00	1980	0.00	0.00		
		योग	510452.00	900	600	480	0	0.00	0.00	0.00	1980	0.00	0.00		
2	मैनपुर	जय महालक्ष्मी बुन.सह.स. मर्या.मैनपुर	742,946.00	1440	780	600	0	0.00	0.00	0.00	2820	0.00	0.00		
3	"	जागृति बुन.सह.स. मर्या. उरमाल	383,947.00	660	480	360	0	0.00	0.00	0.00	1500	0.00	0.00		
4	"	आदर्श बुन.सह.स. मर्या. सरगीगुडा	527,268.00	840	900	360	0	0.00	0.00	0.00	2100	0.00	0.00		
		योग	1654161.00	2940	2160	1320	0	0.00	0.00	0.00	6420	0.00	0.00		
5	देवभोग	नेहरू बुन.सह.स. मर्या. धौराकोट	1,043,351.00	2220	840	480	0	90.80	227.00	181.60	3540	499.40	0.00		
6	"	चित्रगुप्त बुन.सह.स. मर्या. मुंगंजर	1,913,098.00	3240	2280	1260	0	0.00	340.50	295.10	6780	635.60	0.00		
7	"	गणेश बुन.सह.स. मर्या. सिनापाली	929,091.00	1440	1680	600	0	0.00	0.00	0.00	3720	0.00	0.00		
8	"	महेश्वरी बुन.सह.स. मर्या. गिरसूल	929,395.00	1560	1320	720	0	113.50	0.00	0.00	3600	113.50	0.00		
9	"	गांधी बुन.सह.स. मर्या. खलियाभाटा	784,510.00	1260	1380	480	0	0.00	0.00	0.00	3120	0.00	0.00		
10	"	जय भवानी बुन.सह.स. मर्या. कुम्हडाईकला	601,429.00	1080	1280	0	0	0.00	0.00	0.00	2360	0.00	0.00		
11	"	महावीर बुन.सह.स. मर्या. कोसमकानी	1,197,665.00	2040	1948	720	0	0.00	0.00	0.00	4708	0.00	0.00		
12	"	शिवानी बुन.सह.स. मर्या. मोखागुडा	1,185,739.00	2040	1756	840	0	0.00	0.00	0.00	4636	0.00	0.00		
13	"	श्री राधेकृष्ण बुन.सह.स. मर्या. मोखागुडा	593,863.00	1020	1140	180	0	0.00	0.00	0.00	2340	0.00	0.00		
14	"	गोर्धन बुन.सह.स. मर्या. सागौनभाडी	799,876.00	1380	1276	480	0	0.00	0.00	0.00	3136	0.00	0.00		
		योग	9978017.00	17280	14900	5760	0	204.30	567.50	476.70	37940	1248.50	0.00		
		कुलयोग	12142630.00	21120	17660	7560	0	204.30	567.50	476.70	46340	1248.50	0.00		

प्रपत्र "ब"

जिला गरियाबंद के बुनकर सहकारी समितियों को दिनांक 01-01-2019 से 31-10-2019 तक उपलब्ध कराये गये सहायक उपकरण

क.	विकासखण्ड	समिति का नाम	उपकरण का नाम	नग	राशि
1	देवमोग	नेहरू बुन.सह.स. मर्या. धौराकोट	ताना वाबीन 5"x3"	504	10400.00
			कॉटन वर्निस हिल्ड 60"x 44"	5	
2		चित्रगुप्त बुन.सह.स. मर्या. मुगंझर	कॉटन वर्निस हिल्ड 52"x 66"	2	1799.00
3		गांधी बुन.सह.स. मर्या.खलियामाठा	ताना वाबीन 5"x2.5 "	200	5398.24
			कॉटन वर्निस हिल्ड 60"x 44"	5	
4	जय भवानी बुन.सह.स. मर्या.कुम्हडाईकला	कॉटन वर्निस हिल्ड 60"x 44"	5	3460.00	
5	महावीर बुन.सह.स. मर्या.कोसमकानी	कॉटन वर्निस हिल्ड 60"x 44"	4	2768.00	
			कुलयोग:-	725	23825.24

परिशिष्ट "छियालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 921) के भाग (क) की जानकारी]

ग्रामोद्योगवार सूची -

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	उद्योग/बुनकर समिति का नाम	राशि (रु. लाख में)		
				ईकाई संख्या	लागत राशि	अनुदान राशि
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2017-18	राइस मिल	1	10.00	3.50
2			टेन्ट हाउस	3	20.00	6.50
3			रेडीमेड वस्त्र निर्माण	3	4.00	1.40
4			भारतीय मिष्ठान	1	2.00	0.70
5			टेलरींग	1	5.000	1.75
6			होटल	1	3.00	1.05
7			कृषि सेवा केन्द्र	1	3.00	1.05
8			मोबाईल रिपेरींग	1	3.00	0.75
9			ज्वेलरी	1	5.00	1.75
10			केबल टीवी	1	5.00	1.75
11			सेट्रींग प्लेट	2	8.00	2.80
योग:-				16	68.00	23.00
1	मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2017-18	सायकल मरम्मत	1	1.00	0.35
2			रेडीमेड वस्त्र निर्माण	5	7.00	2.45
3			सिलाई उद्योग	1	1.00	0.35
4			फलैक्स	1	3.00	1.05
5			फोटो कापी	1	1.00	0.35
6			सेट्रींग प्लेट	1	1.00	0.35
योग:-				10	14.00	4.90
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2018-19	होटल	2	7.00	1.95
2			मोटर वाइंडिंग	1	3.00	0.75
3			मोबाईल रिपेरींग	3	17.00	5.75
4			वर्मी कॅम्पोस्ट	1	10.00	3.50
5			सेट्रींग प्लेट	3	20.00	7.00
6			फेब्रीकेशन	2	26.00	9.00
7			इलेक्ट्रनिक एण्ड इले.	2	8.00	2.80
8			रेडीमेड वस्त्र निर्माण	1	11.11	2.77
9			आफसेट प्रिंटींग	1	24.80	8.43
योग:-				16	126.91	41.95

1	मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2018-19	रेडीमेड वस्त्र निर्माण	4	12.00	4.20
2			फोटो कापी	2	2.00	0.70
3			होटल	2	2.00	0.70
4			धान मिल	2	2.00	0.70
5			सिलाई उद्योग	3	2.45	0.85
6			सीट कव्हर	1	3.00	1.05
7			वर्मी कॅम्पोस्ट	1	1.00	0.35
8			फेब्रीकेशन	1	3.00	1.05
9			मोबाईल रिपेयरींग	1	1.00	0.35
योग:-				17	28.45	9.95
1	समग्र हाथकरघा योजना	2018-19	बुनकर स.स.मर्या. केशव नगर	1	6.80	6.8
2			एकता बुन. स.स. मर्या. लैडुवा	1	6.80	6.80
योग:-				2	13.60	13.60
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2019-20	सिलाई उद्योग	2	7.00	1.95
2			आटो सर्विस	1	1.00	0.35
3			पैथोलाजी	1	10.00	2.50
4			रेडीमेड वस्त्र निर्माण	1	25.00	8.75
योग:-				5	43.00	13.55
1	मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2019-20	0	0	0.00	0.00
योग:-				0	0.00	0.00
महायोग:-				66	293.96	106.95

परिशिष्ट "सैंतालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 960) के भाग (ग) की जानकारी]

बालोद जिले के अंतर्गत प्रस्तावित नवीन नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
1	संजारी-बालोद	बालोद	बालोद	देवारभाट
2	संजारी-बालोद	बालोद	बालोद	जगन्नाथपुर
3	संजारी-बालोद	बालोद	बालोद	उमरादाह
4	संजारी-बालोद	बालोद	बालोद	नेवारीकला
5	संजारी-बालोद	बालोद	बालोद	भेंगारी
6	संजारी-बालोद	बालोद	बालोद	अरौद
7	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	सोरर
8	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	भरदा
9	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	बासीन
10	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	टेंगनाबरपारा
11	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	बोडरा
12	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	रमतारा
13	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	मोहारा
14	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	पेरपार
15	संजारी-बालोद	बालोद	गुरुर	हसदा
16	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डी	सुवरबोड
17	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डी	धोबनी (ब)
18	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डी	कांडे
19	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डी	बम्हनी (कुसुमटोला)
20	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डी	खल्लारी
21	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डी	कोटागांव
22	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	कर्रगांव
23	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	हितापठार
24	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	कोंडेकसा
25	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	बगईकोन्हा
26	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	आतरगांव

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	जिला	विकासखण्ड	ग्राम का नाम
1	2	3	4	5
27	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	रेंगनी
28	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	बैहाकुआं
29	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	गारका
30	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	चिलमगोटा
31	डौण्डीलोहारा	बालोद	डौण्डीलोहारा	कोसमी
32	गुण्डरदेही	बालोद	डौण्डीलोहारा	बुंदेली
33	गुण्डरदेही	बालोद	डौण्डीलोहारा	भुरकाभाट
34	गुण्डरदेही	बालोद	डौण्डीलोहारा	रीवागहन
35	गुण्डरदेही	बालोद	डौण्डीलोहारा	गोडमर्वा
36	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	अर्जुनी टिकरी
37	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	डौकीडीह
38	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	सिब्दी
39	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	सिरसिदा
40	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	रूदा
41	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	परसाही
42	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	परसवानी
43	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	सकरौद
44	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	कोटगांव
45	गुण्डरदेही	बालोद	गुण्डरदेही	बरबसपुर

परिशिष्ट "अड़तालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 964) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

दिसम्बर 2018 से 31 अक्टूबर-2019 की अवधि में प्रदेश के बाहर विद्युत विक्रय दर का संस्थावार मासिक विवरण निम्नानुसार है :-

स. क.	माह	विद्युत विक्रय का विवरण	
		संस्था का नाम	विक्रय की दर रूपये प्रति यूनिट में
01	दिसम्बर-2018	सदर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड एवं नार्दर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड	4.17
02	जनवरी-2019		7.62
03	फरवरी-2019		5.15
04	मार्च-2019		4.45
05	अप्रैल-2019		6.63
06	मई-2019		5.75
07	जून-2019		4.99
08	जुलाई-2019		4.38
09	अगस्त-2019		4.33
10	सितम्बर-2019		4.50
11	अक्टूबर-2019		4.39

प्रदेश के बाहर तेलंगाना राज्य को विद्युत विक्रय की मुख्य शर्तें

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदेश के बाहर तेलंगाना राज्य को पावर परचेस एग्रीमेंट दिनांक 22.09.2015 के तहत विद्युत का विक्रय किया जाता है जिसकी मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

01. अनुबंध की अवधि आपूर्ति प्रारंभ करने की तारीख (06.05.2017) से 12 वर्ष की है।
02. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तेलंगाना को विद्युत की आपूर्ति प्रदेश में बिजली के पारेषण नेटवर्क की सीमा (डेलिवरी प्वाइंट) तक किया जाएगा।
03. अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह (मड़वा) से उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट दर का निर्धारण प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है एवं उक्त निर्धारित दर पर विद्युत का विक्रय तेलंगाना को किया जाएगा।
04. विद्युत बिल की भुगतान की अवधि, देयक (बिल) जारी करने से 30 दिन है। तत्पश्चात् विलंब से भुगतान करने पर प्रतिदिन 0.04 प्रतिशत की दर से अधिभार (पेनाल्टी) लगेगा।
05. अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह (मड़वा) में स्थापित पावर प्लांट से प्रतिवर्ष कुल उत्पादन क्षमता के 80 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) के समतुल्य विद्युत की आपूर्ति तेलंगाना को किया जाना है।

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत क्रय की मात्रा एवं दर का संस्थावार विवरण

सं. क्र.	संस्था का नाम	दिसम्बर-2018 से अक्टूबर-2019 की अवधि की विद्युत खरीदी का विवरण	
		मात्रा मिलियन यूनिट में	विद्युत क्रय की औसत दर रुपये प्रति यूनिट
1	2	3	4
1	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	15990.26	3.57
2	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	1303.44	1.67
3	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	7347.79	3.49
4	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	329.12	3.07
5	एनटीपीसी सेल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड भिलाई	201.71	5.69
6	उडीसा हाईड्रो पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर	15.04	2.17
7	एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद हरियाणा	248.49	3.53
8	मेसर्स अग्रवाल विद्युत लिमिटेड, रायपुर	1.42	5.89
9	मेसर्स सुधा एग्रो आईल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर	64.20	5.91
10	मेसर्स नीरज पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	40.25	5.90
11	मेसर्स रीयल पावर प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर	47.04	5.91
12	मेसर्स रूक्मणी पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, रायगढ़	67.18	5.91
13	मेसर्स बालाजी पावर, महासमुंद	33.15	5.92
14	मेसर्स महेन्द्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर चांपा	37.35	6.07
15	मेसर्स अनिमेश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, बलौदाबाजार	49.33	6.07

16	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, रायगढ़	49.66	6.07
17	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	54.66	6.46
18	मेसर्स इन्द्रा पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, सरगुजा	30.76	6.07
19	मेसर्स वन्दना विद्युत लिमिटेड, बिलासपुर	24.52	5.96
20	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	96.42	6.57
21	मेसर्स श्री विष्णु पॉवर एण्ड एनर्जी लिमिटेड, राजनांदगांव	31.00	7.11
22	मेसर्स आर. आर. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़	86.41	5.99
23	मेसर्स लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पंडरिया, कबीरधाम	7.80	6.14
24	मेसर्स सावित्री पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, धमतरी	0.62	5.46
25	मेसर्स शालिवाहना ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा	4.64	4.40
26	मेसर्स छत्तीसगढ़ हाइड्रो पॉवर एल.एल.पी., गुल्लू, जशपुर	71.13	5.21
27	मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, खरोरा, रायपुर	2.58	5.67
28	मेसर्स सिंघल फारेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सराईपाली	2.71	5.67
29	मेसर्स सार्थक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग	2.20	6.44
30	मेसर्स आरक्रेस्ट्रेट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	2.25	6.46
31	मेसर्स एज्यूरे पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-1), दुर्ग	13.89	6.44
32	मेसर्स एज्यूरे पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-2), दुर्ग	14.46	6.45
33	मेसर्स एज्यूरे पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-3), दुर्ग	14.13	6.46
34	मेसर्स एकमे रायपुर सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, महासमुद	43.58	6.46
35	मेसर्स विपुल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, (प्रोजेक्ट-1), महासमुन्द	2.99	6.46
36	मेसर्स विपुल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, महासमुन्द (प्रोजेक्ट-2), महासमुन्द	2.94	6.46

37	मेसर्स परमपूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, धमधा	201.60	4.50
38	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (बण्डल पॉवर)	184.13	4.85
39	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	100.82	5.50
40	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	5.82	1.20
41	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर	3.24	1.12
42	मेसर्स भगवती पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, रायपुर	0.60	1.05
43	मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़	114.96	1.22
44	मेसर्स महेन्द्रा इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	0.13	1.04
45	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़	18.90	1.19
46	मेसर्स रीयल इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर	0.70	1.20
47	मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर	2.83	1.19
48	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, तिल्दा	1.01	1.31
49	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल लिमिटेड रायपुर	18.79	1.22
50	मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर	27.51	1.22
51	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	12.25	1.18
52	मेसर्स श्री नाकोडा इस्पात लिमिटेड, रायपुर	1.60	1.19
53	मेसर्स वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	5.03	1.20
54	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़	42.74	1.20
55	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, रायपुर	10.04	1.19
56	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, रायगढ़	6.24	1.15
57	मेसर्स नोवा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, बिलासपुर	0.57	1.22

58	पॉवर ट्रेडिंग कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	361.90	5.34
59	टाटा पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, नोयडा	94.03	4.40
60	मणिकरन पॉवर लिमिटेड, कोलकाता	228.56	4.47
61	जीएमआर एनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड, नई दिल्ली	33.04	4.89
62	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	124.52	3.98
63	डी.बी.पॉवर लिमिटेड, मुम्बई	130.65	5.58
64	टोरेन्ट पॉवर लिमिटेड, अहमदाबाद	234.57	4.19
65	सेम्बकार्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा	107.67	3.98
66	मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर	7.11	8.56
67	नादर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आफ तेलंगाना लिमिटेड, तेलंगाना (सीमावर्ती ग्राम मरईगुडा में विद्युत प्रदाय हेतु)	0.32	6.71
68	नादर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आफ तेलंगाना लिमिटेड, तेलंगाना(सीमावर्ती ग्राम किस्ताराम में विद्युत प्रदाय हेतु)	0.36	9.92
69	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, नई दिल्ली	1756.86	3.69
कुल योग		30174.22	

परिशिष्ट "उनचास"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 966) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मुंगेली जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के तहत (वित्तीय वर्ष 2017-18 से अक्टूबर 2019 तक) किए गए निर्माण कार्य, स्वीकृत राशि की जानकारी

क्र0	विकासखण्ड का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रुपये में)
1	2	3	4
वित्तीय वर्ष 2017-18			
1	मुंगेली	ग्राम पंचायत करही में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (लोक अभियोजन के पीछे)	2.50
2	मुंगेली	नाव शेड निर्माण कार्य होम गार्ड आफिस लालाकापा	1.00
3	मुंगेली	कलेक्ट्रेट परिसर मुंगेली में 250 लीटर क्षमता वाली आर.ओ. संयंत्र मय वाटर ए.टी.एम. मशीन लगाने हेतु	5.72
4	मुंगेली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के प्रथम तल में बैठक हेतु सभाकक्ष निर्माण	14.72
5	मुंगेली	जिला पंचायत मुंगेली परिसर में सी.सी.रोड निर्माण	20.00
6	मुंगेली	मृदा परीक्षण प्रयोग शाला धरमपुरा हेतु बाउण्ड्रीवाल धरमपुरा मुंगेली	5.00
7	मुंगेली	जिला पंचायत परिसर धरमपुरा मुंगेली में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य	10.00
8	मुंगेली	शा.उ.रो.कृषक प्रशिक्षण हाल बाघामुड़ा मुंगेली	5.00
9	मुंगेली	40 आंगनबाड़ी भवनों में टायलेट रेनोवेशन एवं पेयजल व्यवस्था ज.पं. क्षेत्र मुंगेली	4.00
10	मुंगेली	न.पा.उच्च.माध्य.विद्यालय निर्माण मुंगेली	20.00
11	मुंगेली	जिला चिकित्सालय मुंगेली में बहरापन रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम हेतु आडियो मैट्रिक साउंड प्रूफ रूम बनाने हेतु	5.00
12	लोरमी	पी0डी0एस0 भवन निर्माण ग्राम पंचायत विचारपुर	10.76
13	लोरमी	प्राथ.शाला में जीर्णोद्धार बाजार पारा लोरमी	3.00
14	लोरमी	माध्यमिक शाला जीर्णोद्धार लोरमी	3.00
15	लोरमी	शा.उ.मा.वि.जीर्णोद्धार लोरमी	10.00
16	लोरमी	शा.उ.रो.कृषक प्रशिक्षण हाल सारधा लोरमी	5.00
17	लोरमी	40 आंगनबाड़ी भवनों में टायलेट रेनोवेशन एवं पेयजल व्यवस्था ज.पं. क्षेत्र लोरमी	4.00
18	लोरमी	08 आंगनबाड़ी भवनों का जीर्णोद्धार कार्य ज.पं. क्षेत्र लोरमी	4.00
19	लोरमी	शा. 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बाउण्ड्रीवाल लोरमी	5.00
20	पथरिया	नगर पंचायत सरगांव क्षेत्र अंतर्गत समस्त स्कूलों में टायलेट रेनोवेशन एवं पेयजल व्यवस्था	4.16
21	पथरिया	04 आंगनबाड़ी भवनों का जीर्णोद्धार कार्य ज.पं. पथरिया	2.00
22	पथरिया	कृषक प्रशिक्षण हाल शा.उ.मा.रा.सैदरी	5.00
23	पथरिया	जिले के 8 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का मरम्मत	4.00
24	पथरिया	जिले के 20 आंगनबाड़ी केन्द्रों में टायलेट निर्माण	2.00
25	मुंगेली, लोरमी, पथरिया	प्राथ. एवं पूर्व माध्य. 30 शालाओं ओव्हर हेड टैंक लगाने	9.00
26	मुंगेली, लोरमी, पथरिया	प्राथ. एवं पूर्व माध्य. 07 शालाओं के मरम्मत जीर्णोद्धार बाउण्ड्रीवाल	43.73
27	मुंगेली, लोरमी, पथरिया	जिले के 14 प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कक्ष उन्नयन बिजली कार्य, शौचालय, स्वच्छ पेयजल माईनर मरम्मत	41.55

क्र०	विकासखण्ड का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रुपये में)
1	2	3	4
		योग	249.14
वित्तीय वर्ष 2018-19			
28	मुंगेली	वृद्धा आश्रम निर्माण के साथ पानी एवं विद्युत व्यवस्था हेतु	25.53
29	मुंगेली	मा.शा. निर्माण कार्य में से दशरंगपुर नवनिर्मित भवन का जीर्णोद्धार	11.48
30	मुंगेली	कलेक्टोरेट भवन मुंगेली में बाउण्ड्रीवाल भवन निर्माण कार्य	6.97
31	मुंगेली	मुखर्जी स्टेडियम के पास उद्यान में खनिज पाठशाला निर्माण कार्य	7.50
32	लोरमी	शा. प्रा. शाला औरापानी में अतिरिक्त कक्ष 02 निर्माण	5.00
33	लोरमी	पूर्व माध्यम. शाला में जीर्णोद्धार गोड़खाम्ही लोरमी	3.00
34	लोरमी	ग्राम पंचायत झिरिया में गेट निर्माण कार्य 0 (06 नग)	2.06
35	लोरमी	ग्राम पंचायत झिरिया में लघु सिंचाई कुआ निर्माण कार्य (06 नग)	14.28
36	लोरमी	ग्राम पंचायत झिरिया में पचरी निर्माण कार्य	2.41
37	लोरमी	ग्राम पंचायत झिरिया में डायवर्सन वेयर निर्माण कार्य	2.10
38	लोरमी	स्टॉप डेम झिरिया में पडल फिलिंग कार्य	2.24
39	लोरमी	झिरिया में स्टाप डेम मरम्मत कार्य	10.42
40	लोरमी	आहाता निर्माण कार्य तहसील परिसर लोरमी	13.19
41	लोरमी	आहाता निर्माण कार्य एस.डी.एम. कार्यालय के सामने लोरमी	3.96
42	लोरमी	शास0 प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य निवासखार	5.76
43	लोरमी	50 बिस्तर बालक छात्रावास निर्माण कार्य	19.05
44	लोरमी	शा0 पूर्व माध्यमिक शाला भवन में दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण छपरवा	9.83
45	लोरमी	ए-30 सी.सी. रोड निर्माण कार्य- मुंगेली से लोरमी (बी.टी. रोड) से आई.टी.आई. कालेज जमकोर पहुंच मार्ग (अप्रोच मार्ग)	10.00
46	लोरमी	ए-30 सी.सी. रोड निर्माण कार्य- मुंगेली से लोरमी (बी.टी. रोड) से आई.टी.आई. कालेज जमकोर पहुंच मार्ग (अप्रोच मार्ग)	6.00
47	लोरमी	ग्राम पंचायत झिरिया में चेक डेम निर्माण कार्य	9.56
48	पथरिया	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरगांव में मरचुरी निर्माण	2.00
49	पथरिया	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरगांव से मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड	7.00
50	पथरिया	ग्राम कुकुसदा स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र से मुख्य मार्ग तक सी.सी.रोड निर्माण	3.00
51	पथरिया	एस.डी.एम. कार्यालय पथरिया उन्नयन कार्य और टायलेट निर्माण	3.72
52	मुंगेली, पथरिया	28 ग्रामों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	84.00
53	मुंगेली, लोरमी, पथरिया	04 नवीन शाला भवनों का निर्माण	45.92
		योग	315.98
वित्तीय वर्ष 2019-20			
54	मुंगेली	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन मोतिमपुर में बाउण्ड्रीवाल एवं एप्रोच मार्ग निर्माण ग्राम मोतिमपुर	5.00
55	मुंगेली	अमरटापू में पर्यटक शेड निर्माण कार्य मोतिमपुर	5.00
56	मुंगेली	ग्राम भालापुर में सीसी रोड निर्माण कार्य	5.00
57	लोरमी	जमुनाही में मुक्तिधाम निर्माण कार्य	3.00
58	लोरमी	घाट एवं पचरी निर्माण कार्य वार्ड क्र. 13 लोरमी	5.00

क्र०	विकासखण्ड का नाम	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रुपये में)
1	2	3	4
59	पथरिया	प्राथ. शाला. भखरीडीह में आहाता निर्माण	2.00
60	पथरिया	प्राथ. शाला. खम्हारडीह में मरम्मत कार्य	2.00
61	पथरिया	ग्राम सल्फा सीसी रोड निर्माण (महेश के घर से गौठान तक)	5.00
62	पथरिया	आंगनबाड़ी केन्द्र बगबुडवा में मरम्मत कार्य एवं शौचालय निर्माण	1.00
63	पथरिया	खुटेरा में सी.सी.रोड निर्माण (कुशाल सिंह के घर से बीरबलदास घर तक-120 मी.)	3.00
64	पथरिया	मोहभट्टा में आहाता निर्माण कार्य-शा.प्रा.शाला-300 मी.	5.00
65	पथरिया	ग्राम अण्डा में गौठान का समतलीकरण	5.00
		योग	46.00
		महायोग	611.12

प्रपत्र "ब"

मुंगेली जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 से अक्टूबर 2019 तक विकासखण्डवार स्वीकृत कुल निर्माण कार्य एवं पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	योग
1	मुंगेली	08	10	18
2	लोरमी	20	06	26
3	पथरिया	05	11	16
4	मुंगेली, पथरिया	0	01	01
5	समस्त विकासखण्ड	02	02	04
	योग-	35	30	65

परिशिष्ट "पचास"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 971) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के खैरागढ़ संभाग में दिनांक 31-10-2019 की स्थिति में स्वीकृत, पदस्थ तथा रिक्त पदों की वितरण केन्द्रवार जानकारी

क्रमांक	वितरण केन्द्र का नाम	लाईन मेन की जानकारी (लाईन सहायक श्रेणी-दो)			सहायक लाईन मेन की जानकारी (परिचारक श्रेणी-एक)			योग		
		कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कुल रिक्त पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कुल रिक्त पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कुल रिक्त पदों की संख्या
1	खैरागढ़ (शहर) (उप-संभाग खैरागढ़ सहित)	2	0	2	7	4	3	9	4	5
2	खैरागढ़ (ग्रामीण)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
3	पाण्डादाह	2	1	1	7	1	6	9	2	7
4	अमलीपारा	2	0	2	3	2	1	5	2	3
5	जालबाधा	0	0	0	1	1	0	1	1	0
6	छुईखदान (उप-संभाग छुईखदान सहित)	2	0	2	7	2	5	9	2	7
7	अतरिया	2	1	1	4	1	3	6	2	4
8	गण्डई	2	0	2	3	3	0	5	3	2
9	बुन्देली	0	0	0	1	1	0	1	1	0
10	साल्हेवारा	0	0	0	2	2	0	2	2	0
11	पैलीमेटा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	12	2	10	36	18	18	48	20	28

परिशिष्ट "इनक्यावन"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 977) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा क्षेत्र संजारी-बालोद के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामीण नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	नलजल योजना हेतु प्रस्तावित ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	बालोद	बालोद	देवारभाट
2	बालोद	बालोद	जगन्नाथपुर
3	बालोद	बालोद	उमरादाह
4	बालोद	बालोद	नेवारीकला
5	बालोद	बालोद	भेंगारी
6	बालोद	बालोद	अरौद
7	बालोद	गुरुर	सोरर
8	बालोद	गुरुर	भरदा
9	बालोद	गुरुर	बासीन
10	बालोद	गुरुर	टेंगनाबरपारा
11	बालोद	गुरुर	बोडेश
12	बालोद	गुरुर	रमतारा
13	बालोद	गुरुर	मोहारा
14	बालोद	गुरुर	पेरपार
15	बालोद	गुरुर	हसदा

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 31 अक्टूबर, 2019 तक स्वीकृत नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	वर्ष	जिला	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रु.लाख में)	अद्यतन स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2016-17	← निरंक →					
1	2017-18	बालोद	बालोद	बघमरा	49.89	पूर्ण	
2		बालोद	बालोद	झलमला	65.07	प्रगतिरत्	
3		बालोद	बालोद	पडकीभाट	10.00	पूर्ण	
4		बालोद	गुरुर	कंवर	69.65	पूर्ण	
5		बालोद	गुरुर	पलारी	79.55	पूर्ण	
1	2018-19	बालोद	बालोद	भंडियानवागांव	49.54	निविदा प्रक्रियाधीन	
2		बालोद	बालोद	हिरापुर	48.31	निविदा प्रक्रियाधीन	
3		बालोद	बालोद	नेवारीखुर्द	9.64	निविदा प्रक्रियाधीन	
4		बालोद	गुरुर	बागतराई	45.71	कार्यादेश जारी	
5		बालोद	गुरुर	कोसांगोदी	49.76	निविदा प्रक्रियाधीन	
6		बालोद	गुरुर	बोरिदकला	49.43	निविदा प्रक्रियाधीन	
7		बालोद	गुरुर	परसुली	46.20	निविदा प्रक्रियाधीन	
8		बालोद	गुरुर	कन्हारपुरी	19.76	निविदा प्रक्रियाधीन	
9		बालोद	गुरुर	बोरतरा	19.99	निविदा प्रक्रियाधीन	
10		बालोद	गुरुर	चन्दनबिरही	19.13	निविदा प्रक्रियाधीन	
11		बालोद	गुरुर	दुबचेरा	19.95	निविदा प्रक्रियाधीन	
12		बालोद	गुरुर	भोथली	60.57	निविदा प्रक्रियाधीन	

परिशिष्ट "बावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 990) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ अन्तर्गत स्वीकृत नल जल योजना

क.	विधान सभा	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	लागत (रु. लाख में)	कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	रायगढ़	रायगढ़	महापल्ली	10.85	20.04.1996	पूर्ण
2	रायगढ़	रायगढ़	लोईग	16.92	15.03.2004	पूर्ण
3	रायगढ़	रायगढ़	जुडी	14.20	12.03.2003	पूर्ण
4	रायगढ़	रायगढ़	गोपालपुर	10.00	15.03.2012	पूर्ण
5	रायगढ़	रायगढ़	बनोरा	16.20	11.02.2013	पूर्ण
6	रायगढ़	रायगढ़	कोलाईबहाल	28.18	10.05.2016	पूर्ण
7	रायगढ़	रायगढ़	जामगाव	45.19	12.07.2018	पूर्ण
8	रायगढ़	रायगढ़	कुकुर्दा	48.42	18.02.2019	प्रगतिरत
9	रायगढ़	पुसौर	गढ़उमरिया	9.38	12.10.1989	पूर्ण
10	रायगढ़	पुसौर	पडिगाव	1.57	1980	पूर्ण
11	रायगढ़	पुसौर	छि० उमरिया	19.50	10.07.2013	पूर्ण
12	रायगढ़	पुसौर	कोडातराई	26.35	15.10.1989	पूर्ण
13	रायगढ़	पुसौर	औरदा	18.96	20.03.2004	पूर्ण
14	रायगढ़	पुसौर	कोडपाली	13.53	3.07.2003	पूर्ण
15	रायगढ़	पुसौर	नेतनागर	8.26	15.12.2008	पूर्ण
16	रायगढ़	पुसौर	तडोला	12.50	12.03.2012	पूर्ण
17	रायगढ़	पुसौर	मिडमिडा	10.00	18.03.2012	पूर्ण
18	रायगढ़	पुसौर	बडे हरदी	16.70	19.03.2013	पूर्ण
19	रायगढ़	पुसौर	एकताल	14.50	22.03.2013	पूर्ण
20	रायगढ़	पुसौर	टिनमिनी	18.50	04.04.2008	पूर्ण
21	रायगढ़	पुसौर	कोतासुरा	15.05	26.06.2013	पूर्ण
22	रायगढ़	पुसौर	गोतमा	16.67	22.06.2015	पूर्ण
23	रायगढ़	पुसौर	छिच	23.18	14.09.2015	पूर्ण
24	रायगढ़	पुसौर	ओडेकेरा	39.75	12.03.2018	पूर्ण
25	रायगढ़	पुसौर	छोटेहरदी	28.11	19.07.2018	पूर्ण
26	रायगढ़	पुसौर	कोसमंदा / धुरनपाली	39.34	20.07.2019	पूर्ण
27	रायगढ़	पुसौर	त्रिभोना	48.44	12.06.2019	प्रगतिरत
28	रायगढ़	बरमकेला	बार	18.03	09.05.2004	पूर्ण
29	रायगढ़	बरमकेला	बोन्दा	12.48	11.05.2004	पूर्ण
30	रायगढ़	बरमकेला	साल्हेओना	9.31	29.05.2007	पूर्ण
31	रायगढ़	बरमकेला	भिखमपुरा	9.31	05.10.2007	पूर्ण
32	रायगढ़	बरमकेला	सांकरा	24.99	11.02.2006	पूर्ण

क.	विधान सभा	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	लागत (रु. लाख में)	कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	6	7	8
33	रायगढ़	बरमकेला	पंचधार	22.22	08.06.2007	पूर्ण
34	रायगढ़	बरमकेला	लुकापारा	20.24	12.05.2008	पूर्ण
35	रायगढ़	बरमकेला	कुधरगढ़ी	19.89	—	अप्रारंभ
36	रायगढ़	बरमकेला	कण्डोला	15.35	01.10.2013	पूर्ण
37	रायगढ़	बरमकेला	जलगढ़	13.80	15.03.2013	पूर्ण
38	रायगढ़	बरमकेला	भठली	28.24	16.04.2013	पूर्ण
39	रायगढ़	बरमकेला	महराजपुर	9.00	25.06.2012	पूर्ण
40	रायगढ़	बरमकेला	अमुरा	15.90	28.04.2013	पूर्ण
41	रायगढ़	बरमकेला	गोबरसिंघा	40.47	29.12.2017	पूर्ण
42	रायगढ़	बरमकेला	नौघटा	40.24	01.05.2018	पूर्ण
43	रायगढ़	बरमकेला	मुंगलीपाली	18.80	04.10.2018	पूर्ण
44	रायगढ़	बरमकेला	गिरहुलपाली	39.08	10.03.2019	प्रगतिरत
45	रायगढ़	बरमकेला	पिहरा	37.55	27.02.2019	प्रगतिरत

परिशिष्ट "तिरपन"

[अतिरिक्त प्रश्न संख्या 51 (क्र. 1028) के भाग (क) की जानकारी]

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित हैण्डपंप एवं नलजल योजना की जानकारी

(अ) ग्राम पंचायतवार :-

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम नगरीय वार्ड कमाक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	स्थापित हैण्डपंप का विवरण		स्थापित नलजल योजना	संचालित	असंचालित	असंचालित का कारण	असंचालित नलजल योजना कब तक संचालित की जावेगी	टिप्पणियाँ
				कुल स्थापित हैण्डपंप	संचालित						
1	रानीगाव	रानीगाव	कोटा	5	5	1	1	0	0	0	-
2	सीस	सीस	कोटा	23	23	1	1	0	0	0	-
3	सीस	रमदई	कोटा	10	10	0	0	0	0	0	-
4	नवागावकरा	नवागावकरा	कोटा	12	12	1	1	0	0	0	-
5	करा	करा	कोटा	22	22	1	0	1	एन.एच. द्वारा सड़क निर्माण से प्रभावित	निश्चित समय बतलाना संभव नहीं	एन.एच. द्वारा कार्य कराया जावेगा सुपरविजन विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित
6	जाली	जाली	कोटा	22	22	1	0	1	एन.एच. द्वारा सड़क निर्माण से प्रभावित	निश्चित समय बतलाना संभव नहीं	एन.एच. द्वारा कार्य कराया जावेगा सुपरविजन विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित
7	मेलनाडीह	मेलनाडीह	कोटा	9	9	0	0	0	0	0	-
8	मेलनाडीह	खुटाडीह	कोटा	4	4	0	0	0	0	0	-
9	भरदैयाडीह	भरदैयाडीह	कोटा	1	1	0	0	0	0	0	-
10	भरदैयाडीह	जलीराडीह	कोटा	1	1	0	0	0	0	0	-
11	कलमीटार	कलमीटार	कोटा	10	10	1	1	0	0	0	-
12	बेलतरा	बेलतरा	बिल्हा	55	55	1	1	0	0	0	-
13	बांका	बांका	बिल्हा	14	14	0	0	0	0	0	-
14	कोरबी	कोरबी	बिल्हा	18	18	0	0	0	0	0	-
15	कोरबी	पधरापाली	बिल्हा	9	9	0	0	0	0	0	-
16	लिम्हा	लिम्हा	बिल्हा	42	42	1	1	0	0	0	-
17	सलखा	सलखा	बिल्हा	19	19	1	1	0	0	0	-
18	धौरामूडा	धौरामूडा	बिल्हा	13	13	0	0	0	0	0	-
19	धौरामूडा	बरपाली	बिल्हा	6	6	0	0	0	0	0	-
20	नेवसा	नेवसा	बिल्हा	16	16	1	1	0	0	0	-
21	गिधौरी	गिधौरी	बिल्हा	10	10	0	0	0	0	0	-
22	कडरी	कडरी	बिल्हा	18	18	0	0	0	0	0	-

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम / नगरीय वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	स्थापित हेण्डपंप का विवरण		स्थापित नलजल योजना	संचालित	असंचालित	असंचालित का कारण	असंचालित नलजल योजना कब तक संचालित की जावेगी	रिमांक
				कुल स्थापित हेण्डपंप	संचालित						
23	कैडरी	नगपुरा	बिल्हा	6	6	0	0	0	0	0	-
24	बसहा	बसहा	बिल्हा	20	20	0	0	0	0	0	-
25	बिटकुली उ.	बिटकुली उ.	बिल्हा	10	10	0	0	0	0	0	-
26	करमा	करमा	बिल्हा	18	18	0	0	0	0	0	-
27	मंजुरपहरी	मंजुरपहरी	बिल्हा	20	20	0	0	0	0	0	-
28	मंजुरपहरी	बम्हनीखुर्द	बिल्हा	6	6	0	0	0	0	0	-
29	अकलतरी	अकलतरी	बिल्हा	19	19	1	1	0	0	0	-
30	टेकर	टेकर	बिल्हा	12	12	1	1	0	0	0	-
31	खैरखुण्डी	खैरखुण्डी	बिल्हा	10	10	1	1	0	0	0	-
32	गढवट	गढवट	बिल्हा	14	14	1	1	0	0	0	-
33	बाम्हू	बाम्हू	बिल्हा	12	12	1	1	0	0	0	-
34	मिल्ली	मिल्ली	बिल्हा	9	9	0	0	0	0	0	-
35	गोपालपुर	गोपालपुर	बिल्हा	5	5	0	0	0	0	0	-
36	सेलर	सेलर	बिल्हा	27	27	1	1	0	0	0	-
37	सेलर	पिपरा	बिल्हा	3	3	0	0	0	0	0	-
38	मोहरा	मोहरा	बिल्हा	21	21	1	1	0	0	0	-
39	मटियारी	मटियारी	बिल्हा	24	24	1	1	0	0	0	-
40	खैरा ड.	खैरा ड.	बिल्हा	11	11	0	0	0	0	0	-
41	उगनिया	उगनिया	बिल्हा	15	15	1	1	0	0	0	-
42	भांडी	भांडी	बिल्हा	16	16	0	0	0	0	0	-
43	उच्चमट्टी	उच्चमट्टी	बिल्हा	11	11	0	0	0	0	0	-
44	उच्चमट्टी	निपनिया	बिल्हा	5	5	0	0	0	0	0	-
45	लखराम	लखराम	बिल्हा	22	22	1	1	0	0	0	-
46	चोरहादेवरी	चोरहादेवरी	बिल्हा	11	11	0	0	0	0	0	-
47	भरकीडीह	भरकीडीह	बिल्हा	19	19	0	0	0	0	0	-
48	सिधरी	सिधरी	बिल्हा	20	20	1	1	0	0	0	-
49	सेमरा	सेमरा	बिल्हा	17	17	0	0	0	0	0	-
50	मदनपुर	मदनपुर	बिल्हा	18	18	1	1	0	0	0	-
51	सेंदरी	सेंदरी	बिल्हा	10	10	1	1	0	0	0	-
52	सेमरताल	सेमरताल	बिल्हा	15	15	1	1	0	0	0	-

220

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम / नगरीय वाईड कनांक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	स्थापित हेण्डपंप का विवरण		स्थापित नलजल योजना	संचालित असंचालित	असंचालित का कारण	असंचालित नलजल योजना कब तक संचालित की जावेगी	रिमाक
				कुल स्थापित हेण्डपंप	संचालित					
53	भदौरियाखार	भदौरियाखार	बिल्हा	6	6	0	0	0	0	-
54	पौंसरा	पौंसरा	बिल्हा	8	8	1	1	0	0	-
55	परसदा से.	परसदा से.	बिल्हा	11	11	0	0	0	0	-
56	परसदा से.	परसदा से.	बिल्हा	6	6	0	0	0	0	-
57	रमतला	रमतला	बिल्हा	11	11	1	1	0	0	-
58	नगौई	नगौई	बिल्हा	10	10	1	1	0	0	-
59	बैमा	बैमा	बिल्हा	17	17	1	1	0	0	-
60	फरहदा	फरहदा	बिल्हा	15	15	0	0	0	0	-
61	लगरा	लगरा	बिल्हा	11	11	0	0	0	0	-
62	उर्तुम	उर्तुम	बिल्हा	11	11	0	0	0	0	-
63	उर्तुम	हरदीडीह	बिल्हा	3	3	0	0	0	0	-
64	खैरा ल.	खैरा ल.	बिल्हा	23	23	0	0	0	0	-
65	भरारी	भरारी	बिल्हा	12	12	1	1	0	0	-
66	भरारी	संमरी	बिल्हा	6	6	0	0	0	0	-
67	लोफदी	लोफदी	बिल्हा	13	13	1	1	0	0	-
68	गोदईया	गोदईया	बिल्हा	19	19	0	0	0	0	-
69	पेण्डरवा उ.	पेण्डरवा उ.	बिल्हा	13	13	0	0	0	0	-
70	पेण्डरवा उ.	लक्षनपुर	बिल्हा	4	4	0	0	0	0	-
71	मोहतराई	मोहतराई	बिल्हा	13	13	0	0	0	0	-
72	कछार	कछार	बिल्हा	10	10	1	1	0	0	-
73	कछार	अमतरा	बिल्हा	3	3	0	0	0	0	-
74	गतौरी	गतौरी	बिल्हा	11	11	0	0	0	0	-
75	जलसो	जलसो	बिल्हा	14	14	1	1	0	0	-
76	सरवनदेवरी	सरवनदेवरी	बिल्हा	10	10	0	0	0	0	-
77	परसाही	परसाही	बिल्हा	14	14	0	0	0	0	-
78	नवगवा	नवगवा	बिल्हा	3	3	0	0	0	0	-
79	नवगवा	नुमकवा	बिल्हा	8	8	0	0	0	0	-
80	रामपुर	रामपुर	बिल्हा	5	5	0	0	0	0	-
				योग :-	1055	1055	32	30	2	0

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम/नगरीय बोर्ड कमाक	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	स्थापित हेण्डपंप का विवरण		स्थापित नलजल योजना	संचालित	असंचालित	असंचालित का कारण	असंचालित नलजल योजना कब तक संचालित की जावेगी	रिमाक
				कुल स्थापित हेण्डपंप	संचालित						
1	13	-	बिल्हा	5	5	1	1	0	0	0	-
2	14	-	बिल्हा	2	2	1	1	0	0	0	-
3	47	-	बिल्हा	0	0	1	1	0	0	0	-
4	48	-	बिल्हा	0	0	1	1	0	0	0	-
5	49	-	बिल्हा	25	25	2	2	0	0	0	ग्राम बिजौर एवं ग्राम बहतराई अलग-अलग ग्राम शामिल हुए हैं।
6	51	-	बिल्हा	0	0	1	1	0	0	0	-
7	52	-	बिल्हा	13	13	1	1	0	0	0	-
8	53/54	-	बिल्हा	4	4	1	1	0	0	0	-
9	55/57	-	बिल्हा	25	25	1	1	0	0	0	-
10	58	-	बिल्हा	0	0	1	1	0	0	0	-
11	63	-	बिल्हा	2	2	1	1	0	0	0	-
12	64	-	बिल्हा	15	15	1	1	0	0	0	-
13	65	-	बिल्हा	0	0	1	1	0	0	0	-
14	67/68	-	बिल्हा	24	24	1	1	0	0	0	-
योग :-				115	115	15	15	0	0	0	-
महायोग :-				1170	1170	47	45	2	0	0	-

(ब) नगरीय बोर्डवार :-

परिशिष्ट "चौवन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1034) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जनवरी, 2019 के पश्चात् दिनांक 02-04-2019 को मेसर्स शिव शक्ति स्टील प्रायवेट लिमिटेड, ग्राम बंगुरसिया में स्थित प्लांट की जांचोपरांत की गयी कार्यवाही एवं पायी गयी अनियमितता की जानकारी

क्र.सं.	जांच में पाई गई अनियमितता का विवरण	अनियमितता के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी
1	2	3
1.	प्लांट क्षेत्र में खनिज कोयला के कुल भण्डारित मात्रा 32180 मै.टन में से 310.270 मै.टन का वैद्यता विषयक अभिवहन पास प्रस्तुत नहीं किया गया।	प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद पर दिनांक 11.07.2019 को आयोजित लोक अदालत में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समझौता/अर्थदण्ड राशि रूपये 6,57,335 संस्थान द्वारा दिनांक 15.07.2019 को जमा किया गया।
2.	छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के शर्तों का उल्लंघन।	छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम 15(3) के तहत शर्त उल्लंघन पर जमा सुरक्षा राशि रूपये 1,00,000 को राजसात किया गया।
3.	संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध रूप से कोयला परिवहन किये जाने वाले 04 वाहनों पर कार्यवाही किये जाने प्रस्तावित किया गया।	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21(5) के तहत कार्यवाही कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है।
4.	मेसर्स शिवशक्ति स्टील्स प्रायवेट लिमिटेड के प्लांट का पर्यावरण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.03.2019 को जांच की गई। स्पंज आयरन किलन की चिमनी से काला धुंआ का उत्सर्जन पाया गया। वायु(प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया।	स्पंज आयरन किलन की चिमनी से काला धुंआ का उत्सर्जन पाये जाने के फलस्वरूप कंपनी को नोटिस दिनांक 29.03.2019 जारी किया गया तथा ई.एस.पी. बंद पाये जाने पर दिनांक 02.04.2019 को वायु(प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत उत्पादन बंद एवं विद्युत विच्छेदन किया गया। उद्योग के द्वारा प्रदुषण नियंत्रण व्यवस्था यथा ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर्स में दिये गये सुधार के आधार पर दिनांक 14.08.2019 को विद्युत प्रदाय बहाल करने एवं उत्पादन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई।

परिशिष्ट "पचपन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 1038) की जानकारी]

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/परिवार मूलक योनांतर्गत ग्रामोद्योग की सूची
ग्रामोद्योगवार (वर्ष 2015-16) जानकारी :- (राशि रू. लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष	उद्योग का नाम	स्वीकृत प्रकरण		
				ई.स.	प्रो.राशि	अनुदान
1	2	3	4	5	5	6
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2015-16	सायकल मरम्मत	2	2.00	0.600
			डीजे साउण्ड सर्विस	8	28.50	9.975
			प्रीटिंग प्रेस	1	10.00	3.500
			टेण्ट हाउस	2	5.00	1.750
			सेट्टींग	5	25.00	8.750
			आभूषण निर्माण	2	20.00	7.000
			पलाई ऐस ब्रिक्स	1	25.00	8.750
			फर्नीचर निर्माण	4	33.00	11.550
			मोटर सायकल रिपैरिंग	1	1.00	0.350
			रेडिमेड वस्त्र निर्माण	5	25.00	8.750
			मोटर वाइडिंग	2	10.00	3.500
			फैब्रीकेशन	2	12.00	4.200
			इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रानिक रिपे0	3	12.00	4.200
			दोना पत्तल निर्माणर	1	1.00	0.350
कम्प्यूटर, मोबाईल वर्क एवं फोटोकापी	3	5.30	1.855			
स्टील इडस्ट्रीज	1	10.00	3.500			
योग --				43	224.80	78.580
2	परिवार मूलक योजना	2015-16	रेडिमेड वस्त्र निर्माण	21	15.62	2.835
			हॉटल	6	5.50	0.810
			मुर्गीचारा निर्माण	1	1.00	0.135
			झाड़ू निर्माण	4	1.08	0.540
			दोना पत्तल निर्माण	6	1.62	0.810
			फैब्रीकेशन	4	2.80	0.540
			टेण्ट हाउस	5	5.00	0.675
			डीजे और साउंड सर्विस	10	10.00	1.350
			सायकल मरम्मत	19	15.35	2.565
			सेट्टींग वर्क	8	7.50	1.080
			मनीहारी	55	37.53	7.425
			मोटर सायकल मरम्मत	7	6.00	0.945
			चाट भंडार	1	0.27	0.135
			जूस सेंटर	1	0.27	0.135
			मोबाईल मरम्मत	7	4.85	0.945
			ईट भट्टा	1	1.00	0.135
			बांस टोकरी निर्माण	6	3.20	0.810
			मशाला उद्योग	10	2.70	1.350
			चावल प्रशोधन	1	0.27	0.135
			अचार पापड़ निर्माण	2	0.54	0.270
			डेयरी प्रोडक्ट	1	0.50	0.135
फर्नीचर मार्ट	6	5.50	0.810			
फोटोकापी एवं कम्प्यूटरी वर्क	9	7.50	1.215			

		फोटो स्टुडियो	2	2.00	0.270
		जूता चप्पल निर्माण	4	2.15	0.540
		बैण्ड पार्टी	2	2.00	0.270
		मिनी आटा चक्की	1	1.00	0.135
		नमकिन मिक्चर निर्माण	1	1.00	0.135
		मोटर वाईडिंग	1	1.00	0.135
		लोहारी कार्य	1	1.00	0.135
		डीजल इंजन मरम्मत	1	1.00	0.135
		इलेक्ट्रिक मरम्मत	2	1.30	0.270
		व्यूटीपार्लर	1	1.00	0.135
		गैस चूल्हा मरम्मत	1	1.00	0.135
		स्क्रीन प्रीटिंग	1	1.00	0.135
		योग -	209	151.05	28.215

ग्रामोद्योगवार (वर्ष 2016-17) जानकारी :-

(राशि रु. लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष	उद्योग का नाम	स्वीकृत प्रकरण		
				ई.स.	प्रो.राशि	अनुदान
1	2	3	4	5	5	6
2	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2016-17	फलाई ऐस ब्रिक्स	3	75.00	23.750
			डीजे साउण्ड सर्विस	4	28.00	9.800
			टेण्ट हाउस	1	2.00	0.700
			सेन्ट्रीग एवं मिक्चर मशीन	2	20.00	7.000
			फर्नीचर निर्माण	1	5.00	1.750
			रेडिमेड वस्त्र निर्माण	2	8.00	2.800
			फेब्रीकेशन	2	17.50	5.125
			इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रानिक रिपे0	1	5.00	1.750
			कम्प्यूटर वर्क एवं फोटोकापी	2	9.60	3.360
			योग -			
2	परिवार मूलक योजना	2016-17	रेडिमेड वस्त्र निर्माण	34	24.71	4.590
			सीमेन्ट जाली निर्माण	1	1.00	0.135
			सेलून	5	4.50	0.675
			दोना पत्तल निर्माण	18	8.39	2.430
			फेब्रीकेशन	5	5.00	0.675
			टेण्ट हाउस	2	1.50	0.270
			डीजे और साउंड सर्विस	7	7.00	0.945
			सायकल मरम्मत	11	8.37	1.485
			सेटरींग वर्क	9	7.50	1.215
			मनीहारी	34	28.24	4.590
			मोटर सायकल मरम्मत	8	8.00	1.080
			अगरबत्ती निर्माण	1	1.00	0.135
			जूस सेंटर	3	0.92	0.405
			मोबाईल मरम्मत	7	7.00	0.945
			बांस वस्तु निर्माण	4	3.27	0.540
			मशाला उद्योग	5	1.35	0.675
			अचार पापड़ निर्माण	10	2.70	1.350
			फर्नीचर मार्ट	11	10.50	1.485
			फोटोकापी एवं कम्प्यूटर वर्क	8	7.50	1.080
			फोटो स्टुडियो	1	1.00	0.135
			जूता चप्पल निर्माण	2	1.40	0.270
बैलून डेकोरेशन	1	1.00	0.135			
नमकिन मिक्चर निर्माण	1	1.00	0.135			
इले. एण्ड इलेक्ट्रानिक मरम्मत	6	4.04	0.810			
स्क्रीन प्रीटिंग	1	1.00	0.135			
योग -				195	147.89	26.325

ग्रामोद्योगवार (वर्ष 2017-18) जानकारी :-

(राशि रु. लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष	उद्योग का नाम	स्वीकृत प्रकरण		
				ई.स.	प्रो.राशि	अनुदान
1	2	3	4	5	5	6
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2017-18	हालर आटा चक्की	1	5.00	1.750
			डीजे साउण्ड एवं टेण्ट हाउस	12	69.00	24.150
			दोना पत्तल निर्माण	2	7.50	2.175
			सेन्ट्रींग एवं मिक्चर मशीन	12	95.10	33.285
			आभूषण निर्माण	1	6.00	2.100
			फलाई ऐस ब्रिक्स	2	30.00	10.500
			जिम	1	7.00	2.450
			मोटर सायकल रिपैयरिंग	1	3.00	1.050
			रेडिमेड वस्त्र निर्माण	11	67.98	23.793
			सायकल मरम्मत	1	1.60	0.560
			फेब्रीकेशन	4	26.46	9.225
			ब्यूटीपार्लर	1	2.10	0.736
			फर्नीचर मार्ट	1	3.00	1.050
			इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रानिक रिपैर	3	15.00	5.250
			डेयरी प्रोडक्ट	2	7.00	2.450
			वर्मी कम्पोस्ट	1	10.00	3.500
	कम्प्यूटर वर्क एवं फोटोकापी	7	49.29	16.286		
	सीमेन्ट पोल निर्माण	2	30.00	10.500		
योग -				65	435.03	150.810
2	परिवार मूलक योजना / मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2017-18	रेडीमेड वस्त्र निर्माण	8	9.27	2.910
			हॉटल	4	2.77	0.540
			दोना पत्तल निर्माण	32	16.83	7.065
			फेब्रीकेशन	3	7.00	2.235
			टेण्ट हाउस	3	3.00	0.405
			डीजे और साउंड सर्विस	1	1.00	0.350
			कोसा धागा निर्माण (पावरलूम)	2	6.00	2.100
			सेटरींग वर्क	1	1.00	0.135
			ऑटो रिपैयरिंग	2	2.00	0.700
			बैण्ड मंडली	1	1.00	0.135
			ब्यूटीपार्लर	1	0.27	0.135
			चना मुर्दा लड्डू निर्माण	1	3.00	1.050
			बांस टोकरी निर्माण	1	1.00	0.135
			मशाला उद्योग	1	1.00	0.135
			अनाज दाल प्रशोधन	1	1.00	0.350
			फर्नीचर मार्ट	2	4.00	1.185
	फोटोकापी एवं कम्प्यूटर वर्क	3	2.50	0.620		
	सेलून	2	1.50	0.270		
	टायर वर्कशाप	1	0.50	0.135		
	इलेक्ट्रिक मरम्मत	1	1.00	0.135		
योग -				71	65.64	20.725

ग्रामोद्योगवार (वर्ष 2018-19) जानकारी :-

(राशि रु. लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष	उद्योग का नाम	स्वीकृत प्रकरण		
				ई.स.	प्रो.राशि	अनुदान
1	2	3	4	5	5	6
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2018-19	हालर आटा चक्की			
			डीजे साउण्ड एवं टेण्ट हाउस	9	53.42	18.696
			आभूषण निर्माण	1	10.00	3.500
			सेन्ट्रींग एवं मिक्चर मशीन	15	96.62	33.810
			जड़ीबूटी प्रशोधन	1	5.00	1.750
			पलाई एस ब्रिक्स	7	162.10	56.740
			सीमेन्ट ब्लाक निर्माण	1	25.00	8.750
			कम्प्यूटर एवं फोटोकापी	6	46.00	16.100
			मोटर सायकल रिपेयरिंग	4	21.00	7.350
			सायकल मरम्मत	1	2.00	0.700
			रेडिमेड वस्त्र निर्माण	4	43.00	15.050
			जिम	1	10.00	2.500
			ब्यूटीपार्लर	1	1.05	0.370
			नमकीन मिक्चर निर्माण	3	10.00	3.100
			वेज ढाबा	1	9.47	3.320
			फूड इंडस्ट्रीज (डेयरी प्रोडक्ट नि.)	3	24.00	8.400
			फेब्रीकेशन (स्टील इंडस्ट्रीज)	5	42.70	14.845
			आलमारी एवं कूलर उद्योग	1	5.00	1.750
			ट्रेक्टर ट्रॉली निर्माण	1	15.79	5.527
			मोबाईल रिपेयरिंग	2	7.00	2.450
	फर्नीचर मार्ट	7	53.90	18.862		
	इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रानिक रिपे0	7	35.20	11.720		
	रेफीजरेटर रिपेयरिंग	1	3.00	1.050		
	विडियो मेंकिंग	1	5.28	1.320		
	कोसा कपड़ा निर्माण (पावरलूम)	3	39.75	13.910		
	ऑटो सर्विस सेंटर	1	10.00	3.500		
	दोना पत्तल एवं पेपर कप निर्माण	2	13.00	4.550		
	फ्लैक्स प्रिंटिंग	1	15.00	5.250		
	कम्प्यूटर वर्क एवं फोटो स्टुडियो	1	10.00	2.500		
	जूता चप्पल निर्माण	1	3.00	1.050		
	ड्राईक्लीनर्स	1	2.00	0.700		
योग -				93	779.28	269.120
2	मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2018-19	रेडीमेड वस्त्र निर्माण	8	17.62	6.167
			सायकल मरम्मत	1	1.00	0.350
			दोना पत्तल निर्माण	2	6.00	2.100
			फेब्रीकेशन	2	6.00	2.100
			होटल	2	2.00	0.700
			डीजे और साउंड सर्विस	1	1.00	0.350
			आटा चक्की	1	3.00	1.050
			फोटो स्टुडियो	1	1.00	0.350
			पावरलूम	1	3.00	1.050
			बेकरी उद्योग	1	3.00	1.050
			पेन्टर वर्क	1	1.00	0.350
			फर्नीचर मार्ट	1	3.00	1.050
			फोटोकापी एवं कम्प्यूटर वर्क	3	5.00	1.750
			सेलून	2	2.00	0.700
योग -				27	54.62	19.117

परिशिष्ट "छप्पन"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 1039) के भाग (ग) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत वर्ष 2018 एवं 2019 में खनित हैण्डपंपों एवं खर्च की गई राशि की
विधान सभावार जानकारी

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष 2018		वर्ष 2019 (15 नवंबर 2019 तक)		कुल	
		खनित नलकूप की संख्या	खर्च राशि (रु. लाख में)	खनित नलकूप की संख्या	खर्च राशि (रु. लाख में)	खनित नलकूप की संख्या	खर्च राशि (रु. लाख में)
1	जांजगीर-चांपा	33	31.35	42	40.74	75	72.09
2	सक्ती	44	46.20	20	20.98	64	67.18
3	चंद्रपुर	17	16.15	11	10.62	28	26.77
4	जैजैपुर	75	74.25	76	75.24	151	149.49
5	अकलतरा	23	25.76	44	48.07	67	73.83
6	पामगढ़	87	83.52	45	43.20	132	126.72
योग :-		279	277.23	238	238.85	517	516.08

परिशिष्ट "सनतावन"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 1055) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला खनिज संस्थान न्यास के नवीन गठित शासी परिषद् के सदस्यों की जानकारी

स.क्र.	न्यास में सदस्य	पदनाम
1	2	3
1	माननीय प्रभारी मंत्री	पदेन अध्यक्ष
2	कलेक्टर	पदेन सदस्य सचिव
3	01. माननीय श्री चरण दास महंत, विधायक, सक्ती विधानसभा 02. माननीय श्री रामकुमार यादव विधायक, चन्द्रपुर विधानसभा 03. माननीय श्री नारायण प्रसाद चंदेल विधायक जांजगीर चांपा 04. माननीय श्री सौरभ सिंह विधायक, अकलतरा विधानसभा 05. माननीय श्री केशव प्रसाद चन्द्रा विधायक, जैजैपुर विधानसभा 06. माननीय श्रीमती इन्दु बंजारे, विधायक पामगढ़ विधानसभा	पदेन सदस्य
4	01. श्री नंद किशोर हरबंश अध्यक्ष, जिला पंचायत जांजगीर चांपा 02. श्री श्यामसुंदर अग्रवाल अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सक्ती 03. श्री राजेश अग्रवाल अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद चांपा	पदेन सदस्य
5	01. श्री रविन्द्र मुकिम/पिता लक्ष्मण मुकिम 02. श्री अजय सिंह चन्द्रा/पिता सत्यनारायण चन्द्रा 03. श्री किशन शर्मा/पिता स्व. श्री बनारी लाल शर्मा, बिरगहनी	पदेन सदस्य
6	01. श्री सत्यनारायण कश्यप/पिता कार्तिक राम कश्यप, किरारी/अकलतरा 02. फिरतराम चौहान/पिता पीलूराम चौहान, मालखरौदा	पदेन सदस्य
7	01. श्री कन्हैया लाल/पिता दुखी लाल सिदार, छितापडरिया/जैजैपुर 02. श्रीमती अनिता/पति श्री गोरेलाल सतनामी, छितापडरिया/जैजैपुर 03. श्री जागेश्वर प्रसाद पटले/पिता श्री जीवनलाल, करमंदा/बलौदा 04. श्रीमती जानकी बाई/पति श्री बीर सिंह पैकरा, करमंदा/बलौदा 05. श्री ओम प्रकाश पटेल/पिता श्री पीतर पटेल, बिरगहनी च/बलौदा 06. श्रीमती ज्योति राठौर/पति श्री सरोज राठौर, बिरगहनी च/बलौदा 07. श्री गुरुदयाल पाटले/पिता कुलदीप पाटले, तरौद/अकलतरा 08. श्रीमती रामप्यारी/पति श्री गुड्डा नेताम, तरौद/अकलतरा 09. श्री धनेश कुमार गोड़/पिता श्री कोंदाराम गोड़, किरारी/अकलतरा 10. श्रीमती हेमलता साहू/पति अशोक कुमार साहू, किरारी/अकलतरा 11. श्री प्रमोद नेद/पिता श्री प्रेम प्रकाश, उदयबंद 12. श्री ओम प्रकाश कुर्रे/पिता श्री भईया राम कुर्रे, कुलीपोटा 13. श्री महेश राम चौहान/पिता श्री सीटूराम चौहान, जांजगीर 14. श्री अमर सिंह सिदार/पिता श्री रोहित सिदार, मसनियाकला	पदेन सदस्य
8	जिला योजना एवं संख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
9	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
10	कार्यपालन अभियंता, केडा	पदेन सदस्य
11	01. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. नवागढ़ 02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. पामगढ़ 03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. सक्ती 04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. बम्हनीडीह 05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. जैजैपुर 06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. मालखरौदा 07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. अकलतरा 08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. बलौदा 09. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.प. डभरा	पदेन सदस्य

परिशिष्ट "अनठावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 1079) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में 31 अक्टूबर, 2019 तक अवधि में कृषि पंपों के जारी किये गये कनेक्शन तथा लंबित आवेदनों की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	2017-18		2018-19		2019-20 (दिनांक 31.10.2019 की स्थिति में)		
		जारी कनेक्शनों की संख्या	31.03.2018 की स्थिति में लाईन विस्तार कार्य हेतु लंबित आवेदनों की संख्या	जारी कनेक्शनों की संख्या	31.03.2019 की स्थिति में लाईन विस्तार कार्य हेतु लंबित आवेदनों की संख्या	जारी कनेक्शनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	
							स्वीकृति एवं औपचारिकता पूर्ण करने हेतु	लाईन विस्तार हेतु
1	रायपुर	618	141	483	724	531	86	717
2	बलौदाबाजार	369	964	1009	1533	346	352	1508
3	गरियाबंद	807	479	561	1255	371	0	1194
4	धमतरी	1055	507	700	729	326	955	806
5	महासमुन्द	2056	1261	1417	1212	197	1499	2614
6	दुर्ग	814	13	494	1003	596	592	720
7	बालोद	638	353	683	1808	590	583	2027
8	बेमेतरा	955	1836	2449	4190	775	945	3507
9	राजनांदगांव	2244	1383	2363	3741	1787	1607	3391
10	कबीरधाम	545	2262	2315	1513	569	2465	1469
11	बस्तर	1040	765	830	211	66	83	149
12	दंतेवाड़ा	74	8	9	1	1	9	0
13	सुकमा	59	9	23	16	24	2	2
14	बीजापुर	28	0	0	32	32	7	2
15	कांकेर	1859	1912	2685	2145	658	465	1963
16	कोण्डागाँव	1534	375	479	2754	387	521	2864
17	नारायणपुर	56	23	14	9	2	33	33
18	बिलासपुर	884	676	1494	1196	697	1532	1926
19	मुंगेली	562	372	404	1291	80	1511	1461
20	जांजगीर-चांपा	801	295	731	462	79	160	526
21	कोरबा	163	12	67	9	45	51	100
22	रायगढ़	1024	970	1587	1440	570	24	1649
23	जशपुर नगर	28	157	112	45	30	0	15
24	सरगुजा	406	228	556	225	234	0	125
25	सूरजपुर	641	122	387	65	80	0	75
26	बलरामपुर	249	0	187	172	172	0	36
27	कोरिया	244	23	185	3	88	22	2
योग		19753	15146	22224	27784	9333	13504	28881